माला, खंड 6, अंक 48

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)



(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 48, गुरुवार, 24 मई, 1990/3 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 963 से 965, 967 और 968	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 966, 969 से 972, 972-क और 973 से 985	21—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10211 से 10400, 10400-क, 10400-ख और 10400-ग	36—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	220—224
मंत्री द्वारा वक्तव्य	224—227
फीजी में भारत के राजनयिक मिशन का बन्द कर दिया जाना	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	227—240
दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पेयजल की कमी	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	227
श्री मुरासोली मारन	228
श्री हरीश रावत	232
श्री केशरी लाल	234
श्री सत्यनारायण जटिया	236

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 115 के अधीन वक्तव्य	240—241
राष्ट्रीय कीट नियंत्रण नीति बनाना	
श्री एदुआर्दो फैलीरो	240
श्री नाथू राम मिर्धा	241
कार्य-मंत्रणा समिति	241—249
बारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	249—257
(एक) विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों को दक्षिण-मध्य रेलवे मण्डल, हैदराबाद के अन्तर्गत लाए जाने की मांग	
श्रीमती उमा गजपति राजू	249
(दो) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग	
श्री हरीश रावत	249
(तीन) देश में कॉलेज/विश्वविद्यालय कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग	
श्री भवानी शंकर होटा	250
(चार) राजस्थान के करौली क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उसे रेल द्वारा धौलपुर तथा गंगापुर के साथ जोड़े जाने की मांग	
डा० किरोड़ी लाल मीणा	250
(पांच) पश्चिम बंगाल में छः खानों को बन्द करने के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० सी० एल०) के निर्णय की समीक्षा किए जाने की मांग	
श्री हाराधन राय	251
(छः) "सिद्धार्थ विकास योजना" के अन्तर्गत भोजपुर जिले का विकास करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग	
श्री तेज नारायण सिंह	251
(सात) जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में बसे शरणार्थियों के दावों के मामले निपटाने की मांग	
श्री जनक राज गुप्त	252
(आठ) बिहार में प्रस्तावित औरंगा और कनहर जलाशयों का निर्माण चालू योजना में शामिल किए जाने की मांग	
श्री जोरावर राम	252

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	258—291
21 मई, 1990 को श्रीनगर में कश्मीर के मीर वाइज मौलवी फारूख की हत्या	
श्री सन्तोष मोहन देव	258
प्रो० सैफुद्दीन सोज	266
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	266 और 282
संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	291—315
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	291
श्री अजीत पांजा	295
श्री राम नाईक	300
श्री सुशान्त चक्रवर्ती	302
श्री गिरधारी लाल भार्गव	305
श्री दाऊ दयाल जोशी	307
संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	313—314
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	313
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	314—315
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	314
स्वर्ण (नियन्त्रण) निरसन विधेयक	315—329
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	315
श्री आर० जीवरत्नम	317
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता	318

विषय	पृष्ठ
श्री अजीत पांजा	319
श्री जी० एम० बनातवाला	322
श्री गिरधारी लाल भार्गव	323
श्री दाऊ दयाल जोशी	325
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	325
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
प्रो० मधु दण्डवते	328
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	329—331
(राज्य सभा द्वारा यथापारित)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	329

लोक सभा

शुक्रवार, 24 मई, 1990/3 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में आग लगने की घटनाएं

[हिन्दी]

+

*963. श्री उत्तम राठौड़ :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष आग लगने की अब तक कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) आग लगने के कारण क्या थे, आग की इन घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी थी और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई; और

(ग) आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1 जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 की अवधि के दौरान दिल्ली में आग लगने की 2261 घटनाएं घटीं।

(ख) आग लगने के कारण सामान्य तौर से इस प्रकार हैं :

1. विद्युत शार्ट-सर्किट,

2. विद्युत के उपकरणों पर अधिक अभिभार,

3. खाना बनाने की गैस का रिसाव,

4. औद्योगिक प्रक्रिया, तथा

5. लापरवाही से धूम्रपान करना।

आग की इन घटनाओं में जनता के 13 व्यक्ति मारे गए तथा 18 घायल हुए। इन सभी घटनाओं में हुए नुकसान का अभी जायजा नहीं लिया गया है।

(ग) जहां कहीं आवश्यक है वहां पर सरकार अनुग्रह राशि उपलब्ध करा रही है।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय क्या सरकार ने केवल इस भयंकर आग के बारे में विचार किया है अथवा आपने झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगने के कारणों की तह में जाने का कुछ कष्ट किया है क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों में ऐसी बहुत-सी घटनाएं हुई हैं। उनके क्या कारण थे? मैं उनके बारे में जानने का इच्छुक हूं, ऊंची इमारतों के बारे में नहीं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक झुग्गी झोंपड़ियों का प्रश्न है, सामान्यतया कारणों का पता नहीं लग पाता है। जैसाकि आप जानते हैं, आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसके कई कारण हैं। कारणों का पता नहीं चला है। आकस्मिक आग लगने की दुर्घटनाएं भी होती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उत्तम राठौड़ : अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया, मैंने पूछा था कि इसकी वजह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मुफ्ती साहब, इन्होंने पूछा है कि क्या आपने इसके बारे में तहकीकात कराई है?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : तहकीकात इस बात के लिए करवाई गई थी कि इन घटनाओं में कोई सेबोटाज तो नहीं है, लेकिन उसमें पाया गया कि कोई ऐसी बात नहीं है, किसी ने जानबूझ कर झुग्गी-झोंपड़ियों में आग नहीं लगाई है, जैसे जनरली आग लगने की वारदातें होती हैं, उसी तरह की ये वारदातें थीं।

श्री उत्तम राठौड़ : देखा यह गया है कि पिछले एक डेढ़ महीने में जहां-जहां झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, वहां ये वारदातें हुई हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में तो मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया, लेकिन झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में आपको कहीं कोई सेबोटाज नजर नहीं आया, यह ताज्जुब की बात है। हजारों झोपड़ियां जल जाती हैं, लाखों का नुकसान हो जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जह नहीं जाती और आप कहते हैं कि कोई वजह नहीं मिली, कैसे आपको कोई वजह नहीं मिली, यह समझ में नहीं आता।

क्या यह सही नहीं है कि जब दादा लोगों को झुग्गी-झोंपड़ी वाले हफ्ता नहीं देते तो उनके द्वारा शरारत करके झुग्गियां जला दी जाती हैं, क्या ऐसी कोई वारदात आपको नहीं मिली।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हमने दिल्ली पुलिस के जरिए तहकीकात कराई है, इसलिए कि कहीं कुछ लोगों का हाथ तो इसमें नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री महोदय ने जिस तरह से इतनी भयानक समस्या का जवाब दिया है, उससे लगता है कि उन्होंने खासतौर से झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में कोई इनवेस्टीगेशन सरकार की तरफ से नहीं करवाई है। अगर उन्होंने इनवेस्टीगेशन करवाई होती तो कोई न कोई कारण इस सदन को जरूर बताया जाता कि जिसकी वजह से इन झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगी है। बहरहाल कारण नहीं बताया गया, लेकिन यह सच है कि कोई न कोई कारण अवश्य होंगे जिनकी वजह से आग लगी है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बताया है कि पुलिस के जरिए तहकीकात करवाई है, आप सवाल करिए।

श्री जगपाल सिंह : मैं सवाल ही कर रहा हूं। क्या माननीय मन्त्री महोदय मुझको और इस सदन को बताएंगे कि कहीं इसका कारण ब्यूरोक्रेट्स का और कालोनाइजर्स का गठबंधन तो नहीं है। ज्यादातर अखबारों में जिस आशय की खबरें आ रही हैं, उससे यह संशय उत्पन्न होता है, मैं किसी राजनीतिक दल पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता। कहीं कालोनाइजर्स और ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलकर तो यह काम नहीं कर रहे हैं। जिस ढंग से अनअथराइज्ड कालोनीज और झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लग रही हैं, कहीं उन स्थानों पर कब्जा करने के लिए तो यह काम नहीं किया जा रहा है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, जहां पर झोंपड़ियों में आग लगी है, वहां पर सरकार की मदद से फिर से झोपड़ियां बनाने की इजाजत दी गई है, इसलिए कालोनाइजर्स ने आग लगवाई हो, यह स्पष्ट नहीं होता। जिस तरह से आप लोगों ने झुग्गी-झोंपड़ियों में देखा होगा कि एक के साथ एक सटी हुई झुग्गियां रहती हैं, क्लस्टर होने की वजह से कहीं एक जगह पर इनफलेमेबल मेटीरियल में आग लगने की वजह से सब जगहों पर आग लग जाती है। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, यहां दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों में जो आग लगने की घटनाएं हुईं, उनकी छानबीन दिल्ली पुलिस के माध्यम से कराई गई और आग लगने का कोई कारण हमें मालूम नहीं हुआ। मैं बताना चाहती हूं कि 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 17,000 के लगभग झुग्गियां दिल्ली में जलकर राख हुई हैं और एक लाख से ज्यादा लोग बेझोंपड़ी हो गए हैं। जब सदर बाजार की गांधी गली में 16 अप्रैल को आग लगी तो उसके लिए पुराना सचिवालय में स्पेशल जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन हजारों झुग्गियां जलने के बाद भी आज तक पुराना सचिवालय के अन्दर एक भी जांच कमेटी नहीं बैठाई गई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पुराना सचिवालय के बाहर धरना दिया जा रहा है और हमारी मांग है कि झुग्गियों में लगी आग की घटनाओं के बारे में जांच कराई जानी चाहिए, जांच कमेटी बिछाई जानी चाहिए, जिस प्रकार गांधी गली में लगी आग के बारे में बिठाई गई। वहां पर इसलिए तुरन्त एक्शन ले लिया गया क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन लोग थे, प्रभावशाली लोग थे और जहां पर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, जिनकी झुग्गियां जलाकर राख कर दी गई हैं, उनके बारे में कोई जांच समिति अभी तक नहीं बिठाई गई। मैं बताना चाहती हूं कि जब से बहुजन समाज पार्टी ने पुराना सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया है, तब से दिल्ली में झुग्गियों में आग की घटनाएं लगभग बन्द हो गई हैं, क्योंकि आज पता लग गया है कि वीकर सेक्शन उठ कर खड़ा हो गया है। (व्यवधान)

मैं जानना चाहती हूं कि अब तक जांच क्यों नहीं कराई गई। वीकर सेक्शन की जो झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं, क्या इन घटनाओं की जांच करने के लिए कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, जिन झुग्गियों में जनता रहती है, गरीब लोग रहते हैं वहां इस बात की जांच करवाने की जरूरत है कि आग क्यों लगी। एक के बाद एक कालोनी में आग लगती है, इसमें किसी की साजिश नहीं है। हमने पुलिस कमिश्नर को कह दिया कि पूरी जांच करो। जांच करने के बाद मालूम हुआ कि इसमें किसी का दोष नहीं है।

अगर आप विज्ञान भवन और सदर बाजार की बात करते हैं, उनमें जो आग लगने की वारदातें हैं उनके बचाव के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आग लगी। अगर सब फायर प्रीवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद आग लगी है उसमें इनवैस्टीगेशन की जरूरत थी। जहां तक झुग्गी-झोंपड़ियों का ताल्लुक है, गरीब लोग वहां रहते हैं, चूल्हा भी वहीं होता है और एक जगह आग लगे तो सब जगह फैल जाती है। मैं माननीय सदस्या को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें हमने पूरी तहकीकात करायी, इसमें कोई दोषी नहीं है। (व्यवधान)

श्री तारीक सिंह : अध्यक्ष जी, जैसे ही नयी सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी वालों को राशन-कार्ड देने की घोषणा की, कांग्रेस के लोगों और पुलिस ने मिल कर कुछ नयी झुग्गियां बना लीं। जब वहां राशन-कार्ड नहीं बनाए गए तो कांग्रेस के लोग, जिन्होंने पैसा देकर झुग्गियां बनवायी थीं उन्होंने स्कीम बनायी कि उन झुग्गियों में आग लगा दी जाए। क्योंकि जब प्रशासन का ध्यान इस ओर जाएगा तो राशन-कार्ड भी मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। पी० बी० सी० मार्किट ज्वालापुरी की घटना हुई। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि पी० बी० सी० मार्किट, जहां आग लगी है, वहां थोक के व्यापारी थे और कुछ छोटे व्यापारी थे जो पी० बी० सी० का धन्धा करते हैं। बड़े व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों को हटाने के लिए वहां आग लगा दी। यह चौथी घटना है। क्या गृह मन्त्री जी आदेश देंगे कि इसकी जांच करवायी जाए। मैं वहां स्वयं मौके पर गया। कांग्रेस के लोगों ने हूटिंग करके हमें बात नहीं करने दी। क्या इसकी जांच करवायी जाएगी ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी तहकीकात हुई है। कोई गिरोह या कोई आदमी नहीं पाया गया, जिसने आग लगायी हो।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1989 से पहले जो आग लगती थी, दिल्ली प्रशासन, जहां तक मुझे जानकारी है, 250 रुपये प्रति झुग्गी देता था। नयी सरकार ने उस राशि को बढ़ा कर 500 रुपये किया है। मैं जानना चाहता हूं अगर झुग्गी-झोंपड़ी में आग लगे तो उन्हें तुरन्त राहत देने के बारे में, जैसे रोटी या अनाज देने के बारे में, इस प्रकार की सुविधाएं देने के बारे में क्या सरकार सोच रही है ?

इसके साथ ही मेरा सवाल यह है कि जो आग लगी है, समयपुर बादली के पास आग लगी, अखबारों में भी छपा है, वहां झुग्गियों में सामान नहीं था, खाली झुग्गियां जलीं। पुलिस ने तीन-चार लोगों को पकड़ा, यह मेरी जानकारी है। पुलिस का बयान था कि झुग्गी-झोंपड़ी की सहायता के लिए कदम बढ़ाना उनका उद्देश्य था। यह और जगह भी हो सकता है। झुग्गी-झोंपड़ियों में इतनी ज्यादा संख्या में आग कैसे लगी, क्या आप निष्पक्ष जांच किसी मजिस्ट्रेट से कराने के बारे में सोच रहे हैं ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा हूं, जहां पर झुग्गियां हैं वे अक्सर इजाजत के बगैर बनायी जा रही हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की इजाजत नहीं होती है। वहां बेसिक और मिनिमम नीड्स, वाटर सप्लाई, इरीगेशन और सड़क का इन्तजाम नहीं होता है। आग लगने के बाद

सरकार को री-हैबिलिटेट करना होता है। मैं एक बात के लिए माननीय सदस्य से एग्री करता हूं कि हमें स्पेशल स्टैप्स लेने होंगे कि इन इलाकों में आग लगने की वारदातें न हों। इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि एक जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक दो हजार दो सौ इकसठ घटनाएं आग लगने के कारण हुई हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यह जो संख्या बताई गई है यह सामूहिक तौर से बताई गई है, इसमें से झुग्गी-झोंपड़ियों में जो आग लगने की घटनाएं हैं उनका विवरण अलग से दिया जाए और गैस सिलेंडर फटने के कारण दुर्घटनाएं हुईं किसी मकान में शार्ट सर्किट की वजह से दुर्घटनाएं हुईं, उनका विवरण अलग से दिया जाए, ताकि सार्वजनिक रूप से आग कितनी जगह लगी है इसकी जानकारी हमें ठीक से प्राप्त हो सके। जहां सामूहिक रूप से झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगी है या लगाई गई है उसका अलग से विवरण होना जरूरी है। जहां नुकसान हुआ है उनको क्या अनुग्रह राशि दी गई इसका भी उत्तर सरकार ने नहीं दिया है। इन्होंने लिखा है कि जहां कहीं भी आवश्यक है वहां पर सरकार अनुग्रह राशि उपलब्ध करा रही है; 13 व्यक्ति मारे गए हैं और 18 व्यक्ति जो घायल हुए हैं उनको कितनी धनराशि दी गई है?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इन्होंने बहुत से सवालात पूछे हैं। पहले जब झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगती थी तो ढाई सौ रुपए दिए जाते थे। अब हमने वह राशि बढ़ाकर पांच सौ रुपए कर दी है। जहां कहीं नुकसान हुआ है, जैसे सदर बाजार में हुआ है या दूसरी अन्य जगहों पर हुआ है। (व्यवधान) झुग्गी-झोंपड़ियों का अलग से विवरण मेरे पास नहीं है, वह मैं कलेक्ट करके आपको बता दूंगा।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : यह दिल्ली की घटनाएं हैं और अगर हमें यहां की ही पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो कैसे चलेगा। यह कलेक्ट करके लाना कोई जवाब नहीं है। कितनी राशि घायलों को दी गई, कितनी राशि मृतकों के सम्बन्धियों को दी गई और वे जो दो हजार दो सौ इकसठ घटनाएं हुई हैं भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

अध्यक्ष महोदय : वह बता देंगे।

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं। मैंने पहले भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो मैंने उस वक्त भी यह प्रश्न उठाया था कि जो झुग्गी वाले हैं उनके बार-बार कहने के बावजूद भी दिल्ली प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। वे लोग आपको रिपोर्ट कुछ भी बनाकर भेज दें, लेकिन हालत यह है कि जो झुग्गी वाले हैं जिनकी झुग्गियां जल गईं उनको अभी तक पैसा नहीं मिलने के कारण वे लोग छत नहीं बना पाए हैं। आप तक तो पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी। दूसरा यह है कि सदर बाजार में जो दुकानों में आग लगी थी उन दुकानदारों ने इंशोरेंस कम्पनी को बीमे के लिए पहले कहा था, लेकिन इंशोरेंस कम्पनी ने उन दुकानों का बीमा करने से मना कर दिया था, यह बात मैंने उस वक्त हुई चर्चा में भी उठाई थी, इस तरह से कई चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों का दम घुटता है। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त इसी विषय पर चर्चा के दौरान जो सवाल किए थे उन पर क्या फैसला लिया गया यह आप हमें बताएं? मैंने ये प्रश्न उठाए थे कि क्या दुकानदारों की दुकानों का बीमा करने के लिए आप इंशोरेंस कम्पनी को कहेंगे, क्या झुग्गी-झोंपड़ी वालों को पैसा दिया गया और जो सामान फाकर फ्रिजेक्टर वाले बाजार करते हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि

जान बचाने वाले इक्वीपमेंट्स पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्या इनके बारे में आप हमें जानकारी देंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जो टोटल रिलीफ दी गई वह तैंतालीस लाख सत्तासी हजार दो सौ पचास रुपए है। जहां नुकसान हुआ है झुग्गी-झोंपड़ी वालों का उनमें, जिनका देहान्त हो गया है उनको एक लाख तीस हजार रुपए दिए गए और जो घायल हुए हैं उनको पांच सौ रुपए से तीन हजार रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए हैं।

सभैपुर	28,000
वजीरपुर	3,54,000
रोहिणी	1,30,000
शान्तिवन	10,77,000
शाहबाद	5,500
शाहदरा	12,500
पटेलनगर	8,000
कीर्तिनगर	72,500
वजीरपुर	40,000
आदर्शनगर	5,93,500
गीता कालोनी	1,25,000
मोतिया खान	7,97,500
शाहबाद	6,66,500
बादली	1,13,000
सीलमपुर	34,000
जहांगीरपुरी	3,27,500

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक काम करा दें कि इसकी एक कॉपी दिला दें। यह बताएं कि कुल कितने लोगों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो इन्होंने दे ही दिया है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली में आग लगने का एक सिलसिला चला था और अभी होम मिनिस्टर साहब ने उसका विवरण दिया। इसी सिलसिले में मेरे चुनाव क्षेत्र मोतिया खान में एक बहुत भयंकर आग लगी जिसको देखने के लिए शहरी विकास मंत्री स्वयं गए थे और साथ में राज्य गृह मन्त्री भी थे। मैं जानना चाहता हूं कि इस आग से कितने लोग इफेक्टिड हुए थे। मैंने स्वयं इस बारे में लैफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर सारी बात की थी। मेरे ख्याल में इस आग में 9 बच्चे और दो

महिलाएं जलकर मर गए हैं तो मैंने निवेदन किया था कि इसकी सी० बी० आई० द्वारा जांच की जाए और साथ में यह भी कहा था कि उनको एक-एक लाख रुपया दिया जाए जो मर गए और जो इफेक्टिव हुए हैं, उनको 20-20 हजार रुपया दिया जाए। तो मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि जो मर गए उनको कितनी राहत राशि के रूप में दी गयी है और जो 2000 झुग्गियां जल गयी हैं, उनको कितनी राहत दी गयी है और दूसरे वे लोग जल गए लेकिन जिन्दा हैं, उनको कितनी राशि राहत के रूप में दी गयी ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने डिटेल्ज सभा पटल पर रख दिए हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मेरे घर में भी एक आग दुर्घटना हुई थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं जानता था। मैं आपको बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्होंने सदन पटल पर रख दिया है। मैंने जो यह बात कही कि मरने वालों को प्रत्येक को एक-एक लाख रुपया और इफेक्टिड लोगों को 20-20 हजार रुपया देने की बात कही है, क्या वह मान लिया गया है या नहीं ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इनका जो सुझाव है, हम उस पर विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मैं साऊथ एवेन्यू के फ्लैट नं० 139 में रहती हूं। दिनांक 20 मई को, रात 10.45 के करीब शार्ट सर्किट हो जाने से मेरे घर के स्नानगृह में आग लग गई थी। मेरे राज्य के मेरे साथी, प्रो० के० वी० थामस, श्री बशीर, श्री पी० ए० एन्टनी और अन्य व्यथित केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदमियों के भी आने से पहले आग बुझाने के लिए मेरी मदद को आए। अब, क्योंकि आग अन्य फ्लैटों में भी लग सकती है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बिना हमारे निवेदन का इन्तजार किए सभी फ्लैटों के नवीकरण का आदेश जारी करेगी ? क्या आप इस सम्बन्ध में आदेश जारी करेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है कि ऊंची इमारतों के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, कुछ विशेष निर्देशों का पालन करना होता है और आग रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने हैं। किन्तु कुछ इमारतों में, ये कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में हम अति गम्भीर हैं। हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ सरकारी इमारतों में भी आग रोकने के कोई उचित उपकरण नहीं हैं।

माननीय सदस्य का सुझाव सरकारी इमारतों के सम्बन्ध में है। सामान्यतया, जहां पर भी सरकारी इमारतें हैं, यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि आग बुझाने सम्बन्धी कदम उठाएं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो सूची सदन के पटल पर रखी है, उसमें कहा गया है कि जिन झुग्गी-झोंपड़ियों में आग लगी उन्हें कुछ पैसा राहत के तौर पर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को पैसा देने की बात कही गयी है, उन्हें वास्तव में पैसा उपलब्ध करा दिया गया है और जिन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला, क्या माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे कि उन्हें पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगी थी, उससे अनेकों लोग लावारिस हो गए, उन्हें फिर से बसाने के लिए क्या माननीय मन्त्री जी प्रशासन को आवश्यक निर्देश देंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो हो चुका है और माननीय मन्त्री जी उसका उत्तर भी दे चुके हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री हरि केवल प्रसाद : मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों की झुग्गियां जली हैं, उन्हें अभी तक कुछ भी पैसा नहीं मिला है, क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे। किसी अधिकारी ने उन्हें अभी तक पैसा नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सरकार ने जहां झुग्गी-झोंपड़ियां जल गयी हैं, वहां 500 रुपया दिया है। हमारे पास अभी तक कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आयी है कि जिस व्यक्ति की झुग्गी-झोंपड़ी जल गयी है, उसे अभी तक कोई राहत नहीं मिली। यदि माननीय सदस्य के पास कोई इंसटांस हो जहां किसी को राहत सहायता का पैसा न मिला हो, वह हमारे नोटिस में लायें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, किमल जी। मैं आपको एप्रोप्रिएट टाइम पर बोलने की इजाजत दे दूंगा। ऐसे नहीं, आप बैठ जाइए।

कृषि विज्ञान केन्द्र

[अनुवाद]

*964. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार की नीति प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि यह सरकार कृषि की बात तो करती है लेकिन उसके दिल में कितनी सहानुभूति है, उसका पता नहीं चलता। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने अपनी पौलिसी में यह तय किया हुआ है कि हर जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाएगा, उसके अनुसरण में, अब तक देश के कितने जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल दिए गए हैं, इस साल कितने और जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल दिए जाएंगे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए बजट में कितने धन का प्रावधान है ?

श्री नितीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अब तक देश के 103 जिलों में कुल 105 कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हैं। जहां तक पौलिसी का सवाल है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने यह सिफारिश की थी कि 2000 ईस्वी तक सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल दिए जायेंगे और सरकार ने सिद्धान्त: इसे स्वीकार कर लिया है। अब प्रश्न धन की उपलब्धता का है। आज सुबह ही जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर देखा तो मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं था, अत: मैंने प्रात: ही उप-प्रधानमन्त्री एवं कृषि मन्त्री श्री देवीलाल जी से बातचीत की और उसमें यह तय हुआ कि प्लानिंग कमीशन के समक्ष कृषि मन्त्रालय इस बात पर जोर देगा कि कमीशन ने 2000 ईस्वी तक के लिए जो सिफारिश की है, उसे तो पूरा किया ही जाए, लेकिन इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में अधिक से अधिक जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायें, इसके लिए सक्रिय और कारगर पहल कृषि मन्त्रालय करेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी जो कुछ कहते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जुबान सही सिद्ध हो, हम भी खुश हो जायेंगे और इस देश के किसान भी खुश हो जायेंगे। लेकिन आज देश में जितने कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहे हैं, उनकी संख्या पूरे देश को दृष्टिगत रखते हुए काफी नहीं है, बहुत कम है। इसके अलावा उनके लिए बजट में पहले जितना प्रावधान किया जाता था, उतना पैसा अब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कृषि विज्ञान केन्द्रों का काम भी कम हो रहा है और जितने किसान उनसे पहले लाभ उठाते थे, अब उसकी तुलना में आधे किसानों को भी लाभ नहीं मिल पाता। इस सम्बन्ध में, सरकार क्या कर रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इन केन्द्रों में आए, उन्हें लाभ हो, उनकी संख्या कम न होने पाए और कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बजट में अधिक से अधिक पैसे का प्रावधान किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो भी खर्च होता है, उसका वहन आई० सी० ए० आर० की मार्फत केन्द्रीय सरकार करती है और इस मामले में एक नई नीति पर भी विचार हुआ, लेकिन उस पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। नई नीति यह थी कि 5 साल तक केन्द्रीय सरकार खर्च वहन करे और अगले 5 साल आधा खर्च राज्य सरकार और आधा केन्द्रीय सरकार वहन करे, लेकिन इस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। बहरहाल स्थिति यह है कि सारा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे खण्ड का सवाल है—कृषि विज्ञान केन्द्रों में कम किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है या उनकी गतिविधि सिमट गई है पैसों के अभाव में, यह बात सही नहीं है। कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रयोग बहुत ही सफल है और इसका प्रचार व प्रसार हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार किया जा रहा है कृषि के कई क्षेत्रों में, और नए सिरे से जो कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्य हैं, उनका विस्तार किया जा रहा है और सफलतापूर्वक इसका संचालन किया जा रहा है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने कहा है कि धनराशि के अभाव के कारण कृषि विज्ञान केन्द्र घट कर आधे रह गए हैं और जो बचे हैं उनको भी चलाने के लिए धनराशि नहीं है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों का प्रशिक्षण देने का काम है, एडॉप्शन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये करते हैं और जो नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में हासिल होती है, उस जिले में जो उपयोगी तकनीकी होती है, उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, महिला किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और युवा किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न क्षेत्रों में, और नए क्षेत्रों की जैसी सम्भावना उस जिले में होती है, उसके अनुसार कार्य करना ही इन केन्द्रों की एक्टिविटी है। इन एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि कृषि विज्ञान केन्द्रों की उपयोगिता के दायरे को बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, लगभग हर 30 वर्ष में देश की जनसंख्या दोगुनी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप सदैव कुछ जानकारी देते हैं।

श्री के० एस० राव : जी, महोदय। किन्तु सरकार ने स्वयं यह जानकारी उपलब्ध कराई है कि प्रति वर्ष लगभग दस लाख हेक्टेयर भूमि का शहरीकरण किया जा रहा है अथवा इसका प्रयोग व्यावसायिक और अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि देश में कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। इसलिए, कार्यकुशलता और भूमि की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरीका बचा है, कि किसानों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए। किसान अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वे आधुनिक तकनीक अपना सकते हैं। वे इसे सीख सकते हैं और कई अवसरों पर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए तो वे वर्तमान स्तर से दोगुनी और तिगुनी उपज बढ़ा सकते हैं। इस सरकार ने बहुत प्रचार किया है कि यह कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। अब, माननीय मन्त्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वे अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। जैसाकि स्पष्ट है, उन्होंने आठवीं योजना में योजना आयोग द्वारा आबंटन बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : वे चिन्ति हैं।

श्री के० एस० राव : चिन्ता ही पर्याप्त नहीं है। इसे कार्यवाही में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि अब चाहे देर से ही सही, क्या वे न केवल माननीय कृषि मन्त्री अपितु मन्त्रिमण्डल और योजना आयोग को भी समझाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लगभग सभी जिलों को आठवीं योजना में या इससे पहले यदि सम्भव हो, कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जायें जिससे किसानों को आठवीं योजना तक कम से कम तीन गुना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने पहले ही

दे दिया है कि आठवीं योजना में अधिक से अधिक जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा सकें इसके लिए धनराशि को उपलब्ध किया जाए इसके लिए योजना आयोग से इस मामले को गम्भीरतापूर्वक और सक्रियता से लिया जाएगा और जब योजना आयोग से लेंगे, तो मंत्रिपरिषद से भी लेंगे, यह सभी की संयुक्त जवाबदेही है। जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए गम्भीरतापूर्वक पहल की जाएगी, ऐसा मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री नानी भट्टाचार्य : मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने में क्या नार्मस अपनाए हैं, क्या नार्मस अभी तक फौलो हुए हैं और यदि स्टेट-वाईज-ब्रेकअप आपके पास है तो वह भी बताइए ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विज्ञान केन्द्र खोलने का अब तक का जो नार्मस रहा है वह प्रारम्भिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का रहा है। दूसरा नार्म रहा है जहां 50 एकड़ की जमीन उपलब्ध हो और एक तरह से उस जिले के लिए एक रिप्रेंजेंटेटिव एरिया हो, जहां पूरे जिले के लिए हर प्रकार की जो खेती होती है, जो भी कृषि सम्बन्धी कार्य होते हैं उसका वहां पर प्रदर्शन किया जा सके। तीसरी बात जिसमें नार्मस ऐडाप्ट किया जाता है उसमें सड़क, बिजली की सुविधा हो। तमाम चीजों को देखकर वहां उसका चयन किया जाता है। मेरे पास कुल 105 कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची है। स्टेट-वाईज कहेंगे तो माननीय सदस्य और सदन को दे दूंगा।

श्री छविराम अर्गल : सरकार की नीति और नीयत साफ है। कृषि को जो प्रधानता दी है उस आधार पर उन्होंने जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश पिछड़ा राज्य है। यहां पर अभी संभाग मुख्यालयों पर भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। क्या प्राथमिकता क्रम में जहां कमीशनरी हैडक्वार्टर है, वहां पर पहले प्राथमिकता देंगे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग चम्बल मुख्यालय, जो कमीश्नरी हैडक्वार्टर है, वहां पर केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे ? भिन्ड, मुरैना में प्राथमिकता क्रम में क्या यह केन्द्र खोलने की स्थापना करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : किसी पर्टीकुलर इलाके में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जा सकता है या नहीं, इसके बारे में तत्काल बताना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जहां तक सवाल है, मैंने स्वयं पहले ही कहा है कि प्रारम्भिक रूप से जो पिछड़े इलाके हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। यदि इसमें पूर्व की सरकार द्वारा कोई कमी रही होगी तो जैसा मैंने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के काल में अधिक से अधिक जगहों पर खोले जाएंगे। उस समय आपके सुझाव का ख्याल रखा जाएगा। ये बातें किसी नार्मस के अन्तर्गत आती हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : बिहार में अभी तक कितने कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं और उनकी क्या स्थिति है ?

श्री नीतीश कुमार : बिहार में आठ कृषि विज्ञान केन्द्र अब तक खोले गए हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : स्टेट-वाईज फिगर तो दे दें।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट-वाईज फिगर के बारे में मत पूछिए क्योंकि मन्त्री जी कह चुके हैं कि स्टेट-वाईज फिगर के बारे में जो सूची है, वे सभा पटल पर रख देंगे।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक 103 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं। इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के तीन-चौथाई जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश है। खेती के मामले में प्रति एकड़, उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह बतायें कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं और आपने जो तय किया है कि सन् 2000 तक हम सारे देश में, हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल देंगे, इसका मतलब अगली पंचवर्षीय योजना में सभी जिले कवर नहीं होंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से नए जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलेंगे उसके लिए कौन सा मापदण्ड होगा, क्या आधार होगा और कितने जिलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में आप कृषि विज्ञान केन्द्र खोल देंगे ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अलग-अलग प्रश्नों में दे चुके हैं।

बड़े पत्तनों पर यातायात का आवागमन

[अनुवाद]

\+

*965. **श्रीमती वासवराजेश्वरी :**
श्री जी० एच० वासवराज :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान 12 बड़े पत्तनों के माध्यम से कितना यातायात हुआ और वर्ष 1988-89 और 1987-88 में हुए ऐसे यातायात के पत्तन-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इससे पहले के दो वर्षों की तुलना में इन पत्तनों से हुए यातायात में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो पत्तन-वार इसके कारण क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 11 महापत्तन हैं। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान इन महापत्तनों पर हैंडल किया गया ट्रैफिक निम्न प्रकार है :—

1987-88, 88-89 और 89-90 के दौरान महापत्तनों पर हैंडल किया गया ट्रैफिक

(मिलियन टन)

पत्तन का नाम	1987-88	1988-89	1989-90 (अनन्तिम)
1	2	3	4
कलकत्ता (हल्दिया गोदी कम्पलैक्स समेत)	13.071	14.223	14.689

1	2	3	4
पारादीप	5.187	6.032	6.183
विशाखापत्तनम	15.371	20.371	21.117
मद्रास	22.82	23.86	23.94
कोचीन	6,802	7.824	7.111
न्यू मंगलौर	6.107	7.085	7.661
मुरगांव	13.332	15.389	14.171
बम्बई	29.6	29.3	27.5
कांडला	18.083	17.807	18.925
टूटीकोरिन	4,26	5.13	5.324
जवाहरलाल नेहरू पत्तन	—	—	0.697
जोड़ :	134.033	147.031	147.318

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से मालूम होता है, 11 पत्तनों में हैंडल किए गए ट्रैफिक में 1988-89 तथा 1987-88 की तुलना में 1989-90 के दौरान कुल मिलाकर बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन वर्ष 1989-90 के दौरान बम्बई में 1987-88 और 1988-89 की तुलना में तथा कोचीन और मुरगांव 1988-89 की तुलना में हैंडल किए गए ट्रैफिक में मामूली कमी हुई है।

फिर भी, इस प्रकार बम्बई और कोचीन पत्तनों में 1989-90 में हैंडल किए गए ट्रैफिक का मूल्य इन पत्तनों की स्थापित क्षमता का 100% ।

(ग) उत्तर के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित पत्तनों के सम्बन्ध में ट्रैफिक में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) मुम्बई : (i) बम्बई हाई क्रूड के तटीय निर्यात में पर्याप्त कमी होना। जिसके कारण पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेण्ट ग्रुप के ट्रैफिक में कमी हुई।

(ii) खाद्य तेल, लोह और स्टील तथा खाद्यान्न (दालों समेत) के आयात में कमी होना।

(iii) मई, 1989 से जब जवाहरलाल नेहरू पत्तन चालू हुआ, मुम्बई पत्तन ने ट्रैफिक को इस पत्तन की ओर मोड़ देने से कुछ हद तक कुल ट्रैफिक में कमी हुई।

(2) मुरगांव : (i) लोह अयस्क की खानों में हड़ताल रोमानिया की आन्तरिक समस्याओं तथा कराची पत्तन पर फरवरी, 1990 में अशान्ति के कारण सात चार्टर्ड जहाजों को रोके रखने से गत वर्ष की तुलना में लोह अयस्क के निर्यात में 9.57 लाख टन की कमी हुई।

(ii) आयातित पी० ओ० एल० उत्पादों के ट्रांशिपमेंट में 2.55 लाख टन की कमी हुई।

(3) कोचीन : गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान ट्रैफिक में हुई कमी मुख्यतः तेल के ट्रैफिक में कमी के कारण हुई जोकि पत्तन के यातायात का मुख्य भाग (1989-90 में 79%) है।

श्रीमती वासवराजेश्वरी : माननीय मन्त्री जी क्या यह बतायेंगे कि आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक, गुजरात और मुम्बई में पत्तनों के सुधार और मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई बड़ी योजना है ? यदि हां, तो इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ? इन पत्तनों पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : समय-समय पर हम इन पत्तनों के कार्यकरण की वार्षिक आधार और योजना आधार पर समीक्षा करते हैं। यह राज्यों पर आधारित नहीं होता। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, भारत में ग्यारह बड़े पत्तन हैं तथा यह समीक्षा की जाती है तो इन सभी पत्तनों के विस्तार की आवश्यकताओं के साथ-साथ सुविधाओं की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। जहां तक आठवीं योजना का सम्बन्ध है, हम इस बारे में पहले से ही चर्चाएं कर रहे हैं और जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, वर्ष 1990-91 योजना का प्रथम वर्ष है, हमने 1990-91 के परिव्यय के लिए विभिन्न मदों के लिए धन आवंटित किया है। चूंकि ये कर्नाटक के बारे में जानना चाहती हैं और न्यू मंगलौर पत्तन द्वारा कर्नाटक को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; कर्नाटक के लिए 5.48 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। कान्डला और मुम्बई के लिए यह राशि क्रमशः 31.4 करोड़ रु० और 43.8 करोड़ रुपये है।

श्रीमती वासवराजेश्वरी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि माल की और अन्य देशों से आयात किए जाने वाले रद्दी लोहे की निकासी न होने के कारण खानमालिकों को काफी असुविधा हो रही है। मैं भी इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हूं और वहां से काफी लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क विभिन्न पत्तनों के माध्यम से निर्यात किया जाता है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय मुझे यह आश्वासन देंगे कि कम से कम आठवीं योजना के दौरान वे कर्नाटक में पत्तनों के सुधार का प्रयास करेंगे ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जैसाकि मैंने कहा है, न्यू मंगलौर पत्तन कर्नाटक के लिए काफी उपयोगी है। जैसेकि माननीय सदस्या जानती हैं, न्यू मंगलौर पत्तन में इस वर्ष के आरम्भ में लम्बी हड़ताल रही थी। मैंने इनमें हस्तक्षेप किया और वह हड़ताल समाप्त हो गई। तब से इस पत्तन में लक्ष्य से अधिक उत्पादकता हुई है। लौह अयस्क के बारे में, जहां तक न्यू मंगलौर पत्तन का संम्बन्ध है, इस समय वहां कोई रुकावट नहीं है। हम निश्चय ही माननीय सदस्या के मूल्यवान सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री अजीत पांजा : कलकत्ता पत्तन देश के प्राचीन पत्तनों में से एक है। तत्पश्चात् हल्दिया पत्तन स्थापित किया गया था। माननीय मंत्री महोदय कृपया अपने उत्तर के भाग (क) और (ख) को देखें। इसमें कलकत्ता पत्तन और हल्दिया गोदी के कार्य निष्पादन को मिला दिया गया है और ये आंकड़े भी तदनुसार दिए गए हैं। हाल ही में मुम्बई के निकट हमने जवाहरलाल नेहरू पत्तन 'नहावा शेवा' में स्थापित किया है। मुम्बई पत्तन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के बारे में जानकारी अलग-अलग दी

गई है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी पत्तन विशेष के विकास की आवश्यकता का पता लगाने के लिए इन सब बातों की आवश्यकता होती है। हल्दिया गोदी का शीघ्र विकास करने की आवश्यकता है। उस दिन हल्दिया में जहाज की मरम्मत के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के निवेदन के विषय में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था।

अतः मैं इस अनुपूरक प्रश्न के दो भागों का उत्तर चाहता हूं (क) हल्दिया गोदी काम्पलैक्स को छोड़कर कलकत्ता पत्तन पर यातायात कितना है और हल्दिया काम्पलैक्स में कितना है? और (ख) क्या प्रशासकीय रूप से अलग-अलग इन पत्तनों का भविष्य में अलग से मूल्यांकन किया जाएगा ताकि हम उनमें लगे निवेश की विस्तृत जानकारी मांग सकें और यह देख सकें कि क्या केन्द्र द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है या नहीं?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : माननीय सदस्य एक वरिष्ठ मन्त्री रहे हैं और वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हल्दिया गोदी व्यवस्था प्रशासकीय रूप से कलकत्ता पत्तन काम्पलैक्स का ही एक भाग है। अतः हमने इसमें नया कुछ नहीं किया है। जहां तक निवेश का सम्बन्ध है, हमने कलकत्ता पत्तनों को एक इकाई मानते हुए आंकड़े दिए हैं। यदि वे हल्दिया गोदी के लिए अलग से आंकड़े चाहते हैं, तो हम निश्चय ही यह उन्हें उपलब्ध कराएंगे।

वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम भी हल्दिया पत्तन काम्पलैक्स के विकास के लिए उत्सुक हैं। इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। हल्दिया में स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक परियोजनाओं को सेवा उपलब्ध कराके हम भी पत्तन को सामान सप्लाई करने वाले भीतरी प्रदेश में यह सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। अतः हल्दिया को नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम निश्चय ही हल्दिया को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएंगे। जहां तक इसकी प्रशासकीय संरचना का सम्बन्ध है, इसे उपाध्यक्ष के प्रभार में कलकत्ता पत्तन काम्पलैक्स का ही एक भाग माना गया है।

श्री अजीत पांजा : मुझे खेद है कि शायद माननीय मन्त्री जी सही नहीं कह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं। कृपया इसकी जांच करें। पहले प्रशासकीय दृष्टि से यह एक ही था, अब अलग-अलग है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी, हां।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कांडला पत्तन के विकास के लिए कोई विशेष योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई है, कोई विशेष प्रावधान उसके लिए किया गया है या नहीं? दूसरा, 12 बड़े पत्तनों के अलावा सरकार ने कुछ बड़े नगरों को ड्राई पोर्ट घोषित किया है? वह कौन कौन से ड्राई पोर्ट्स है? उनके बारे में बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने पहले ही ग्यारह बड़े पत्तनों के बारे में बताया है। हालांकि विभिन्न राज्यों की ओर से कुछ लघु पत्तनों के सुधार की मांग की गई है लेकिन फिलहाल, हम इस सूची

में अन्य पत्तन को शामिल करने का विचार नहीं कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत ये लघु पत्तन पूर्णतः वर्तमान संघटन योजनाओं में आते हैं। जहां तक काण्डला पतन का सम्बन्ध है, हमने विवरण में ये आंकड़े दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होने आंकड़े दिए हैं।

अगला प्रश्न – श्री आडवाणी।

श्री यादवेन्द्र दत्त : चूंकि श्री आडवाणी यहां नहीं हैं, अतः आपसे निवेदन है कि अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत इस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वह नहीं रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : पिछली बार आपने इसी प्रकार एक प्रश्न की अनुमति दी थी। वे जाने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

अगला प्रश्न।

श्री मनोरंजन भक्त : आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा मुझे प्रश्न पूछने से वंचित करते रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस तरह से धौंस नहीं दे सकते हैं। मैं आपको तभी अनुमति दूंगा जब आप मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : आप संघ राज्य क्षेत्र के एक सदस्य को हमेशा प्रश्न पूछने से वंचित करते रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अगला प्रश्न। श्री रमन्ना राय।

केरल में अरालम फार्म के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि सम्बन्धी पंचाट लागू करना

*967. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल स्थित अरालम फार्म के प्रबन्धक, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के पंचाट को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केरल के कन्नानौर जिले में अरालम फार्म के कर्मकारों का मजदूरी बढ़ाने के बारे में फार्म प्रबन्धन के साथ झगड़ा था। यह मामला कालीकट के औद्योगिक ट्रिब्यूनल को भेजा गया था जिसमें जून, 1978 में निर्णय दिया। इस निर्णय से दुखी होकर प्रबन्धन ने दिसम्बर, 1978 में लिखित याचिका द्वारा केरल उच्चतम न्यायालय से सम्पर्क किया। उच्चतम न्यायालय ने लिखित याचिका को रद्द कर दिया और तब प्रबन्धन ने फरवरी, 1984 में दर्ज की गई विशेष अनुमति याचिका के जरिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सम्पर्क किया। यह विशेष अनुमति याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5-5-86 के आदेश के तहत स्वीकार नहीं की गई।

चूंकि निर्णय के सन्दर्भ में वेतन के निर्धारण के मामले का झगड़ा फार्म के प्रबन्धन और कर्मकारों के बीच था, अतः औद्योगिक ट्रिब्यूनल से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसने नवम्बर, 1989 में अपना स्पष्टीकरण दिया था।

ट्रिब्यूनल के निर्णय की वित्तीय बाधाओं और अरालम फार्म की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फार्म के प्रबन्धन और सभी संघों, जिसमें कर्मकारों के विभिन्न वर्ग शामिल थे, ने इस मामले पर आगे बातचीत की और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए 7-4-1990 को द्विपक्षीय समझौता किया।

[अनुवाद]

श्री एम० रमन्ना राय : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि यह झगड़ा वर्ष 1975 या उसके आसपास आरम्भ हुआ था तथा 15 सालों के बाद यह समाप्त हुआ।

परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह झगड़ा पिछली सरकार के समय में आरम्भ हुआ और इस नई सरकार के आने के बाद समाप्त हुआ। इस प्रकरण में मुख्य बात यह है कि अरालम फार्म सीधे ही केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में है। यह झगड़ा मजदूरी में वृद्धि करने के बारे में है। इस मामले में केन्द्र सरकार या अरालम फार्म इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गए लेकिन उसने प्रबन्धन की दलील को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् कम्पनी के प्रबन्धक इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गए।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एम० रमन्ना राय : मैं कहना चाहता हूं कि यह एक साधारण-सा विवाद है और इसका प्रबन्ध भी सीधे ही केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में है लेकिन फिर भी यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे ?

श्री एम० रमन्ना राय : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से श्रमिकों को परेशान किया गया। अब यह मामला सुलझा दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह प्रबन्धन प्रतिक्रियावादी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अरालम फार्म के प्रबन्धन कार्मिकों को बदलने जा रही है, ताकि भविष्य में इस फार्म का उचित रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में भी सारी स्थिति का विवरण दे दिया गया है कि कब डिस्प्यूट प्रारम्भ हुआ, क्या उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया और लेबर ट्राइब्युनल ने क्या किया। इन सारी बातों का जिक्र किया है। दिनांक 7 जनवरी, 1990 को मेमारेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग जो हुआ उस पर मेनेजमेंट और तीन रिकगनाईज्ड यूनियन्स—सी० आई० टी० यू०, आई० टी० यू० सी० और तीसरी जो वहां पर हैं ने और सी० पी० आई० (एम) के एम० एल० ए० इन तमाम लोगों ने आई० टी० यू० सी० की तरफ से हस्ताक्षर किए और उसके आलोक में उस अवार्ड को लागू कर दिया गया। अभी यह स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री एम० रमन्ना राय : यह बहुत अच्छी बात है। मेरे यहां प्रश्न की सूचना देने के बाद उनका समझौता हो गया। बहरहाल, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्र सरकार के काफी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं और इनके कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। अब यदि केन्द्र सरकार अपने श्रमिकों से इस प्रकार व्यवहार करेगी तो निजी क्षेत्र के श्रमिकों का क्या होगा ? अतः मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार एक स्थायी तन्त्र की स्थापना करे ताकि केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र को यह दिखा सके कि श्रमिकों से कैसे व्यवहार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आलरेडी इस तरह के डिस्प्यूट को सेटिल करने के लिए ट्राइब्युनल बना हुआ है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश में कीटनाशकों के कारण हुई मौतें

[हिन्दी]

968. *डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986 से अब तक, कीटनाशकों के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कीटनाशी दवाइयां विषाक्त किस्म की होती हैं तथा यदि इनका रख-रखाव ठीक ढंग से न किया जाए तो इनसे मृत्यु हो सकती है और कीटनाशी दवाई की विषाक्तता से कोई अन्य खतरा हो सकता है। इसलिए, सरकार की नीति और कोशिश है कि केवल वही कीटनाशी दवाइयां ही पंजीकृत की जाएं जिनकी प्रभाविकता तथा सुरक्षा प्रमाणित हो। चूंकि कीटनाशी दवाइयां विषाक्त किस्म की होती हैं इसलिए इनका इस्तेमाल निर्धारित विस्तृत हिदायतों के अनुसार तथा सुनिर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन करके विवेकपूर्ण रूप से करना होता है। इस कार्य नीति में राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा किसानों को कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित और उचित रख-रखाव में प्रशिक्षण देने पर पूरा जोर दिया गया है। कीटनाशी दवाइयों के आयात, निर्माण और इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए 1968 में कीटनाशी दवा अधिनियम नामक एक अधिनियम लागू किया गया था। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए कीटनाशी दवा नियम 1971 के अन्तर्गत जानकारी देने/हिदायतों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो कीटनाशी दवाओं के कंटेनर के लेबलों तथा साथ रखे जाने वाले पर्चों पर छापे जाने होते हैं। इस्तेमाल में बरती जाने वाली सावधानियां, किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, विष फैलने के लक्षण, प्राथमिक उपचार के उपाय, इलाज आदि इनमें शामिल हैं जो तीन भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा में होते हैं।

डा० महादीपक सिंह शाक्य : मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि ये जो कीटनाशक दवाइयां हैं इनसे मौतें होती हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं—मन्त्री महोदय को इस बात का पता होने के बाद भी कि इनसे मौतें होती हैं—पिछले साल तक जो दवाइयां आयात की जाती थी वे दो लाख रुपए की की जाती थीं और अब बढ़ कर 80 लाख रुपए की हो गयी हैं। इसी प्रकार से मौतों की संख्या भी बढ़ गयी है। पहले पूरे देश में 14,000 मौतें होती थीं—इस प्रकार की दवाइयों से अब उससे ज्यादा होने लगी हैं। जो भी दवाइयां यहां से जाती हैं उन पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कीटनाशक दवाइयों के दुष्प्रभाव से कितनी मौतें हुई हैं, कितने आदमी बीमार हुए हैं और कितने लोग चिकित्सा के अभाव में मरे हैं? यह सूचना देने का कष्ट करें।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न प्राप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार सम्पर्क यहां से किया गया और यहां से एक अधिकारी भी भेजा गया। लोक सभा सचिवालय को पता है कि यह प्रश्न पिछले सप्ताह से टाल कर इस सप्ताह के लिए रखा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सूचनायें मिली हैं लेकिन पूरी सूचनायें अभी तक नहीं मिली हैं, जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 1986 में झांसी जिले में विषाक्त भोजन करने के कारण पांच बच्चे मरे, 1988 में एल्युमीनियम फासफेट की विषाक्तता के कारण मैडीकल कालेज, मेरठ में 55 व्यक्तियों का इलाज किया गया, जिनमें से 40 व्यक्ति मर गए और 15 जीवित रहे। यह सूचना हमारे मन्त्रालय को अपने स्तर से प्राप्त हुई है। जरनल आफ एसोसिएशन आफ फिजिशयन आफ इण्डिया में यह खास तौर से छपा हुआ है। उसके माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है और फिर 1990 में बस्ती जिले में मौत की जो सूचना थी, जो अखबारों में भी छपी थी और उसके बाद फिर वहां से बार-बार प्रयत्न किया गया, केन्द्र सरकार की तरफ से, तो एक सूचना वहां से प्राप्त हुई, उसके हिसाब से बस्ती जिले में भोजन की विषाक्तता के कारण 64 व्यक्ति मरे। वैज्ञानिक छानबीन से पता चला कि गेहूं के आटे मे गलती से बी० एच० पी० मिल गया था, यह पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस बारे मे जानकारी इकट्ठी की जा रही है, अब तक जो सूचना मिली है वह यही है कि झांसी में 5, मेरठ में 40 और बस्ती में 64 हैं, यह सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। (व्यवधान)

डा० महाबीपक सिंह शाक्य : मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि एल्युमीनियम फासफेट पर बैन लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में खुले रूप से बेची जा रही है, इस कारण से अनेक जगहों पर मौतें हुई हैं और मन्त्री जी ने जो सूचना अभी यहां पेश की है, वह सही नहीं है। बस्ती जिले में अभी सौ मौतें हो चुकी हैं, ये सौ मौतें इसके द्वारा हो चुकी है, जो अभी न्यूजपेपर में भी आया था और आपने भी पढ़ा होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उस गलती के परिणामस्वरूप, उसके लिए उन लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है, और मुआवजा देने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : जहां तक इनके इस प्रश्न का सवाल है, किसी एक खास दवा के बारे में, कि वह प्रतिबन्धित है और इसकी बिक्री हो रही है तो इसको कण्ट्रोल करने के लिए एक्ट भी है और एक कमेटी भी बनाई गई थी, जो यहां के प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर थे, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने बनाई थी। (व्यवधान) उसमें 14 कीटनाशकों को बैन करने की बात थी, उनमें से 10 को बैन किया गया है, 17 नए जो पेस्टीसाइड हैं उनको जांच करने के लिए भेजा गया है कि वे किस लायक हैं। ये सब कार्यवाही सरकार अपने स्तर से कर रही है और जहां तक बाजार में उपलब्धता का सवाल है, उसके खिलाफ एक्ट के मुताबिक कार्यवाही हो सकती है, उसके लिए सरकार प्रबन्ध कर रही है।

(व्यवधान)

श्री शीपत सिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि कीटनाशक से खेती में छिड़काव करते हुए कितने लोग मारे गए, हमने पूछा तो यह था कि कीटनाशक से खेती में छिड़काव करते हुए कितने किसान मारे गए, आपने बता दिया लॉट में, हमने लॉट में नहीं पूछा है, हमने पूछा है कि किसान के बच्चे, छिड़काव करते हुए, कितने मारे गए, इसका जवाब दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : ऐसी कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो उन्होंने जानकारी मांगी थी, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या उन्होंने किसी को इस जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा है ? (**व्यवधान**)

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गलत सूचना के आधार पर जो आपने सदन को सूचना दी है, माननीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न को स्थगित करें क्योंकि उत्तर प्रदेश के अन्दर केन्द्र सरकार ने जिन कीटनाशक दवाइयों को प्रतिबन्धित किया है, आज वे खुले बाजार में बेची जा रही हैं और उसका परिणाम यह है कि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में किसानों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश के विधायकों ने सरकार से यह मांग की है, हम सरकार से यह जानना चाहते है कि कीटनाशक दवाओं से मरने वालों के लिए क्या सरकार प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपया मुआवजा देने की घोषणा करेगी ?

श्री नीतीश कुमार : सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि उत्तर-प्रदेश सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, बल्कि यह कहा है कि पूरी सूचना वहां से प्राप्त नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय अखबारों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और दो दिन बाद सही जानकारी के साथ उत्तर दिया जाए।

श्री नीतीश कुमार : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा है। सूचनाएं देने के लिए और सूचनाएं एकत्र करने के लिए इन्सेक्टीसाइड्स एक्ट, 1968 है, यह सेन्ट्रल एक्ट है और इस एक्ट के सेक्शन 26 में प्रावीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटीफाई करेगी और सूचनाएं देगी। इससे सारी स्थिति स्पष्ट है, लेकिन इस सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी नहीं मिली है, इसके लिए केन्द्र सरकार अपने स्तर से पहल करेगी और तमाम सूचनाएं एकत्र कराने का प्रयत्न करेगी।

एक बात और सदन को बताना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल पेस्टीसाइड्स एण्ड पायजन कण्ट्रोल एक्ट के तहत इनफरमेशन सेन्टर बनाने का प्रस्ताव है, इसके तहत रीजनल सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बस्ती जिले में जहां आटे में जहर मिला पाया गया, उसमें किसकी गलती थी और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? (**व्यवधान**)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश का अंचकाल

[अनुवाद]

*966. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1935, 1 अगस्त, 1947, 1 सितम्बर, 1947, 1 दिसम्बर, 1962 और 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार देश का क्रमशः कुल कितना-कितना क्षेत्रफल था; और

(ख) कुल क्षेत्रफल में यदि कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1. 48,81,339.3 वर्ग कि० मी० ।

2. आंकड़े संकलित नहीं किए गए ।

3. 32,63,395 वर्ग कि० मी० ।

4. 32,68,090 वर्ग कि० मी० ।

5. 32,87,263 वर्ग कि० मी० (अनन्तिम) ।

(ख) 1934-35 के क्षेत्रफल में अविभाजित भारत का क्षेत्रफल शामिल है । भारत के विभाजन के फलस्वरूप भारत का क्षेत्रफल कम हो गया । 1-9-1947 के क्षेत्रफल की तुलना में वर्ष 1962 के अन्त में भारत के क्षेत्रफल में फ्रांस और पुर्तगाल के अधिकार वाला क्षेत्र, जो भारत संघ का हिस्सा बन गया था, शामिल कर लिए जाने के कारण भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है सर्वेक्षण की उन्नत तकनीकों और कतिपय खाड़ी प्रदेशों को आन्तरिक में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप नवीनतम अनन्तिम आंकड़े ज्यादा सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं ।

गुजरात में एस० टी० डी० सुविधा

*969. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने शहरों में 31 मार्च, 1990 तक एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) क्या सरकार का राज्य के कुछ और नगरों में एस० टी० डी० सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा काड़ोदुरा, ओलपाद और सयूर में कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात के 56 कस्बों में 31-3-1990 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान ओलपाद, काडोदरा और सयान में क्रमिक रूप से एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है ।

जम्मावत (उत्तर प्रदेश) में शीतोष्ण जलवायु में मत्स्यपालन हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

*970. **श्री हुरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्पावत, उत्तर प्रदेश में शीतोष्ण जलवायु मत्स्यपालन हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का निर्माण निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस परियोजना के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 30 लाख रुपए ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ।

श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों को वापस भारत भेजना

[अनुवाद]

*971. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से भारतीय मूल के एक लाख से भी अधिक तमिलों को वापस भारत भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रीलंका की सरकार से इस विषय पर कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) श्रीलंका के एक मन्त्री ने इस आशय का प्रेस वक्तव्य दिया था ।

(ख) और (ग) श्रीलंका से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों ने इस मामले का उल्लेख तो किया था लेकिन हाल ही में इसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है ।

अनिवासी भारतीयों के लिए वीजा औपचारिकताएं समाप्त करना

*972. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए वीजा की औपचारिकताएं समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मौजूदा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं इस समय इस बात की इजाजत नहीं देती कि वीजा प्रणाली समाप्त की जाए ।

स्थानीय निकायों में महिलाओं का शामिल किया जाना

*972-क. **कुमारी उमा भारती :**
श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में और राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों के संगठनात्मक और निर्णयकारी विभागों में अधिक महिलाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण जिसमें इन निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना शामिल है, से सम्बन्धित मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

*973. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा बहुत ही छोटे एपर्चर टर्मिनल के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां । विदेश संचार निगम लिमिटेड ने निम्नलिखित कार्यों के लिए बहुत छोटे एपर्चर उपग्रह टर्मिनलों (वी-सैटों) के उपयोग करने के भी इच्छुक पार्टियों से कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

(i) दो-तरफा संचार; और

(ii) केवल रिसेप्सन के प्रयोजन के लिए ।

(ग) जी, हां । प्राप्त हुए प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए हैं ।

(घ) (i) दो तरफ संचार के लिए उन उपभोक्ताओं को अपने वी-सैटों की संस्थापना करने की अनुमति न दिए जाने का निर्णय लिया गया है जिनका विदेशों के उप केन्द्रों के साथ सीधा सम्पर्क है । तथापि, दूसरे देशों से प्वाइंट-टू-प्वाइन्ट संचार सम्पर्क की अनुमति है बशर्ते कि भारत में भू-केन्द्र संस्थापित हो अनुरक्षित हो तथा यह राष्ट्रीय संचार एजेंसियों द्वारा प्रचालित हो और गृह मन्त्रालय इसकी मंजूरी देता है ।

(ii) बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध (डब्ल्यू पी० सी० द्वारा कतिपय विशिष्ट शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी करने पर केवल उपग्रह टर्मिनलों को प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

चरखी दादरी टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

*974. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा स्थित चरखी दादरी टेलीफोन एक्सचेंज से अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) क्या इस एक्सचेंज में अभी तक डायल सिस्टम शुरू नहीं किया गया है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) चरखी दादरी, हरियाणा से अब तक 784 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं ।

(ख) उपयुक्त आकार के एक्सचेंज उपस्कर की कमी के कारण, अभी तक डायल सिस्टम शुरू नहीं किया जा सका । मौजूदा एक्सचेंज को 2048 पोर्ट डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (1991-92) में बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि यह समय पर उपलब्ध हो जाए ।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

*975. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और देवरिया में केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) हैस्सरघट्टा (बंगलौर), बम्बई, भुवनेश्वर और चण्डीगढ़ स्थित मौजूदा केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म उत्तर प्रदेश की अच्छी क्वालिटी के पेरेंट स्टॉक चूजों की मांग पूरी करने की स्थिति में हैं । इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में कोई नया केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म खोलने की कोई जरूरत नहीं है ।

भारतीय द्वीप

[अनुवाद]

*976. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी, सिंधु सागर और हिन्द महासागर में कितने भारतीय द्वीप हैं;

(ख) इनमें से कितने द्वीपों में डाक, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) कितने द्वीप ऐसे हैं जहां आबादी नहीं है;

(घ) उनमें से कितने द्वीप भारतीय समुद्री सीमा के निकट हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि ऐसे किन्हीं बिना आबादी वाले द्वीपों पर विदेशी कब्जा न कर सकें ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ङ) भारतीय क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली द्वीपकाओं, समुद्री चट्टानों और अलग-थलग चट्टानों सहित द्वीपसमूहों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

(क) अरब सागर	447
(ख) बंगाल की खाड़ी	151
(ग) अण्डमान सागर	572
(घ) लक्षद्वीप सागर	27
जोड़ :	1,197

बिना आबादी वाले अन्य द्वीपसमूहों के अलावा अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप प्रशासनों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सभी 48 आबादी वाले द्वीपसमूहों में डाक, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए इन द्वीप समूहों के ऊपर भारतीय नौसेना जल-भूतल और वायु मार्ग पर नियमित रूप से निगरानी रखती हैं तथा तटरक्षक जहाज और वायुयान दूरदराज के द्वीप समूहों को नियमित रूप से पेट्रोल ले जाते हैं।

कश्मीरी पण्डितों के राज्य से पलायन पर प्रतिबन्ध

*977. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब जम्मू और कश्मीर से कश्मीरी पण्डितों के पलायन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कश्मीरी हिन्दुओं की जान और माल की पूरी सुरक्षा की गारण्टी लेती है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन आदेशों पर पुनर्विचार करने तथा जम्मू और कश्मीर से पलायन करने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए राज्य से बाहर आश्रय लेने की अनुमति देने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त बलों की सहायता से राज्य सरकार सुरक्षा वातावरण में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। जम्मू को चले गए तथा जम्मू और कश्मीर से बाहर चले गए, जरूरतमन्द परिवारों को आवास तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

मुम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग

*978. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के पर्वतीय क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण अनेक बार जान-माल का नुकसान हुआ है तथा यह राजमार्ग बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौनसे सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या परिवहन तथा संचार व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मुम्बई-गोवा समुद्र तटीय मार्ग के साथ-साथ एक वैकल्पिक राजमार्ग का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

खान-भूतत्व परिक्षण मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में, बम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग, मानसून के मौसम में कभी-कभी अवरुद्ध हो जाता है। वर्ष 1988 में भू-स्खलन के कारण केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली है।

(ख) पहाड़ी ढलानों के साथ-साथ रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल का निर्माण, झाड़ियां तथा वृक्ष लगाना, बैंचिंग करना आदि जैसे उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दहेज के कारण हुई मृत्यु और शारीरिक क्षति की परिभाषा में संशोधन

*979. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज के कारण हुई मृत्यु और शारीरिक क्षति की परिभाषा में संशोधन कर इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 307 में यथा परिभाषित क्रमशः "हत्या" और "हत्या का प्रयास" के समान लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कश्मीर में मारे गए सुरक्षाकर्मियों के उत्तराधिकारियों को सरकारी भूमि

[हिन्दी]

*980. **श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर राज्य में तनाव की स्थिति से निपटने में जिन जवानों और अधिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, उनके उत्तराधिकारियों को उपहार-स्वरूप प्राथमिकता के आधार पर नजुल भूमि (सरकारी भूमि) देने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का पूरी सीमा पर एक सुरक्षा पट्टी बनाने का विचार है जहां इन देशभक्तों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) इस मामले पर जम्मू और कश्मीर राज्य के कानून और नियमों के अन्तर्गत विचार करने का कार्य राज्य सरकार का है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त पाया गया कि यह व्यवहारिक नहीं होगा ।

सड़क दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

*981. डा० ए० के० पटेल : क्या जल-थल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के देशों में प्रति हजार यन्त्र चालित वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं की दर तुलना में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले पहले दस देशों की दुर्घटना दर कितनी है;

(ग) देश में दुर्घटना दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल-थल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, वाशिंगटन द्वारा प्रकाशित विश्व सड़क सांख्यिकी 1987 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 1986 के दौरान, जो कि आंकड़ों की उपलब्धता की दृष्टि से नवीनतम वर्ष है, 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की अधिकतम संख्या वाले दस देशों की सड़क दुर्घटनाओं की दर इस प्रकार है :—

क्रम सं०	देश	प्रति 1000 वाहनों पर दुर्घटना
1.	मारीशस	73.75
2.	हांगकांग	48.15
3.	कुवैत	36.19
4.	भारत	19.70
5.	तुनिशिया	17.33
6.	दक्षिण अफ्रीका	14.88
7.	साइप्रस	13.09
8.	आस्ट्रिया	11.97
9.	यमन अरब गणराज्य	11.94
10.	जर्मन जनवादी गणराज्य	9.96

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार भारत का चौथा स्थान है ।

(ग) प्रति 1000 मोटर वाहनों पर दुर्घटनाओं की दर 1980 में 33.94 से घटकर 1986 में 19.70 हो गयी और यह आगे घटकर 1988 में 14.75 हो गयी है। सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न नियम विनियमों को लागू करना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों पर निर्भर करता है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए हैं :—

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में अधिक कड़ी अपेक्षाओं का प्रावधान रखा गया है।

2. परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु, किसी ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग के औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्वापेक्षा बना दिया गया है।

3. ट्रकों के लिए, जिसमें हल्के वाणिज्यिक वाहन भी शामिल हैं, अधिकतम सुरक्षित भार निर्धारित कर दिया गया है।

4. सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी गई है।

5. देश भर में वाहन की उपयुक्तता की जांच करने के लिए समान अन्तराल निर्धारित किए गए हैं।

6. वाहनों में सड़क सुरक्षा यन्त्र लगाना निर्धारित किया गया है जैसे दुपहिया वाहनों में झिलकर प्रणाली युक्त दिशा सूचक, वाहनों के लिए दुहरी ब्रेक प्रणाली, खतरनाक अथवा जोखिमी सामान ढोने वाले वाहनों पर विशेष लेवल लगाना।

7. सड़क सुरक्षा उपाय करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित की गई है तथा राज्य सरकारों से राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदें गठित करने का अनुरोध किया गया था।

8. सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाते हैं।

9. सड़कों की दशा में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक निर्बाध चल सके।

(घ) सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न नियमों विनियमों को सख्ती से लागू करने, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के वर्तमान उपबन्धों का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा प्रावधानों, जैसे सुरक्षा पट्टियां आटो डिपर्स का उपयोग निर्धारित करने और पद यात्रियों सहित सभी सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से जारी रखी जानी है। समस्या के स्वरूप को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने का कोई लक्ष्य निश्चित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती

[हिन्दी]

*982. डा० बंगाली सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में राज्यवार और वर्ष-वार कितने व्यक्ति भर्ती किए गए;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती के लिए कोई विशेष कोटा है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किए गए;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटा भर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सीधी भर्ती कोटा में 15 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति और 7½ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है ।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निम्नलिखित उम्मीदवार भर्ती किए गए :

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1987	519	381
1988	1084	441
1989	1267	541

(घ) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 93 रिक्तियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 132 रिक्तियों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी रिक्तियां भरी गई हैं ।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण रिक्तियां नहीं भरी जा सकी । तथापि बिना भरी गई आरक्षित रिक्तियां आगे आरक्षित रखी जाती हैं ।

विवरण

वर्ष 1987, 1988, 1989 के दौरान भर्ती किए गए कांस्टेबलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987	1988	1989
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	207	520	406

1 2	3	4	5
2. असम	58	208	131
3. बिहार	153	192	284
4. गोवा दमन और दीव	—	1	—
5. हिमाचल प्रदेश	212	62	49
6. हरियाणा	411	130	157
7. जम्मू और कश्मीर	39	80	—
8. कर्नाटक	113	327	356
9. केरल	211	151	219
10. महाराष्ट्र	185	299	233
11. मध्य प्रदेश	120	240	287
12. मेघालय	—	17	—
13. मणिपुर	—	10	—
14. मिजोरम	4	30	2
15. नागालैंड	—	22	—
16. उड़ीसा	156	50	137
17. पंजाब	115	499	397
18. राजस्थान	211	393	341
19. सिक्किम	—	—	—
20. त्रिपुरा	—	26	8
21. उत्तर प्रदेश	835	524	515
22. गुजरात	38	207	265
23. पश्चिम बंगाल	248	221	291
24. तमिलनाडु	155	228	243
25. दिल्ली	146	13	8
26. चण्डीगढ़	—	1	—
27. पांडिचेरी	1	17	—
28. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	3	—

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण में उल्लिखित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबलों की भर्ती मुख्यतः राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात का ध्यान में रखकर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार की जाती है। नायक, हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल (ड्राइवर), सहायक उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक (क्लर्क) उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (स्टेनो) जैसे अन्य पदों पर भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में फालोवरों की भर्ती यूनिट कमान्डरों द्वारा अपने-अपने यूनिट में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है, वर्ष 198^, 1988 और 1989 के दौरान इन वर्गों में की गई भर्ती से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या
1987	309
1988	1844
1989	1370

किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य देना

[अनुवाद]

*983. श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार हैं कि किसानों को मजबूर होकर सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों से कम दरों पर बाजार में गेहूं बेचना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले तथा उन्हें मजबूर होकर कम मूल्य पर गेहूं बेचना न पड़े, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) अच्छी औसत किस्म के गेहूं की खरीद मूल्यों से कम मूल्यों पर बिक्री का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) सरकार ने गेहूं के विपणन मौसम की शुरूआत होने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन कार्यों का आयोजन करने के लिए पूर्ण व्यवस्था की ताकि बाजार मूल्य खरीद मूल्यों से नीचे न गिरने पायें। गेहूं के आवागमन पर प्रतिबन्ध हटाने, व्यापारियों और खुले बाजार में रोलर फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं की खरीद को अनुमति और रोलर फ्लोर मिलों को ऋण सुविधाओं का उदारीकरण करने से भी किसानों को अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे।

"ब्रत्काडेल" द्वारा संयुक्त उद्यम की स्थापना

[हिन्दी]

*984. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1990 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया में" अल्काटेल सीक्स फ्रैश एन्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अल्काटेल द्वारा अपने नवीनतम डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के निर्माण के लिए भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रयास के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को अल्काटेल से, भारत में डिजिटल स्विचिंग प्रणालियों के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों के जीवन-स्तर में सुधार

[अनुवाद]

*985. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों के जीवन-स्तर में सुधार करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित किए गए किन-किन कार्यक्रमों के लिए राजसहायता दी गई है;

(ग) क्या इन सभी वर्षों के दौरान प्रदत्त धन-राशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. पिछले तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा 162.65 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

2. आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों के उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के विस्तृत विवरण निम्नांकित हैं :—

(1) **पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पारम्परिक नौकाओं के मोटरीकरण के लिए मछुआरों को सरकार 50 प्रतिशत राजसहायता (केन्द्र द्वारा 25 प्रतिशत और शेष 25 प्रतिशत राज्य द्वारा) देती है जिसकी अधिकतम राशि प्रति नौका 7500/- रुपए है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 650 नौकाओं के मोटरीकरण के लिए 24.25 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

(2) **उन्नत तट अवतरण नौका प्रारम्भ नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना**—में 50 प्रतिशत राशि राजसहायता के रूप में केन्द्र द्वारा 45 प्रतिशत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण के रूप में और 5 प्रतिशत लाभानुभोगी द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश को 26.23 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई और 39 उन्नत तट अवतरण नौका प्रारम्भ की गयीं।

(3) **मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि**—इस योजना के अन्तर्गत सुविधाए जैसे आवास, पेयजल की आपूर्ति, ऋण समितियां और समान कार्य स्थान मछुआरों के कुछ चुने हुए गांवों को प्रदान किए जाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार योजना की कुल लागत 50:50 के अनुपात में वहन करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 30.04 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

(4) **क्रियाशील मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना**—इस योजना के अन्तर्गत क्रियाशील मछुआरों की मृत्यु या स्थाई अक्षमता की स्थिति में 15,000/- रुपए की राशि और आंशिक अक्षमता की स्थिति में 7,500/- रुपए की राशि का बीमा किया जाता है। बीमा के लिए प्रति लाभानुभोगी 9/- रुपए का वार्षिक प्रीमियम केन्द्र और राज्य के मध्य बराबर रूप से वहन किया जाता है। 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान बीमित मछुआरों की कुल संख्या क्रमश: 1.10 लाख, 2.21 लाख और 1.11 लाख थी। इन तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.00 लाख रुपए की कुल राशि निर्मुक्त की गई।

(5) **मछली पालक विकास एजेंसियां**—मछली पालकों को तकनीकी वित्तीय और विस्तार समर्थन पैकेज प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के 22 जिलों में मछली पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं। आदिवासी मछली पालक विकास एजेंसियों में अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों के लिए राजसहायता की दर 50 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम राशि 10,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर है, को छोड़कर सभी वर्गों के लिए पोखर/तालाब के विकास की लागत पर और प्रथम वर्ष के लिए आदान पर 25 प्रतिशत की राजसहायता प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम राशि 5,000/- रुपए है। 44.09 लाख रुपए की राशि राज्य को निर्मुक्त की गई और उसने 1986-87 से 1988-89 तक 1,693 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 1,259 मछली पालकों को प्रशिक्षित किया है।

(6) **खारा पानी मछली पालक विकास एजेंसियां**—खारा पानी मछली पालक विकास एजेंसियां झींगा फार्मों के निर्माण की लागत और प्रथम फसल के आदान पर 5 प्रतिशत की राजसहायता देती है जिसकी अधिकतम राशि 30,000/- रुपए होती है। राजसहायता की लागत 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्य के मध्य वहन किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश के लिए तीन खारा पानी मत्स्य विकास एजेंसियां अर्थात् एक 1987-88 में और दो 1989-90 में, स्वीकृत की गई हैं। खारा पानी मत्स्य विकास एजेंसियां झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन पैकेज प्रदान करेंगे। पिछले तीन वर्षों के दौरान 13.04 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई है।

(7) **मछली उतारे जाने वाले केन्द्रों का निर्माण**—परम्परागत मछली नौकाओं को उतारने और लंगर सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण किया जाता है। मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाता है। 1989-90 में एक मछली उतारने वाले केन्द्र के निर्माण के लिए 10.00 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

3. आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि नामक योजना तथा छोटे पत्तनों पर मछली उतारने और नौका ठहराने की सुविधा नामक योजना के अन्तर्गत मॉडल मछुआरा ग्रामों के निर्माण को छोड़कर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का पूर्ण उपयोग किया है क्योंकि निर्माण कार्य पर अधिक समय लगता है।

केरल सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में कतिपय पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करने की सिफारिश

10211. **श्री पी० ए० एन्थनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में कतिपय पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सिफारिश किए गए उन पुलिस अधिकारियों में ऐसा भी कोई पुलिस अधिकारी शामिल है जिसके विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के मामलों में उसकी कटु निन्दा की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकार ने निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार पात्र अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी।

(ग) राज्य सरकार से यह पता चला है कि केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले में जो कि राज्य पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में चयन करने पर विचार करने के लिए की गई बैठक के उपरांत सुनाया गया था, सिफारिश किए गए अधिकारियों में से एक अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई हैं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा एजेंसी के रूप में कार्य किया जाना

10212. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद विभिन्न मंत्रालयों की ओर से एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एजेंसी कार्य करने के लिए परिषद की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या एजेंसी कार्य पर खर्च राशि, उस कार्य के लिए प्राप्त राशि से अधिक है और यदि हां, तो इस अतिरिक्त राशि की अदायगी किस स्रोत से की जाती है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) मन्त्रालयों से प्राप्त संस्वीकृति पत्रों में ये शर्तें निहित होती हैं।

(ग) विभिन्न एजेंसी कार्यों में खर्च अलग-अलग होता है। कुछ मामलों में अपरिहार्य कारणों से खर्च मूल संस्वीकृति से ज्यादा हो जाता है और कुछ में कम होता है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद अनुदान सहायता और एजेंसी कार्य के लिए एक केन्द्रीयकृत बैंक अकाउन्ट रखता है। तद्नुसार अगर किसी एक शीर्ष में खर्च अधिक हो जाए तो दूसरे शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से उसकी भरपाई हो जाती है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा किया जाने वाला अधिकांश एजेंसी कार्य नियमित स्वरूप का होता है और अगर कोई बढ़ती खर्च हो तो सम्बद्ध मन्त्रालयों से उसे हासिल करने की हमेशा कोशिश की जाती है।

महाराष्ट्र में डाकघरों की इमारतों का निर्माण

10213. **डॉ० बेंकटेश काबड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में डाकघरों के लिए कितनी इमारतें बनाने का विचार है;

(ख) उनका जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मराठवाड़ा में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में नए डाकघरों की इमारतों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 7 डाकघर भवन निर्माणाधीन हैं तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 10 नए भवन बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) जिला	चालू निर्माण कार्य	नए निर्माण कार्य
1	2	3
बम्बई	3	6
नान्देड़	—	2
परभनी	1	—
सोलापुर	2	—
चन्द्रपुर	1	—
पुणे	1	—
बुलडाना	2	—
रत्नगिरी	1	—
कोल्हापुर	1	—

1	2	3
गोवा	1	—
ओसमानाबाद	1	—
नासिक	1	—
नागपुर	2	—
अमरावती	—	—
सतारा	—	—

(ग) धनराशि आबंटित की जा रही है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

[हिन्दी]

10214. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान उनके मन्त्रालय में संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए और कितने पत्रों का उत्तर अभी दिया जाना है; और

(ख) उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :

(क) कुल प्राप्त पत्र	6100
लम्बित	837

(ख) माननीय संसद सदस्यों को उत्तर भेजने के लिए ही सभी प्रयत्न नहीं किए जाते हैं बल्कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को उचित विचार के बाद निपटाने के भी प्रयत्न किए जाते हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर से पासपोर्ट जारी करना

10215. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर में पासपोर्ट जारी करने में कितना समय लगता है और पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदकों को सूचित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में जनवरी, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) आमतौर से नए पासपोर्ट आवेदन प्राप्त होने की तारीख के बाद 10-12 हफ्ते में जारी कर दिए जाते हैं।

जब कभी आवेदक खुद आकर अथवा चिट्ठी लिखकर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट जारी होने में विलम्ब के सम्बन्ध में बता दिया जाता है ।

(ख) जनवरी, 1989 से मार्च, 1990 की अवधि में पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब की 194 शिकायतें मिली थीं । इनमें से 166 शिकायतें तो अन्तिम रूप से तय कर दी गई हैं । काम की कुल निकासी की तुलना में शिकायतों का प्रतिशत 0.17 प्रतिशत है । 38 शिकायतों के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से फैसला नहीं हो सका है । इनमें 21 शिकायतें एक महीने से कम पुरानी हैं, 11 शिकायतें एक महीने से अधिक लेकिन दो महीने से कम पुरानी हैं, 6 शिकायतें दो महीने से अधिक लेकिन तीन महीने से कम पुरानी हैं । एक महीने से कम पुराने चार मामले पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर में विचाराधीन हैं ।

द्विपक्षीय मामलों के सम्बन्ध में भारत-पाक वार्ता

[अनुवाद]

10216. **श्री श्रीकान्त वस्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्विपक्षीय मामलों के सम्बन्ध में फिर से भारत-पाक वार्ता करने का विचार है;

(ख) क्या पाकिस्तान द्विपक्षीय मामलों के सम्बन्ध में भारत के साथ विचार-विमर्श शुरू करने के लिए उत्सुक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा कोई औपचारिक अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सरकार ने भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के चार उप-आयोगों की बैठकों के लिए पहले मार्च के महीने की तारीखों का और उसके बाद फिर मई, 1990 की तारीखों का प्रस्ताव रखा था । पाकिस्तान ने हमारे प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया है ।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान दिखाने के लिए यह जाहिर कर रहा है कि यह स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन दूसरी ओर वह भारत के खिलाफ तोड़-फोड़ और आतंकवाद को अपना समर्थन दिए जा रहा है । पाकिस्तान शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की भी बराबर कोशिश कर रहा है ।

समेकित मछली-पालन विकास परियोजना

10217. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-परियोजना वाले गांवों में समेकित मत्स्य-पालन विकास परियोजना चालू करने के लिए केरल राज्य सहकारी संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को गैर-परियोजना वाले गांवों में समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना शुरू करने के लिए केरल राज्य सहकारी संघ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केरल सरकार के अनुरोध पर कन्नानौर, अर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के परियोजना जिलों में शुरू में स्वीकृत किए गए 15 गांवों के अलावा और 17 गांव शामिल करने के लिए चरण-I के परियोजना क्षेत्र को पहले ही बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कासारगोड जिले को शामिल करने के उद्देश्य से परियोजना-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, समेकित परियोजना का विस्तार करने पर भी सहमत हो गया है जिससे कि ऐसे उन और गैर-परियोजना वाले गांवों को शामिल किया जा सके जो प्राथमिक समुद्री मात्स्यिकी सहकारी समितियों की परियोजना के सदस्य हैं।

राजस्थान में नए डाकघर और तारघर

[हिन्दी]

10218. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सर्किल में प्रत्येक वर्ष जिलेवार अलग-अलग कितने नए डाकघर और कितने तारघर खोले गए;

(ख) राजस्थान सर्किल में वर्ष 1989 के दौरान कितने स्थानों पर "स्पीड पोस्ट" सेवा आरम्भ की गई; और

(ग) सरकार का चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में जिलेवार कितने नए डाकघर और कितने तारघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1989 के दौरान सर्किल में एक स्पीड पोस्ट केन्द्र की स्थापना की गई थी।

(ग) जानकारी विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

राजस्थान

खोले गए डाकघर/तारघर

क्रम सं०	जिलों के नाम	1987-88		1988-89		1989-90	
		डाकघर	तारघर	डाकघर	तारघर	डाकघर	तारघर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	—	5	—	3	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8
2. अलवर	—	—	22	—	9	—
3. बांसवाड़ा	—	4	5	—	5	—
4. बाड़मेर	9	9	9	2	—	—
5. भरतपुर	—	11	1	21	—	2
6. भीलवाड़ा	—	4	—	2	—	—
7. बीकानेर	—	14	1	4	—	1
8. बूंदी	—	2	—	2	—	—
9. चित्तौड़गढ़	6	—	2	—	—	3
10. चुरू	1	4	1	3	—	1
11. धौलपुर	—	—	—	—	—	3
12. डूंगरपुर	1	—	3	1	—	1
13. जयपुर	—	—	13	—	11	1
14. जैसलमेर	—	—	2	—	—	—
15. जालौर	1	3	—	2	—	—
16. झालवाड़	—	—	5	8	8	—
17. जोधपुर	4	3	11	2	1	1
18. झुनझुनू	—	—	—	12	—	4
19. कोटा	—	4	3	8	4	—
20. नागौर	4	17	3	14	—	1
21. पाली	—	1	—	5	—	—
22. सवाई माधोपुर	—	2	—	2	—	1
23. सीकर	—	8	—	11	—	4
24. सिरोही	1	—	25	2	—	—
25. श्रीगंगानगर	2	—	—	—	—	—
26. टोंक	—	—	—	2	—	—
27. उदयपुर	—	2	—	6	3	—
जोड़ :	29	93	106	112	41	23

विवरण-2

राजस्थान

1990-91 के दौरान खोले जाने वाले डाकघर और तारघर

	डाकघर	तारघर
पाली	3	तारघर खोलने के लिए
जैसलमेर	1	अलग से कोई लक्ष्य तय नहीं
श्रीगंगानगर	7	किए गए हैं। आरम्भ में डाकघरों
उदयपुर	9	में खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक
अलवर	3	टेलीफोनों से फोनोकॉम आधार पर
बांसवाड़ा	5	तार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
झालवाड़	3	
जयपुर	9	
चित्तौड़गढ़	1	
कोटा	3	
बीकानेर	4	
जोधपुर	1	
जोड़ :	49	

भारतीय नाविकों की सेवा शर्तों के बारे में भारतीय नौवहन निगम करार

[अनुवाद]

10219. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने हिन्टरलैंड नाविक संघ के साथ नाविकों की सेवा शर्तों के बारे में अतीत में कोई करार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस करार के अनुसार एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाला नाविक दो महीनों का अवकाश ले सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह करार अभी भी लागू है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते के अनुसार, नाविक 1-4-1988 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष की आरुद्ध सेवा के लिए मूल वेतन के साथ 81 दिन के अवकाश के हकदार हैं।

(ग) समझौता 31-3-1990 तक प्रभावी था लेकिन समझौते के खण्ड 1 की शर्तों के अनुसार यह 31-3-1990 के बाद भी नया समझौता होने तक, बैध रहेगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिए क्यू शैल्टर

[हिन्दी]

10220. **श्री राम अवध** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोनी रोड से इन्द्रापुरी तक पूरी सड़क के किनारे कोई बस क्यू-शैल्टर नहीं है;

(ख) क्या इस सड़क के किनारे बस क्यू-शैल्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं। रूट के इस खण्ड में आठ बस क्यू शैल्टर हैं।

(ख) और (ग) बस क्यू शैल्टरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जाती है। इसलिए किसी और शैल्टर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बागवानी और कृषि उत्पादों के बारे में पेटेन्ट की सुविधा प्रदान करना

[अनुवाद]

10221. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी और कृषि उत्पादों को भारतीय पेटेन्ट नियमों के अन्तर्गत पेटेन्ट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुछ विकसित देश नई पौधा किस्मों के लिए पेटेन्ट नियम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत जैसे विकासशील देशों पर पेटेन्ट नियमों में परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रजाति के मुक्त विनिमय पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(घ) सरकार का पौधों की किस्में तैयार करने वालों के द्वारा नई पौधा किस्मों को पेटेन्ट किए जाने के बारे में मान्यता दिए जाने की अनुमति प्रदान करने तथा विभिन्न देशों के बीच आनुवंशिक प्रजाति का विनिमय करने के बारे में क्या विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ विकसित देशों में नई पौध किस्मों के लिए पेटेन्ट नियम और विधान हैं। किसी विदेशी दबाव के कारण भारत द्वारा पेटेन्ट नियमों में कोई परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं होता है, और केवल राष्ट्रीय हित में ही निर्णय लिए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस समय कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तंजावूर नगर में रेल लाइन पर उपरिपुल का पुनर्निर्माण

10222. **श्री एस० तिरुनावुक्करसु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत तंजावूर नगर में (तंजावूर-त्रिची) रेल लाइन पर एक उपरिपुल का पुनर्निर्माण करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए अभी तक लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में, जिसके प्रति प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए थे वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है, अतः प्रस्तावों पर अभी आगे कार्रवाई नहीं की गयी है। वास्तविक वृद्धि होते ही तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्कीमों पर, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान करना

10223. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990 के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) अन्तिम तीन वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए दी गयी आर्थिक सहायता का ब्यौरा

निम्नलिखित है :

1987-88	1988-89	1989-90
63.76 लाख रु०	63.76 लाख रु०	40.00 लाख रु०

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूरसंचार सेवाओं का विकास

10224. **श्री रामदास सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में, विशेष रूप से गिरिडीह जिला धनबाद में दूरसंचार सेवाओं के विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 अप्रैल, 1990 को बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों (टाउन) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या थी; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कस्बा-वार संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) बिहार के गिरिडीह और धनबाद जिले में वर्ष 1990-91 के लिए दूरसंचार सेवाओं के विकास का कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

जिला गिरिडीह :

(i) राजधनवाड़, पीटरवाड़, गोमिया तथा बर्मो में स्थित इलेक्ट्रामैकेनिकल एक्सचेंजों को क्रमश: 128 पोर्ट सी-डाट, 64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०, 200 लाइनों वाले ई० एस० ए० एक्स० एस० एम० एफ० 512 पोर्ट आई०एल० टी० क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलना।

(ii) लम्बी दूरी के 5 सार्वजनिक टेलीफोनों (एल० डी० पी० टी०) की व्यवस्था करना।

(iii) चार स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करना।

जिला धनबाद :

(i) निरसा स्थित इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (512 पोर्ट आई० एल० टी०) से बदलना।

(ii) सिंदरी में एक नोशनल टेलेक्स की व्यवस्था करना।

ये प्रस्ताव उपस्करों और संसाधनों के समय पर उपलब्ध होने के अधीन हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न बड़े शहरों के सार्वजनिक टेलीफोनघरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	बड़े शहरों का नाम	30-4-90 को सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या	1990-91 में खोले जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1.	पटना	244	11
2.	मुजफ्फरपुर	27	5
3.	भागलपुर	39	4
4.	दरभंगा	24	3
5.	रांची	127	20
6.	जमशेदपुर	75	10
7.	धनबाद	22	12
8.	गया	20	5
9.	बिहारशरीफ	141	1

इसके अलावा 1990-91 के दौरान बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० पी० सी० ओ० सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

तथापि नए पी० सी० ओ० खोलना समय पर उपस्कर उपलब्ध हो जाने के स्थिति के अधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय अग्निशमन सेवा

10225. **श्री राघवजी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय सचिवालय अग्निशमन सेवा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं जबकि राजधानी में दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत अग्निशमन यन्त्रों और अग्निशमन कर्मचारियों से सज्जित दिल्ली अग्निशमन सेवा जैसा बड़ा संगठन मौजूद है; और

(ग) हाल ही में विज्ञान भवन में लगी आग पर काबू पाने में दिल्ली अग्निशमन सेवा और केन्द्रीय सचिवालय अग्निशमन सेवा की भूमिका क्या-क्या रहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय दमकल वाहिनी का कार्य नार्थ ब्लाक, साऊथ ब्लाक, राष्ट्रपति भवन में आग से बचाव करने और आग बुझाने का है। तथा इस बारे में शहरी विकास मन्त्रालय के सभी भवनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है । दिल्ली अग्निशमन सेवा का काम इस बारे में पूरे दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय अग्नि दमकल वाहिनी ने विज्ञान भवन में लगी आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा की सहायता की । दिल्ली के प्रशासक द्वारा आग के कारणों का पता लगाने तथा इस बारे में सुधारात्मक उपाय करने के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की है ।

मधुबनी जिले में बिसफी स्थित ब्रांच डाकघर का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

10226. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में मधुबनी जिले में बिसफी तहसील मुख्यालय और इसके साथ लगे ब्रांच डाकघरों के लिए डाक प्रबन्ध दरभंगा जिले से करने के कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : यद्यपि बिसफी मधुबनी जिले में है, लेकिन क्षेत्र में मौजूदा रेल और सड़क यातायात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिसफी और उसके आस-पास के अन्य शाखा डाकघरों को दरभंगा हैड पोस्ट आफिस/दरभंगा आर० एम० एस० के अन्तर्गत रखना व्यावहारिक समझा गया है ताकि डाक का शीघ्र वितरण/निपटान सुनिश्चित किया जा सके ।

टेलीफोन कनेक्शन को रिलीज किया जाना

[अनुवाद]

10227. श्री बलवन्त मनचर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक रूप में टेलीफोन कनेक्शन रिलीज किए जाने के 6 से 12 माह पूर्व टेलीफोनस कनेक्शन की मंजूरी की सूचना भेजे जाने का क्या प्रयोजन है; और

(ख) ओ० बी० कनेक्शन आबंटित किए जाने और उसके वास्तविक रूप में लगाए जाने के बीच एक लम्बा अन्तराल होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बड़ी संख्या में कनेक्शन रिलीज करते समय प्रयोक्ताओं को टेलीफोन रिलीज होने वाली जानकारी के बारे में सूचना देने का प्रयोजन उन्हें अग्रिम जानकारी देना है ।

(ख) ओ० बी० जारी होने के बाद टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित करने में देरी के मुख्य कारण निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक हो सकते हैं :

(i) फिलहाल इस क्षेत्र का तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होना ।

(ii) प्रयोक्ता उपलब्ध न होना; और

(iii) प्रयोक्ता के अनुरोध पर संस्थापन कार्य का रोका जाना ।

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में सड़कों का मजबूत और नवीनीकरण किया जाना

10228. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
श्री राघवजी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 1989-90 और 1990-91 के दौरान महत्वपूर्ण सड़कों को मजबूत करने और उनका नवीनीकरण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि की प्रत्याशा में विभिन्न राज्य सरकारों से आमन्त्रित प्रस्तावों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने 1989 से 1995 की अवधि के लिए, महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य सहित 92.83 करोड़ रु० की लागत के 65 कार्यों का कार्यक्रम प्रायोजित किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	विवरण	लागत (लाख रु०)
1	2	3
1. (क)	भारी यातायात वाले राज्यीय राजमार्गों तथा जिले की मुख्य सड़कों का विकास	5759.00
(ख) एवं (ग)	अनिर्मित पुलों का निर्माण तथा पुलों का जीर्णोद्धार	756.50
(घ)	राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित बाईपास पर समामान्तर सेवा सड़क का निर्माण	557.50
2.	सड़क सुरक्षा के इन्जीनीरिंग से सम्बन्धित पहलू जिनमें ट्रैफिक जंक्शन का सुधार, रोड मार्किंग सिगनलिंग उप-मार्गों एवं उपरीपुलों का निर्माण सम्मिलित है ।	650.00

1	2	3
	3. अनुसंधान एवं विकास तथा डाटा बेस का विकास	180.00
	4. जिले एवं गांव की अन्य सड़कों का विकास	1030.00
	5. सुदृढ़ीकरण द्वारा निवारक रख-रखाव (भारी) सघनता वाले कारीडोर्स)	320.00
	6. राजमार्ग अभियन्ताओं को प्रशिक्षण	30.00
	कुल :	9283.00

बंगलादेश की सीमा पर पकड़े गए मवेशी

10229. **डा० गुलाम यजदानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में मास-वार पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा पर कितने मवेशी पकड़े गए; और

(ख) इसी अवधि के दौरान पकड़े गए तस्करी के सामान का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण-1

पिछले 2 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में भारत-बांगलादेश सीमा पर पकड़े गए मवेशियों की संख्या महीनावार निम्नलिखित है :—

महीना	1988	1989
	के दौरान पकड़े गए मवेशी	
1	2	3
जनवरी	505	984
फरवरी	475	510
मार्च	313	666
अप्रैल	471	492

1	2	3
मई	702	569
जून	699	570
जुलाई	632	853
अगस्त	445	1793
सितम्बर	480	684
अक्तूबर	640	1075
नवम्बर	689	5628
दिसम्बर	705	1163
जोड़ :	6756	14987

विवरण-2

(मूल्य : रुपयों में)

महीना	1988 तस्करी के माल का ब्यौरा		
1	2	3	4
जनवरी" 88	5 ग्रा० सोना	मूल्य	850
	2432.850 कि०ग्रा० पीतल	"	49,428
	305 कि०ग्रा० तांबा	"	8,025
	865 कि०ग्रा० हेरोइन	"	1,68,132
	4 कि०ग्रा० गांजा	"	4,000
	विभिन्न मदें	"	28,54,363
	जोड़ :		30,84,798
फरवरी" 88	165 कि०ग्रा० पीतल	"	4,190
	180 कि०ग्रा० तांबा	"	4,315
	11 कि०ग्रा० गांजा	"	11,000

1	2	3	4
	विभिन्न मदें	मूल्य	23,04,289
	जोड़ :		23,23,794
मार्च"	90 कि०ग्रा० पीतल	"	2,180
	726 कि०ग्रा० तांबा	"	14,180
	6 कि०ग्रा० गांजा	"	6,000
	100 ग्रा० हेरोइन	"	70,000
	विभिन्न मदें	"	24,57,353
	जोड़ :		25,49,713
अप्रैल" 88	100 तोला सोना	"	3,86,780
	805.500 कि०ग्रा० पीतल	"	30,265
	176.500 कि०ग्रा० तांबा	"	9,456
	14 ग्रा० गांजा	"	14,000
	विभिन्न मदें	"	30,55,610
	जोड़ :		34,96,111
मई" 88	53.9 ग्रा० सोना	"	17,436
	विभिन्न मदें	"	31,67,908
	जोड़ :		31,85,344
जून" 88	200 ग्रा० हेरोइन	"	10,000
	2 कि०ग्रा० गांजा	"	2,000
	विभिन्न मदें	"	38,86,525
	जोड़ :		38,98,525

1	2		3	4
जुलाई" 88	22 ग्रा० सोना		मूल्य	7,700
	500 ग्रा० गांजा		"	200
	विभिन्न मदें		"	32,16,244
		जोड़ :		32,24,144
अगस्त" 88	195 ग्रा० हेरोइन		"	13,750
	7.150 कि०ग्रा० गांजा		"	6,470
	विभिन्न मदें		"	51,53,908
		जोड़ :		51,74,128
सितम्बर" 88	40 तोला सोना		"	1,49,015
	5 ग्रा० हेरोइन		"	50,000
	चर्स		"	9,900
	गांजा		"	7,000
	विभिन्न मदें		"	37,03,369
		जोड़ :		39,10,284
अक्तूबर" 88	सोना		"	550
	गांजा		"	11,000
	विभिन्न मदें		"	50,96,640
		जोड़ :		51,08,190
नवम्बर" 88	सोना		"	78,088
	गांजा		"	1,387
	विभिन्न मदें		"	15,25,936
		जोड़ :		16,05,411

1	3		4	5
दिसम्बर" 88	15 कि०ग्रा० गांजा		मूल्य	15,000
	विभिन्न मदें		"	42,70,181
		जोड़ :		42,85,181
जनवरी" 89	61.5 तोला सोना		"	2,41,447
	गांजा		"	525
	विभिन्न मदें		"	68,69,741
		जोड़ :		71,11,713
फरवरी" 89	58.2 ग्रा० सोना		"	19,897
	हेरोइन		"	1,20,050
	विभिन्न मदें		"	54,81,756
		जोड़ :		56,21,703
मार्च" 89	20 ग्रा० सोना		"	7,750
	विभिन्न मदें		"	55,42,392
		जोड़ :		55,50,142
अप्रैल" 89	विभिन्न मदें		"	27,98,411
मई" 89	भारतीय मुद्रा		"	95,273
	विदेशी मुद्रा		"	2,01,849
	विभिन्न मदें		"	59,14,167
		जोड़ :		62,11,289
जून" 89	भारतीय मुद्रा		"	88,542
	विदेशी मुद्रा		"	4,75,121

1	2	3	4
	117 ग्रा० सोना	मूल्य	37,312
	400 ग्रा० हेरोइन	"	20,000
	विभिन्न मदें	"	70,37,995
	जोड़ :		76,58,970
जुलाई" 89	सोने के जेवरात	"	1,200
	1 कि०ग्रा० अफीम	"	500
	विभिन्न मदें	"	80,12,686
	जोड़ :		80,14,386
अगस्त" 89	सोने के जेवरात	"	100
	41 ग्रा० हेरोइन	"	4,150
	5 कि०ग्रा० गांजा	"	5,000
	विभिन्न मदें	"	71,21,904
	जोड़ :		71,31,154
सितम्बर" 89	भारतीय मुद्रा	"	48,841
	विदेशी मुद्रा	"	1,60,653
	चांदी	"	1,538
	750 ग्रा० हेरोइन	"	75,000
	5.500 कि०ग्रा० गांजा	"	5,500
	विभिन्न मदें	"	90,97,474
	जोड़ :		93,89,006
अक्तूबर" 89	सोने के जेवरात	"	4,229
	19 ग्रा० हेरोइन	"	1,900
	20 ग्रा० अफीम	"	90

1	2		3	4
	भारतीय मुद्रा		मूल्य	52,253
	विदेशी मुद्रा		"	2,68,327
	विभिन्न मदें		"	73,48,378
		जोड़ :		76,75,177
नवम्बर" 89	भारतीय मुद्रा		"	68,523
	विदेशी मुद्रा		"	1,81,508
	विभिन्न मदें		"	73,37,607
		जोड़ :		75,87,638
दिसम्बर" 89	233 ग्रा० सोना		"	78,588
	भारतीय मुद्रा		"	36,465
	विदेशी मुद्रा		"	1,17,052
	विभिन्न मदें		"	89,82,884
		जोड़ :		92,14,989

पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार

10230. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पुलिस अधिकारियों ने 30 अप्रैल, 1990 को शिक्षकों के एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के पत्रकारों और प्रैस-फोटोग्राफरों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें गालियां दी थीं;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) 30-4-1990 को जब सरकारी अध्यापक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शन कर रहे थे तो वे पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के सामने रोक के लिए बनाए गए घेरे से लगभग 5 गज पहले स्वयं ही रुक गए थे । घटना का फोटोग्राफ लेने के लिए एक फोटोग्राफर रोक के लिए

बनाए गए घेरे के ऊपर चढ़ गया। जब पुलिस फोटोग्राफर को राजी करने में असफल रही तो उसे जबरन नीचे उतार दिया गया। तत्पश्चात् अन्य फोटोग्राफर भी उस फोटोग्राफर के साथ शामिल हो गए और रोक के लिए बनाए गए घेरे के ऊपर चढ़ने की अनुमति के लिए पुलिस के साथ तर्क करने लगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समय पर वहां जाकर अधिकांश फोटोग्राफरों को शान्त किया परन्तु उनमें से एक ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकी दी। चूंकि किसी भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

डाबरी थाने के लिए भवन का निर्माण

10231. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम रोड, नई दिल्ली स्थित डाबरी थाने के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है; और

(ग) परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असबसट्स सीट की छतों वाले अस्थायी बैरकों का निर्माण शुरू किया गया है जिसको पूरा करने का लक्ष्य जुलाई, 1990 तक है।

(ग) स्थायी पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए परियोजना की अनुमानित लागत को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

सागरपुर, नई दिल्ली में नया डाकघर खोलना

10232. **डा० पी० वल्लल पेरुमल** : क्या संचार मंत्री सागरपुर, नई दिल्ली में डाकघर खोले जाने के बारे में 9 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरपुर, नई दिल्ली-110046 में एक नया डाकघर मंजूर किया गया है और खोला गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलेश्वर मिश्र) : (क) सागरपुर, नई दिल्ली के लिए नए उप-डाकघर की मंजूरी दे दी गई है, परन्तु यह अभी खोला नहीं गया है।

(ख) और (ग) अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होते ही उप-डाकघर 30-6-1990 तक खोल दिए जाने की सम्भावना है।

त्रिपुरा में एस० टी० डी० सुविधा

10233. **श्री के० वी० के० देव वर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के किसी टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा त्रिपुरा में प्रभावी और विश्वसनीय टेलीफोन नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) शेष टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जहां अगरतला को एन० एस० डी०/आई० एस० डी० सुविधा से जोड़ा गया है वहां राधाकिशोरपुर तथा कैलाशहर को प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० पर अगरतला से जोड़ा गया है।

(ग) विभाग में मानदण्डों के अनुसार मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है और उपस्कर तथा मांग की उपलब्धता पर नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

टेलीफोन नेटवर्क को प्रभावी बनाने के लिए उपग्रह भू-केन्द्र और रेडियो लिंक प्रदान करने की योजना है।

(घ) राधाकिशोरपुर और कैलाशहर में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्रों को भी एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी :—

(i) सभी उपमण्डल मुख्यालयों को; और

(ii) 1-4-90 को 500 लाइनों से अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों को।

धार्मिक प्रतीक के रूप में हथियार लेकर चलना

10234. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक स्थानों को छोड़कर शिक्षा संस्थाओं, परीक्षा स्थलों और सार्वजनिक स्थानों में कतिपय समुदायों द्वारा धर्म और विश्वास के प्रतीक के रूप में हथियार ले जाने के सम्बन्ध में मामला सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्देश कब तक जारी कर दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को देखते हुए कि ऐसी संस्थाओं/ऐसे अवसरों पर विगत में इस

तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था, सरकार का इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शस्त्रों को रखने और ले जाने को नियन्त्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 के अधीन राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं । इन शक्तियों के द्वारा वे इस सम्बन्ध में उचित निवारक उपाय करने में सक्षम हैं ।

लघु उर्वरक संयन्त्र

10235. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश के लिए लघु उर्वरक संयन्त्र आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप प्रधानमन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) छोटे उर्वरक संयन्त्रों की व्यवहार्यता अभी स्थापित होनी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अत्यधिक भीड़ भाड़

10236. **श्री शान्ताराम पोटवुले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिक भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली निजी/मिनी बसों में अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राजधानी में हाल ही में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम-विस्फोटों के सन्दर्भ में बसों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां । बसों में अधिक भीड़भाड़ दृष्टान्त देखने में आए हैं । ट्रैफिक के "पीक मूवी-डाइरैक्शनल पैटर्न" तथा बसों की अपर्याप्तता के कारण बसों में, खासतौर से भीड़-भाड़ के समय अधिक भीड़-भाड़ को रोकना दिल्ली परिवहन निगम के लिए हमेशा सम्भव नहीं होता । अधिक भीड़-भाड़ को रोकने तथा अभियोग चलाने के साथ-साथ सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ करने के लिए दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय की प्रवर्तन शाखा तथा दिल्ली पुलिस के प्राधिकारी नियमित रूप से जांच करते रहे हैं ।

(ग) अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन प्राधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही नियमित जांच के अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बेड़े के

बेहतर उपयोग तथा वाहन उपयोग के माध्यम से अपनी वहन-क्षमता में वृद्धि करने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। बेड़े का उपयोग 1987-88 के 82.55 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 में 86.75 प्रतिशत तथा 1989-90 में 89.04 प्रतिशत हो गया है। वाहन उपयोग अर्थात् प्रतिदिन प्रतिबस प्रचालित कि०मी० भी 1987-88 के 210 कि०मी० से बढ़कर 1988-89 में 221 कि०मी० तथा 1989-90 233 कि०मी० हो गया है।

मध्य प्रदेश को ड्रिलिंग रिग्स

10237. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बहुत कम वर्षा होने के कारण मध्य प्रदेश में काफी गांवों में पेयजल का भारी संकट है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 71352 गांवों में से लगभग 6310 गांवों जोकि पेयजल की कमी से प्रभावित हैं, को अभाव राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया जाना है। इसके अलावा, 1990-91 के दौरान सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 146 "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों तथा आंशिक रूप से कवर किए गए 5870 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।

(ख) जी, हां।

(ग) राजस्थान, गुजरात आदि जैसे अधिकांश राज्यों जिनकी अपनी तरह की पेयजल की समस्या है, में बोर वैलों की ड्रिलिंग के लिए यह सबसे व्यस्त मौसम है। राज्य सरकार को दूसरे राज्यों से सीधे सम्पर्क करने की सलाह दी गई है। तथापि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड मध्य प्रदेश में ड्रिलिंग कार्यक्रम को चलाने के लिए लागत के भुगतान के आधार पर दो डी० टी० एच० तथा एक रोटरी रिग देने पर सहमत हो गया है। राज्य सरकार को सिंचाई एजेंसियों के पास उपलब्ध 70-80 रिगों का अपने आपातिक पेयजल कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पेयजल का अभाव

10238. **श्री उदयसिंह राव मानासाहेब गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पेयजल का भारी अभाव है; और

(ख) क्या सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र को विशेष धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे बाई-पास मार्ग का निर्माण

10239. श्री वी० एन० गाडगिल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1989 में पुणे शोलापुर और मुंबई-पुणे-कोल्हापुर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए पुणे बाई-पास मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से, पुणे-शोलापुर सड़क (रा० रा० 9) तथा बम्बई-पुणे-कोल्हापुर सड़क (रा० रा० 4) को जोड़ने वाले पुणे बाईपास के संरेखण हेतु प्राप्त प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से जनवरी, 1990 में अनुमोदित कर दिया गया है। वार्षिक योजना 1990-91 में, इस बाईपास के लिए 200 लाख रु० की अनुमानित लागत से भू-अधिग्रहण की स्वीकृति हेतु प्रावधान भी किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि के लिए प्रयुक्त कीटनाशकों सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजनाएं

10240. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोचीन में प्रारम्भ की गई प्रायोगिक परियोजना द्वारा प्राप्त की गई सफलता को देखते हुए डी० डी० टी० के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो डी० डी० टी० का प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त करने और बायोसाइड्स के आविर्भाव के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या भारत में कृषि के लिए प्रयोग में लाए जा रहे अन्य कीटनाशकों के लिए उन्हीं प्रायोगिक परियोजनाओं पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कीटनाशक-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की धन-व्यवस्था से अण्णा विश्वविद्यालय मद्रास में चल रही परियोजना के अन्तर्गत मच्छरों के लारवों पर काबू पाने के लिए बायोसाइड--एस० नामक एक योग का विकास किया गया है। अनुसंधान संगठनों और मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा मिलकर कोचीन में उक्त योगों के प्रयोग से क्षेत्रीय प्रदर्शन करने की योजना है। आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर उपलब्ध हो जाएगी।

कृषि के लिए डी० डी० टी० के प्रयोग पर पहले ही रोक लगा दी गई है। लेकिन जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत डी० डी० टी० का प्रयोग, किसी महामारी के मामलों को छोड़कर, 10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष के स्तर तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि के महत्व के कृमियों पर जीव-वैज्ञानिक तरीके से काबू पाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों में 10 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रायोजित की गई हैं। इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग की एक योजना के अन्तर्गत 11 केन्द्रीय जीव-वैज्ञानिक नियंत्रण केन्द्र कृषि कृमियों के परजीवियों और परभक्षियों के संरक्षण और संवर्धन में लगे हुए हैं। फसलों के कृमियों और खर-पतवारों पर जैव-वैज्ञानिक रूप से काबू पाने के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी चल रही है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों की बिक्री

10241. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेपसीड/सरसों और सोयाबीन खाद्य तेलों की पृथक-पृथक रूप से कितनी बिक्री की गई और इनके बिक्री मूल्य क्या-क्या थे;

(ख) क्या ये मूल्य बाजार मूल्य से बहुत कम थे;

(ग) क्या इन खाद्य तेलों की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित सहकारी संघों को बिक्री की गई और यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान संघ-वार कुल कितनी बिक्री हुई;

(घ) क्या गुजरात में सहकारी संघों के अलावा कुछ अन्य संस्थानों को भी यह सस्ता तेल उपलब्ध कराया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तोरिया/सरसों और सोयाबीन तेल की वार्षिक बिक्री निम्नवत है :—

वर्ष नवम्बर-अक्तूबर	वाणिज्यिक/दान में मिला कच्चा परिष्कृत सोयाबीन तेल (मी० टन)	वाणिज्यिक/दान में मिला परिष्कृत/ कच्चा तोरिया तेल (मी० टन)	देशी सरसों का तेल	कुल मी० टन
1986-87	16,365	59,932	—	76,297
1987-88	32,232	25,128	—	60,360
1988-89	9,506	13,624	19,366	42,496
कुल :	61,103	98,684	19,366	179,153

उक्त अवधि के दौरान उस समय चल रहे बाजार मूल्यों के आधार पर दान में प्राप्त और वाणिज्यिक रूप से आयातित खोलों या देसी-स्रोतों के तेल विभिन्न मूल्यों पर जारी किए गए। तथापि, जारी मूल्यों की रेन्ज नीचे दी गई है :—

(सभी रुपए/मी० टन में)

तेल की किस्म	1986-87	1987-88	1988-89
1. परिष्कृत सोयाबीन का तेल			
(क) वाणिज्यिक परिष्कृत सोयाबीन का तेल	—	17,600	17,600 16,500
(ख) दान में मिला परिष्कृत सोयाबीन का तेल	11,500 14,500	14,500 16,500	18,500 19,000
2. तोरिया तेल			
(क) परिष्कृत	11,500	13,000	18,100
(दान में प्राप्त)	13,000	18,100	18,250
(ख) कच्चा	10,300	11,300	—
(वाणिज्यिक)	11,300	18,610	—

(ख) तीन तेल वर्षों अर्थात् 1986-1989 तक उक्त तेलों का एक बड़ा हिस्सा उनके पैकिंग, लाने ले जाने के व्यय और संगत लाभ को घटाकर मौजूदा बाजार मूल्यों पर संघों को बेचा गया। व्यापार के लिए कुछ मात्रा बाजार मूल्यों पर बेची गई।

(ग) 1986 से मध्य 1989 के दौरान तेलों का एक बड़ा हिस्सा सहकारी संघों को बेचा गया। अगस्त, 1989 के बाद से इन तेलों को संघों को तथा व्यापार के लिए भी बेचा गया। उपर्युक्त अवधि के दौरान संघवार कुल बिक्री नीचे दी गई है :—

संघ	मात्रा (मीटरी टन में) 1986-87	(वर्ष नवम्बर से अक्तूबर) 1987-88	1988-89
1	2	3	4
गुजरात	30,611	20,288	1,219
मध्य प्रदेश	2,384	4,586	439

1	2	3	4
तमिलनाडु	10,081	2,535	2,043
उड़ीसा	7,038	7,557	2,007
अहमदाबाद	7,805	7,497	1,75
महाराष्ट्र	10,544	7,721	682
कर्नाटक	7,835	10,176	2,295
योग :	76,298	60,360	10,436

(घ) और (ङ) जैसाकि ऊपर बताया गया है इन तेलों का एक बड़ा हिस्सा सहकारी संघों को बेचा गया । कुछ मात्रा इन राज्यों में खुले बाजार में भी बेची गयी । इनमें गुजरात राज्य भी शामिल है । तेलों को बाजार मूल्यों पर बेचा गया ।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

10242. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को बूचड़खानों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : बूचड़खानों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वर्षवार कुल वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपए में)
1987-88	10.00
1988-89	75.00
1989-90	90.00

अमृतसर और चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

10243. **श्री कृपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 को अमृतसर और संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदकों के नाम दर्ज थे; और

(ख) नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-समय में कमी करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार अमृतसर और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में क्रमश: 7555 और 22361 आवेदकों के नाम दर्ज थे। प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को 8वीं योजना के पहले 3 वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

अमरीका द्वारा भारत की शरणार्थियों सम्बन्धी नीति की प्रशंसा करना

10244. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों, विशेष रूप से श्रीलंका, तिब्बत, बांगलादेश और बर्मा से भाग कर आने वाले शरणार्थियों के प्रति भारत द्वारा अपनाई जाने वाली उदार नीति की अमरीका ने प्रशंसा की है;

(ख) क्या अमरीका ने इस बारे में कोई सहयोग दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। मानवाधिकारों से सम्बद्ध वर्ष 1989 के लिए अमरीकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के प्रति भारत की नीति की सराहना की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में नशीले पदार्थों का व्यापार

[हिन्दी]

10245. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नशीले पदार्थों का व्यापार बढ़ रहा है;

(ख) क्या पिछले एक साल में इस सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी को भी पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम से सम्बन्धित मामलों के ब्यौरे जिनमें 1-1-1989 से 30-4-1990 तक की अवधि के दौरान पुलिस अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाए गए

क्रम सं॰	अन्तर्ग्रस्त पुलिस अधिकारी का नाम	जब्त की गई ओषधी की मात्रा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	कान्स्टेबल मालविन्दर सिंह	अफीम-700 ग्राम	एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 17 के अधीन तिमारपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया गया।
2.	कान्स्टेबल राम दयाल	अफीम-8 कि॰ग्रा॰	एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 17 के अधीन पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया।
3.	कान्स्टेबल चमन लाल	चरस-1 कि॰ और 9 ग्राम	एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के अधीन पुलिस स्टेशन अम्बेडकर नगर में मामला दर्ज किया गया। कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया गया।
4.	कान्स्टेबल बाबूलाल	हीरोईन-1 कि॰ग्रा॰	एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के अधीन पुलिस स्टेशन सीमापुरी में एक मामला दर्ज किया

1	2	3	4
			गया। कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया गया और निलम्बित कर दिया गया है।
5.	कान्स्टेबल हेमराज कान्स्टेबल बशरथ	3 कि० 300 ग्राम चरस	एन० डी० पी० एस० अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत पुलिस स्टेशन इन्द्रप्रस्थ स्टेट पर एक मामला दर्ज किया गया तथा अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। क्योंकि अभियुक्त बशरथ ने "श्योरिटि" प्रस्तुत कर दी थी, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री राम स्वरूप को दोष मुक्त करना

[अनुवाद]

10246. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या गृह मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय ने राम स्वरूप को दोष मुक्त करते हुए तथा जासूसी करने के अन्य आरोपों से मुक्त करते हुए दिल्ली पुलिस, आसूचना ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय के विरुद्ध गम्भीर निंदात्मक टिप्पणियां की थी; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) न्यायालय ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

"जामा मस्जिद में शरण पा रहे हैं पाक प्रशिक्षित कश्मीरी आतंकवादी" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

10247. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1990 के "जनसत्ता" में "जामा मस्जिद में शरण पा रहे हैं पाक प्रशिक्षित कश्मीरी आतंकवादी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 14-3-90 को यह समाचार "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ (14-2-90 को नहीं)।

(ख) और (ग) पुलिस जांच के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी और दिन-रात गश्त लगाई जा रही है।

पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर में विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने सम्बन्धी चरणबद्ध कार्यक्रम

[अनुवाद]

10248. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अप्रैल, 1988 में आयोजित अति गोपनीय बैठक में पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए उस भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसे दिल्ली से प्रकाशित तक पंजीकृत मासिक "कोशुर समाचार" के मार्च, 1990 के अंक में उद्धृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कश्मीर घाटी में विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1988 के प्रारम्भ में तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम की जानकारी थी;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने अप्रैल, 1988 से अब तक तेजी से उभरती विघटनकारी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस घाटी में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए अब क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सरकार को पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ऐसे किसी विनिर्दिष्ट भाषण की जानकारी नहीं है फिर भी विभिन्न समाचारपत्रों की रिपोर्टों में तथाकथित चरणबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है ।

घाटी में विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम करने और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए कड़े प्रशासनिक उपाय किए गए हैं ।

आतंकवाद से प्रभावित लोगों को सरकारी नौकरियां

10249. **श्रीमती सुखबन्स कौर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में आतंकवाद से प्रभावित कितने लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिए;

(ख) इनमें से कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई; और

(ग) सरकार के पास लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) पंजाब सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

गैर-भूटानी लोगों का उत्तरी बंगाल आकर बसना

10250. **श्री माणिक साग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में हाल ही की घटनाओं के कारण वहां से गैर-भूटानी लोग उत्तरी-बंगाल में आकर बस रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस जटिल समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सासाराम के दंगा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

[हिन्दी]

10251. **श्री छेदी पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सासाराम में दंगा पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जद्दाह में इंडियन एम्बैस्सी स्कूल का कार्यकरण

[अनुवाद]

10252. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जद्दाह (साऊदी अरब) स्थित इंडियन एम्बैस्सी स्कूल के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिलती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें ज्यादातर हाल ही में कुछ कक्षाओं के लिए शिक्षा शुल्क में 40 फीसदी वृद्धि के बारे में, तीसरी भारतीय भाषा के अध्ययन-सुविधा के अभाव और स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था के स्वरूप के बारे में थी।

(ग) कुछ कक्षाओं में फीस बढ़ाना इसलिए आवश्यक हो गया था कि उनमें छात्रों की संख्या 1800 से बढ़कर 5000 हो गई थी; तीसरी भाषा पढ़ाने का सिलसिला अंशत: तो इस कारण शुरू

नहीं किया गया है कि इसके लिए बहुत छात्रों ने विकल्प नहीं दिया है और अंशतः इसलिए कि उपयुक्त अर्हताप्राप्त अध्यापक मिलने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं; प्रबन्ध-व्यवस्था के रूप में कोई परिवर्तन करने की गुंजाईश नहीं है क्योंकि हमें स्थानीय कानून और वहां के रीति-रिवाजों का पालन करना होता है।

राष्ट्रीय बीज निगम को अनुदान

[हिन्दी]

10253. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को कोई अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुदानों की कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) इस निगम के घाटे में निरन्तर हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 77-78 से 89-90 तक राष्ट्रीय बीज निगम को 4,183.93 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा चुकी है। इस अनुदान का एक भाग राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा राज्य बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय राज्य फार्म निगमों और राज्यों में क्रियान्वित किए गए मिनीकिट कार्यक्रमों के लिए दिया गया।

(ग) हानि के मुख्य कारण निम्नवत हैं :—

1. आदानों के मूल्यों में वृद्धि होना, और बीज के बिक्री मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना बीज उत्पादों को दिए गए अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि होना।

2. सामान्य मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निश्चित ऊपरी व्यय और निगम के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता के भुगतान की राशि में वृद्धि होना।

3. अत्यधिक ब्याज का बोझ।

4. उत्पादन में कमी के कारण राष्ट्रीय बीज परियोजना का प्रथम चरण और द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदान की गई मूल संरचनात्मक सुविधाओं का पूरा उपयोग न किया जाना।

5. आगे ले जाए गए संचित स्टाक के कारण घाटा।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन के दौरान क्षतिग्रस्त किए गए मकानों का पुनर्निर्माण

[अनुवाद]

10254. **डा० असीम बाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकानों का पुनःनिर्माण करने के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन के कारण प्रभावित हुए चाय बागान श्रमिकों और बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) केन्द्र सरकार ने जी० एन० एल० एफ० के आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पुनःनिर्माण के लिए निधि स्वीकृत नहीं की है। तथापि, आन्दोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई "सार्वजनिक सम्पत्ति" की बहाली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे :

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर कन्टीली तार लगाना

[हिन्दी]

10255. **श्री बेगाराम चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कन्टीली तार लगा दी गई है फिर भी घुसपैठिए इसके नीचे गढ्ढे खोद कर हमारे देश में आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का कंटीली तार के नीचे एक कंकरीट की दीवार बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के चुनिन्दा क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। बाड़ के नीचे गढ्ढे खोदकर घुसपैठियों के हमारे देश में आने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करना

[अनुवाद]

10256. **श्री अंगाराज मलिक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के भुवनेश्वर-कटक सेक्शन को, जगतपुर से भद्रक तक के सेक्शन को छोड़कर, चौड़ा करके चार-लेन वाले राजमार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पनिकोइली-खुरिया, पनिकोइली-भद्रक और जगतपुर-बरचाना सेक्शनों पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए खुरिया-भद्रक और भद्रक-बरचाना सेक्शनों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के भुवनेश्वर-कटक खंड पर और आगे जगतपुर तक चार लेने बनाने का कार्य वार्षिक योजना 1990-91 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। इसी क्रम में जगतपुर से बरचाना, खुरिया और पानीकोईली होते हुए भद्रक तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने का कार्य, चौड़ा करने के औचित्य संसाधनों की उपलब्धता और आठवीं योजना जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के आकार पर निर्भर करेगा। फिर भी परियोजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए, जगतपुर से चांदीखोल (अर्थात् बरचाना से 3 कि० मी० आगे) तक के हिस्से में सर्वेक्षण और जांच करने के वास्ते अप्रैल, 1990 में एक अनुमान स्वीकृत किया गया है।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी में समुद्री तूफान

10257. श्री उत्तम राठौड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आए समुद्री तूफान, बाढ़ और भारी वर्षा के कारण आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी में कितनी-कितनी क्षति हुई है; और

(ख) इन क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्य सरकार द्वारा 22-5-1990 तक दी सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में हाल ही में आए समुद्री तूफान, बाढ़ और भारी वर्षा के कारण हुई हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. प्रभावित जिले	14
2. प्रभावित जनसंख्या	107.07 लाख
3. प्रभावित गांव	5,717
4. मरे मनुष्यों की संख्या	976
5. मरे पशुओं की संख्या	22,184
6. क्षतिग्रस्त हुए मकान :	
(क) पूर्णतः	4,40,467

(ख) आंशिक रूप से	4,78752
7. मरे कुक्कुट-पक्षी	36.98 लाख
8. कृषि और अन्य सम्पत्ति की हुई अस्थाई अनुमानित हानि	792.78 करोड़ रुपए

तमिलनाडु और पांडिचेरी सरकार से तमिलनाडु में 7 और पांडिचेरी में 2 व्यक्तियों के मरने के सिवाय सम्पूर्ण क्षति का विवरण देने वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 14 मई, 1990 को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आपदा राहत निधि में केन्द्रीय अंशदान के लिए 32.25 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की अदायगी खाते के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री राहत कोष से 2.00 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके अलावा, इण्डियन पीपुल्स नेचुरल केलामिटी ट्रस्ट ने मरे व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को अनुग्रह राहत देने के लिए 48 लाख रुपए की सहायता दी है। राज्य सरकार ने बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1,535 राहत कैम्प खोले हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, अभी तक निम्न-लिखित राहत कार्य भी किए गए हैं :—

1. पी० डी० एस० आबंटन के अलावा 16-5-1990 को आन्ध्र प्रदेश सरकार को 50,000 मी० टन० चावल का और आबंटन किया गया है।
2. राज्य को उनके सामान्य आबंटन के अलावा, 500 मी० टन खाद्य तेल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।
3. राज्य सरकार को मलेरिया के टीकों की 10 लाख खुराकें और 50 मी० टन ब्लीचिंग पाउडर की सप्लाई की गई है।
4. समुद्री तूफान से प्रभावित इलाकों में "वर्षा से भीगे धान और चावल" की खरीद के प्रतिमानों में ढील दे दी गई है।
5. आंध्र प्रदेश में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित गांवों/नगरों में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करें।
6. फास्फेट-युक्त उर्वरक की 15,000 मीटरीटन अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गयी है।
7. राष्ट्रीयकृत बैंक ऋणों की वसूली/पुनर्निर्धारण के स्थगन पर कार्रवाई कर रहे हैं।
8. सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए सशस्त्र बल (सेना) ने सभी आवश्यक सहायता मुहैया की है।
9. सम्बन्धित विभाग पुनर्निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी निर्वाण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं।
10. बीमा कम्पनियां दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।

11. टैंकरों के जरिए पीने के साफ पानी की सप्लाई की जा रही है।

12. प्रभावित लोगों की चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रोजगार

10258. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1986 से दिल्ली परिवहन निगम में कन्डक्टर पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार नियुक्ति पूर्व की औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं;

(ख) उन्हें नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली परिवहन निगम में प्राइवेट बसों के लिए किलोमीटर-योजना पुनः प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने और इन उम्मीदवारों को नियमित सेवा में लेने के लिए कितना सम्भावित समय लगेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1986 से अनुसूचित जाति के ऐसे 4 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने संवाहक के पद के लिए प्रशिक्षण की नियुक्ति पूर्व औपचारिकता पूरी कर ली है लेकिन उन्हें अभी तैनाती हेतु आफर भेजी जानी है। दि० प० नि० भर्ती के लिए अग्रिम कार्रवाई करके रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त करता है तथा उपयुक्तता सम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षाओं के बाद उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश देता है। जो अभ्यर्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं उन्हें रिक्ति होने पर नियुक्त किए जाने हेतु पैनल पर रख लिया जाता है। रिक्तियां न होने के कारण उन्हें कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

[हिन्दी]

10259. **श्री आर० एस० प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसकी पटना (बिहार) में स्थापना की गयी थी को वर्ष 1956 में शिमला (हिमाचल प्रदेश) में स्थानान्तरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थान को पुनः शिमला में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कहां स्थानांतरित किया जाएगा और इसके कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) आलू की नयी किस्मों का प्रजनन और प्रजनक बीज का उत्पादन पटना में सम्भव नहीं था ।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कार्य-कलाप का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गठित किए गए विशेषज्ञों के एक दल ने यह सिफारिश की है कि संस्थान के मुख्यालय को मैदानों में किसी प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। सरकार ने इस सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

जम्मू व कश्मीर के प्रवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं

[अनुवाद]

10260. **श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री चिरन्जी लाल शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बापू धाम सामुदायिक केन्द्र, नई दिल्ली में रह रहे कश्मीर के प्रवासियों को पर्याप्त नागरिक सुविधाएं प्रदान रहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है तथा इन बेघर हुए परिवारों को कब ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा इन्हें प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) बापू धाम सामुदायिक केन्द्र में कश्मीर के प्रवासियों को स्नानागार, शौचालय, रसोई घर और बिजली की आपूर्ति और पानी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन प्रवासियों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराता है ।

(i) प्रति परिवार एक किचन किट ।

(ii) सुखा राशन ।

(iii) प्रति व्यक्ति प्रति माह 125/-रुपए की नगद सहायता जो प्रति परिवार प्रति माह अधिकतम 500/-रु० से अधिक न हो ।

नारियल के पेड़ों में जड़ मुरझाने का रोग

10261. **श्री बी० कृष्ण राव :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के पेड़ों में जड़ें मुरझाने के रोग की अभी तक रोकथाम नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप में कर्नाटक से किन-किन स्थानों पर नारियल के पेड़ अभी तक इस रोग से प्रभावित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक में इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जड़-मुरझान रोग के नियन्त्रण के लिए कोई प्रभावी उपचारी उपाय नहीं किए गए हैं । तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान) ने जड़-मुरझान रोग से प्रभावित बागानों में किसानों की पैदावार और आय में वृद्धि करने के लिए प्रबन्धन पद्धतियां और फार्म की मिश्रित पद्धतियां विकसित की हैं ।

(ख) केवल केरल और तमिलनाडु में जड़-मुरझान रोग के पाए जाने की सूचना मिली है कर्नाटक राज्य से जड़-मुरझान रोग का प्रकोप होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रक्षा कार्मिकों के लिए फर्जी आवास समिति चलाने के लिए गिरफ्तार किए गए लोग

10262. **श्री बी० एन० रेड्डी :**
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री पी० एम० सईद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में रक्षा कार्मिकों के लिए एक फर्जी आवास समिति चलाने वाले कुछ लोगों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी कार्यप्रणाली क्या थी; और

(ग) फर्जी समिति द्वारा कितनी रकम एकत्र की गयी और वह रकम वसूल करके उसे प्रभावित लोगों को लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उन्होंने लोगों को कह-कह कर धोखा दिया कि उनकी सोसाइटी पंजीकृत है और उसे भूमि मिल गयी है और मकानों का निर्माण शुरू करेंगे। उन्होंने सदस्यों से मकानों की लागत की 10 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए कहा। उन्होंने 100 रु० की लागत की एक विवरण पुस्तिका भी मुद्रित की थी।

(ग) इस जाली सोसाइटी द्वारा 4 लाख रुपए से अधिक की राशि एकत्र की गयी। जाली सोसाइटी का बैंक खाता सील कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन वसन्तविहार, नई दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/406/120 ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

चिल्का झील, उड़ीसा में मत्स्यन

10263. **श्री शिवाजी पट्टनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में चिल्का झील का मुहाना बन्द हो गया है जिससे झील में मत्स्यन प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उड़ीसा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में चिल्का झील का मुहाना बन्द हो जाने के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

10264. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कार्य कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है जो कर्नाटक में प्रति-नियुक्ति पर भेजे गए हैं;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी कर्नाटक भेजे गए;

(घ) क्या कर्नाटक में भेजे गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1-1-90 को कर्नाटक राज्य में

कार्य कर रहे भारतीय पुलिस अधिकारियों की संख्या 110 है ।

(ख) राज्य से राज्य को प्रतिनियुक्ति पर	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति	कुल
1	22	23

(ग) 6

(घ) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डाई-अमोनियम फास्फेट के निर्माताओं को हुआ घाटा

10265. **श्री इरा अन्ना रासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चा माल उपलब्ध न होने से उत्पादन बन्द हो जाने के कारण डाई-अमोनियम फास्फेट के निर्माताओं को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान डाई-अमोनियम फास्फेट के प्रत्येक निर्माता को कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या फास्फोरिक एसिड की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण डाई-अमोनियम फास्फेट के उत्पादन में हुए नुकसान के लिए निर्माताओं ने मुआवजे की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) आयातित कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उठाई गई कथित हानि के लिए डी० ए० पी० के निर्माताओं ने मुआवजे का दावा किया है । आयातित कच्चे माल की अनुउपलब्धता से डी० ए० पी० के सभी निर्माताओं द्वारा उठाए गए घाटे की सूचना एकत्रित नहीं की गई है । उपरोक्त घाटे के बारे में निर्माताओं को मुआवजे का भुगतान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार

10266. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र की वर्तमान सीमाओं सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली राज्य योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र केन्द्रीय नियन्त्रण में रहेगा;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नई दिल्ली के वे सभी क्षेत्र जो 1956 में जब दिल्ली राज्य था, के भाग थे, को नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किए जाने की सम्भावना है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकारिया आयोग ने भी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के पुनः सीमांकन करने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दी हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार के विचारणाधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका का वर्तमान क्षेत्र 42.74 वर्ग किलोमीटर है ।

(ग) से (च) इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

(छ) और (ज) समिति ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ।

प्रत्यर्पण संधियां

10267. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संधियों के अन्तर्गत इन देशों ने भारत को कितने आतंकवादी सौंपे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नेपाल, भूटान, उगांडा, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड और कनाडा ।

(ख) कोई नहीं ।

त्रिवेन्द्रम में डाकघर का दर्जा बढ़ाना

10268. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान त्रिवेन्द्रम जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा; और

(ख) डाकघरों के लिए जिले में बनाए जाने वाले विभागीय भवनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) त्रिवेन्द्रम जी० पी० ओ० तथा बेंगान्लूर उप-डाकघर के लिए एक-एक विभागीय भवन बनाया जा रहा है।

नेपाल के वित्त मंत्री का दौरा

10269. श्री आर० एन० राकेश :
श्री समरेन्द्र कुंडू :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के वित्त मन्त्री ने अप्रैल, 1990 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या उनके दौरे के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां, नेपाल के वित्त मन्त्री डा० देवेन्द्र राज पाण्डे एशिया विकास बैंक के पिछले वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए अप्रैल के अन्त में मई, 1990 के शुरू में नई दिल्ली आए थे। वे अपने साथ प्रधानमन्त्री के नाम नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री के० पी० भट्टाराई का एक पत्र भी लाए थे। वे 1 मई, 1990 को प्रधानमन्त्री से मिले थे और उन्हें यह पत्र दिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान केन्द्र

10270. श्री समरेन्द्र कुण्डू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बालियापाल में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इसे लघु कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, अभी तक बालियापाल में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए 46.03 लाख रु० जारी किया गया है।

(ख) मुख्य इमारत, दो वर्ग कक्षाएं (क्लास रूम)/प्रयोगशालाएं, एक कृषक होस्टल और मुर्गी प्रदर्शन एकक का पहले ही निर्माण किया जा चका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का उपयोग

10271. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उपयोग के बारे में कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में राज्य स्वामित्व वाले उर्वरक निगमों को कृषकों को प्रशिक्षित करने हेतु कुछ जिलों को चुनने के निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें इस बारे में कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उड़ीसा में भी किसी ऐसे जिले को चुना गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदर्शनों, क्षेत्र दिवसों, मेलों, प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किसानों को शिक्षित करने तथा उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम	कवर किए गए राज्य
1	2	3
1.	कम खपत वाले वर्षा सिंचित क्षेत्रों	1. आन्ध्र प्रदेश

1	2	3
	में उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ाने की राष्ट्रीय परियोजना	2. असम
		3. बिहार
		4. गुजरात
		5. हरियाणा
		6. हिमाचल प्रदेश
		7. जम्मू व कश्मीर
		8. कर्नाटक
		9. केरल
		10. मध्य प्रदेश
		11. महाराष्ट्र
		12. उड़ीसा
		13. राजस्थान
		14. सिक्किम
		15. तमिलनाडु
		16. उत्तर प्रदेश
		17. पश्चिम बंगाल
	2. प्रमुख उर्वरक सप्लायर्स योजना	1. आन्ध्र प्रदेश
		2. अरुणाचल प्रदेश
		3. असम
		4. बिहार
		5. गोवा
		6. गुजरात
		7. हरियाणा
		8. हिमाचल प्रदेश
		9. जम्मू व कश्मीर
		10. कर्नाटक
		11. केरल
		12. मध्य प्रदेश

1	2	3
		13. महाराष्ट्र
		14. मणिपुर
		15. मेघालय
		16. मिजोरम
		17. नागालैण्ड
		18. उड़ीसा
		19. पंजाब
		20. राजस्थान
		21. सिक्किम
		22. तमिलनाडु
		23. त्रिपुरा
		24. उत्तर प्रदेश
		25. पश्चिम बंगाल
3.	भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना	1. असम
		2. बिहार
		3. मध्य प्रदेश
		4. उड़ीसा
		5. उत्तर प्रदेश
		6. पश्चिम बंगाल
4.	भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय उर्वरक शिक्षा परियोजना	1. आन्ध्र प्रदेश
		2. बिहार
		3. कर्नाटक
		4. केरल
		5. मध्य प्रदेश
		6. महाराष्ट्र
		7. राजस्थान
		8. तमिलनाडु
		9. उत्तर प्रदेश
5.	भारत-कनाडा उर्वरक विस्तार परियोजना	1. उत्तर प्रदेश

विवरण-2

क्रम सं०	योजना/कार्यक्रम	उड़ीसा में कवर किए गए जिले
1.	कम खपत वाले वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाने की राष्ट्रीय परियोजना	1. बालासोर 2. धेनकानल 3. मयूरभंज 4. सुन्दरगढ़
2.	प्रमुख उर्वरक सप्लायर्स योजना	1. बालासोर 2. बोलंगिर 3. कट्टक 4. धेनकानल 5. गंजम 6. कालाहांडी 7. क्योंझर 8. कोरापुट 9. मयूरभंज 10. फुलबनी 11. पुरी 12. सम्भलपुर 13. सुन्दरगढ़
3.	भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना	1. कटक 2. गंजम 3. कालाहांडी 4. मयूरभंज 5. पुरी

कोचीन पत्तन में और अधिक जहाजी कुलियों के लिए लाइसेंस

10272. प्रो० के० वी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में अतिरिक्त जहाजी कुलियों के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या स्टीमर एजेन्टों को जहाजी कुलियों के लिए प्रतिबन्धित लाइसेंस देने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) स्टीवेडोरिंग लाइसेंस जारी करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास को दो नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूनाइटिड स्टीवेडोर्स एसोसिएशन, कोचीन द्वारा गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम 1959 में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका में कोचीन पत्तन न्यास द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए इस परिवचन को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बगैर कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, इन्हें लम्बित रखा गया है। स्टीमर एजेन्टों सहित पात्र आवेदकों को स्टीवेडोरिंग लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर पत्तन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

कृषि प्रयोजनों के लिए डी० डी० टी० का उपयोग

10273. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कृषि प्रयोजनों के लिए कितनी मात्रा में डी० डी० टी० उपलब्ध करायी गयी; और

(ख) अन्य उर्वरकों की तुलना में कृषि में इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई डी० डी० टी० की मात्रा और कृषि में प्रयुक्त अन्य उर्वरकों की तुलना में इसकी प्रतिशतता निम्नवत् है :—

क्रम सं०	वर्ष	मात्रा (तकनीकी श्रेणी में मीटरी टन डी० डी० टी०)	एम० पी० के० उर्वरकों की कुल मात्रा में डी० डी० टी० की प्रतिशतता
1.	1986-87	270	0.00312%
2.	1987-88	379	0.00431%
3.	1988-89	413	0.00374%

फार्म क्षेत्र के लिए सहभागिता विकास नीति

10274. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सहभागिता विकास नीति के लिए एक योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि मन्त्रालय में भारत सरकार ने एक स्थायी परामर्शदात्री समिति की स्थापना की है जिसमें किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को कृषि नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के मामले में निरन्तर आधार पर सरकार को सहायता और परामर्श देने के लिए शामिल किया गया है। कृषि मन्त्रालय समिति के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखेगा और पशुपालन, मात्स्यिकी, बागवानी इत्यादि जैसे कार्यकलापों सहित कृषि क्षेत्र की नीति के विकास, ऋण और सहायक सेवाओं जैसे मूल्य, विपणन, भण्डागार आदि विभिन्न आदानों की उपलब्धता तथा कृषि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसी अन्य सुविधाओं हेतु नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर समिति के विचारों की जानकारी प्राप्त करेगा।

रेल भाड़े और परिवहन लागत के बीच सामंजस्य

10275. श्री कैलाश मेघवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल भाड़े और सड़क परिवहन की लागत के बीच कोई सामंजस्य स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपराधिक मानव वध का वर्गीकरण करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन

[हिन्दी]

10276. श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने के भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में यह व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हत्या करेगा उसे मौत की सजा अथवा आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 के खण्ड 125 जिसे 1978 में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था परन्तु 1979 में लोक सभा भंग हो जाने के कारण जो कालातीत हो गया था, में यह व्यवस्था करने के लिए कि हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, परन्तु जब हत्या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में की जाती है तो उसके लिए मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

इस व्यवस्था को भारतीय दण्ड संहिता में विस्तृत संशोधन करने के लिए विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

कश्मीर में पहचानने में हुई चूक के कारण मारे गए व्यक्ति

10277. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा गलत पहचान के कारण कितने निर्दोष व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या सरकार का इस तरह से मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को कोई राहत देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

चीन-भारत सम्बन्ध

[अनुवाद]

10278. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीन-भारत सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिए अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार की यही मंशा है कि भारत और चीन के बीच सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा जाए तथा इसे और अधिक गति प्रदान की जाए। हाल ही में चीन के विदेश मन्त्री श्री क्विआन क्विचेन की भारत यात्रा तथा उप प्रधान मन्त्री एवं कृषि मन्त्री श्री देवी लाल की चीन यात्रा से नेताओं के स्तर पर वार्ता की स्थिति मजबूत हुई है।

सीमा के सवाल का एक उचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के सम्बन्ध

में बातचीत करने के लिए स्थापित अधिकारी स्तर के संयुक्त कार्यकारी दल की अगली बैठक 1990 की दूसरी छहमाही में होगी ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा विज्ञापन पट लगाने हेतु स्वीकृत स्थान

[हिन्दी]

10279. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन पट लगाने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थान कितने हैं;

(ख) क्या स्वीकृत स्थान नीलामी द्वारा आवंटित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उससे प्राप्त राजस्व कितना है, यदि इस राजस्व में कोई कमी आई है, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) विज्ञापन पट के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा रजिस्टर्ड की गई एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अस्वीकृत स्थानों पर हजारों विज्ञापन पट लगाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(छ) पहले कालीसूची में शामिल की गई रजिस्टर्ड एजेन्सियों की संख्या कितनी है और उनको फिर से दर्ज करने के कारण क्या हैं;

(ज) ऐसी एजेन्सियों की ओर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और यह कब से बकाया है और बकाया राशि को वसूलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(झ) क्या बिजली के खम्बों पर विज्ञापन पट लगाने का ठेका किसी फर्म विशेष को नीलामी के बिना दिया गया है; और

(ञ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ञ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली नगर निगम ने 1,018 विज्ञापन पटों, जिनका नीलामी द्वारा आबंटन किया गया था, को अनुमोदित किया है । पिछले तीन सालों के दौरान इन विज्ञापन पटों से अर्जित राजस्व निम्न प्रकार हैं :—

1987-88	3.18 करोड़ रु०
1988-89	3.23 करोड़ रु०
1989-90	3.27 करोड़ रु०

2. विज्ञापन पट लगाने के लिए 'दिल्ली नगर निगम द्वारा पंजीकृत एजेंसियों की संख्या 46 है (सूची संलग्न है—अनुलग्नक-1) ।

3. गैर-अनुमोदित स्थानों पर बड़ी संख्या में विज्ञापन पट लगाए जाने का पता चला है । गैर-अनुमोदित स्थानों पर विज्ञापन पट न लगाए जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जाती है। 1989-90 में 1,086 विज्ञापन पटों को हटाया गया तथा 98,710 रु० के कम्पाउण्डिंग शुल्क की वसूली की गई । 1987-90 के लिए ठेके की अवधि में दो एजेन्सियों को ब्लैक लिस्ट में रखा गया तथा उन्हें दुबारा पंजीकृत नहीं किया गया ।

4. कुछ एजेन्सियों के विरुद्ध बकाया राशि का ब्योरा अनुलग्नक-2 पर है ।

5. बिजली के खम्बों पर विज्ञापन पट लगाने के लिए बिना नीलामी के किसी भी फर्म को ठेका नहीं दिया गया है ।

अनुलग्नक-1

1. मैसर्स क्रिएटिव पब्लि० सर्विस, जी-75-ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 ।
2. मैसर्स सेलवेल एडवर्टाइजिंग 710/94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।
3. मैसर्स आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स 710/94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।
4. मैसर्स सूर्या एडवर्टाइजिंग एस-205, दुआ कम्प्लैक्स, मुकरपुर, दिल्ली ।
5. मैसर्स पी० के० एडवर्टाइजिंग, 226-सी० एम०-1, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
6. मैसर्स दिल्ली एडवर्टाइजिंग 64, कल्याण विहार, दिल्ली-9 ।
7. मैसर्स पायनीर पब्लिसिटी कार्पोरेशन 227-सी एम-1, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
8. मैसर्स जेगसन पब्० 1 ई/15, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।
9. मैसर्स जे० पी० एडवर्टाइजिंग 147, गुरु हरि किशन नगर, नई दिल्ली ।
10. मैसर्स अनन्त आर्ट्स 4727/21, दरियागंज, नई दिल्ली ।
11. मैसर्स हिन्दुस्तान पब्० कार्पोरेशन, 4727/21, दरियागंज, नई दिल्ली ।
12. मैसर्स बेस्ट पब्० 5, कृष्णा बिल्डिंग कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
13. मैसर्स नवतोज सिंह आनन्द, 5 कृष्णा बिल्डिंग कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
14. मैसर्स विशाल पब्लिसिटी 1855 चांदनी चौक, दिल्ली-6 ।
15. मैसर्स न्यू डायमण्ड एडवर्टाइजिंग 25/84 गली नं० 14, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली ।
16. मैसर्स नेहा एसोसिएट्स, डी-180 विवेक विहार, दिल्ली ।
17. मैसर्स केपीटल पब्० सर्विस 1 ई/1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।

18. मैसर्स अशोक शर्मा एसोसिएट्स, 1 ई/1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।

19. मैसर्स सिंह सन्स, 630 न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली ।

20. मैसर्स अंगद कार्मिशियल इण्डिया 11-ई-38, लाजपतनगर, सेन्ट्रल मार्किट, नई दिल्ली ।

21. मैसर्स सेलमोर 4663, दरियागंज, नई दिल्ली ।

22. मैसर्स आर्य एडवर्टाइजिंग 33/2 पंत नगर, जंगपुरा, नई दिल्ली ।

23. टोपसेल 4/349 गोविन्दपुरी कालकाजी, नई दिल्ली ।

24. मैसर्स सेटेलाइट पब० कार्पोरेशन एन-179, पंचशील पार्क, नई दिल्ली ।

25. मैसर्स इन्सेट एडवर्टाइजिंग एन-179, पचशील पार्क, नई दिल्ली ।

26. मैसर्स ओंम पब० 2574 बीडनपुरा अजमलखां रोड, करोलबाग, नई दिल्ली ।

27. मैसर्स वासुदेव पब्लिसिटी सर्विस 50 एम कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

28. मैसर्स एटलस आउटडोर पब० डी० 899, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली ।

29. मैसर्स एडवायर एडवर्टाइजिंग बी-ए/3 स्तुती बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट करोलबाग, नई दिल्ली ।

30. मैसर्स संदीप पब्लिसिटी, एफ० ब्लाक यूनाइटेड इण्डिया बिल्डिंग कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

31. मैसर्स रोहित एंटरप्राइजेज, 4663 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।

32. मैसर्स सागर आर्ट सर्विस, नीयर लिबर्टी सिनेमा, नई दिल्ली ।

33. मैसर्स डीलक्स पब्लिसिटी सर्विस 182, सी एम-1 झण्डेवालान, नई दिल्ली ।

34. मैसर्स आंकाक्षा एडवर्टाइजर्स सी-20 आनन्द निकेतन, न्यू दिल्ली ।

35. मैसर्स गुडविल ट्रेडिंग कं० डी० 181 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।

36. मैसर्स ब्राइट नियोन साईन 119, देशबन्धु गुप्ता मार्किट, करोलबाग, नई दिल्ली ।

37. मैसर्स सेठी पब्लिसिटी सर्विस, 105 रिशब श्री हाउस रंजीत नगर, नई दिल्ली ।

38. मैसर्स स्कीपर पब्लिसिटी प्रा० लि० 5 सी/91, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली ।

39. मैसर्स पब्लिसाइज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 1 ई/1 झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।

40. मैसर्स राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग एजेन्सी 51, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली ।

41. मैसर्स रिपोर्टर्स कोम० 41/28 कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, नई दिल्ली ।

42. मैसर्स ए० बी० आई० कम्युनिकेशंस, 39/90, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली ।

43. मैसर्स अनहल एडवर्टाइजिंग 4675, बी-21, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

44. मैसर्स दिव्या मार्किटिंग को० प्रा० लि० डी-25/26, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

45. मैसर्स एडमोर सी-6-बी/79-बी, जनकपुरी, नई दिल्ली।

46. मैसर्स फकोस पब्लिसिटी 16/1 जी० पी० आर्या समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली।

अनुलग्नक-2

विज्ञापन-कर्त्ता/संस्थान	बकाया राशि	टिप्पणी
रायल आउटडोर पब्लिसिटी	33.65 लाख रु०	विज्ञापनकर्त्ता को ब्लैक लिस्ट में रखा गया। हटाने की कार्रवाई की गई। अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई। न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। 13.30 लाख रु० की जमानत राशि जब्त की गई। एजेंसी द्वारा विवादों के बारे में मामला न्यायालय में लम्बित है।
पैरामाऊंट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी (प्रो०) लिमिटेड	36.31 लाख रु०	विज्ञापनकर्ता को ब्लैक लिस्ट में रखा गया। हटाने की कार्रवाई की गई, मध्यस्थता द्वारा अनिर्णित मामले आंशिक अवधि के लिए उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। दिसम्बर, 1989 तक की शेष अवधि को कानूनी सलाहकार के परामर्श के अनुसार मध्यस्थता को भेजा जा रहा है। 4,56,600 रुपए की जमानत राशि जब्त की गई।
	69.96 लाख रु०	

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की डीलरों की ओर बकाया धनराशि

10280. **श्री माणिकराव होडल्या गावोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की डीलरों की ओर कितनी धनराशि बकाया है और इसका एजेन्ट-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कम्पनी द्वारा बकाया राशियों की वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि की हानि हो रही है;

(ग) क्या डीलरों की ओर बकाया भारी धनराशि पर ब्याज लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के एक हजार से अधिक उर्वरक के डीलर हैं जो कई राज्यों में कार्य कर रहे हैं। कम्पनी के वर्ष 1989-90 के लेखों को अभी भी संकलित किया जा रहा है और लेखा-परीक्षा की जा रही है। अतः अपेक्षित ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) डीलरों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के विलम्बों के सम्बन्ध में होने वाले ब्याज, यदि कोई हो, की वसूली का दावा नहीं किया जाता क्योंकि बिक्री की शर्तों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भुगतानों में असमान्य विलम्ब के लिए, जिनमें न्यायालय के माध्यम से वसूली कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त होती है, ब्याज का दावा किया जा रहा है।

हज तीर्थयात्रियों पर व्यय की गई धनराशि

10281. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक हज तीर्थयात्री को किराए के रूप में कितनी सहायता-राशि प्रदान की जाती है;

(ख) सरकार द्वारा इन तीर्थयात्रियों की आवास तथा भोजन व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान हज तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं और सहायता पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) क्या ऐसे तीर्थयात्रियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनकी वार्षिक आमदनी को ध्यान में रखा जाता है अथवा सभी तीर्थयात्रियों के मामले में एक जैसा व्यवहार किया जाता है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1989 के दौरान यहां से जाने वाले हज यात्रियों को सरकार ने लगभग 2,483 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से सहायता दी थी; लेकिन हज यात्रियों के हवाई किराए के मामले में सरकार की ओर से कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) 1988 और 1989 के दौरान जहाज किराए के मामले में दी गई वित्तीय सहायता को छोड़कर सरकार ने कुल मिलाकर अनुमानतः 62.4 लाख रुपए की राशि खर्च की।

(घ) सभी यात्रियों को उनकी आय अथवा किसी अन्य आधार को ध्यान में रखे बिना एक-सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पुष्करावन में इलेक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

10282. **श्री केशरी लाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर देहात के तहसील मुख्यालय से आम जनता को पहले उपलब्ध एस० टी० डी० सेवा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पुखरायन में इलेक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक तहसील मुख्यालय में कब तक इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। कानपुर-देहात में किसी भी तहसील मुख्यालय से आम जनता को एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध नहीं थी।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुखरायन में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का संस्थापना कार्य प्रगति पर है।

(घ) 8वीं योजना अवधि के दौरान कानपुर देहात के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा काउंटरों की स्थापना

[अनुवाद]

10283. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुछ ऐसे काउंटर खोले गए हैं जहां अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो 30 अप्रैल, 1990 तक जिलावार उन स्थानों के नाम क्या है, जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसके लिए कितना प्रभार निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष तथा अगले दो वर्षों में इस तरह के और काउंटर खोलना चाहती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे चुने गए स्थानों के जिलावार और वर्ष-वार नाम क्या है यदि नहीं तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस तरह के काउंटर निजी परिसरों में भी स्थापित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे काउंटरों के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं तथा साथ ही इस तरह के निजी परिसर मालिकों को दिए जाने वाले कमीशन का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। देश में, दूरसंचार केन्द्र उन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) और अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (आई० एस० डी०) सुविधा सहित दूरसंचार सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) दूरसंचार केन्द्र मुख्यतः राज्यों की राजधानियों बड़े शहरों और कुछ जिला मुख्यालयों में खोले गए हैं। जिन स्थानों में दूरसंचार केन्द्र खोले गए हैं ऐसे स्थानों की एक सूची विवरण के रूप में दी गई है। पी० सी० ओ० शुल्क के साथ सामान्य एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कॉल प्रभार लिए जाते हैं।

(ग) जी, हां। अगले दो वर्षों में ऐसे और दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) आगामी दो वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, हां।

(च) निजी परिसरों में जहां पर ऐसे दूरसंचार केन्द्र खोले जाते हैं वहां समिति द्वारा निर्धारित आवासीय किराए का भुगतान किया जाता है। तथापि, प्रायोगिक आधार पर, निजी व्यक्तियों द्वारा बम्बई के निजी परिसरों में दो दूरसंचार केन्द्र खोले गए हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं तथा युक्तिसंगत आधार पर क्रियान्वित करने के लिए ऐसे मामलों में एजेंसियों को देय कमीशन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार केन्द्रों की सूची (1) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल

1. सी० टी० ओ० हैदराबाद।
2. सी० टी० ओ० सिकन्द्राबाद।
3. टेलीफोन एक्सचेंज सिकन्द्राबाद।
4. टेलीफोन एक्सचेंज एरागड्डा, हैदराबाद।
5. टेलीफोन एक्सचेंज जीडीमुतला हैदराबाद।
6. डी० टी० ओ० निजामाबाद।
7. डी० टी० ओ० संग्रेड्डी।
8. डी० टी० ओ० महबूब नगर।
9. डी० टी० ओ० आदिलाबाद।
10. डी० टी० ओ० करीमनगर।
11. डी० टी० ओ० खम्माम।
12. डी० टी० ओ० नालगोंडा।
13. डी० टी० ओ० वारंगल।
14. ए० डी० रूरल विजयवाड़ा का कार्यालय।
15. टेलीफोन एक्सचेंज विजयवाड़ा।
16. सी० टी० ओ० विजयवाड़ा।

17. डी० टी० ओ० मच्छलीपट्टनम।
18. डी० टी० ओ० गुंटूर।
19. कन्यकपरमेश्वरी हाल गुंटूर के निकट।
20. डी० टी० ओ० ऊंगोल।
21. सी० टी० ओ० विशाखापट्टनम।
22. डी० टी० ओ० डाबागाजन विशाखापट्टनम।
23. डी० टी० ओ० अक्कायापलेम विशाखापट्टनम।
24. डी० टी० ओ० गुजुवका विशाखापट्टनम।
25. गोपाल पट्नम एक्सचेंज भवन विशाखापट्टनम।
26. रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम।
27. कलक्ट्रेट विजयनगरम।
28. डी० टी० ओ० अनागपल्ली।
29. डी० टी० ओ० सिरकाकुलम।
30. डी० टी० ओ० राजमुंदरी।
31. रंगया चौधरी अस्पताल राजमुंदरी के निकट।
32. डी० टी० ओ० काकेनाडा।
33. मंडल इन्जीनियर, अनुरक्षण कार्यालय काकेनाड़ा।
34. सेवनेगोरी सेन्टर मेन बाजार ईलुरो।
35. डी० टी० ओ० तिरूपति।
36. डी० टी० ओ० अनन्तपुर।
37. डी० टी० ओ० कुड्डापाह।
38. डी० टी० ओ० कुरनूल।
39. डी० टी० ओ० निलूर।
40. डी० टी० ओ० अदोनी।

2. असम दूरसंचार सर्किल

गुवाहाटी	1. पान बाजार गुवाहाटी
	2. टी० ओक्शन केन्द्र बिल्डिंग दिसपुर, गुवाहाटी

3. बिहार सर्किल

पटना	1. पटना जंक्शन रेलवे परिसर
	2. राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज पटना

4. दिल्ली सर्किल

1. इन्टरस्टेट बस टर्मिनल
2. आई० आई० टी० हौजखास नई दिल्ली
3. एअर बस टर्मिनल नई दिल्ली
4. ए० आई० आई० एम० एस० नई दिल्ली
5. शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. प्रगति मैदान, नई दिल्ली
7. आई० जी० आई० ए०, नई दिल्ली
8. ए० बी० डी० टर्मिनल-1-सी पालम एअरपोर्ट नई दिल्ली

5. गुजरात सर्किल

जिला का नाम	दूरसंचार केन्द्र का नाम
अहमदाबाद	डी टी ओ अहमदाबाद रेलवे पुरी
गांधी नगर	गांधी नगर
जामनगर	डी टी ओ भवन जामनगर
नदियाड	नदियाड किडनी हास्पीटल, पेटलद रोड
भड़ौच	अंकलेश्वर जी आई डी सी
जुनागढ़	कलवा चौक जुनागढ़
जामनगर	जामनगर

6. हरियाणा दूरसंचार सर्किल

हिसार	टेलीफोन भवन हिसार
गुडगांव	एम ओ आई नेशनल हाइवे, गुडगांव

7. हिमाचल दूरसंचार सर्किल

श्रीनगर	टूरिस्ट रिसेपशन सेंटर श्रीनगर

8. कर्नाटक दूरसंचार सर्किल

बेंगलूर	1. इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूर
	2. कन्निंगचम रोड, बेंगलूर
	3. बीरीबीडनीर

9. केरल दूरसंचार सर्किल

त्रिवेन्द्रम	1. अट्टिंगल
	2. वलियामाला
	3. दूरसंचार सेवा केन्द्र त्रिवेन्द्रम
	4. नेयाटिंकारा त्रिवेन्द्रम
त्रिचुर	1. गुरूवयूर
एर्नाकुलम	1. त्रिपुनीथुरा
	2. पेराम्बूर
कोट्टयम	1. वैकोम
	2. चंगनचेरी
पथनमथीटा	1. अडूर
पालघाट	कोयलमन्नू
कासरगोड	पय्यानूर
मालापुरम	मालापुरम
कालीकट	नाडापुरम

10. मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल

1. भोपाल बस स्टेड
2. ग्वालियर बस स्टेड
3. ग्वालियर मेडिकल कॉलिज
4. मुरैना कलेक्टर कार्यालय
5. जबलपुर मेडिकल कॉलिज
6. जबलपुर राईट टाऊन
7. इन्दौर बस स्टेड
8. इन्दौर टी० चोईथ राम अस्पताल
9. भिलाई स्टील प्लांट अस्पताल
10. रायपुर रैलवे स्टेशन
11. नंद बसौदा
12. पिपरीया
13. मंडीदीप

14. ग्वालियर
15. ग्वालियर (हाजिरा)
16. जबलपुर (अधरतल)
17. कटनी
18. जबलपुर रेलवे स्टेशन
19. सागर सिविल लाइन
20. जबलपुर-गोरखपुर
21. इन्दौर एअरपोर्ट
22. नागदा
23. इन्दौर-साभर रोड
24. उज्जैन
25. इन्दौर पटनीपुरा
26. भोपाल बीरागढ़
27. भोपाल रेलवे स्टेशन
28. भोपाल मेडिकल कॉलेज
29. महाराणा प्रताप नगर
30. रतलाम
31. इन्दौर परदेशी पुरा
32. रायपुर पंडरी मार्केट
33. बिलासपुर बस स्टैंड
34. भिलाई सेक्टर-1
35. कायोरातला मार्केट रायपुर
36. रायपुर तेलघानी मार्केट
37. दुर्ग रेलवे स्टेशन

11. महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

अहमदनगर	अहमदनगर में एम० आई० डी०
गोवा-पणजी	पणजी

12. उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल

इम्फाल	इम्फाल

अगरतला	अगरतला
इटानगर	इटानगर
आइजोल	आइजोल
शिलांग	शिलांग
अगरतला	कैलाशहर

13. उड़ीसा दूरसंचार सर्किल

भुवनेश्वर	रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर
बारीपाड़ा	बारीपाड़ा
क्योंझर	क्योंझर

14. पंजाब दूरसंचार सर्किल

होशियारपुर	खाबाजू होशियारपुर
पटियाला	पोस्ट आफिस किल्लाचौक पटियाला
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	मोहाली

15. राजस्थान दूरसंचार सर्किल

श्रीगंगानगर	नई अनाज मंडी श्रीगंगानगर
बीकानेर	रेलवे स्टेशन बीकानेर
जोधपुर	गिर्दीकोट जोधपुर
अलवर	भिवानी इण्डस्ट्रीयल टाऊन (अलवर)
जयपुर	सांगानेरी गेट एक्सचेंज भवन, जयपुर

16. तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल

1. मद्रास	1. तिरूवलूर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन
	2. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी मद्रास
	3. सेन्ट्रल स्टेशन मद्रास
	4. 78 पूरा सावल कॉमहाई रोड, मद्रास
2. सलेम	सलेम सेवापेट
3. कोयम्बटूर	1. कोयम्बटूर एअरपोर्ट
	2. कोयम्बटूर आई० सी० सी० आई०

4. होसूर	होसूर सिपकाट
5.	पल्लीपलायम (ईरोड)
6.	कुमारापलायम
7. मदुरै	1. मदुरै सेन्ट्रल बस स्टेंड
	2. रामनाथपुरम कलेक्ट्रेट
8. त्रिची	1. त्रिची बी० एच० ई० एल०
	2. त्रिची एअरपोर्ट
	3. त्रिची टी० डी० एम० आफिस
9. तिरूनेलवेली	1. देवरपुरम तूतीकोरीन
	2. पलायमकुट्टे
10. पांडिचेरी सं/शा	पांडिचेरी

17. उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल

जिले का नाम	दूरसंचार केन्द्र
गोरखपुर	1. डी० ई० टी० आफिस, गोरखपुर
	2. होटल बलीना गोरखपुर
	3. ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर
आजमगढ़	आजमगढ़ कचहरी
बस्ती	1. पुरानी बस्ती
	2. खलीलाबाद
बलिया	बलिया टाऊन हाल
बेहराईच	बेहराईच मार्केट
देवरिया	1. देवरिया मार्केट
गाजीपुर	गाजीपुर नगर
गोंडा	बरगांव गोंडा
जौनपुर	जौनपुर कचहरी
मुगलसराय	मुगलसराय रेलवे स्टेशन
वाराणसी	1. टूरिस्ट आफिस वाराणसी
	2. टूरिस्ट बंगले वाराणसी
	3. रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट

	4. [illegible] मंडी वाराणसी
	5. [illegible] नगर कॉलोनी वाराणसी
	6. [illegible] नगर वाराणसी
इलाहाबाद	1. [illegible] नगर समिति—इलाहाबाद
	2. [illegible] रोड सिविल लाइन इलाहाबाद
	3. [illegible] इलाहाबाद
	4. [illegible] एक्सचेंज इलाहाबाद
	5. साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद
सुल्तानपुर	1. जगदीशपुर
	2. अमेठी
मिर्जापुर	1. [illegible] रिहन्दनगर मिर्जापुर
	2. शक्तिनगर मिर्जापुर
	3. विन्ध्याचल मिर्जापुर
बांधा	1. बांधा सिटी
	2. चित्रकूट बांधा
प्रतापगढ़	चिलबिला
फतेहपुर	मालवान
फैजाबाद	1. अयोध्या
	2. फैजाबाद चौक
बारांबंकी	बारांबंकी
हरदोई	हरदोई
लखनऊ	1. इन्दिरानगर लखनऊ
	2. राजीजीपुरम लखनऊ
	3. कपूरथला काम्पलेक्स लखनऊ
लखीमपुर	लखीमपुर सिटी
रायबरेली	रायबरेली
सीतापुर	सीतापुर
फतेहगढ़	फतेहगढ़
कानपुर	1. कल्याण कानपुर

	2. चाकरी कानपुर
	3. गोविन्दनगर कानपुर
ललितपुर	ललितपुर
आगरा	1. होटल गोवरधन आगरा
	2. टैक्स भवन आगरा
	3. कैंट रेलवे स्टेशन आगरा
	4. ताजमहल आगरा
	5. टूंडला
एटा	एटा
मथुरा	1. कोशिकलां
	2. मथुरा रिफाईनरी
	3. वृन्दावन
मैनपुरी	मैनपुरी सिटी
शिकोहाबाद	शिकोहाबाद
अलीगढ़	आवाजखास कन्ट्रोलरूम अलीगढ़
मुरादाबाद	1. अमरोहा
	2. मुरादाबाद रेलवे स्टेशन
	3. लाजपत नगर मुरादाबाद

नारियल के मूल्यों में गिरावट

10284. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोपरे के निम्नतम समर्थन मूल्य को हाल ही में बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर यह वृद्धि आंकलित की गई है;

(ग) क्या नारियल के बाजार भाव बहुत नीचे आ गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) नारियल के मूल्यों को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने आम औसत किस्म के कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1989 फसल मौसम के लिए 1500 रुपए प्रति क्विंटल थे,

20 फरवरी, 1990 से बढ़ाकर 1990 फसल मौसम के लिए 1600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस प्रकार 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत चार महीनों में सभी महत्वपूर्ण विपणन केन्द्रों में नारियल के मूल्य स्थिर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोयाबीन का उत्पादन

10285. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अभी तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सोयाबीन सहित तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत किसानों को सोयाबीन सहित तिलहनों की वृहत-स्तर पर खेती के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज उत्पादन पौध संरक्षण उपायों, उन्नत फार्म उपकरणों, राईजोबियम कल्चर, प्रदर्शनों इत्यादि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए राज्य को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य में सोयाबीन के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी० टन)	पैदावार (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)
1986-87	54.6	19.8	363
1987-88	76.7	24.6	321
1988-89	87.0	56.2	646
1989-90	126.9	100.1	789

दिल्ली परिवहन की बसों में महिलाओं से छेड़-छाड़

[हिन्दी]

10286. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम के तहत चल रही निजी बसों में लूट-पाट एवं महिलाओं से छेड़-छाड़ करने के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक सजा दी गयी और कितने मामले न्यायालयों में लम्बित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही निजी बसों में छेड़खानी के दर्ज किए गए मामले की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सजा दी गई	उन मामलों की संख्या जिन पर मुकदमा लंबित है
1987	3	2	—
1988	10	15	1
1989	7	7	2
1990 (30-4-90 तक)	5	6	—

उक्त अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत निजी बसों में लूटपाट के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

गंगा नदी की गाद निकालना

[अनुवाद]

10287. श्री चित्त बसु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी में फरक्का से कलकत्ता तक भारी मात्रा में गाद के भर जाने के कारण नौगम्यता और घट गई है; और

(ख) यदि हां, तो गंगा नदी से गाद निकालने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान गाद भरने के कारण फरक्का से कलकत्ता तक के खण्ड में गंगा की नौगम्य गहराई में कोई कमी नहीं हुई है। तथापि, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पास आवश्यकता पड़ने पर निकर्षण कार्य करने के लिए दो निकर्षक हैं।

पंजाब में डाकेजनी/हत्या के मामले

10288. श्री कमल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान महीनेवार, पंजाब में डाकेजनी और हत्या की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) वर्ष 1989 के दौरान पंजाब में सूचित हुए लूटमार और चोरी के मामलों का माहवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) अपराध की रोकथाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । हत्या और लूटपाट जैसे अपराधों में कमी लाने के लिए आवश्यक उपाय पंजाब सरकार को करने होंगे ।

विवरण

वर्ष 1989 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अधीन पंजाब में लूटपाट और चोरी के सूचित मामलों की संख्या का माहवार ब्यौरा

क्रम सं०	महीना	सूचित हुए मामलों की संख्या	
		हत्या	लूटपाट
1.	जनवरी	115	28
2.	फरवरी	105	38
3.	मार्च	141	52
4.	अप्रैल	115	29
5.	मई	154	34
6.	जून	135	32
7.	जुलाई	136	31
8.	अगस्त	135	23
9.	सितम्बर	146	20
10.	अक्तूबर	166	18
11.	नवम्बर	142	22
12.	दिसम्बर	159	31
	जोड़ :	1649	358

टिप्पणी :—राज्य से प्राप्त मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं तथा इन्हें अस्थाई समझा जाए ।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पर व्यय

10289. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में उसके प्रारम्भ से मार्च, 1990 तक कितना व्यय किया गया और उसमें से कितना वन लगाने और चारागाह विकास, खराब हुए वनों में पुन: पेड़ लगाने, सिंचाई और मृदा संरक्षण आदि पर व्यय किया गया; और

(ख) कार्यक्रम की कुल वास्तविक उपलब्धि क्या है और उक्त क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में सुधार लाने और इस व्यय से वहां सूखे की भयंकरता और बारम्बारता को कम करने में कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ से कुल वास्तविक उपलब्धियों में ये शामिल हैं :—

(i) भूमि तथा नमी संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लगभग 22.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कवरेज;

(ii) जल संसाधन विकास के अन्तर्गत लगभग 8.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कवरेज; और

(iii) वनरोपण तथा चरागाह विकास के अन्तर्गत 13.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कवरेज।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का एक विस्तृत मूल्यांकन आरम्भ किया गया है। उनकी रिपोर्ट जब उपलब्ध होगी उसमें इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में सुधार लाने और सूखे की भयंकरता और बारम्बारता को कम करने में मिली सफलता निर्दिष्ट हो सकती है।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ से मार्च, 1990 तक हुआ राज्यवार/क्षेत्रवार व्यय

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण तथा चरागाह विकास	अन्य*	परियोजना प्रशासन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2020.22	5356.90	1827.91	3882.15	711.29	13798.47
2.	बिहार	1700.06	4235.97	1745.09	658.08	200.76	8539.96
3.	गुजरात	1721.96	3227.20	2138.04	2388.83	769.90	10245.93
4.	हरियाणा	418.46	484.06	630.88	511.42	159.52	2204.34
5.	जम्मू व कश्मीर	595.28	690.47	391.82	815.45	90.14	2583.16
6.	कर्नाटक	2518.50	3532.44	2410.53	2545.15	404.30	11410.92
7.	मध्य प्रदेश	898.97	3981.92	2587.90	736.15	132.70	8337.64
8.	महाराष्ट्र	2963.74	4373.38	2526.83	2029.68	432.89	12326.52

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	उड़ीसा	1765.41	2196.78	762.63	481.32	149.70	5355.84
10.	राजस्थान	1548.50	2901.17	1497.73	3690.47	471.11	10108.98
11.	तमिलनाडु	1564.39	2263.21	978.08	2324.04	297.55	7427.27
12.	उत्तर प्रदेश	4493.40	4270.90	2444.28	1036.54	493.61	12738.73
13.	प० बंगाल	607.39	2133.64	1735.03	524.54	112.39	5112.99
	योग :	22816.28	39648.04	21676.75	21623.82	4425.86	110190.75

नोट* 1. अन्य — पशुपालन, कोश कीटपालन, बागबानी, मत्स्यपालन आदि ।

2. आंकड़े सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में नए शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना

10290. **श्री डा० महाबीपर्कासिंह शाक्य :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने नए शाखा डाक घर और उप-डाक घर खोलने का विचार है; और

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों में कितने शाखा डाक-घर और उप-डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) 1990-91 के दौरान एटा जिले में शाखा/उप-डाकघर खोलने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में एक-एक तथा अल्मोड़ा जिले में 2 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

क्षेत्रीय तनाव दूर करने के लिए "दक्षिण-दक्षिण सहयोग"

10291. **श्री राम दास सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय तनाव दूर करने के लिए "दक्षिण-दक्षिण सहयोग" बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार के विचार से "दक्षिण-दक्षिण सहयोग" में "सार्क" देशों को क्या भूमिका निभानी चाहिए; और

(ग) भारत ने इस सम्बन्ध में क्या पहल की है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) दक्षिण-दक्षिण सहयोग को संवर्धित करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में सरकार पूरा-पूरा हिस्सा ले रही है और उसे यह उम्मीद है कि इस प्रकार के सहयोग से क्षेत्रीय तनाव कम करने में योगदान मिलेगा ।

(ख) और (ग) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संवर्धित करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित एसोसिएशन, "सार्क" विकासशील देशों के बीच सहयोग के सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण मूर्त रूप है । उम्मीद है कि समय आने पर "सार्क" अपनी गतिविधियों को इस तरह विस्तार करेगा कि महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भी इस सहयोग की परिधि में आ जाएगा । भारत "सार्क" के अन्य सदस्य देशों के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय है ।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बारे में जांच

10292. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से हाल ही में यह मांग की गयी है कि वह उन परिस्थितियों की फिर से जांच करे, जिनमें जून, 1953 में कश्मीर की जेल में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की किसी मांग के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धान की खेती सम्बन्धी अनुसंधान

10293. **श्री के० एस० राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल विकास निदेशालय हैदराबाद का विचार-शीघ्र ही पूर्वी भारत में धान के खेतों में एकमुश्त उन्नत प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को कितने राज्यों में लागू किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) महोदय, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद पूर्वी भारत में प्रमुख बारानी चावल पारिस्थितिकियों में से प्रत्येक में आठ हैक्टेयर क्षेत्र में 125 प्रदर्शन आयोजित करना चाहता है।

(ग) इस कार्य का उद्देश्य उन्नत किस्मों और प्रबन्ध टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है।

(घ) इस कार्यक्रम के तहत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को लिए जाने की सम्भावना है।

"धारा" ब्राण्ड के खाद्य तेल की पैकिंग लागत

10294. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के "धारा" ब्राण्ड खाद्य तेल की प्रति लीटर पैकिंग लागत, कमीशन, भाड़ा और सेवा प्रभार यदि कोई है तो वह कितना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बेचे जा रहे धारा ब्रांड खाद्य तेल के प्रत्येक लीटर पर पैकिंग की लागत, कमीशन, भाड़ा और सेवा शुल्कों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	आयातित रेपसीड तेल प्रति लीटर	रिफाइण्ड मूंगफली का तेल प्रति लीटर
—सेवा शुल्कों सहित पैकिंग की लागत	3.86 रुपए	3.86 रुपए
—कमीशन (थोक और खुदरा)	1.85 रुपए	2.55 रुपए
—भाड़ा	0.75 रुपए	0.75 रुपए
कुल :	6.46 रुपए	7.16 रुपए

मौलाना आजाद स्मृति कोष के अन्तर्गत रायल्टी का एकत्रीकरण

10295. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना आजाद स्मृति कोष के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक कितनी राशि की रायल्टी एकत्रित की गई;

(ख) क्या निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित करने और इस कोष में से पुरस्कार वितरित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अभी तक कोई निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई है और पुरस्कार वितरित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 4,38,224.36 रुपए।

(ख) और (ग) मौलाना आजाद स्मारक निधि की स्थापना के लिए निर्धारित शर्तों में यह कहा गया था कि एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और पुरस्कारों का वितरण किया जाए। इस मामले की अनुमोदन के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सरकार से 1988 में प्राप्त सुझावों के आधार पर और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के शासी निकाय के अनुमोदन से निबन्ध प्रतियोगिता के लिए प्रक्रिया संहिता को अन्तिम रूप दिया गया था।

(घ) और (ङ) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने पहली मौलाना आजाद निबन्ध प्रतियोगिता 1989 में आयोजित की थी। हालांकि प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वालों के नामों की घोषणा की जा चुकी है लेकिन अभी पुरस्कार वितरण समारोह के लिए उचित अवसर के बारे में निर्णय लिया जाना है। दूसरी मौलाना आजाद निबन्ध प्रतियोगिता इस वर्ष आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा वाले देश

10296. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पद ग्रहण करने के समय से अब तक प्रधानमन्त्री ने किन-किन देशों की यात्रा की है;

(ख) उनका अगली तिमाही में किन-किन देशों की यात्रा करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उनकी पाकिस्तान या अन्य किसी एशियाई देश की निर्धारित यात्रा रद्द कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नमीबिया।

(ख) मलेशिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उदयपुर, राजस्थान में नया उर्वरक कारखाना

[हिन्दी]

10297. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर, राजस्थान में एक नया उर्वरक कारखाना लगाने का विचार है;

(ख) इस समय वर्तमान कारखानों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या उर्वरक उत्पादन में राजस्थान आत्मनिर्भर है, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राजस्थान में ही उर्वरक के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री उपलब्ध है ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं। फिलहाल उदयपुर, राजस्थान में नया उर्वरक कारखाना लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राजस्थान में, पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के दौरान उर्वरक संयंत्रों से उत्पादन नीचे दिया गया है :—

क्रम	राजस्थान में संयंत्रों के नाम	न्यूट्रियेन्ट्स	स्थापित क्षमता	उत्पादन 000 मी० टन		
				1987-88	1988-89	1989-90
1.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा	नाइट्रोजन	152.0	114.1	114.1	164.8
2.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०, खेतरी	पी2ओ5	30.0	9.0	12.0	12.9
3.	हिन्दुस्तान जिंक, उदयपुर	"	11.5	0.9	शून्य	शून्य
4.	भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, अलवर	"	10.6	6.0	7.3	11.3
5.	उदयपुर फास्फेट्स, उदयपुर	"	10.6	11.0	11.0	11.9
6.	फास्फेट इण्डिया, उदयपुर	"	7.0	5.5	4.2	शून्य
7.	सिंघवी पैस्टीसाइडस एण्ड फर्टिलाइजर्स, उदयपुर	"	6.4	4.1	3.5	0.3
8.	मधुवन कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर	"	6.4	2.4	1.8	0.8
9.	शरदी कलर कैमिकल्स प्रा० लि०, उदयपुर	"	1.2	—	0.4	0.2

(ग) राजस्थान, इस समय उर्वरकों के उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है और पड़ोसी राज्यों/आयातों से मामूली मात्रा में उपलब्ध करायी जाती है तथापि गडेपन में चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० के गैस पर आधारित एकक के पूरा हो जाने से राज्य की नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकतायें पूर्णतया पूरी कर ली जाएगी।

(घ) राजस्थान में, कुछ कच्चे माल जैसे रॉक फास्फेट और जिप्सम उपलब्ध है जिसका प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जा सकता है।

उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सड़क के लिए विश्व बैंक से सहायता

10298. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच सड़क के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है; और

(ग) उक्त सड़क किन-किन स्थानों से होकर जाएगी और इस परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में 17.68 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से उदयपुर-दबोक-चित्तौड़गढ़ मार्ग (113 कि० मी०) का सुधार कार्य हाथ में लिया गया है। सिविल निर्माण कार्यों के लिए लागत की 60% राशि की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में की जाएगी। कार्य निष्पादन के लिए आगे कार्रवाई करना राज्य लोक निर्माण विभाग का काम है। तथापि, वास्तविक निष्पादन अभी शुरू होना है। काम को अक्तूबर, 1992 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि फार्म

[अनुवाद]

10299. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का उन विभिन्न कृषि फार्मों के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है, जो घाटा उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग अपने नियंत्रण के अधीन कृषि फार्मों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करता है। इन फार्मों का आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता तथा सहयोग दिया जा रहा है। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

कृषि फार्मों में हुए नुकसान से सम्बन्धित विवरण

1. सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि तथा विशेष रूप से बागान फसलों के मामले में सिंचाई, जैसे ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पर उन्नत विधियों का उपयोग ।

2. फसली पद्धति में परिवर्तन लाना तथा विशेष रूप से जहां सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां पर अधिक लाभकारी फसलों को शुरू करना ।

3. जहां पर सिंचाई के स्रोत अपर्याप्त हैं, वहां बागान फसलों को शुरू करना/विस्तार करना ।

4. सिंचाई दक्षता तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए भूमि विकास शुरू करना ।

5. मत्स्य पालन, सूअर पालन तथा भेड़ पालन सहित कार्यकलापों में विविधता लाना, ताकि उपलब्ध संसाधनों का उत्तम उपयोग किया जा सके ।

6. कीट-नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा उसके द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कृषि रसायनों का उपयोग ।

7. नवीनतम तकनोलॉजी और जानकारी के उपयोग में, क्षेत्रीय स्टाफ को प्रशिक्षण देना ।

8. विपणन नेटवर्क का विस्तार ।

केरल में "मत्स्य फेड" परियोजना

10300. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद (एन० सी० डी० सी०) को केरल सरकार से "मत्स्य फेड" का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केरल की राज्य सरकार के अनुरोध पर कन्नानौर, एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम नामक परियोजना में शामिल जिलों में आरम्भिक रूप से स्वीकृत 15 जिलों के अतिरिक्त 17 और गांवों को चरण-I के परियोजना क्षेत्र में पहले ही शामिल कर लिया है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम निम्नलिखित के लिए भी सहमत हो गया है : (1) मूल जिला कन्नानौर के पुनर्गठन से बने जिला कासरगौड को शामिल करने के लिए परियोजना क्षेत्र में वृद्धि करना और (2) समेकित परियोजनाओं का विस्तार करना ताकि ऐसे और गैर-परियोजना वाले गांवों को शामिल किया जा सके जो प्राथमिक समुद्री मात्स्यिकी सहकारी समितियों की परियोजना के सदस्य हों ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पहाड़ी भूमि का आबंटन

10301. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालोनी बनाने की योजना की शर्तों के अनुसार अंडमान और निकोबार प्रशासन से पहाड़ी भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें भूमि आवंटित की जानी है; और

(ग) उन्हें कब तक भूमि आवंटित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान तथा मुख्य भूमि के बीच यात्री नौवहन सेवा

10302. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त संख्या में यात्री के जहाजों के अभाव में अंडमान तथा मुख्यभूमि के बीच यात्री सेवा बुरी तरह से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो जहाजों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेष कर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यात्री सेवा प्रदान करने के लिए तत्काल कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कलकत्ता में फारवर्ड सीमेन यूनियन द्वारा चार्टर्ड पोत नजाद दो तथा तीन की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जहाज उपलब्ध न होने के कारण समुद्री यात्रा समय सारणियों में कुछ व्यवधान पड़ा है । चार जहाजों अर्थात् एम० वी० अकबर, एम० वी० हर्षवर्धन, एम० वी० एम० ए० जे० डी-II और एम० वी० एन० ए० जे० डी-III में से एम० वी० अकबर जहाज की रक्षा मंत्रालय और हज तीर्थ यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए भेज दिए जाने के कारण यह मई, 1987 से मुख्य भूमि—अंडमान क्षेत्र पर प्रचालन के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है । फरवरी, 90 तक तीन अन्य जहाज प्रचालन के लिए उपलब्ध थे । लेकिन फरवरी, 90 में एम० वी० हर्षवर्धन जहाज को इस क्षेत्र से भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए हटा लिया गया । हालांकि इस जहाज को नौसेना द्वारा 26-3-90 को मुक्त कर दिया गया था लेकिन जहाज का इस समय सांविधिक वार्षिक यात्री सर्वेक्षण/ड्राई डाकिंग हो रहा है । इस प्रकार फरवरी, 90 से केवल दो चार्टिड जहाज एम. वी. एन. ए. जे. डी-II और एम. वी. एन. ए. जे. डी-III मुख्य भूमि—अंडमान सेवा में प्रचालित किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) जहाज एम. वी. हर्षवर्धन के, मुख्यभूमि—अंडमान सेवा में प्रचालन के लिए, मई, 90 के अन्त से उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है । जहाज एन. ए. जे. डी-II को अब वार्षिक यात्री

(ग) अब कैम्पों में कितने शरणार्थी रह रहे हैं और उन्हें रहने की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उड़ीसा के जिला कोरापुट में मल्कानगिरी शिविरों में ठहराए गए श्रीलंका के 1614 शरणार्थियों में से 985 शरणार्थी शिविर छोड़कर चले गए हैं। शरणार्थियों द्वारा शिविर छोड़ने के मुख्य कारण, क्षेत्र में व्याप्त अधिक तापमान का होना, क्षेत्र में तमिल बोलने वाले लोगों का कम संख्या में होना, जिसके कारण शरणार्थियों में अकेलेपन की भावना पैदा हुई है और अलग-अलग आकर तमिलनाडु में रह रहे उनके रिश्तेदार और मित्रों से मिलने की इच्छा शामिल है।

(ग) इस समय शिविरों में 629 शरणार्थी रह गए हैं। उड़ीसा सरकार से शिविरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

10308. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा दी जा रही धनराशि के बदले विश्व बैंक को प्रति वर्ष कितना वचनबद्धता प्रभार दिया जाता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दनकुनी से पालसित तक दुर्गापुर एक्सप्रेस वेयर में सभी कंट्रेक्ट पैकेजों पर प्रगति ठेकेदारों के असन्तोषजनक कार्य निष्पादन के कारण धीमी है।

(ग) कुल छः पेकेजों में से तीन के ठेकों को समाप्त कर दिया गया है और नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शेष पैकेजों के लिये स्थिति में सुधार लाने हेतु उचित स्तरों पर प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है।

(घ) इस ऋण के अन्तर्गत, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे सहित, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक को 1986-87 से 1989-90 तक अदा किए गए वचनबद्धता प्रभार इस प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (रु०)
1	2
1986-87	2,23,82,171.62

1	2
1987-88	1,88,33,898.91
1988-89	1,86,75,146.00
1989-90	1,45,45,427.00
जोड़ :	7,44,36,643.53

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

10309. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) विदेशी छात्रों के लिए "भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सूचना-पत्र" के प्रकाशन को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या छात्रों ने इस परिषद् की छात्र विंग के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विदेशी छात्रों को जो सुविधाएं प्रदान करती है, उनमें शामिल है : यहां पहुंचने पर नवागंतुक विदेशी छात्रों की अगवानी, ग्रीष्म शिविरों का आयोजन, अध्ययन यात्राएं, सामाजिक मिलनगोष्ठियां, अभिविन्यास पाठ्यक्रम और यथावश्यक अन्य कल्याणकारी कार्य। परिषद् विभिन्न देशों के छात्रों को भारत की प्रतिष्ठित संस्थाओं में भारतीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए छात्रवृत्तियां भी देती है।

(ख) इसके स्तर को अद्यतन बनाने और सुधारने के उद्देश्य से इस प्रकाशन में संशोधन करने का निश्चय किया गया था। इसकी समीक्षा की जा रही है।

(ग) विदेशी छात्रों के लिए आयोजित कतिपय कार्य-कलापों में विशिष्ट मदों के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(घ) प्रत्येक शिकायत के मामले में जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल

10310. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने वर्ष 1982-83 से 1987-88 के दौरान अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में कितने शिष्टमंडल भेजे थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अफ्रीका तथा अन्य विकासशील पड़ोसी देशों में कितने शिष्टमंडल भेजे गये;

(ग) इन शिष्टमंडलों को विदेश भेजने का प्रयोजन क्या था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान परिषद् के महानिदेशक तथा उप-महानिदेशक ने किन-किन देशों की यात्राएं की हैं और इन यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

अमोनिया और फास्फोरिक एसिड का आयात

10311. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उद्योग के लिए आयात किये गये तरल अमोनिया और फास्फोरिक एसिड जैसे कच्चे माल की मात्रा कितनी है;

(ख) यह कच्चा माल किन-किन देशों/सप्लायरों से आयात किया गया है;

(ग) इनके आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(घ) इन कच्चे मालों का निर्माण देश में करने के लिए कितने निर्माताओं को लाईसेंस दिए गए हैं; और

(ङ) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न हैं ।

(घ) मर्चेंट फास्फोरिक एसिड अथवा मर्चेंट अमोनिया का उत्पादन करने के लिए किसी भी स्वदेशी निर्माता को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ङ) सरकार फोस्फोरिक एसिड की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैप्टिव फासफोरिक एसिड का उत्पादन, विद्यमान संयंत्रों की डिबोटलमैकिम तथा विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है । जहां तक अमोनिया का संबंध है, स्वदेशी रूप से उत्पादित अमोनिया की लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (लागत और भाड़ा) से कम है और इसके आयात में कोई गम्भीर कठिनाईयां नहीं हैं ।

विवरण-1

गत तीन वर्षों (1987, 1988 और 1989) के दौरान फोस्फोरिक एसिड (पी2ओ5) के आयात के आपूर्तिकर्त्ताबार ब्यौरे

(मात्रा "000 मि० टन पी2ओ5)
(मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर)

वर्ष	ओसीपी		आईसीएम/एसआईएपीई		आईसीएस		एफईएसए		फोसकैम/अन्य		योग	
	मात्रा	मूल्या	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रथम सत्र 1987	326.4	106.1	49.3	16.0	80.2	26.1	26.4	8.6	73.8	24.0	556.1	180.7
द्वितीय सत्र 1987	51.9	18.2	39.8	13.9	82.5	28.9	18.0	6.3	85.3	29.9	277.5	97.1
प्रथम सत्र 1988	410,5	158.0	103.1	39.7	61.4	23.6	21.1	8.1	110.9	42.7	707.0	272.2
द्वितीय सत्र 1988	520.8	221.6	143.6	61.1	82.0	34.9	19.7	8.4	143.0	60.8	909.1	386.8
प्रथम सत्र 1989	0.0	0.0	18.2	7.9	92.2	39.8	8.7	3.8	64.1	27.7	183.2	79.1
द्वितीय सत्र 1989	0.0	0.0	196.1	84.7	74.7	32.3	27.2	11.8	201.8	87.2	499.8	216.0
	199.6	82.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.6	82.1

विवरण-2

(मात्रा मि० टन)
(मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर में)

वर्ष	पीआईसी कुवैत		एन हाइड्रो कतार		फुटाइल आबुदाबी		मितसुई		मितसूबसी	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रथम सत्र 1987	95893.0	11.219	40001.0	4.620	22489.0	2.597	—	—	10608.0	1.225
			30010.0	3.976	12512.0	1.658				
द्वितीय सत्र 1987	—	—	—	—	27234.0	4.153	23502.0	3.337	15131.0	2.149
प्रथम सत्र 1988	84696.0	11.010	31440.0	4.087	10503.0	1.365	22010.0	2.861	—	—
			12011.0	1.573	11039.0	1.446				
द्वितीय सत्र 1988	73680.0	10.168	49128.0	6.780	28077.0	3.959	27600.0	3.808	—	—
प्रथम सत्र 1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
द्वितीय सत्र 1989	80490.0	7.083	—	—	—	—	—	—	—	—

वर्ष	यूएसएसआर		साबिक एसएं		रेन्डस		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रथम सत्र 1987	—	—	—	—	—	—	211513.0	25.295
द्वितीय सत्र 1987	168736.0	24.973	11380.0	1.616	—	—	245983.0	36.228
प्रथम सत्र 1988	105372.0	14.225	80726.0	10.494	—	—	357797.0	47.061
द्वितीय सत्र 1988	78854.0	11.239	111413.0	15.375	—	—	368752.0	51.329
प्रथम सत्र 1989	46617.0	7.691	—	—	—	—	46617.0	7.691
द्वितीय सत्र 1989	—	—	59231.0	5.331	34987.0	3.285	174708.0	15.699

सिक्का/टोकन टाइप के एस० टी० डी० पे फोन के लिए जापान की तामुरा कम्पनी से सहयोग

10312. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्का/टोकन टाइप के एस० टी० डी० पे फोन के लिए दूरसंचार विभाग (डी० ओ० टी०) द्वारा जापान की तामुरा कम्पनी से किए गए सहयोग समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने उपकरण स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत भुगतान (पे) फोन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) ऐसे एस० टी० डी० पे फोन के एक नग (यूनिट) पर औसत अनुमानित खर्च कितना आएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार विभाग और मैसर्स तामुरा के बीच 3 सितंबर, 1987 को बंबई स्थित एक विभागीय दूरसंचार फैक्ट्री में एस० टी० डी० सिक्का/टोकन पे-फोन के विनिर्माण की सुविधा स्थापित करने के लिए एक सहयोग करार लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार का कार्य क्षेत्र हाल ही में अप्रैल, 1990 में विस्तृत किया गया है जिसमें अतिरिक्त प्रभार के बिना मैगनेटिक कार्ड पे-फोनों की तकनीक का अंतरण करना भी शामिल है। करार के मुख्य ब्यौरे इस प्रकार हैं—

(i) सिक्का/टोकन एस० टी० डी० पे-फोन-3000 प्रति वर्ष

(ii) मैगनेटिक कार्ड एस० टी० डी० पे-फोन-3000 प्रति वर्ष

(ख) मुख्य निवेश :

(i) तकनीकी जानकारी शुल्क	60 मिलियन येन
(ii) संयंत्र और मशीनरी तथा जिग्स और फिक्सचर	53.2 मिलियन येन
(iii) पर्यवेक्षण तथा संस्थापना	4.5 मिलियन येन
(iv) भारत में प्रशिक्षण	1.4 मिलियन येन
(v) जापान में प्रशिक्षण	निःशुल्क
	119.1 मिलियन येन

(ख) तामुरा सिक्का/टोकन और कार्ड टाइप के एस० टी० डी० फोनों की 20000 मदें विनिर्मित/संस्थापित किए जाने की योजना है।

(ग) सिक्के के किस्म के एस० टी० डी० पे-फोन ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी होंगे और इनकी संस्थापना मांग के आधार पर की जायेंगी।

(घ) 32000/- रुपए।

केन्द्रीय तारघर/मण्डल तारघर के परिसरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

10313. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओमनिटेल" एक गैर-सरकारी कम्पनी के केन्द्रीय तारघर/मण्डल तारघर, नई दिल्ली के परिसरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/बूथ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार सेवा का गैर-सरकारीकरण करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका गैर-सरकारीकरण किये जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) निजी एजेंसियों को सार्वजनिक पे-फोन का प्रचालन करने की अनुमति देने की स्कीम से दूरसंचार सेवाओं का निजीकरण नहीं होता है। यह नीति इस दृष्टि से बनाई गई है कि सार्वजनिक टेलीफोन तक जनता की, विशेषकर उनकी जिनके पास टेलीफोन नहीं है, अभिगम्यता बढ़ाई जाए।

(ग) और (घ) इस स्कीम के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स् इंडिया लिमिटेड द्वारा अनियमित भुगतान करना

10314 **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने टेलीकम्यूनीकेशन्स कन्सल्टेंट्स् इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये विभिन्न अनियमित भुगतानों की ओर इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में टेलीकम्यूनीकेशन्स कन्सल्टैन्ट्स् इंडिया लिमिटेड को सौंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसे विभागीय तौर पर पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीकम्यूनीकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा देश में गत तीन वर्षों के दौरान किये गये कार्यों तथा वर्ष 1990-91 के दौरान किये जाने वाले सम्भावित कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

धारा तेल को टेट्रापैक में पैकिंग

10315. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा धारा तेल, दूध और शीतल पेय को आयातित मशीन द्वारा टेट्रापैक में पैक किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मदवार "लेमिनेडिड पेपर" संबंधी और पैकेजिंग

मशीन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को रायल्टी के रूप में कितनी दुर्लभ विदेशी मुद्रा अदा की गई;

(ग) क्या टेट्रापैक संयंत्र के लिए एल० डी० पी० ई० और कागज की कुछ मात्रा भी आयात की गई है और यदि हां, तो इस परियोजना के आरम्भ से आयात की गई मात्रा, और उस पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने टेट्रापैक सहित "आपरेशन फ्लड" के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा में टेट्रापैक मशीनों के आयात में किया गया व्यय 1910.31 लाख रुपये है। वर्ष 1988-89 तक पेपर लेमिनेटिंग संयंत्र के आयात पर किया गया कुल व्यय 308.92 लाख रुपये है। सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग करार की शर्तों के आधार पर मै० टेट्रापैक इंटरनेशनल को 1988-89 के दौरान 6.5 लाख रु० के समतुल्य की विदेशी मुद्रा को एकल समय रायल्टी की अदायगी की गई थी।

(ग) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः 71,79,162/- रु० मूल्य का 600 मी० टन एल० डी० पी० ई० तथा 87,73,468/- रु० मूल्य का 400 मी० टन एल० डी० पी० ई० का आयात किया गया था। पेपर लेमिनेटिंग संयंत्र के लिए कोई कागज आयात नहीं किया गया था। तथापि, जुलाई, 1988 से जुलाई, 1989 के बीच, खाद्य तेलों के टेट्रापैकों में विपणन की आरम्भिक अवधि के दौरान, 55.46 लाख रुपये की लागत का लेमिनेटिड पेपर का आयात किया गया था।

(घ) और (ङ) परियोजना में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए आपरेशन फ्लड के चरण II के अंतर्गत विश्व बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई थी तथा चरण III के अंतर्गत 360 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता का प्रावधान है।

असम में अलगाववादियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर

10316. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि अलगाववादी तत्व असम के कुछ स्थानों में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं;

(ख) क्या इन अलगाववादी तत्वों से कुछ चीनी हथियार भी बरामद किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : असम के बारपेटा, दारंग, लखीमपुर,

डिबरूगढ़, गोलाघाट, गोलपाड़ा, मोरीगांव, सोनितपुर, जोरहाट और तिनसुकिया जिलों में अलगाववादी तत्वों द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाए जाने की सूचनाएं है।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारें आपस में नजदीकी सम्पर्क बनाए हुए है। असम सरकार को उल्फा की अलगाववादी हिंसक गतिविधियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने इन तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए एक "एक्शन प्लान" तैयार किया है। इस योजना में गिरफ्तारी करना, छानबीन करना, छापे मारना, जब्ती, सड़क पर जांच-पड़ताल करना, गश्त लगाना, हथियारों को जब्त करना, इत्यादि जैसे पुलिस कार्रवाइयों को बढ़ाना शामिल है। राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए गए है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का लगाया जाना

10317. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्वनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अपने निवेश योग्य संसाधनों का पचास प्रतिशत खर्च करने के प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या विशेष कार्यक्रम है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रो के त्वरित उद्योगीकरण के लिए उद्योगविहीन जिले के पुरातन स्पष्टीकरण के स्थान पर उद्योगविहीन पंचायत यूनियन प्रतिस्थापित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के अलावा कृषि उत्पादों के मूल्यों मे स्थिरता लाने के लिए प्रत्येक पंचायत यूनियन में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की नीति बनाने का भी है और यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि के विकास के लिए सरकार, विभिन्न अभिवृद्धि कार्यक्रमों जैसे विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना, वर्षासिंचित खेती के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम आदि का कार्यान्वयन कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने बहुत सी योजनाएं शुरू की है जैसे ग्रामीण जल सप्लाई तथा स्वच्छता, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण गोदामों को राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण, कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाना आदि।

(ख) उद्योगविहीन जिले के स्थान पर उद्योगविहीन पंचायत यूनियन प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) फार्म उत्पादों के मूल्यों में स्थिरता लाने तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की सरकार की एक दृढ़ नीति है। सरकार कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है।

कीटनाशकों सम्बन्धी ठक्कर समिति (1964) की रिपोर्ट में सूचना को अद्यतन बनाना

10318. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू जानवरों, मछलियों, लाभकारी कीटों और वन्य जीवों पर कीटनाशक विषक्तता के प्रभाव की घटनाओं के सम्बन्ध में कीटनाशक सम्बन्धी ठक्कर समिति (1964) की रिपोर्ट की जानकारी को अद्यतन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के मुख्यालय को नई दिल्ली से स्थानान्तरित करना

10319. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के मुख्यालय को नई दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) मार्च, 1990 में सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लि० का वह प्रस्ताव मान लिया था जो उनके निगमित कार्यालय को नई दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने के बारे में था। यह महसूस किया गया कि यदि निगमित कार्यालय इसके उत्पादन एकक के समीप स्थित होता है तो इससे अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हो सकेगा। स्थानान्तरण स्थापना की लागत में मितव्ययता तथा नई दिल्ली में भीड़ से बचने की दृष्टि से भी यह उचित समझा गया। निगमित कार्यालय को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था पहले ही की जा रही है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम की समीक्षा

10320. **श्री अरविन्द नेताम** :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान कानून की अपर्याप्तता और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग करने की विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधि-नियम, 1976 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार विदेशी धन का दुरुपयोग करने वाले संगठनों पर क्या प्रभावी नियंत्रण लगा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश करते समय ब्यौरे दिए जाएंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा फास्फोरिक एसिड का आयात

[हिन्दी]

10321. श्री राघवजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्फोरिक एसिड का आयात 1989 में उनके मंत्रालय द्वारा किया गया था जबकि उसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके मंत्रालय द्वारा फास्फोरिक एसिड आयात किये जाने के क्या कारण थे जबकि इसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया था;

(ग) फास्फोरिक एसिड को किस दर पर आयात किया गया तथा उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रचलित दरें क्या थीं; और

(घ) इस सौदे से राजकोष को कितनी हानि हुई ?

उप-प्रधानमन्त्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) को 6-10-89 को फास्फोरिक एसिड (और अमोनिया के लिए भी) के आयात के लिए सरणीबद्ध एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया है ।

तथापि मोरक्को के मैसर्स ओ० सी० पी०, जो फास्फोरिक एसिड के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, ने लगभग 160 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 275 करोड़ रुपये) की क्षति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में दावा दायर किया है जो इस तर्क पर दायर किया गया है कि उर्वरक विभाग द्वारा गठित मूल्य वार्ता सम्बन्धी उपसमिति के साथ 1989 के प्रथम सत्र के लिए पहले तय किये गए मूल्यों को लागू नहीं किया गया है । राज्य व्यापार निगम से वार्ता में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया था परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इसलिए उर्वरक विभाग और इफ्को के प्रतिनिधियों ने ओ० सी० पी० मोरक्को से वार्ता की । करार की शर्तों के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया था कि 1989-90 के दौरान ओ० सी० पी० मोरक्को से 3 लाख टन फास्फोरिक एसिड की खरीद की जाएगी और वे (ओ० सी० पी० मोरक्को) क्षति सम्बन्धी अपने दावे को वापस ले लेंगे ।

(ग) ओ० सी० पी० मोरक्को के साथ तय किया गया मूल्य 411.50 अमेरिकी डालर प्रति

टन पी2 ओ5 (सी एण्ड एफ) था। वार्ताओं के समय "ग्रीन मार्के में (6-11-89) सूचित अंतराष्ट्रीय मूल्य उत्तरी अफ्रीका के लिए 415-425 अमेरिकी डालर पी2 ओ5 (एफ० ओ० बी०) के बीच थे।

(घ) 1989-90 के दौरान फास्फोरिक एसिड की खरीद की केन्द्रीय जांच ब्यूरो न्याययुक्त जांच कर रहा है जांच पूर्ण होने के बाद ही मामले के तथ्य पता चलेंगे।

भारतीय सीमाओं की लम्बाई

10322. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय सीमाओं की लम्बाई क्या थी और इन सीमाओं की वर्तमान लम्बाई क्या है; और

(ख) क्या भारतीय सीमाओं की लम्बाई कम हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय भू-सीमा की लम्बाई अनुमानत: 16,147 कि० मी० थी और इस समय इन सीमाओं की लम्बाई अनुमानत: 15,361 कि० मी० है।

(ख) जी, हां। इसके कारण हैं :—

1. पहले की फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों का भारत संघ में विलय; और

2. भारत-पाक पश्चिमी सीमा वाद अधिकरण निर्णय (कच्छ निर्णय) का कार्यान्वयन।

जासूसी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

10323. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जासूसी करने और देश की रक्षा में संबंधित दस्तावेजों को विदेश भेजने के कार्य में लिप्त अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

कर्नाटक में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

[अनुवाद]

10324. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा वर्ष 1989 और मार्च, 1990 के अन्त तक कर्नाटक में कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ख) वे स्थान कौन से हैं जहां ये कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ग) उन कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या भा० सा० सं० प० ने कर्नाटक के हसन जिले में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने 1989 के दौरान तथा मार्च, 1990 के अन्त तक कर्नाटक में कुल मिलाकर 76 कार्यक्रम आयोजित किए।

(ख) बंगलौर और मैसूर।

(ग) 6,01,664.29 रुपए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ

[हिन्दी]

10325. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार से अवैध घुसपैठ के कारण राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान करने एवं घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सूचनाएं एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा

[अनुवाद]

10326. श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
श्रीमती वासव राजेश्वरी :
श्री आर० एम० राकेश :
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
श्री कल्पनाथ राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला और दोनों देशों के बीच यदि कोई समझौते हुए हैं, तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां । जापान के प्रधानमन्त्री श्री तोशिकी काईफू ने 29 अप्रैल से 1 मई 1990 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) प्रधानमन्त्री तथा अतिथि जापानी प्रधानमन्त्री के बीच सम्पन्न आधिकारिक स्तर की बातचीत में अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मसलों पर तथा आपसी हित के क्षेत्रीय मसलों पर द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास के सम्बन्ध में विचार-विनिमय हुआ था।

जापान ने भारत को आधिकारिक विकास सहायता में वृद्धि करने की अपनी मन्शा का संकेत दिया । सांस्कृतिक परम्परा के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए तथा दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर शैक्षिक, बौद्धिक तथा अन्य प्रकार के आदान-प्रदान के उद्देश्य से नई-नई दिशा में पहल के सुझाव भी दिए गए ।

भारतीय पक्ष ने अपने पड़ौसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने के उद्देश्य से किए जाने वाले अपने प्रयासों की रूप-रेखा बताई । शान्ति के प्रति भारत की वचनबद्धता की प्रशंसा करते हुए जापान के प्रधानमन्त्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वे कश्मीर के मामले को शिमला समझौते के भाव और भाषा के अनुरूप तय करें ।

यह बातचीत हार्दिकता और सौहार्द के वातावरण में हुई । यात्रा के सफल निष्कर्ष पर दोनों पक्ष सन्तुष्ट हैं ।

इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए ।

साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण के लिए मार्गनिर्देश

10327. श्रीमती वासव राजेश्वरी :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री जी० एस० वासवराज :
श्री रामेश्वर प्रसाद :
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को हाल ही में साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण रखने सम्बन्धी कुछ नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नए मार्गनिर्देशों में विशेष अदालतों की स्थापना को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये अदालतें अब तक किन-किन राज्यों में स्थापित की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्पक्ष सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की तैनाती आसूचना एकत्र करने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामलों के तुरन्त निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करना, पुलिस और प्रैस की भूमिका पर विचार करना शमिल है।

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में जब्त किए गए हथियार

10328. श्रीमती वासव राजेश्वरी :
श्री जी० एस० वासवराज :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 के अन्तिम सप्ताह के दौरान पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने हथियार जब्त किए गए थे;

(ग) क्या ये हथियार विदेश निर्मित थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित देशों से इस मामले पर बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सम्बन्धित अवधि के दौरान पंजाब में दो अलग-अलग स्थलों पर तथा जम्मू और कश्मीर में आर० एस० पुरा सैक्टर में, विदेशों में निर्मित शस्त्रों सहित, बड़ी मात्रा में निम्नलिखित शस्त्र बरामद किए गए :—

1. ए० के०-47 राईफल	10
2. ए० के०- 74 राईफल	13
3. जी० पी० एम० जी०	1
4. मैगजीन्स (एके-47)	37
5. ड्रम मैगजीन्स	6
6. कारतूस (एके-47)	4790

7.	आसल्ट राईफल-7 एम० एम०-1	1
8.	हथगोले	6
9.	डेटोनेटरस	26
10.	इलेक्ट्रिक डेटोनेटरस	20
11.	पेंसिल बम	10
12.	फ्यूज वायर	5
13.	बिस्फोटक तार	17
14.	पिस्तौल	2
15.	राईफल मैगजीन्स	40
16.	पिस्तोल मैगजीन्स	4
17.	राईफल कारतूस	3250
18.	पिस्तोल की गोलियां	228
19.	सैफ्टी फ्यूज	15
20.	कोरडेक्स	17
21.	बिस्फोटक सामग्री	40 (20 कि. ग्रा.)
22.	राईफल के चेंजर क्लिप्स	169

(घ) और (ङ) पाकिस्तान सरकार के साथ मामले को अनेक अवसरों पर उठाने के अतिरिक्त भारत-पाक सीमा पर कई उपाय किए गए हैं जैसे प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों द्वारा गहन गश्त लगाना, घुसपैठ विरोधी उपाय जैसे कि सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाईट लगाना, सीमा सुरक्षा बल के लिए अधिक निगरानी चौकियों/बुर्जों का निर्माण करना तथा घुसपैठियों का पता लगाने और सीमा पार से शस्त्रों और गोलाबारूद की तस्करी रोकने के लिए नाईट विजन डिवाईस उपलब्ध कराने जैसे उपाय शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मौलेखाल और डेबाट में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

10329. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मौलेखाल और डेबाट में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंजों की स्थापना कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलेश्वर मिश्र) : (क) मौलेखाल में टेलीफोन एक्सचेंज

स्थापित करने के बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं। डेबाट में 25 लाइनों वाला एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है।

(ख) मौलेखाल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 7 आवेदकों ने आवेदन किया है लेकिन उनमें से किसी ने भी निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई है। कम से कम 10 आवेदकों से जमा राशि प्राप्त हो जाने के बाद ही एक्सचेंज खोला जाएगा।

महा डाकपाल, बंगलौर द्वारा नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएं रद्द करना

[अनुवाद]

10330. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा डाकपाल, बंगलौर द्वारा नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएं रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नैमित्तिक मजदूरों को स्वीकृत पदों की एवज में काम पर रखा गया था;

(ग) इन नैमित्तिक मजदूरों ने कितनी-कितनी अवधि तक सेवा की थी;

(घ) क्या विभाग ने महा डाकपाल बंगलौर को विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने नियमित पोस्टमैनों के स्थान पर पिछले 7-8 वर्षों से अल्पकालिक लीव वेकेंसी पर कार्य कर रहे 15 व्यक्तियों को सेवामुक्त कर दिया था।

(घ) और (ङ) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को इन व्यक्तियों के नाम कार्यालय फेहरिस्त में बनाए रखने और उनकी बारी आने पर उन्हें ग्रुप "घ" पदों पर खपाने के निदेश दिए गए हैं बशर्ते कि पद उपलब्ध हों और मौजूदा नियमों के अनुसार वे उक्त पदों के लिए उपयुक्त हों।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप में गोलाबारी

10331. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान लक्षद्वीप के आन्ड्रोथ द्वीप में हाल में हुई गोलाबारी की घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) अभी हाल ही में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करना

10332. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय को कब लागू किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनिवार्य जिंस अधिनियम, 1955 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में फालतू कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

10333. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने-कितने कर्मचारी फालतू घोषित कर दिए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन फालतू कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर सिंह) : (क)

(i) समूह "क"—शून्य

(ii) समूह "ख"—शून्य

(iii) समूह "ग"—122

(iv) समूह "घ"—142

(ख) सरप्लस कर्मचारियों के वर्तमान मार्ग-निर्देशों के अनुसार दिल्ली में खोले जा रहे दूरसंचार केन्द्रों और उन अन्य भर्ती यूनिटों में रुपया जाएगा जहां रिक्त स्थान उपलब्ध हैं।

बनासकंठा जिले के गांवों को जल आपूर्ति का प्रस्ताव

[अनुवाद]

10334. श्री शंकरसिंह वघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए बनासकंठा जिले के गांवों को जल आपूर्ति की योजना का कोई प्रस्ताव उसे भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई सभी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।

नर्मदा नदी से सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पेयजल की सप्लाई

10335. श्री शंकरसिंह वघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी से पाइपलाइन के जरिए सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पेयजल की सप्लाई हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे देगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य सरकार को अपना निर्णय सूचित करने की सम्भावना है ।

पंजाब के संवेदनशील क्षेत्रों में सेना तैनात करना

10336. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सेना को तैनात करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का आतंकवादियों और अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को पकड़ने में अर्ध सैन्य

बलों की सहायता के लिए भारत-पाक सीमा पर स्थित कस्बों और गांवों में भूतपूर्व सैनिकों वाली राष्ट्रीय सेना को भी तैनात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सरकार का उल्लिखित क्षेत्रों में सेना की तैनाती करने की कोई योजना नहीं हैं। "राष्ट्रीय सेना" नामक कोई बल नहीं है और इस प्रकार के बल की तैनाती का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश के गांवों में पेयजल आपूर्ति

[हिन्दी]

10337. **डा० बंगाली सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न गांवों और नगरों में पेयजल आपूर्ति और पर्यावरणिक सुधार से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न गांवों और कस्बों में पेयजल सप्लाई तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए एक समन्वित परियोजना हेतु विश्व बैंक की सदस्यता के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। विश्व बैंक मिशन, जिसने राज्य का दौरा किया, ने इस प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। राज्य सरकार से एक संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जेलों में बन्द संसद सदस्यों की संख्या

10338. **डा० बंगाली सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे संसद सदस्यों की संख्या क्या है, जो इस समय जेलों में बन्द हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल एक संसद सदस्य जेल में है।

राष्ट्रीय कृषि नीति

[अनुवाद]

10339. **श्री इरा अग्गारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि नीति के दोहरे उद्देश्यों का अभिप्राय: खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि आय में वृद्धि करना है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्देश्यों की किस सीमा तक पूर्ति हुई है; और

(ग) यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश मौसम की सामान्य स्थितियों में खाद्यान्न उत्पादन में वास्तव में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सका है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 के 50.8 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1988-89 में 170.25 मिलियन मीटरी टन हो गया है ।

इसी अवधि के दौरान खेती से होने वाली आय में भी काफी वृद्धि हुई है । वानिकी, "लागिंग", मात्स्यिकी आदि सहित कृषि क्षेत्र से सकल स्वदेशी उत्पाद (1980-81 के मूल्यों पर) 1950-51 के 242 बिलियन रुपए से बढ़कर 1988-89 में 656 बिलियन रुपए हो गया है ।

गेहूं का उत्पादन

10340. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 में गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को गेहूं के बदले कोई वैकल्पिक फसल सुझाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान गेहूं का उत्पादन 54 मिलियन मीटरी टन था । 1989-90 के दौरान इसके करीब 53 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है ।

(ख) और (ग) किसानों को सलाह दी जा रही है/प्रेरित किया जा रहा है कि कम उत्पादकता वाले गेहूं के क्षेत्रों में अन्य फसलें खासकर दालें और तिलहन उगाएं।

कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा

10341. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय कृषि कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने क्या कार्य-वाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न बैठकों तथा सम्मेलनों में

योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की गई है। राज्य सरकारों से समय-समय पर योजनाओं के तुरन्त तथा कारगर कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है, ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। हाल ही में, 10, 11 तथा 12 अप्रैल, 1990 को खरीफ अभियान 1990 के लिए एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के कृषि मन्त्रियों, राज्य के कृषि सचिवों तथा राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्तों ने भाग लिया था और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के मूल्यों में अन्तर

10342. **श्री इरा अन्नारासु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित और स्वदेशी उर्वरकों के मूल्यों में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी उत्पादन की अपेक्षा आयात पर अधिक निर्भर रहने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सांविधिक रूप से नियमित अधिकतम उपभोक्ता मूल्यों जिन पर आयातित तथा स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक किसानों को बेचे जा सकते हैं, में कोई अन्तर नहीं है जैसाकि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमानित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है।

प्रदूषण मापक उपकरण

10343. **श्री एम० एम० पल्लम राजू :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उपकरणों की कमी को कैसे पूरा करने का विचार है;

(ग) कितने उपकरणों का आयात करने का विचार है और कब तक;

(घ) क्या इनमें से कोई उपकरण देश में बनाए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूबैया सईद का अपहरण

[हिन्दी]

10344. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूबैया सईद के अपहरण के मामले के बारे में हाल ही में कुछ और तथ्य सामने आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि डा० रूबैया सईद के अपहरण में लगभग 15 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे । छह दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, एक मुख्य षड्यंत्रकारी की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रच्छन्न गतिविधियां

[अनुवाद]

10345. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जासूसी किए जाने और उनकी प्रच्छन्न गतिविधियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में एक हजार से अधिक लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज

10346. श्री ए० चार्ल्स : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने टेलीफोन एक्सचेंज ऐसे हैं जिनकी एक हजार से अधिक लाइनों की क्षमता है; और

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक हजार से अधिक लाइनों की क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

अनुबन्ध

केरल में एक हजार लाइनों से अधिक सज्जित क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	अडूर
2.	अल्लेप्पी
3.	अलवई
4.	बाड़गारा
5.	बलियापट्टम
6.	कालीकट
7.	कालीकट फिरोक
8.	कालीकट वल्लमिल
9.	कन्नानूर
10.	चलकुडी
11.	चंगनचेरी
12.	चेंगनूर
13.	एर्नाकुलम कोचीन
14.	एर्नाकुलम-I
15.	एर्नाकुलम-II
16.	एर्नाकुलम कलामसेरी
17.	एर्नाकुलम पलारीवटम
18.	एर्नाकुलम तिरिपुनितुरा
19.	एर्नाकुलम वेस्ट आईलैंड
20.	इरिंजलकुडा
21.	कालपेटा
22.	कांजीकुझी
23.	कासरगेड

1	2
24.	कपामकुलम
25.	कोडमंगलम
26.	कोट्टायम यूनिट-I
27.	कोट्टायम यूनिट-II
28.	कुन्नमकुलम
29.	मवालीक्करा
30.	मुवातुपुझा
31.	पलाई
32.	पालघाट
33.	परूर
34.	पय्यानूर
35.	पेराम्बूर
36.	क्विलोन
37.	क्विलोन (चिन्नाकुडा)
38.	शेरतल्लई
39.	त्रिवेन्द्रम कैंठमुक्के
40.	त्रिवेन्द्रम श्रीकायम्
41.	त्रिवेन्द्रम
42.	तेल्लिचेरी
43.	थोड़पुझा
44.	तिरूर
45.	तिरूवल्ला
46.	त्रिचूर
47.	वरकला

सड़क की खराब स्थिति के कारण वार्षिक हानि

10347. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री बनवारीलाल पुरोहित :
श्री मानिकराव होडल्या गावीत :
श्री एन० जे० राथवा :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अप्रैल, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में "रूपीज 6000 करोड़ लास ड्यू टू बेड रोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों की खराब स्थिति के कारण ईंधन की खपत तथा टायरों के घिसने और खराब होने के रूप में सरकार को कितनी वार्षिक हानि हो रही है;

(ग) ईंधन की खपत के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन हानियों को कम करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के उचित रख-रखाव के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सड़क सम्बन्धी कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि सड़कों की घटिया हालत के कारण अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। केवल ईंधन के कारण होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से सम्बन्धित हानि को, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन वाहन चलने की गुणवत्ता में सुधार करके तथा पैदल पथों को चौड़ा तथा मजबूत बनाकर, न्यूनतम किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान 670.40 करोड़ रु० की तुलना में सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों पर 1482.18 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

दिल्ली परिवहन निगम की बस में पलीते पाया जाना

10348. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री मानिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 1990 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार 1 मई, 1990 को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे

पर दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में एक एयर बैग में एक शाल के भीतर लिपटे हुए 1800 पतीले डेटोनेटर पाए/पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सिलसिले में इस बीच कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) इस मामले की छानबीन में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) 1 मई, 1990 को अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल पर डी० टी० सी० के एक कर्मचारी ने दिल्ली के तोड़-फोड़ विरोधी जांच दल को सूचित किया कि एक डी० टी० सी० बस पर एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है। जांच करने पर एक बैग में तमिलनाडु एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित 1800 डेटोनेटर्स (300 बिजली के और 1500 साधारण) प्राप्त किए गए जिन्हें जब्त कर लिया गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अन्तर्गत एक मामला कश्मीरी गेट थाने में दर्ज किया गया। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

गुजरात में बन्दरगाहों की माल लादने-उतारने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई योजना हेतु सहायता देना

1034*. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में बन्दरगाहों की माल लादने-उतारने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई पैकेज योजना/स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को वित्तीय सहायता और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता सहित इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने; अक्तूबर, 1989 में बेड़ी हजीरा तथा दहेज पत्तनों के विकास के लिए अपनी प्रयोजनाओं की एक विस्तृत रूप रेखा केन्द्र सरकार को भेजी थी। तथापि इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गयी है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना एवं लघु पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अंशदान पर आयकर की छूट

10350. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने केन्द्रीय सरकार से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त दान/अंशदान पर आयकर से छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा प्राप्त दान/अंशदान पर आयकर अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए अंशदान/दान के सम्बन्ध में दानकर्ता को कर छूट/रियायत देने के लिए आयकर अधिनियम में पहले ही प्रावधान है। सरकार ने पहले ही ग्रामीण विकास के लिए अंशदानों को प्रोत्साहित करने के विशिष्ट उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना की हुई है। दानकर्ता दान देते समय उस क्षेत्र अथवा स्थान और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अपनी तरजीह की सिफारिश कर सकता है जिसके लिए दान का उपयोग किया जाए और साथ ही उस कार्यान्वयन एजेन्सी की भी सिफारिश कर सकता है जिसके द्वारा कार्यक्रम चलाया और कार्यान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में अन्य प्रावधान हैं, मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 35 सी० सी० ए-80जी/80 जी० जी० ए०, जिसके अन्तर्गत कुछेक शर्तों के आधार पर ग्रामीण विकास कार्यों के लिए दान पर आयकर से छूट उपलब्ध है। गुजरात सरकार को इस आधार पर परामर्श दिया गया है।

सूखा राहत कार्यक्रम

10351. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थाई निर्माण कार्यों पर अधिक बल देती है;

(ख) क्या सरकार स्थायी निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित कोई सामग्री उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत कार्यों का निष्पादन करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार केवल स्थिति का कारगर ढंग से सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय के मार्गनिर्देशन जारी किए हैं कि सूखे की स्थिति के दौरान प्रभावित लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऐसे कार्य करें, जिसके परिणामस्वरूप न केवल सम्भव सीमा तक स्थाई उत्पादक परिस्थितियों का ही सृजन हो, बल्कि सूखे से प्रभावित लोगों को भविष्य में सूखे का और बखूबी से सामना करने में समर्थ भी बनाया जाए। 31 मार्च, 1990 तक राज्यों को रोजगार पैदा करने वाले कार्यों के लिए प्रति माह 25 दिनों के लिए शत प्रतिशत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के लिए केन्द्रीय

सहायता दी गयी है । राज्य सरकारों को अपने वर्तमान योजना तथा गैरयोजना स्कीमों से सामग्री संघ टक मुहैया कराने होते हैं ।

1-4-1990 से राहत व्यय के वित्त पोषण की योजना में परिवर्तन हुआ है । प्रत्येक राज्य के लिए एक निर्धारित राशि की "आपदा राहत निधि" का गठन किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत अंश-दान गैर-योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार करेगी तथा शेष 25 प्रतिशत का अंशदान संबंधित राज्य सरकार अपने स्वयं के संसाधनों से करेगी । राहत व्यय के वित्त पोषण से सम्बद्ध सभी मामलों का फैसला राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य स्तर की समिति द्वारा किया जाएगा । यह समिति प्राकृतिक आपदा के समय सहायता के मानदण्डों में विभिन्नता का भी फैसला करेगी।

प्रमुख बन्दरगाहों में विभिन्न पदार्थों के वर्तमान आधारों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

10352. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख बन्दरगाहों में विभिन्न पदार्थों के वर्तमान आधारों में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नए आधार सहित उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी०उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा अप्रैल, 1988 मे बम्बई कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, मुरगांव, कांडला और पारादीप पत्तनों मे रिजल्ट स्कीमों द्वारा वर्तमान अदायगी के अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ, अध्ययन के अनुसार निश्चित मानक उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न जिंसों के सम्बन्ध में आधार के भोक्तिकीकरण की सिफारिश की है । लेबर फैडरेशनों ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है फिर भी दिसम्बर, 1989 में पत्तन प्राधिकरणों को, जहां व्यवहार्य हो वहां स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के साथ विचार-विमर्श करने और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त समझौते करने की सलाह दी गयी है ।

दिल्ली में वर्ष 1984 में हुए दंगों की जांच के लिए समिति

10353. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में दिल्ली में हुए दंगों की जांच के लिए हाल ही में एक समिति की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों एवं विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

—श्री पी० सुब्रमण्यिम पोटी, सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय—अध्यक्ष

—श्री पी० ए० रोशा, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी—सदस्य

विचारार्थ विषय हैं :

(i) यह जांच करना कि क्या 31 अक्तूबर, 1984 से 7 नवम्बर, 1984 तक की अवधि के दंगों के दौरान दिल्ली में हुए अपराधों को दर्ज करने अथवा उनके समुचित ढंग से जांच पड़ताल करने में चूक होने के मामले हुए थे;

(ii) जहां आवश्यक हो, प्रशासक को मामलों को दर्ज करने और उनकी जांच पड़ताल की सिफारिश करना; और

(iii) जहां आवश्यक हो, मामलों की जांच-पड़ताल और मुकदमा चलाने के लिए प्रशासक को सुझाव देना।

(ग) समिति से छह महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नगरों में एस० टी० डी० सुविधा

10354. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन शहरों/नगरों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां पर एक लाख से अधिक जनसंख्या है किन्तु एस० टी० डी० सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन शहरों/नगरों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर मिश्र) : (क) तेरह।

शहरों/कस्बों के नाम इस प्रकार हैं :

झांसी (उ० प्र०), मेलेगांव (महाराष्ट्र), फिरोजाबाद (उ० प्र०), फरूखाबाद (उ० प्र०), मनद्वीप (पं० बंगाल), नवसारी (गुजरात), कुडडालूर (तमिलनाडु) मण्डला (म० प्र०), अमरोहा (उ० प्र०), सम्भल (उ० प्र०), बेरेनो (बिहार), बरासा (पंजाब), बहरामपुर (प० बंगाल)।

(ख) (i) आटोमाइजेशन के लिए उपस्कर उपलब्ध न होना।

(ii) पारेषण माध्यम उपलब्ध न होना।

(ग) एक्सचेंजों के आटोमाइजेशन के बाद, जो 8वीं योजना के पहले 2 वर्षों में सम्भावित है।

अजमेर में टेलीफोन केन्द्र को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तित करना

[हिन्दी]

10355. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में किन-किन स्थानों के टेलीफोन केन्द्रों में इलेक्ट्रोनिक प्रणाली आरम्भ की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अजमेर शहर के वर्तमान टेलीफोन केन्द्र इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) अजमेर जिले के ब्यावर में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) अजमेर शहर के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 8वीं योजना अवधि के दौरान, अजमेर शहर के लिए 4000 लाइनों वाले एक नए डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को लगाने की योजना है।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों और पुलों का निर्माण

[अनुवाद]

10356. श्री बसंत साठे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा कितनी दूरी की सड़कों और कितने पुलों का निर्माण किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत स्कीमें राज्य सड़कों से सम्बद्ध होती है इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उनके अनुसार पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं।

(i) अकोला जिले में अकोला-अकोट सड़क में सुधार करना; और

(ii) वर्धा जिले में नानोदरी-वाशी-कोरा सड़क पर पोथरा नाले पर पुल का निर्माण।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निम्नलिखित दो सड़क योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं :

(i) अमरावती जिले में चन्दूर बाजार मोर्शो सड़क में सुधार करना (अनुमानित लागत 25 लाख रु०); और

(ii) अकोला जिले में अकोला अकोट सड़क में सुधार करना (अनुमानित लागत 20 लाख रु०)।

गत तीन वर्षों में किसी पुल निर्माण कार्य का अनुमोदन नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना

10357. **श्री वसन्त साठे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बुदनी (मध्य प्रदेश) और गार्लाडीन, जिला अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) में एक-एक फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना हो जाने से पर्याप्त सुविधाएं सृजित की जा चुकी हैं।

विदर्भ क्षेत्र में नए शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना

10358. **श्री वसन्त साठे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र में कुछ नए शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान जिला-वार किन-किन स्थानों पर शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोले जाएंगे; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर मिश्र) : (क) विदर्भ क्षेत्र में शाखा डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव मंजूर पड़े हैं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डाक नेटवर्क के विस्तार की विस्तृत कार्यक्रम विभाग की आठवीं योजना अनुमोदित होने और आठवीं योजना के दौरान डाकघर खोलने के मानदण्डों को अन्तिम रूप देने के बाद तैयार किया जाना है।

विवरण

विदर्भ क्षेत्र (1990-91) में खोले जाने वाले प्रस्तावित शाखा डाकघर

क्रम सं०	डाकघर का नाम	जिला
1.	अलन्वा	अकोला
2.	बाईगांव तुकुम	चन्द्रपुर
3.	गोधानी	नागपुर
4.	ठाकरी	गडचिरोली
5.	टेकेपार	नागपुर
6.	चिचाघाट	यवतमाल
7.	डोंगरगांव	—वही—
8.	वडाड	—वही—
9.	नलफाडी	चन्द्रपुर
10.	विलेगांव	अकोला
11.	नेरी (मिर्जापुर)	वर्धा
12.	उन्दगांव	नागपुर
13.	इटगांव	नागपुर
14.	मटकाजरी	—वही—
15.	भाऊरद	अकोला
16.	वडगांव महोरा	अमरावती
17.	मरदा	चन्द्रपुर
18.	धानोली	भण्डारा
19.	सुपलीपार	—वही—
20.	दावहा	नागपुर
21.	सिंधी	चन्द्रपुर
22.	यरगवहां	—वही—
23.	पारवा	यवतमाल

महाराष्ट्र में जनता की कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास सम्बन्धी परिषद् के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

10359. **श्री वसन्त साठे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए जनता की कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास सम्बन्धी परिषद् का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस परिषद् के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1990-91 का परिव्यय कितना है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) का गठन ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देने, बढ़ावा देने तथा उनमें सहायता करने और ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ बनाने तथा बढ़ावा देने हेतु 1986 में किया गया है।

(ख) कापार्ट ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 250 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) कापार्ट द्वारा अग्रिम रूप से कोई राज्यवार परिव्यय निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि; कापार्ट के माध्यम से स्वयंसेवी एजेंसियों को दिए जाने के लिए 1990-91 के बजट अनुमानों से 28.75 करोड़ रुपए के एक समग्र परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, कापार्ट को 1990-91 के दौरान विदेशी दान के रूप में 1.25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त होने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) कापार्ट द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को जब भी आवश्यक समझा जाए, समय-समय पर निगरानी तथा मूल्यांकन के आधार पर फिर से तैयार किया जाता है।

राजस्थान में कृषि का विकास

10360. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान कृषि में पिछड़े हुए राज्यों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान विशेषकर राजस्थान में कृषि के विकास के लिए नई नीति अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) राजस्थान और अन्य राज्यों में खाद्यान्नों, तिलहनों और कपास की उत्पादकता तथा अखिल भारत औसत को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। यद्यपि राजस्थान में खाद्यान्नों की उत्पादकता, अखिल भारत औसत की अपेक्षा कम है लेकिन तिलहनों और कपास फसलों के मामले में उत्पादकता, अखिल भारत औसत से अधिक है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के दौरान राजस्थान सहित देश में कृषि के विकास की नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) गहन कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का अनुकूलतम उपयोग;

(ii) वर्षा के पूर्वानुमान में सुधार;

(iii) उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य पर जोर देना, जैसे बायोतकनोलाजी, जेनेटिक इन्जीनियरिंग, फोटोसिंथेसिस, टिशु कल्चर, जैव कीटनाशी और फैरोमोन्स तथा कृषि उत्पादकता की वृद्धि में सहायता देने के लिए इसका उपयोग;

(iv) बारानी खेती पर अनुसंधान कार्य तेज करना, और प्रयोगशाला से खेत तक नई तकनोलाजी का अन्तरण, अधिक ऋण देना और बारानी क्षेत्रों में विपणन सुविधाओं का विकास करना;

(v) सिंचाई, कृषि विस्तार सेवा सुधार के सम्बन्ध में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को शुरू करना तथा सहकारी आन्दोलन को फिर से मजबूत बनाना; और

(vi) उर्वरकों तथा बीज की नई अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का वृद्धित उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।

विवरण

1988-89 में महत्वपूर्ण राज्यों में खाद्यान्नों, तिलहनों और कपास की प्रति हैक्टेयर पैदावार

(कि० ग्रा०/हैक्टेयर)

राज्य	खाद्यान्न	तिलहन	कपास
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1621	791	146
अरूणाचल प्रदेश	1083	—	—
असम	1028	479	—
बिहार	1225	565	—

1	2	3	4
गुजरात	1132	1481	229
हरियाणा	2260	1749	332
हिमाचल प्रदेश	1299	—	—
जम्मू व कश्मीर	1492	443	—
कर्नाटक	935	646	238
केरल	1697	322	—
मध्य प्रदेश	886	725	105
महाराष्ट्र	768	626	89
उड़ीसा	1018	828	—
पंजाब	3152	935	475
राजस्थान	835	845	341
तमिलनाडु	1772	935	332
त्रिपुरा	1614	—	—
उत्तर प्रदेश	1725	634	143
पश्चिमी बंगाल	1821	819	—
अखिल भारत :	1327	827	202

सेनानी पेंशनभोगियों की संख्या

[हिन्दी]

10361. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों की सख्या क्या है;

(ख) स्वतन्त्रता सेनानियों की राज्यवार पेंशन के लिए अब तक लम्बित पड़ी अर्जियों की संख्या क्या है;

(ग) उन लोगों की संख्या क्या है जिनकी कुछ आपत्तियों के कारण पेंशन रोक दी गयी है; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी पेंशन रोकने से पहले पूरी तरह से जांच करवा ली थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 31-3-1990 तक 1,55,867

मामलों में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) गृह मन्त्रालय में अन्तिम तिथि तक प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों में से 31-3-1990 को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के केवल 284 मामले लम्बित थे। इनमें से 254 मामले वर्ष 1938-39 में आर्य समाज आन्दोलन में भाग लेने वालों से सम्बन्धित हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। शेष 30 मामलों में से 5 महाराष्ट्र के हैं तथा 25 आन्ध्र प्रदेश के हैं।

(ग) दिनांक 31-3-1990 तक 2807 मामलों में पेंशन निलम्बित कर दी गई तथा 1279 मामलों में पेंशन बन्द कर दी गई।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

विवरण-1

स्वतन्त्रता सेनानियों की राज्य-वार संख्या जिन्हें 31-3-1990 तक पेंशन स्वीकृत की गई

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पेंशन स्वीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	9663
2.	असम	4314
3.	बिहार	23993
4.	गुजरात	3513
5.	गोवा	872
6.	हरियाणा	1493
7.	हिमाचल प्रदेश	477
8.	जम्मू और कश्मीर	1755
9.	कर्नाटक	9679
10.	केरल	2729
11.	मध्य प्रदेश	3273
12.	महाराष्ट्र	14321

1	2	3
13.	मणिपुर	62
14.	मेघालय	84
15.	मिजोरम	4
16.	नागालैंड	3
17.	उड़ीसा	4119
18.	पंजाब	6714
19.	राजस्थान	740
20.	तमिलनाडु	3976
21.	त्रिपुरा	879
22.	उत्तर प्रदेश	17692
23.	पश्चिम बंगाल	21840
	संघ शासित क्षेत्र	
24.	चण्डीगढ़	86
25.	दिल्ली	1974
26.	पांडिचेरी	307
27.	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक	21305
	जोड़ :	155867

विवरण-2

31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार आर्य समाज के लम्बित पड़े मामलों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6
बिहार	101

1	2
दिल्ली	12
गुजरात	1
हरियाणा	62
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	—
महाराष्ट्र	7
पंजाब	47
राजस्थान	8
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	—
तमिलनाडु	1
जोड़ :	254

प्राइवेट अनुसंधान संगठनों को अनुदान

10362. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट अनुसंधान संगठनों को भी कृषि सम्बन्धी अनुसंधान के लिए अनुदान सहायता जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या ऐसे अनुदानों का हिसाब-किताब ठीक से रखा गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) हां।

		(रु० लाख में)
(ख)	1. बोस इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	4.62
	2. एस० के० एन० कालेज आफ एग्रीकल्चर, जोबनेर	0.65

3. उष्ण कटिबंधीय बौटेनी गार्डन अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	1.67
4. निम्बाकर कृषि अनुसंस्थान संस्थान, फाल्टन	2.08
5. ऊन अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई	1.91
6. भारतीय एग्रो-इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे	22.30
7. लोयला कोलेज, मद्रास	0.58
8. एच० बी० टी०, कानपुर	3.12
9. श्रीराम इन्स्टीच्यूट रिसर्च, दिल्ली	2.89

(ग) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फार्म पूंजी निवेश में वृद्धि

[अनुवाद]

10363. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म पूंजी निवेश और इससे प्राप्त आय में वृद्धि होने से कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक अधिक सुनिश्चित आधार मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश में और वृद्धि के लिए कौन-कौन से विशेष उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इससे सम्बन्धित नीति में अन्य बातों के अलावा स्थान विशेष के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रों का विस्तार, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार, आदानों का सक्षम उपयोग; उत्कृष्ट पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता और ऋण का समेकन एवं बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई के उत्तरवर्ती कार्यकलापों में प्रबन्ध पद्धतियां; और कृषि परिसंस्करण इकाइयों का विस्तार, उनका आधुनिकीकरण, विविधिकरण एवं पुनर्स्थापन शामिल हैं।

कर्नाटक को बीजों की सप्लाई

10364. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान कर्नाटक को धान और संकर ज्वार के कितनी मात्रा में प्रमाणित बीजों की आवश्यकता होगी;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम कर्नाटक को 1990 के दौरान कुल कितना बीज सप्लाई करने के लिए सहमत है; और

(ग) बीजों की बकाया मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) र्नाटक के लिए 1990-91 के वास्ते धान और संकर किस्म के ज्वार के प्रमाणित बीजों की कुल श्यकता जैसाकि राज्य सरकार ने बताया है, क्रमश: 62,500 क्विण्टल और 56,250 क्विण्टल ।

(ख) 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने कर्नाटक राज्य के लिए 7,415 क्विण्टल न के बीज और 1,350 क्विण्टल संकर किस्म के बाजरा के बीजों की आपूर्ति के लिए सहमती प्रकट ी है ।

(ग) राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य बीज निगम और गैर-सरकारी बीज उत्पादकों/सहकारी मितियों के माध्यम से शेष मांगों को पूरा करने का प्रस्ताव किया है ।

चलते-फिरते डाकघर

10365. श्री प्रतापराव जी० भोंसले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ चलते-फिरते डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन डाकघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है और 30 अप्रैल, 1990 तक इन कघरों द्वारा क्या-क्या सेवायें प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या ये डाकघर लोगों, विशेष रूप से कामकाजी लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं;

(घ) क्या सरकार का चालू वर्ष तथा अगले दो वर्षों में ऐसे डाकघर खोलने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुने गए स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, पर केवल दिल्ली और लकत्ता में ।

(ख) कलकत्ता में 2 और दिल्ली में 1 मोबाइल डाकघर है । ये मोबाइल डाकघर पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी की बिक्री करते हैं तथा प्रेषण के लिए स्पीड पोस्ट डाक वस्तुओं सहित रजिस्टर्ड और गैर-रजिस्टर्ड डाक वस्तुएं स्वीकार करते हैं ।

(ग) ये मोबाइल डाकघर अपनी-अपनी रनिंग शेड्यूल में शामिल जिन-जिन बस्तियों में जाते हैं, वहां विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित लोग इनका लाभ उठाते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) विभिन्न शहरों/कस्बों में स्थापित किए गए स्थायी डाकघर और डाक कार्यालय लोगों की डाक सम्बन्धी जरूरतों को भली-भांति पूरा करते हैं । ज्यादा मोबाइल डाकघर चलाने का कोई विशेष

औचित्य नहीं है, जिन्हें चलाने में शुरू में पर्याप्त पूंजी लगानी पड़ती है और साथ ही साथ उनकी प्रचालन लागत भी वहन करनी होती है।

महाराष्ट्र में ज्वार फसल का विकास

10366. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 में ज्वार फसल का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में ज्वार के विकास के लिए 1989-90 में "मिनीकिट्स कार्यक्रम" शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थान की उपयुक्तता की दृष्टि से अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर किस्मों के 1.30 लाख बीज मिनिकिट किसानों को वितरित किए गए थे। ज्वार मिनीकिट कार्यक्रम का क्रियान्वयन अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर किस्मों के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में वृद्धि करने में उपयोगी रहा है। 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन 1988-89 के उत्पादन-स्तर से अधिक हो जाने की सम्भावना है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए/आहत किए गए और अपहृत व्यक्तियों की संख्या

10367. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में मार्च और अप्रैल, 1990 के महीनों के दौरान आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा महीनेवार कितने नागरिकों, पुलिस, सेना और अर्ध सेना कर्मियों की हत्या की गई, कितने घायल किए गए और कितनों का अपहरण किया गया; और

(ख) अपरोक्त अवधि के दौरान महीने-वार कितने आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्व गिरफ्तार किए गए और मारे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

मारे गये व्यक्तियों की श्रेणी	मार्च, 1990	अप्रैल, 1990
सिविलियन	29	33
पुलिस	8	4
सेना	—	—
अर्धसैनिक बल	3	2

मार्च, 1990 में सात सिविलियनों का अपहरण किया गया था, जबकि अप्रैल, 1990 में 13 सिविलियन और दो पुलिस कार्मिकों का अपहरण किया गया।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	मार्च, 1990	अप्रैल, 1990
मारे गये आतंकवादी	26	41
गिरफ्तार किए गये राष्ट्र विरोधी तत्वों की संख्या	291	379

बंगलौर में एस० टी० डी० से प्राप्त धनराशि की दुर्विनियोजन

10368. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 के अन्त तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय तारघर बंगलौर में एस० टी० डी० से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय तारघर, बंगलौर में एस० टी० डी० से प्राप्त धनराशि के दुर्विनियोजन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों ने एस० टी० डी० कालों की कोई रसीद जारी नहीं की; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दुर्विनियोजन की धनराशि वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय तारघर, बंगलूर में दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक एस० टी० डी० के जरिए अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :

दिसम्बर, 89	1,90,296 रुपए
जनवरी, 90	1,54,659 रुपए
फरवरी, 90	1,17,904 रुपए

(ख) जी हां, इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षा जांच के परिणामस्वरूप राजस्व की चोरी की संभावना का पता भी पहले ही लग गया था।

(ग) यह आशंका है जो कुछ मामलों में रसीदें जारी नहीं की गईं।

(घ) एस० टी० डी० राजस्व रिकार्ड का सत्यापन किया जा रहा है और जांच का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही पूर्ण विवरण उपलब्ध हो सकेगा। जिन कर्मचारियों को इसके लिए दोषी समझा गया है उन्हें पहले ही निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। जिन कॉलों को गिना नहीं गया था उनके लिए प्रभारों की वसूली करने के सम्बन्ध में कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है।

लैटर बाक्सों की स्थापना

[हिन्दी]

10369. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैटर बौक्सों को स्थापित करने लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में स्थापित लैटर बौक्सों का सुरक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) क्या ये लेटर बौक्स निजी स्थानों पर भी स्थापित किए जाते हैं अथवा स्थापित किये जा सकते हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार लेटरबाक्स उपलब्ध कराए जाते हैं । इसके लिए कोई मानदण्ड नहीं हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में छठी योजना अवधि से प्रचलित मार्गनिर्देशों के अनुसार, (i) दूरी पर ध्यान दिए बिना 500 से अनधिक जनसंख्या वाले ग्राम, (ii) 500 से कम जनसंख्या वाले ग्राम यदि 1 कि० मी० के भीतर कोई लेटर बाक्स न हो और वहां प्रतिदिन कम से कम एक पत्र पोस्ट होता हो, तो ऐसे गांवों को वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित लक्ष्यों के भीतर उत्तरोत्तर लेटर बाक्स उपलब्ध कराये जाने हैं ।

(ख) लेटर, बाक्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिलर लेटर बाक्सों को गाड़ा जाता है तथा अन्य लेटर बाक्सों को किसी दीवार पर या अन्य किसी सहारे पर लगाया जाता है । सभी लेटर बाक्सों पर ताला लगाया जाता है । विभाग के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आमतौर पर लेटर बाक्सों का निरीक्षण किया जाता है । इस सबके बावजूद लेटर बाक्स ऐसे प्रमुख स्थान पर हैं, जहां लोगों की नजर पड़ती है, और यह अपने आप में चोरी होने एव क्षति पहुंचाने के प्रति एक सुरक्षा उपाय है ।

(ग) जी, नहीं । ऐसे स्थानों पर नहीं जहां लोग आसानी से आ जा न सकें ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जोड़ा जाना

10370. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 12 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के साथ, बरास्ता जबलपुर, मॉडला, बिलासपुर और गिवारी नारायण, जोड़ने का और बीच के छूटे हुए भाग का सरायबली तक निर्माण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जबलपुर और सरायबली को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पनधारा विकास योजना

10371. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1985 से अप्रैल, 1990 तक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विकास तथा पनधारा विकास योजना के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत जिला-वार कितना व्यय किया है;

(ख) बिलासपुर जिले में अनुसूचित जाति के अधिकांश वाले विकास ब्लाकों के क्या नाम हैं, जहां सरकार ने ग्रामीण सड़कों तथा विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास और पनधारा विकास योजना के लिए विभिन्न चैनलों से व्यय किया;

(घ) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मुंगेली पठारिया, पंडारिया और लोर्भी विकास ब्लाकों में कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ग) क्या बिलासपुर जिले में मुंगेली विकास ब्लाक में 100 से अधिक अनुसूचित जाति के गांव में कोई सड़क नहीं है ?

कृषि संत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पालतू पशुओं से संबंधित अनुसधान नीति में परिवर्तन

[अनुवाद]

10372. **डॉ० असीम बाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी अनुसंधान नीति में परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान के कार्य की समीक्षा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की है कि पशु स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए संस्थान के उत्पादन प्रभाग के अनुसंधान कार्यक्रमों को नया रूप दिया जाए ।

अल्पावधि पर्यटक वीसा समाप्त करना

10373. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए अल्पावधि पर्यटक वीसा समाप्त करने की सम्भावनाओं की चर्चा करने के लिए मई, 1990 के पहले सप्ताह में भारत से एक सरकारी दल ने ब्रिटेन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या-क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में अधिकतम कितने दिन तक ठहरने की अनुमति दी जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) विदेशियों को वीसा देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा वीजा से सम्बन्धित कार्यों को तर्कसंगत बनाने के कार्य में भारतीय उच्च आयोग की सहायता करने के लिए एक सरकारी दल ने ब्रिटेन का दौरा किया। तथापि, भारत भ्रमण के लिए लघु अवधि पर्यटक वीसा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंच-वर्षीय बहु-प्रवेशीय वीजा आरम्भ करना

10374. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने, अपनी ओर से भारतीय मूल के सभी विदेशियों के वास्ते पंच-वर्षीय बहु-प्रवेशीय वीजा योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह योजना किस तारीख से लागू की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। तथापि यह सुविधा भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को सुलभ नहीं है जो बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्रिक हैं।

(ख) भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक उदारीकृत वीजा नीति के अन्तर्गत पांच वर्ष का वीजा प्राप्त कर सकते हैं जिस पर एकाधिक प्रवेश सुविधा रहती है। इस प्रकार की सुविधा सम्बद्ध विदेशी के जीवन साथी और उसके बच्चों को भी प्राप्य है। अगर कोई विदेशी छह महीने से अधिक अवधि तक लगातार भारत में ठहरना चाहता हो तो उसे सम्बद्ध विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के यहां अपना पंजीकरण कराना होगा। यह उदारीकृत नीति 17-4-90 से लागू हो गई है।

दिल्ली में नकदी पकड़ा जाना

10375. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ब्रीफकेस विद् कैश सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई छानबीन में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 1 मई, 1990 को एक ब्रीफकेस, जिसमें 4 लाख रुपए थे, भजन सिंह नाम के एक व्यक्ति से जब्त किया गया और आयकर प्राधिकारियों को सूचित किया गया जिन्होंने इस पर

कार्यवाई शुरू कर दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट के आदेश पर, सम्पूर्ण राशि 8-5-1990 को श्री भजन सिंह सुपरदारी पर लौटा दी गई।

दिल्ली के टेलीफोन केन्द्रों में "पुश बटन" टेलीफोन सुविधा

10376. **श्री के०एस० राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को "पुश बटन" टेलीफोन सुविधा निशुल्क प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किस तिथि तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) क्या यह सुविधा दिल्ली के सभी टेलीफोन केन्द्रों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सुविधा देश के सभी एक्सचेंजों में पहले से ही उपलब्ध है और रोटरी उपकरणों के स्थान पर पुश बटन उपकरण धीरे-धीरे लगाए जाएंगे।

डाक सलाहकार समिति का गठन

10377. **श्री के० एस० राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के मण्डल अधीक्षकों के स्तर पर डाक सलाहकार समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें डाकघर बचत बैंक के खाताधारियों को सहयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एक सलाहकार समिति बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) ऐसी एक समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विभाग में पहले ही विचार किया जा चुका है। विभाग के ज्ञापन संख्या 35-39/88-एस०बी०-III दिनांक 5-12-88 के तहत डाकघर बचत बैंक के खाताधारियों को शामिल करके मंडलीय अधीक्षक डाकघर के स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने के आदेश दिए गए।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. अध्यक्ष : डाक डिवीजन के अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर।

2. समिति के 15 सदस्य होंगे। इनमें से, 10 सदस्य डिवीजन के प्रधान डाकघरों और उप-डाकघरों में डाकघर बचत बैंक के खाताधारी होंगे। शेष 5 सदस्यों का चयन जिला अधिकारियों के साथ परामर्श करके किया जाएगा। ये सदस्य कृषि समुदाय समाज सेवा, शिक्षण समुदाय, व्यापारियों, जिला प्रशासन आदि जैसे विभिन्न ग्रुपों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस समिति की हर 6 माह बाद में वर्ष दो बार बैठक होगी।

(ग) ऐसी एक सलाहकार समिति बनाने के प्रस्ताव पर भी विभाग द्वारा विचार किया गया और ज्ञापन सं० 93-1/89 एस० बी० दिनांक 15-6-89 में इसके गठन सम्बन्धी आदेश जारी किए गए।

(घ) विवरण नीचे दिया गया है :

अध्यक्ष : संचार राज्य मन्त्री

उपाध्यक्ष : सचिव (डाक)

सह-उपाध्यक्ष : सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड

1-4 — 2 संसद सदस्य लोक सभा से और दो संसद सदस्य राज्य सभा से।

5 — सचिव, बैंकिंग विभाग या उनके द्वारा नामांकित।

6 — अध्यक्ष, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया या उनके द्वारा नामांकित।

7 — भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामांकित।

8-9 — दो राज्य सरकारों द्वारा नामांकित 2 प्रतिनिधि।

10-11 — फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री एण्ड एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स के दो नामांकित प्रतिनिधि।

12-14 — राज्यों से ऐसे तीन सदस्य लिए जाएंगे जो, डाकघर बचत बैंक के खाता-धारक हों।

15 — राष्ट्रीय बचत आयुक्त।

16 — संयुक्त सलाहकार तंत्र की विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष के नेता।

17 — सदस्य (सचिव), उप-महानिदेशक (बचत बैंक प्रचालन)

डाकघर बचत बैंक के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को जैसा भी आवश्यक हो, विशेष क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित करने का अधिकार होगा। बोर्ड का दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा जिसके पश्चात् उनका पुनः नामांकन किया जा सकता है या उनके स्थान पर नए नामांकन किए जा सकते हैं। इस बोर्ड का कार्य सरकार को, डाकघर बचत बैंक प्रचालन, उपभोक्ता सेवाओं और समय-समय पर बोर्ड को भेजे गए अन्य मामलों पर सलाह देना होगा। इसकी सिफारिशें परामर्शी होंगी। बोर्ड की साधारणतः 6 माह में एक बार नई दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो, अध्यक्ष की विशेष मंजूरी से बैठक भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जा सकेगी।

डोरीरहित टेलीफोन का शुरू किया जाना

10378. **श्री के० एस राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक दूरसंचार कम्पनियों ने देश में डोरीरहित टेलीफोन आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने डोरीरहित टेलीफोन आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावों के ब्यौरे और कम्पनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) इनमें से अधिकांश प्रस्ताव निजी और राज्य संयुक्त उपक्रम के हैं । अलग-अलग मामले में वित्तीय व्यवस्था अलग-अलग होती है । प्रत्येक प्रस्ताव में 50 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक का निवेश शामिल है जिसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक के आयातित उपस्कर भी शामिल हैं ।

(घ) सरकार ने देश में कार्डलैस टेलीफोन बनाने के लिए इन 32 कम्पनियों को आशय पत्र जारी कर दिए हैं ।

विवरण

23-5-90 के स्थिति के अनुसार कार्डलैस टेलीफोनों के लिए मंजूर शुदा विभिन्न पार्टियों की सूची

1. आंध्र प्रदेश, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन
   परिश्रम भवनम
   8वीं मंजिल, बसिर बाग
   हैदराबाद
   विनिर्माण मद : कार्डलैस फोन
   वार्षिक उत्पादन क्षमता : 50000
   अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/315 दिनांक 18-4-86 2,27/87-उत्पादन
   स्थिति : नरसापुर राज्य : आंध्र

2. भारतीय टेलीकम लि०
   15वीं मंजिल, देविका टावर
   6, नेहरू प्लेस
   नई दिल्ली
   विनिर्माण मद : कार्डलैस फोन
   वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
   अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/380 दिनांक 11-7-88 45-11/89-उत्पादन
   स्थिति : लुधियाना राज्य पंजाब

3. बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन्स
उद्योग भवन, दूसरी मंजिल
इस्ट गांधी मैदान
पटना
विनिर्माण मद : कार्डलैस फोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/390 दिनांक 30-4-86 33-1/86-उत्पादन
स्थिति : कोई भी औद्योगिक क्षेत्र राज्य बिहार

4. विरेन्द्र गुप्ता
5/1, क्लाव रो, कमरा नं० 68
तीसरी मंजिल
कलकत्ता
विनिर्माण मद : कार्डलैस फोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/620 दिनांक 14-10-88 132-11/89-उत्पादन
स्थिति : बापुरा जिला राज्य प० बंगाल

5. बी०एम०जी० टेलिकम प्रा० लि०
1, दक्षिनेश्वर
10, हिली रोड,
नई दिल्ली
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 50000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/71 दिनांक 27-2-89 164-1/86-उत्पादन
स्थिति : एंगे रठ राज्य जम्मू व कश्मीर

6. कास्मो कम्यूनिकेशन प्रा० लि०
5-33/7, कुकटपल्ली
कास रोड
हैदराबाद
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/770 दिनांक 2-12-88
स्थिति : मेडक राज्य आंध्र

7. एलाइट इनफोट्रनिक्स प्रा० लि०
नई दिल्ली
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/565 दिनांक 27-9-88
स्थिति : गाजियाबाद राज्य उ०प्र०

8. एस० क्वायर डिट्रीबिउटिन एण्ड सर्विसेज प्रा० लि०
यूनिट नं० 1ए और 1बी, भूतल
रहमत मंजिल. 75, वी० नारिमा
चर्चगेट बम्बई
विनिर्माण मद: कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/625 दिनांक 14-10-88 61-1/88-उत्पादन
स्थिति : औरंगाबाद राज्य महाराष्ट्र

9. गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक लि०
अनुराग कमर्शियल सेंटर
रेस कोर्स, बड़ौदा
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 20000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/914 दिनांक 23-10-86
स्थिति : गांधी नगर राज्य गुजरात

10. एच०सी०एल० लि० (टेलीकम्यूनिकेशन डिविजन)
601/96 सिद्धार्थ
नेहरू प्लेस, नई निल्ली
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/761 दिनांक 2-12-88 106-1/88-उत्पादन
स्थिति : नोएडा राज्य उत्तर प्रदेश

11. हेमन्त इलेक्ट्रॉनिक
52, कृष्णा टाकिज रोड
इरोड
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन

वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/698 दिनांक 18-11-88
स्थिति : पेरियार राज्य तमिलनाडु

12. हैण्डेज इलेक्ट्रानिक लि० इण्डस्ट्रीयल डेव० एरिया
कांजीकोडे, गेस्ट पाल घाट
केरल
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई/419 दिनांक 29-7-88 37-1/88-उत्पादन
स्थिति : मालापुरम राज्य केरल

13. हिमाचल वायरलैस लि०
शालीग्राम भवन
हुलिनी
शिमला-2
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/1342 दिनांक 27-12-85 2-10/87-उत्पादन
स्थिति : सोलन राज्य हिमाचल

14. इंडियन टेलीकम्प लि०
एल०-12, एन०डी०एस०ई० पार्ट-II
नई दिल्ली
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/762 दिनांक 2-12-88 107-1/88-उत्पादन
स्थिति : देहरादून राज्य उ०प्र०

15. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (बेंगलूर)
कारपोरेट आफिस
नं० 49 म्यूजियम रोड
बेंगलूर
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/412 दिनांक 22-6-89 45-1/89-उत्पादन
स्थिति : बेंगलूर राज्य कर्नाटक

16. भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (श्रीनगर)
बदगाम
श्रीनगर
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/413 दिनांक 22-6-89 45-1/89-उत्पादन
स्थिति : श्रीनगर राज्य जम्मू व कश्मीर

17. कर्नाटक एल०ई०डी०सी०
ए-169/170, चौथा क्रास
1 स्टेज पिनिया इण्डस्ट्रीयल
बैंगलूर-58
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 50000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/371 दिनांक 29-4-86 26-1/86-उत्पादन
स्थिति : कोनपड्डां नागरागरा राज्य कर्नाटक

18. केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव० कारपो० लि० (केल्ट्रान)
केल्ट्रान हाउस, वेलायमबलम
त्रिवेन्द्रम
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/175 दिनांक 21-4-88
स्थिति : त्रिवेन्द्रम राज्य केरल

19. की इलैक्ट्रो इण्डस्ट्री
बम्बई
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/9999 दिनांक 1-1-88
स्थिति : राज्य महाराष्ट्र

20. महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स कारपो० लि०
रहेजा सेन्टर, 13वीं मंजिल
नारिमन प्वाइन्ट

बम्बई
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 50000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/342 दिनांक 28-4-86 22-1/86-उत्पादन
स्थिति : चियाल थाना राज्य महाराष्ट्र

21. मणिपुर इलैक्ट्रॉनिक्स डेव० कारपो० लि०
तकयेल इण्डस्ट्रीयल स्टेट
इम्फाल
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/967 दिनांक 29-12-89 0-11/89-उत्पादन
स्थिति : इम्फाल राज्य

22. न्यू विडियो लि०
3, जमरूदपुर, कमुनिटी सेंटर
कैलास कालोनी विस्तार
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/555 दिनांक 16-12-88 53-1/88-उत्पादन
स्थिति : कसौली राज्य हिमाचल

23. उड़ीसा स्टेट इलै० डेव० कारपो० लि०
इपीकाल हाउस, जनपथ
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/423 दिनांक 19-5-86 39-1/86-उत्पादन
स्थिति : भुवनेश्वर राज्य उड़ीसा

24. पांडिचेरी इण्ड० प्रोमेशन डेव० एण्ड इन वे० कारपो० लि०
38 रोमेन रोलैंड स्ट्रीट
पांडिचेरी
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/480 दिनांक 30-5-86 49-1/86-उत्पादन
स्थिति : पांडिचेरी राज्य पांडिचेरी

25. राजस्थान इले० एण्ड इन्डस्ट्रूमेंट लि०
2, कनकपुरा इण्ड०, क्षेत्र, सिरसि रोड
जयपुर
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 30000
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/487 दिनांक 28-8-87 37-1/87-उत्पादन
स्थिति : अलवर राज्य राजस्थान

26. सैन इलै० लि०
23, न्यू रोहतक रोड
नई दिल्ली
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 50000
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/999 दिनांक 1-1-88 39-1/88 उत्पादन
स्थिति: भिवाड़ी राज्य राजस्थान

27. टाटा केलट्रॉन लि०
कम्यूनिटी हाल
चन्द्र नगर, पालघाट
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/723 दिनांक 28-11-88 100-1/88-उत्पादन
स्थिति : कांजीकोड़े राज्य केरल

28. टेलिमेटिक्स सिस्टम लि०
कामराज भवन, 573
माउन्ट रोड, मद्रास
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/622 दिनांक 14-10-88 58-1/88-उत्पादन
स्थिति : नंदमबक्कम राज्य तमिलनाडु

29. यूनाइटेड टेलीफॉम लि०
29/6 अशोक पुरम स्कूल रोड
इण्ड०, उपनगर, यशवन्तपुर
बेंगलूर
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 15000

अनुमोदन संख्या : एल०ओ०आई०/707 दिनांक 18-11-88-1/88-उत्पादन
स्थिति : बेंगलूर राज्य कर्नाटक

30. अप हिल इलैं० कारपो० लि०
ए-1/26, विश्वास खण्ड-2
गोमती नगर
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/ 1291 दिनांक 17-12-85 153-1/85-उत्पादन
स्थिति : ज्योलिकाट राज्य उत्तर प्रदेश

31. डब्ल्यू एस० इण्ड,
पोस्ट बैग नं० 6 पोरूर
मद्रास
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षममता : 15000
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/711 दिनांक 18-11-88 96-1/88-उत्पादन
स्थिति : मद्रास राज्य तमिलनाडु

32. जीमैंग इण्डिया लि० (पी० एस० इ० डी० सी०)
खरार जिला रोपड़
विनिर्माण मद : कार्डलैस टेलीफोन
वार्षिक उत्पादन क्षमता : 3 करोड़ रुपए
अनुमोदन संख्या : एल० ओ० आई०/38 दिनांक 29-1-86
स्थिति : खरार राज्य पंजाब

पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थलों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

10379. **श्री के० एस० राव :**
श्री कमल नाथ :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1990 के "दि हिन्दू" में "सिख लाइन्स इन पाकिस्तान स्ट्रिप्ड आफ देयर लैंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पाकिस्तान अधिकारियों ने पाकिस्तान स्थित सिख धार्मिक स्थलों की भूमि पर उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया है उस भूमि को किसानों को दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान अधिकारियों से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने और सिख जत्थों के नेताओं ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान पाकिस्तान में गुरुद्वारों के कथित गैर-कानूनी कब्जों और उनके समक्ष आ रही अन्य समस्याओं की ओर आकर्षित किया है।

14 सितम्बर, 1974 को दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच सम्पन्न धर्म-स्थानों की यात्राओं से सम्बद्ध "प्रोतोकोल" में दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई थी कि "इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बराबर हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि सहमत सूची में जिन धर्म-स्थानों का उल्लेख है, उनका समुचित रख-रखाव हो और उनकी पवित्रता की रक्षा की जाए।" इस प्रकार का रख-रखाव और अनुरक्षण अनिवार्यतः सम्बद्ध देश का दायित्व है। तीर्थ यात्रियों के और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों का रख-रखाव ठीक न किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें की हैं। पाकिस्तान की सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है।

दूध की पोलिपैकिंग

10380. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियन्त्रणाधीन सहकारी डेरियों ने दूध की पोलीपैक पद्धति द्वारा पैकिंग बन्द कर दी है अथवा कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधीन प्रत्येक सहकारी डेरी में दूध पैकिंग पद्धति की प्रतिदिन स्थापित क्षमता कितनी थी और उसका कितना उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सहकारी डेरियां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आती हैं बल्कि वे आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत कवर की जाती हैं। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत आने वाली डेरियों ने पोलीपैकों में दूध की पैकिंग करना बन्द या कम नहीं किया है।

(ग) महानगरीय डेरियों सहित आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत तरल दूध की अनुमानित विपणन क्षमता लगभग 80 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसमें से 56 लाख लीटर प्रतिदिन पोलीपैक सिस्टम में है। पोलीपैक सिस्टम की प्रतिदिन औसत क्षमता उपयोगिता 94 प्रतिशत है। पोलीपैक सिस्टम की डेरीवार क्षमता की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बटर ऑयल का आयात

10381. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान विदेशों से उपहार सहायता के रूप में अथवा अन्य शर्तों के के आधार पर प्राप्त बटर ऑयल का वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन किन एजेंसियों को यह बटर ऑयल वितरण अथवा बिक्री के लिए आवंटित किया गया था; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार, इस बटर ऑयल पर कितनी राशि खर्च की गयी तथा उससे कितनी आय अर्जित हुई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 7वीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान उपहार स्वरूप या वाणिज्यिक आधार पर विदेश से प्राप्त बटर आयल का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) 1985-86 से 1989-90 की अवधि के दौरान जिन एजेंसियों को वितरण और बिक्री के लिए बटर आयल जारी किया गया, उनका ब्यौरा निम्नांकित है :—

	(मात्रा मीट्रिक टन में)
(1) सरकारी और सहकारी डेरियां	26075
(2) सरकारी एजेंसियां, सहकारी स्टोर्स और केन्द्रीय भण्डार	3883
(3) निजी विक्रेता	222

(ग) 7वीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान बटर आयल के आयात पर हुए व्यय और प्राप्त आय का वर्षवार ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-I

7वीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान विदेशों से उपहारस्वरूप वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त बटर आयल को दर्शाने वाला विवरण

आपूर्ति का स्त्रोत	प्राप्त मात्रा (मीटरी टन)					
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	कुल
1	2	3	4	5	6	7
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (उपहार)	2813	344	3032	—	—	6189

1	2	3	4	5	6	7
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (उपहार-सूखा राहत कार्यों के लिए)	—	—	—	2998	—	2998
अमेरीका (प्रधान मन्त्री राहत कोष के लिए)	—	—	5304	—	—	5304
अमेरिका (दिल्ली मदर डेरी फल और सब्जी इकाई द्वारा चीनी कोटा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम के अधीन आयातित	—	—	2304	—	—	2304
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (वाणिज्यिक)	—	—	10000	—	—	10000
कुल :	2813	344	20640	2998	—	26795

विवरण-2

7वीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90 के दौरान बटर आयल पर हुए व्यय और अर्जित आय का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
आय					
बिक्री मूल्य और वसूलियां	945.74	1175.25	1801.82	2060.61	914.
आयात खरीद और खर्चे	—	—	2673.80	—	—
आवंटित आधार पर भंडारण, परिवहन आदि के लिए बटर आयल पर व्यय	54.54	62.85	114.63	113.20	96.1

बिक्री और व्यय में निम्नांकित के सम्बन्ध में राशियां शामिल नहीं हैं :—

(1) सूखा राहत उद्देश्यों के लिए गुजरात, राजस्थान सरकार और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, बम्बई को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उपहार।

(2) फल और सब्जी परियोजना के लिए अमरीकी सहायता।

कश्मीर में रहने वाले लोगों का पाकिस्तान चले जाना

10382. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में रहने वाले कुछ लोग हाल ही में भारत से पाकिस्तान चले गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) कुछ गैर-पुष्टि रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि लगभग 200 कश्मीरी परिवारों ने पलायन किया।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के आवास के पट्टे का नवीनीकरण करना

10383. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के आवास के पट्टे का नवीकरण कराने पर अत्यधिक किराया लेने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किराए में प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) इस समय कितना किराया दिया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने बदले में नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के किराए का भी मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उच्चायुक्त के आवास के पट्टे के नवीकरण सम्बन्धी मामले का निपटान किस प्रकार करने का विचार किया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) "द क्राउन इस्टेट कमिश्नर" जो 9 के० पी० जे०, लन्दन की सम्पत्ति का मालिक है और जिसमें भारतीय हाई कमिश्नर का निवास स्थान है, आगे के पट्टे के लिए अपनी मांगें बढ़ाता आया है और अब उसने साठ साल के पट्टे के लिए 1 करोड़ 80 लाख पौंड की राशि का संकेत दिया है।

(ख) "द क्राउन इस्टेट कमिश्नर" एक स्वायत्त निकाय है और अब उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सभी सम्पतियों के लिए जिसे वह किराए या पट्टे पर दे, बाजार भाव से रकम ले सकता है।

(ग) 4 अप्रैल, 1990 को पट्टा समाप्त होने पर हम 585 पौंड प्रतिवर्ष किराए दे रहे हैं। साठ हजार पौंड की रकम 1949 में बयालीस साल के पट्टे पर दी गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1-1-1960 से 31-12-89 तक की अवधि का पट्टा समझौते के अनुसार ब्रिटिश हाई कमिश्नर के बंगले का किराया 1-1-1980 से संशोधित किया जाना था। तदनुसार ब्रिटिश हाई कमीशन से यह अनुरोध किया गया था कि वह 1-1-1980 से 63 हजार 174 रुपए प्रतिमाह की संशोधित दर से किराया जमा कर दें। ब्रिटेन ने इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया है। 1-1-1990 से बाद की अवधि के लिए किराया अभी तय होना है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पट्टे की मियाद बढ़ाने के वक्त जमीन का क्या भाव है।

(च) सरकार का विचार एक पारस्परिक प्रबन्ध करने का है जिससे कि हम लन्दन में भारतीय हाई कमिश्नर का निवास-स्थान रख सकें और ब्रिटेन नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का निवास-स्थान रख सकें। सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय इस सम्बन्ध में कार्रवाई को समंजित कर रहे हैं।

रानीगंज में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

10384. **डा० गुलाम याजदानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दीनाजपुर जिले के रानीगंज में स्वचालित एक्सचेंज चालू होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें कब तक काम आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अलेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 600 लाइनों के एक एम० ए० एक्स-II आटोमैटिक एक्सचेंज का संस्थापन कार्य चल रहा है। मेन्स पावर सप्लाई की कमी के कारण संस्थापन कार्य पहले शुरू नहीं हो सका था। आशा है अब एक्सचेंज सितम्बर, 1990 तक चालू कर दिया जाएगा।

चाय बागानों में उर्वरकों की खपत

10385. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में किस किस्म के उर्वरकों की कितनी खपत हुई;

(ख) क्या बरौनी में फर्टिलाइजर बनाने के लिए कच्चा माल उत्तरी बंगाल के बीच से गुजरती हुई पाइप लाइन के माध्यम से असम से आता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सम्भव और अपेक्षम है कि इस कच्चे माल का उपयोग करके उत्तरी बंगाल में ही इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित उर्वरक बनाया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) उत्तरी बंगाल के चाय बगानों में विभिन्न उर्वरकों की वर्तमान वार्षिक अनुमानित खपत निम्न प्रकार है :—

यूरिया	18600 टन
अमोनियम सल्फेट	5000 टन
एस० एस० पी०	6000 टन
मूरियट आफ पोटास	15000 टन

(ख) और (ग) जी, नहीं। बरौनी संयंत्र में उर्वरक तैयार करने के लिए फीडस्टाक नेफथा है, जिसको बरौनी रिफाइनरी में उत्पादित किया जाता है और असम से पाइपलाइन के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्तरी बंगाल क्षेत्र में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत नामरूप उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन से पूरी की जाती है और उत्तरी बंगाल में नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूखा राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

10386. **श्री राघवजी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भीषण सूखे और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भीषण सूखे और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य सरकार को कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति और पेयजल प्रबन्ध के बारे में एक ज्ञापन 16 अप्रैल 1990 को भेजा था, जिसमें उसने अप्रैल से जून 1990 की अवधि के लिए सूखा राहत उपायों हेतु 194.48 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी जिसमें राज्य में पेयजल की कमी को पूरा करने सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए 53.68 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मिलित हैं।

(ग) राहत व्यय को वित्त पोषित करने वाली योजना में 1 अप्रैल, 1990 से परिवर्तन किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित धनराशि से एक आपदा राहत कोष का सृजन किया गया है। इस धनराशि का 75% केन्द्र सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान के रूप में दिया जाएगा जोकि 4 बराबर त्रैमासिक किस्तों में देय होगा और

शेष 25 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में से किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति राहत व्यय से सम्बन्धित सभी मामलों का निर्णय करेगी। वर्ष 1990-91 के लिए मध्य प्रदेश राज्य की आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 17.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि का 75% भाग केन्द्र सरकार द्वारा चार त्रैमासिक किस्तों में दिया जाना है। इस आपदा राहत कोष के लिए पहली त्रैमासिक अवधि के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र के योगदान के रूप में मध्य प्रदेश राज्य के लिए 6.94 करोड़ रुपए की धनराशि "खाते के आधार पर" अदायगी के रूप में निर्मुक्त की गयी।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की शाखा की स्थापना

10387. **श्री राघवजी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का बागवानी के विकास के लिए मध्य प्रदेश को कोई विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास अभी मध्य प्रदेश राज्य सहित देश के किसी भी भाग में कोई शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी फल और सब्जी बाजार आसूचना सेवा योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में एक बाजार आसूचना केन्द्र स्थापित किया है।

बोर्ड ने 1989-90 से प्रारम्भ 108.50 लाख रुपए की कुल लागत से पांच वर्षों की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अनानास की खेती के अधीन क्षेत्र के विस्तार, उच्च घनत्व के रोपण की परियोजना को भी स्वीकृत किया है। परियोजना में बोर्ड की हिस्सेदारी 62.22 लाख रुपए है। वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य सरकार को 6.37 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गयी इसके अतिरिक्त, सरकार मध्य प्रदेश राज्य में काजू के विकास और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन के लिए पैकेज कार्यक्रम की योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, नारियल विकास बोर्ड मध्य प्रदेश में क्षेत्र विस्तार की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

दूध की खरीद तथा विपणन

[अनुवाद]

10388. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान दूध की खरीद तथा विपणन और सक्षम किसान संगठनों का निर्माण करने के संबंध में आपरेशन फ्लड दो कार्यक्रम के मुख्य लक्षण क्या थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) 1986-87 से 1988-89 की अवधि आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के चरण-3 को कवर करती है। उक्त अवधि के दौरान प्रमुख घटकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

प्रमुख घटक	86-87		87-88		88-89	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
ग्राम डेरी सहकारी समितियों की संख्या (हजार में)	38	49.1	54	54.5	58	58.9
कवर किए गए फार्म परिवार (लाख में)	47	51	57	56.7	63	62.5
औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (लाख लीटर प्रतिदिन)	77.6	78	78	77	88	78.7
औसत दुग्ध विपणन (लाख लीटर प्रतिदिन)*	63.7	65	75	68.9	85	70.5

*लक्ष्य में तरल दूध और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। सूचित की गई उपलब्धि केवल तरल दूध के लिए है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान, चल रही सूखे की स्थिति के कारण दुग्ध अधिप्राप्ति और विपणन में काफी कमी आयी थी। अब स्थिति में सुधार हो गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान दुग्ध अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। सहकारी समितियों दुग्ध परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाओं में विस्तार हेतु नीतियां तैयार कर रही हैं।

मदर डेयरियों द्वारा दूध की बिक्री तथा आयातित दूध पाउडर तथा वसा की खपत

10389. श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कलकत्ता, दिल्ली में मदर डेयरियों तथा ग्रेटर बम्बई द्वारा दूध की कितनी बिक्री की गयी तथा कितने दुग्ध पाउडर तथा वसा की खपत की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : विगत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में मदर डेरी द्वारा बेचे गए कुल दूध, दुग्ध चूर्ण और वसा की खपत का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में मदर डेरी द्वारा बेचे गए कुल दूध, दुग्ध चूर्ण और वसा की खपत को दर्शाने वाला विवरण

मदर डेरी का नाम	1987-88			1988-89			1989-90		
	दूध की बिक्री (हजार लीटर में)	निम्नलिखित की खपत		दूध की बिक्री (हजार लीटर में)	निम्नलिखित की खपत		दूध की बिक्री (हजार लीटर में)	निम्नलिखित की खपत	
		एस०एम०पी० (मी० टन)	वसा (मी० टन)		एस०एम०पी० (मी० टन)	वसा (मी० टन)		एस०एम०पी० (मी० टन)	वसा (मी० टन)
कलकत्ता	141251.35	11989.00	2641.00	136999.10	10853.00	2568.00	125892.15	6514.00	743.00
दिल्ली	201287.00	11130.00	3302.00	204235.00	11597.00	3090.00	195501.00	5471.00	1272.00
बम्बई	120530.30	—	—	95411.00	—	—	81770.95	—	—

एस० एम० पी० = स्किम दुग्ध चूर्ण ।

मी० टन = मीट्रिक टन ।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कुछ संगठनों पर प्रतिबन्ध

10390. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जम्मू और कश्मीर अपराध कानून संशोधन अधिनियम, 1983 के तहत नौ संगठनों को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है ।

दादर और नागर हवेली के स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन

10391. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर और नागर हवेली को स्वतन्त्र कराने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन से सम्मानित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) अन्य भारतीय नागरिकों के समान दादरा और नागर हवेली के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन पाने के पात्र हैं।

अमेरिका से भारतीयों को निर्वासित करना

10392. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 से उचित पर्यटन वीजा सहित कितने भारतीय अमेरिका के नार्थ वेस्ट एयरलाइंस एयरपोर्ट सिएटल पर पहुंच चुके हैं;

(ख) कितने भारतीयों को उचित दस्तावेजों के बावजूद भी निर्वासित किया गया था;

(ग) भारत सरकार का निर्वासन के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अमेरिकी प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है जबकि उन व्यक्तियों के पास पूरे दस्तावेज होते हैं और गन्तव्य स्थान पर जाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है;

(घ) भारतीयों को निर्वासित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच करने वाली विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट

10393. **श्री जसवन्त सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के षडयंत्र के दूसरे मामले की जांच के प्रभारी के रूप में श्री आर० सी० शर्मा, पुलिस महानिदेशक ने क्या सिफारिशें की थी;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेष जांच दल प्रमुख को इस अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी थी;

(ग) तत्पश्चात् विशेष जांच दल ने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की थीं; और

(घ) इसके बाद सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) विशेष जांच-पड़ताल दल को सिफारिश की गई थी कि न्यायालय में नए सिरे से चालान प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं होगा।

(ग) विशेष जांच-पड़ताल दल ने कुछ अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के वास्ते सरकार की मंजूरी मांगी थी।

(घ) मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में एक दूसरा आरोप-पत्र दायर किया गया था।

कटिहार-हरीशचन्द्रपुर सड़क का निर्माण

10394. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कटिहार को पश्चिम बंगाल के हरीशचन्द्रपुर के साथ जोड़ने हेतु एक सड़क की निर्माण परियोजना को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में दिल्ली-दीवानगंज से हरीचन्द्रपुर तक सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई राशि को बिहार में सड़क निर्माण पर व्यय कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में इस सड़क के भाग के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) छठी योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत 200.00 लाख रु० की लागत से बिहार में कटिहार-हरिशचन्द्रपुर सड़क के एक भाग प्राणपुर-बाबा-दिल्ली-दीवानगंज

खंड (लम्बाई लगभग) 10 कि० मी०) में सुधार करने तथा महानन्दा नदी पर बड़े पुल के निर्माण के कार्य को अनुमोदित किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह एक राज्य सड़क है और इसलिए इसके विकास हेतु मुख्यत: पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार अभी तक इस खंड का निर्माण शुरू नहीं कर पाई है। उसने इस परियोजना को बढ़ाए गए केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है। तथापि निधि में वास्तविक वृद्धि अभी होनी है।

अमरीका में हिन्दू मन्दिरों को बन्द करना

[हिन्दी]

10395. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि अमरीका में पांच हिन्दू मन्दिरों को बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अमरीका सरकार से इस मामले में हमारी सरकार बात करके हमारी सरकार इन मन्दिरों को खुलवाने के लिए यदि कोई कदम उठा रही है, तो वे क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका में "इस्कोन" मन्दिरों के सम्बन्ध में कानूनी विवाद चल रहा है। यह मामला अमरीका के न्यायालयों में अभी भी न्यायाधीन है। भारत सरकार किसी अन्य सम्प्रभुत्ता सम्पन्न देश की कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों के लिए शैल्टर

[अनुवाद]

10396. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या अन्त-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में अपने यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम बसों की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित विद्यमान शैल्टरों की मरम्मत और उनके रख-रखाव पर ध्यान दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में क्षेत्रवार बने ऐसे शैल्टरों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य सतत् आधार पर किया जाता है। अप्रैल, 1989 से अप्रैल, 1990 के दौरान 30 क्षतिग्रस्त बस क्यू शैल्टरों की मरम्मत की गई है।

(ङ) इलाकावार ब्यौरे नहीं रखे जाते। 30-4-1990 की स्थिति के अनुसार बस क्यू शैल्टरों की क्षेत्रवार संख्या निम्नलिखित है :

उत्तरी क्षेत्र	494
दक्षिणी क्षेत्र	449
पूर्वी क्षेत्र	275
पश्चिम क्षेत्र	414
कुल :	1533

विवरण

दिल्ली परिवहन निगम सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क प्रचालित करता है जिसमें 738 सिटी रूट और 114 अन्तर्राज्यीय रूट हैं। यह प्रति दिन 43745 निर्धारित ट्रिप चलाता है और प्रति दिन लगभग 45.10 लाख यात्रियों को लाता-ले जाता है। यह अपने यात्रियों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

1. महिला यात्रियों के लिए सुविधाएं :

   (क) बसों में 8 सीटों का आरक्षण।

   (ख) अगले दरवाजे से बसों में चढ़ने की अनुमति।

2. विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाएं :

   (क) बसों में 2 सीटों का आरक्षण।

   (ख) ऐसे वर्गों के अपंग व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा सुविधा जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा जारी किए गए पहचान-पत्र के आधार पर रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा पहले ही आरक्षण किया गया है।

3. दिल्ली परिवहन निगम ने निम्नलिखित वर्गों के यात्रियों को भी मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है :

   (क) महानगर परिषद, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्य।

(ख) ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जो दिल्ली के निवासी हैं और स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं।

(ग) युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रित बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं और समुचित रक्षा प्राधिकारियों जैसे पुनर्वास महानिदेशक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि वे युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं हैं अथवा उनके आश्रित बच्चे।

(घ) केन्द्र सरकार से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्हें "राष्ट्रीय पुरस्कार" जैसे "भारत रत्न" पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।

(ङ) ऐसे खिलाड़ी जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिक और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

उपर्युक्त रियायतें इन्दिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट कोच और टूरिस्ट सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की सिटी बसों में वैध हैं।

4. छात्रों के लिए सुविधाएं :

(क) छात्रों को निम्नलिखित प्रकार के रियायती पास जारी किए जाते हैं :

(i) गन्तव्य (मासिक) : ये पास मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के वास्तविक छात्रों को 30 एक तरफा भाड़े की दर पर परन्तु अधिक से अधिक 12.50 रु० प्रति पास के हिसाब से जारी किए जाते हैं।

(ii) सभी रूट (मासिक) : ये पास 12.50 रु० प्रति पास की नियत दर पर जारी किए जाते हैं।

(iii) सभी रूट (त्रैमासिक) : ये पास 37.50 रु० प्रति पास की नियत दर पर जारी किए जाते हैं।

(ख) विभिन्न कालोनियों से कालेजों तक और कालेजों से विभिन्न कालोनियों तक विश्व-विद्यालय विशेष ट्रिप चलाए जाते हैं।

(ग) विभिन्न स्कूलों के लिए चार्टर बस सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) विभिन्न कालोनियों में पास अनुभाग खोले गए हैं।

(ङ) कई कालेजों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वे 2% कमीशन के आधार पर कालेज के छात्रों को सभी रूट पास जारी करें।

5. पुनर्वास कालोनियों में रह रहे यात्रियों के लिए सुविधाएं :

(क) दिल्ली परिवहन निगम आपात काल के दौरान दूर-दराज की पुनर्वास कालोनियों में

शिफ्ट किए गए यात्रियों के लिए निम्नलिखित दरों पर मासिक रियायती पास जारी करता है :

(i) 20 कि० मी० तक	15/- रु० प्रति पास
(ii) 20 कि० मी० से अधिक	25/- रु० प्रति पास

6. पत्रकारों के लिए सुविधाएं :

पत्रकारों (प्रेस प्रतिनिधियों) के लिए निम्नलिखित प्रकार के सभी रूट पास जारी किए जाते हैं :

(क) सभी रूट (मासिक) : ये पास 70/- रु० प्रति पास की दर पर जारी किए जाते हैं।

(ख) सभी रूट (त्रैमासिक) : ये पास 210/- रु० प्रति पास की दर पर जारी किए जाते हैं।

7. पुलिस कार्मिकों के लिए सुविधाएं :

(क) कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बस में एक समय में बावर्दी दो अधीनस्थ दिल्ली पुलिस कार्मिकों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) पुलिस सभी रूट पास (मासिक) : ये पास दिल्ली पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50/- रु० प्रति पास की नियत दर पर जारी किए जाते हैं।

8. आम जनता के लिए सुविधाएं :

(क) आम जनता को निम्नलिखित प्रकार के रियायती पास जारी किए जाते हैं :

(i) गन्तव्य (मासिक) : ये पास 40 रु० एक तरफा भाड़े की दर पर जारी किए जाते हैं।

(ii) सभी रूट (मासिक) : ये पास 100/- रु० प्रति पास की नियत दर पर जारी किए जाते हैं।

(ख) शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन निम्नलिखित दरों पर "मनचाही यात्रा" यात्रा टिकट जारी किए जाते हैं जो इन्दिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोच और टूरिस्ट सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की सिटी बसों में वैध होते हैं :

व्यस्क	4/- रु०
बच्चा (12 वर्ष तक)	2/- रु०

(ग) विभिन्न वर्गों के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिटी सेवाओं के अलावा,

सीमित स्टाप बसें, रेलवे स्पेशल, रात्रि सेवाएं, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट सेवाएं, फीडर सेवाएं, इन्दिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोच और टूरिस्ट सेवाएं चलाई जाती हैं।

विभिन्न रूटों पर भारी संख्या में बस क्यू शेल्टरों, टाइम कीपिंग बूथों और पूछताछ बूथों तथा महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर पानी एवं शौचालय सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए भारी लोडिंग प्वाइन्ट्स पर अग्रिम टिकट देने वाले तैनात किए जाते हैं। महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर बस सेवाओं का समय दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा केरल के कुछ व्यक्तियों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र

10397. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अनेक व्यक्तियों को भारतीय नौवहन निगम, बम्बई के किसी अधिकारी द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे;

(ख) क्या चुने गए व्यक्तियों को पद ग्रहण करने की तिथि और स्थान की सूचना "टेलेक्स" के माध्यम से भी दी गई थी;

(ग) क्या नियुक्ति पत्र और "टेलेक्स" सन्देश प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है;

(घ) क्या इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन व्यक्तियों को नियुक्ति-पत्र जारी करने के लिए उनसे लाखों रुपए एकत्र किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) कुछ व्यक्तियों ने ये शिकायतें की हैं कि उन्हें आफशोर सप्लाई वैसल्स पर काम के लिए भारतीय नौवहन निगम के उप प्रबन्धक किन्ही श्री जे ए काम्बले द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षर किए हुए नियुक्ति-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन व्यक्तियों ने यह शिकायत भी की है कि उन्हें भारतीय नौवहन निगम द्वारा कथित रूप से भेजे गए टेलीग्राम प्राप्त हुए थे।

(ग) चूंकि भारतीय नौवहन निगम का न तो आफशोर सप्लाई वैसल्स पर क्रू की भर्ती करने का इरादा था और न ही किसी उम्मीदवार को परीक्षाओं, साक्षात्कार आदि के लिए बुलाया गया था, इसलिए भारतीय नौवहन निगम में इन व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय नौवहन निगम को प्राप्त अभ्यावेदनों और याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सम्बन्धित व्यक्तियों ने भारतीय नौवहन निगम के एक जहाज पर मुख्य रसोइये के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति को कुछ धनराशियां दी हैं।

(ङ) सम्बन्धित मुख्य रसोइये को, 21-6-1989 को पिछले वैसल से अल्पकालिक छुट्टियों पर डिस्चार्ज किया गया था। भारतीय नौवहन निगम से बार-बार सन्देश भेजे जाने के बावजूद उसने ड्यूटी

के लिए भारतीय नौवहन निगम को दोबारा रिपोर्ट नहीं की है। इसे देखते हुए भारतीय नौवहन निगम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका है। हाल ही में प्राप्त एक सन्देश के अनुसार मई, 1990 के अन्त तक उसके द्वारा ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने की उम्मीद है।

जहां तक भारतीय नौवहन निगम के उप प्रबन्धक श्री काम्बले का सम्बन्ध है, भारतीय नौवहन निगम से प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर उसे तुरन्त 4-10-1989 को निलम्बित कर दिया और मामले की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति नियुक्त कर दी गई। श्री काम्बले ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। बम्बई उच्च न्यायालय ने, दिनांक 9-2-1990 के अपने आदेश के तहत, भारतीय नौवहन निगम को 30-4-1990 को या उससे पहले एक आदेश पारित करने समेत जांच पूरी करने का निदेश दिया जिसके न किए जाने पर दिनांक 4-10-1989 को निलम्बन के आरोप का आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। जांच 30-4-1990 तक पूरी नहीं हो सकी और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निलम्बन को समाप्त कर दिया गया है तथा श्री काम्बले ने 2-5-1990 से ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की। विभागीय जांच अभी चल रही है। सरकार ने पूर्ण जांच के लिए मामले ा जनवरी, 1990 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजा है।

फार्म हाऊसों के लिए भूमि अधिग्रहण

10398. **श्री वसन्त साठे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सम्पन्न वर्ग के लोगों द्वारा "फार्म हाऊसों" के रूप में भव्य भवनों के निर्माण लिए दिल्ली के आस-पास कृषि भूमि अधिग्रहीत किए जाने के मामलों में तेजी आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने फार्म हाऊस बनाए गए हैं और इसके लिए ितना भूमि क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का फार्म हाऊसों के निर्माण के लिए कृषि भूमि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने ा विचार है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगार युवकों की जनगणना कार्य के लिए नियुक्ति

10399. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 में जनगणना कार्य शिक्षकों से कराने की बजाय बेरोज़गार युवाओं से कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अनुसार राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जनगणना करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। यह एक नियन्त्रित और समयबद्ध कार्य होने के कारण इसके लिए सरकारी/स्थानीय निकाय के प्राइमरी स्कूल अध्यापकों, लिपिकों और राजस्व क्षेत्र के अधिकारियों को केवल अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाता है। अतः 1991 की जनगणना का कार्य बेरोजगार युवकों द्वारा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नारियल-गरी के व्यापार में वायदा बाजार

10400. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नारियल उद्योग की सहायता करने के लिए नारियल-गरी के वायदा बाजार की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत नागरिक आपूर्ति विभाग में अलेप्पी आयल मिल मालिक और मर्चेन्ट्स एसोसिएशन केरल की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) भारत सरकार इस समय कोपरा के वायदा बाजार को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) कोपरे की अनगिनित किस्में तेल, नमी और रंग आदि में एक दूसरे से भिन्न होती हैं इसलिए भविष्य में होने वाले करार के लिए आधारभूत किस्मों की तुलना में कोपरे की उच्च एवं निम्न किस्मों के लिए "आन" या "आफ" छूट निर्धारित करना कठिन होगा।

(2) कोचिन में कोपरे का चालू विपणन मूल्य लगभग 1530-1550 रु० प्रति क्विंटल है। भारत सरकार द्वारा घोषित 1600 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थित मूल्य को ध्यान में रखते हुए, यदि किसी वायदा बाजार के लिए अनुमति दी जाती है तो यह 1600 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य के अधीन होगी। इस समय चालू मूल्य स्तर पर भविष्य में कोपरे के बाजार में खरीददार पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे।

फैक्स मशीन

10400-क. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्स मशीनों के स्वदेशी विनर्माण/असेम्बलिंग के बारे में सरकार की मौजूदा नीति क्या है;

(ख) अगले 2-3 वर्षों में फैक्स मशीनों की सम्भावित मांग (प्रोजेक्टिड डिमांड) क्या है;

(ग) फैक्स मशीनों का विनिर्माण करने के लिए किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) फैक्स मशीनों की निरन्तर बढ़ती हुई, मांग को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) फैक्स मशीन का देश में ही निर्माण करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि इसके विनिर्माण के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुमति दी जाए बशर्ते कि इस प्रस्ताव में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन न हो। इसके निर्माताओं के पास इन मशीनों को बनाने की पर्याप्त विशेषज्ञता और सक्षमता होनी चाहिए।

(ख) दूरसंचार विभाग की अनुमानित आवश्यकता प्रतिवर्ष 1000 से अधिक मशीनों की है। इस स्थिति में जनता की मांग नहीं बताई जा सकती है क्योंकि अभी फैक्स मशीनों की शुरुआत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) इन मशीनों के विनिर्माण के लिए कुछ और यूनिटों को निकट भविष्य में लाइसेंस दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल की खरीद

10400-ख. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड खाद्य तेल बाजार में हस्तक्षेप करके तथा खाद्य तेलों की भारी खरीददारी करके इस बाजार में उथल-पुथल मचा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बाजार हस्तक्षेप कार्य कर रहा है। मूंगफली के तेल और सरसों के तेल के मूल्य निश्चित सीमाओं के भीतर हैं।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बाजार हस्तक्षेप कार्य भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दिए गए आदेशों के अनुसार किए जाएं ।

केरल समुद्र तट पर मत्स्य नौकाओं पर प्रतिबन्ध

10400-ग. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मानसून के महीनों के दौरान अपने समुद्री तट पर मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौकाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन कारणों से यह प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ग) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने यह प्रतिबन्ध हटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 20 जुलाई, 1989 से 31 अगस्त, 1989 तक सीमांतर्गत जल क्षेत्र के भीतर राज्य के सम्पूर्ण तटीय रेखा के साथ लगने वाले समुद्र में बाटम ट्रालिंग पर प्रतिबन्धित लगा दिया था जैसाकि उनके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालय ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर केरल सरकार के साथ इस मामले को उठाया है ।

[12.00 मध्याह्न]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : यह सरकार सबसे बड़े घोटाले, बोफोर्स के प्रचार के कारण सत्ता में आयी है । चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने पर 15 दिन के अन्दर वे उन व्यक्तियों के नाम बता देंगे जिन्होंने दलाली ली है···(**व्यवधान**) हमें पता चला है कि स्वीडिश राजदूत ने विदेश मन्त्रालय के एक अधिकारी को राष्ट्रीय आडिट ब्यूरो के सभी कागजात सौंप दिए हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इन कागजातों को कब सभा पटल पर रखेगी क्योंकि कल चालू सत्र का अन्तिम दिन है । सभा का सत्र चल रहा है । संसद और देश के हित में ये सभी कागजात सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं । अन्यथा हमें भय है कि ये फिर अन्य सदस्यों को लीक कर दिए जाएंगे और···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, मैं आपको भी बुलाऊंगा ।

श्री वसन्त साठे : यह बड़ी अनुचित बात होगी। हम वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उन कागजातों को, जिनके बारे में वे सत्ता में आने तक बार-बार कहते रहे हैं, सभा पटल पर रखेगी। उन्होंने इसके सम्बन्ध में एक भी दस्तावेज नहीं रखा है। अब उन्हें ये दस्तावेज सभा पटल पर रखने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जसवन्त सिंह की बात सुनें।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे अपने प्रतिष्ठित सहयोगी श्री वसन्त साठे की साफ झूठ से कितना आघात पहुंचा है। इस संसद को विगत तीन वर्षों से आडम्बर, असत्यता और संसद के दोनों सदनों में धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है। सम्भवत: स्वतन्त्र भारत में यह हथियारों सम्बन्धी सबसे बड़ा घोटाला है। विगत तीन वर्षों से लगातार हमें, संसद तथा देश की जनता को धोखा दिया गया। प्रक्रिया के अन्तर्गत देश की प्रत्येक संस्था को कमजोर बनाया गया। पिछली सरकार ने बुनियादी जानकारी न देने के लिए सभी सम्भव झूठे कारण बताए। मैं आपको बताऊंगा···(व्यवधान) महोदय, मेरी बात सुनने के लिए उन्हें धैर्य रखना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई असंसदीय शब्द बोला है ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी इनका प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सुन लें।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपको याद होगा कि···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है, तो उसे नियम का भी उल्लेख करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए था मैं आपको अनुमति देता। अपने स्थान पर बैठ जाइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपको याद होगा कि शून्यकाल, जिसका आपने संचालन किया है, के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि कोई भी सदस्य, जो किसी विशेष मामले को उठाना चाहता है, उठा सकता है। यह विशेषत: बताया गया था कि इस अवसर का लाभ आरोप लगाने अथवा चर्चा करने के लिए नहीं उठाया जा सकता···(व्यवधान) इस शून्यकाल का प्रयोग किसी चर्चा के लिए नहीं किया जा सकता। आपने स्वयं इसका संचालन किया है, वह बोफोर्स पर चर्चा शुरू

कर रहे हैं तथा आरोप लगा रहे हैं···(व्यवधान) साठे जी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने केवल यही कहा था कि दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाएं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है। विनिर्णय मुझे देना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, कृपया उन्हें यह आरोप लगाने की अनुमति मत दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आप पूर्ण चर्चा शुरू कीजिए और हमें इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न मेरी समझ में कतई नहीं आया। यह विशेष सभा 'गोशाला' नहीं है। यह एक राजनैतिक संस्था है और विपक्ष हमारे विरुद्ध आरोप लगाएगा। जब वे हमारे विरुद्ध आरोप लगाते हैं तो उन्हें भी उनके विगत तीन वर्षों के कुशासन का उल्लेख होने पर हो-हल्ला नहीं करना चाहिए। वे हो-हल्ला क्यों शुरू कर देते हैं? **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : हम तथ्य जानना चाहते हैं इसलिए तथ्य बताए जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम चाहते हैं कि वह तथ्य बताएं। उन्हें तथ्य बताने चाहिएं। हम तथ्य जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं गोवा के अपने अच्छे मित्र की भावनाओं से सहमत हूं जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं तथा जिनका बड़ा सम्मान करता हूं। इसके अतिरिक्त श्री एडुआर्डो फैलीरो बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। मैं तथ्य जानने के बारे में उनकी चिंता से सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनकी घबराहट कभी दूर नहीं होगी।

श्री जसवन्त सिंह : तथ्य यह है कि विगत तीन वर्षों से निष्क्रियता के बारे में हर सम्भव झूठा कारण बताया जाता रहा। इनमें से एक कारण हमें यह बताया गया कि जनहित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण बोफोर्स सम्बन्धी तथ्य नहीं बताए जा सकते। परन्तु वास्तविकता यह है कि देश को दिए गए इस धोखे से राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सैनिकों के मनोबल को नुकसान पहुंचा। यह भी बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, स्वीडन की सरकार तथा स्विटजरलैंड की संघीय सरकार से सहयोग नहीं मिला। इस सम्मानित सभा को ये बातें बतायी गयीं। विगत तीन वर्षों से ये सब बातें बतायी गयी हैं। मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूं कि तीन महीनों के अन्दर इसने वह सब कुछ दिखा दिया जो तीन वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ था।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के उस भाग को, जिसे प्राप्त करने के लिए विगत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और जिसके कारण संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकी, सभा पटल पर रखना चाहिए। (व्यवधान) महोदय, अब उनमें तथ्यों को सुनने की रुचि होनी चाहिए। वे संसद में क्यों हो हल्ला करते हैं ? यह कुछ सप्ताह की बात है। मैं सरकार से विशेषत: दो मांगें करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोफोर्स सम्बन्धी रिपोर्ट के अंश को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आज सदन में चर्चा आरम्भ होने से पूर्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंशों को सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाए। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : हम आपका समर्थन करेंगे। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : हम चाहते हैं कि पूरी रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाए। 'उन्हीं अंशों' को क्यों ? (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : बोफोर्स सम्बन्धी पूरी रिपोर्ट और पूरी फाइल सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह : हां, महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

महोदय, यदि मेरे वरिष्ठ सहयोगी···। (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं माननीय श्री वसन्त साठे को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि वे हस्तक्षेप करते समय ज्यादा इशारे वगैरह न करें तो उनकी बात अधिक स्पष्ट हो सकती है। उनके इशारे न तो उनकी बात को अधिक सुस्पष्ट ही कर पाते हैं न ही सुसंगत बना पाते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे पास इस सरकार के समक्ष रखने के लिए दो बहुत ही साधारण मांगें हैं परन्तु मैं इस कार्य को जल्द निपटाने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं।

स्वीडन सरकार से आपने जो भी रिपोर्ट प्राप्त की है, आप लेखा परीक्षा विभाग का पूरी रिपोर्ट को हमें आज ही उपलब्ध कराएं, वह अंश जो वे प्राप्त नहीं कर सके थे जब उनकी सरकार सत्तारूढ़ थी। उसके बाद, महोदय···(व्यवधान)। एक निवेदन और। सरकार को यह सलाह भी दी जाती है कि इस जानकारी को जिसे सरकार ने अभी ही प्राप्त किया है और जिसे पिछली सरकार ने संसद में प्रस्तुत न करने का हर सम्भव प्रयास किया था, सभा पटल पर रखने के साथ, वे हमें कृपया यह भी बताएं कि अब तक स्विटजरलैंड में लम्बित पड़े सभी मामलों के बारे में क्या प्रगति हुई है। वे सारे कदम जो आपने स्विटजरलैंड में उठाए हैं उससे भी संसद को अवगत कराएं, कृपया हमें बताएं कि स्विटजरलैंड में क्या हुआ है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने श्री साठे का निवेदन सुना और उन्होंने अपने निवेदन में एक बात कही जो मैं समझता हूं कि सरकार को याद होनी चाहिए और

श्री जसवन्त सिंह और उनके सहयोगी को भी नहीं भूलना चाहिए, वह यह कि उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि वे सत्ता में आने के पन्द्रह दिनों के अन्दर सारे नाम बता देंगे। अब, नाम बताने की बात तो दूर रही, वे रिपोर्ट के उस अंश को भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जिसे प्राप्त करने का वो दावा करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि एक बजे तक वे पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें (व्यवधान) वे इसे क्यों छिपा रहे हैं? अब वे क्या छिपाने जा रहे हैं? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वे मामले में और मिर्च मसाला लगाकर इस सदन में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि दो वर्षों तक उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। बोफोर्स का ऐसा हौवा पैदा किया जो कभी था ही नहीं, पर उन्होंने इस मुद्दे पर प्रत्येक दिन अड़चनें पैदा कीं। आज वे कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। उनको सत्ता में आए छह माह से अधिक हो गए। यह शर्म की बात है। अगर जसवन्त सिंह को 'कपटी' जैसे शब्द का प्रयोग शोभा देता है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वे किस तरह की चालबाजी में लगे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द उन सभी कागजातों को प्रस्तुत करे जो उनके पास हैं और हमें बताएं कि उन्होने विगत छह माह में बोफोर्स सम्बन्धी जांच के लिए कौन से कदम उठाए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्यों को आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है। आपने आश्वासन दिया था कि सभी माननीय सदस्यों को रहने के लिए मकान मिल जाएंगे, लेकिन आज 7 महीने हो गए, मेरे जैसे अनेक सदस्यों को अभी तक रहने का मकान नहीं मिला है। मकान न मिलने के कारण हम सदन के कार्यों में सक्रियता से भाग नहीं ले पाते हैं, हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आ रही हैं, हमारे गैस्ट्स को भी कोई सुविधा नहीं मिलती और हमारे परिवारजनों के सामने भी अनेक कठिनाइयां आ रही हैं। आज हालत यह है कि जो एम० पी० नहीं हैं वे मकानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और मेरे जैसे अनेक एम० पी०, जिन्हें यद्यपि मकान तो एलॉट हो गया है, परन्तु कब्जा नहीं मिला है, मकान के बाहर बैठे हैं। आपने वैसे तो हाउस कमेटी बना रखी है, लेकिन वह भी निष्क्रिय है। मैं चाहता हूं कि उस कमेटी को भंग करके आप हमें आश्वासन दें कि कब तक हमें रहने के लिए मकान मिल जाएगा। जब तक हमें मकान नहीं मिलता है, हमारे लिए कोई आल्टरनेट व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। आप बताएं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने देखा कि घबराहट में···(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कैसी घबराहट? उन्होंने कहा था कि वे पन्द्रह दिनों में नाम बता देंगे, लेकिन हम धैर्यपूर्वक पिछले छह माह से इन्तजार करते रहे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, हर आदमी के भाषण की अपनी शैली होती। हमें किसी के भाषण की शैली में हस्तक्षेप नहीं करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री साठे ने अपनी ईमानदारी का स्वांग भरा है। इसमें कोई शक नहीं कि बोफोर्स मुद्दा, जिसे कि इस सदन की पिछली कई बैठकों में उठाया गया, वह पूरी तरह सही था।

(व्यवधान) हमारे प्रयासों को पूरी तरह सही ठहराया गया चूंकि उसके तदनन्तर जो भी परिणाम सामने आए और लोगों ने जो हमारे समर्थन में मतदान किया उन्होंने उनके विरुद्ध बोफोर्स मुद्दे पर मतदान दिया। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या बोफोर्स का प्रेत केवल मत प्राप्त करने के लिए ही पैदा किया गया था ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बार-बार यही कहा गया कि स्वीडिश सरकार कोई भी दस्तावेज देने नहीं जा रही है लेकिन उन्होंने अब तो हमें दे दिए हैं। उन्होंने कहा था कि न तो स्विस बैंक और न ही स्विटजरलैंड सरकार कोई सहयोग देगी। सब कुछ झूठ प्रमाणित हो गया है और पिछली सरकार ने इस सदन के साथ धोखा किया था। इसलिए जब ये दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं तो मैं भी निश्चय ही श्री जसवन्त सिंह के साथ मिलकर सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पूरी तरह उन दस्तावेजों का खुलासा कर दें। इस देश की जनता को इनके असली चरित्र की जानकारी मिल जाए जिन्होंने कि हथियारों की खरीद में भी देश को लूटा है। जबकि देश की सुरक्षा का प्रश्न था तो इन लोगों ने देश के हित से बढ़कर अपने हित को सर्वोपरि ठहराया और यह अब प्रमाणित हो चुका है। इसलिए हम दृढ़ता से सिफारिश करते हैं कि यह सरकार न केवल इन दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करे बल्कि हमें यह शीघ्र जानकारी भी मिलनी चाहिए कि स्विटजरलैंड के न्यायालयों में इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं। यह जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कमल नाथ की बात सुनें, उनका विषय अलग है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, इससे पहले कि श्री कमल नाथ दूसरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उन दस्तावेजों को सदन में प्रस्तुत कर रही है अथवा नहीं। श्री गुजराल यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया उन्हें निर्देश दें। वे चुप क्यों हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, क्या आपने इन्हें परमिट किया हुआ है कि ये हर मैम्बर के बाद बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। आप इन पर लगाम लगाइए, इन्हें रोकिए। ऐसे कैसे काम चलेगा कि ये हर बार बीच में खड़े होकर बोलने लग जाएं।

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, आप भी बैठ जाइए और आप भी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, हम सभी जानते हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कैसी अव्यवस्था फैला रखी है और यह अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच गया है। फिजी जैसा एक छोटे से देश की भी यह हिम्मत हो गई कि उसने चौबीस घण्टे के अन्दर हमारे दूतावास को बन्द करने का आदेश दे दिया। उन्होंने भारतीय दूतावास के सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर फिजी छोड़ने को कहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : 1989 में भी हमारे राजदूत को वापिस भेजा गया था।

[हिन्दी]

वह याद नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर इस पर कोई बयान देने वाले हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही गम्भीर मसला है क्योंकि यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। इससे पहले किसी भी देश में भारतीय दूतावास को इस प्रकार देश छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, जिस तरह से अब कहा गया है। यह सब आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की आड़ लेकर किया गया है। जब फिजी जैसा एक छोटा सा देश ऐसा कर सकता है तो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भारत के बारे में अन्य देश क्या धारणा बनाएंगे ? वह ऐसा मान रहे हैं कि भारत, भारत की सरकार कमजोर और लड़खड़ाती हुई है और इस स्थिति से निपटने में असफल है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। श्री गुजराल एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं लेकिन शायद वह गलत लोगों के साथ हैं।

इस गम्भीर विषय पर क्या मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे और क्या आप इस पर आज चर्चा की अनुमति देंगे ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : 89 में जब एम्बैसेडर वापस आ गए तब आपने क्या किया था ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं चाहती हूं कि आप हस्तक्षेप करें ताकि कोई बीच में बाधा ना डाले। ऐसा इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

बोफोर्स मामले से सम्बन्धित सभी कागजातों को सभा पटल पर रखे जाने का समर्थन करते हुए मैं एक और राष्ट्रीय महत्व का महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। मैं दो दिन से प्रयास कर रही हूं

और आज आपने कृपा करके मुझे अनुमति दी है। यह विश्व हिन्दू परिषद और राम जन्म भूमि योजना समिति से सम्बन्धित है। परसों के टाइम्स आफ इण्डिया में उनकी घोषणा छपी है। उसमें कहा गया है :

"कि विश्व हिन्दू परिषद और श्री राम जन्म भूमि योजना समिति ने आज स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के हल के लिए वह 8 जून से आगे समय नहीं देंगे।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मन्दिर के निर्माण को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। श्री रावत आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब आप क्यों खड़े हो गए ?

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। पहले मैंने द्वारिका के शंकराचार्य (धार्मिक नेता) की ओर ध्यान दिलाया था। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति सम्भालने के लिए बधाई दूंगी···(व्यवधान) अब विश्व हिन्दू परिषद की घोषणा से समस्त राष्ट्र में साम्प्रदायिक नरसंहार का खतरा पैदा हो गया है। यह शर्म की बात है की विश्व हिन्दू परिषद के एक महत्वपूर्ण कर्ताधर्ता इस सदन के सदस्य हैं। विश्व हिन्दू परिषद के एक महत्वपूर्ण कर्ताधर्ता भारतीय जनता पार्टी से है।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ मामले को उठाकर इस विवाद का शांतिपूर्वक हल निकालें जिसके अभाव में सभी पक्षों को न्यायालय का निर्णय मानना चाहिए। विवादास्पद स्थल पर किसी भी मन्दिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि सभी सम्बन्धित पक्ष इसे गम्भीरता से लेंगे जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति इस खतरे से निबटा जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जोरदार शब्दों में श्रीमती गीता मुखर्जी की टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाल दयाल जोशी (कोटा) : चार महीने का समय दिया है। चार महीने से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री राम गणेश कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे राम जन्म भूमि पर बोलने के लिए बोला है? महाराष्ट्र के मुम्बई के मालाड़ और पालघर रेलवे स्टेशनों में बम विस्फोट होने के बाद आतंकवादियों की ओर से आज तक 17 बम विस्फोट किए गए।

अध्यक्ष महोदय : कापसे साहब, आप एक्स-टैम्पोर बोलिए, आप तो बोलना जानते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री राम गणेश कापसे : मैं सीनियर मैम्बर का अनुकरण कर रहा हूं। इन विस्फोटों में निरपराध नागरिकों की मृत्यु होने के बाद भी पुलिस के सतर्कता न दिखाने के कारण ठाणे जिले के भिवंडी शहर में पुलिस वायरलैस गाड़ी में ही टाइम बम का विस्फोट हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि आतंकवादी देश भर में अपना जाल फैला रहे हैं। पुलिस आज भी सतर्क नहीं है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बम वायरलैस गाड़ी में खालिस्तानी आतंकवादियों ने रखवाया था। 17 मई को भी ठाणे शहर में बम रखने की कोशिश हुई।

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर कहता हूं कि आप बोलिए लेकिन एक्स टैम्पोर बोलिए।

श्री राम गणेश कापसे : ठाणे शहर में बम रखने की कोशिश की लेकिन आतंकवादियों को कामयाबी नहीं मिली। भिवंडी में वायरलैस गाड़ी में बम रखना इसलिए है कि पुलिस गाड़ी वैसे ही रखकर इधर-उधर भटक रही थी। महाराष्ट्र की पुलिस 17 बम विस्फोट होने के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। मेरी मांग है कि गुप्तचरों के द्वारा इस विषय में जांच हो, शीघ्र हो, सी० बी० आई० द्वारा इसकी जांच हो। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना, आप हमारी तरफ भी तवज्जह दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आज दिल्ली की जनता की ओर से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को और एलाईड पार्टीज को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली को स्टेटहुड देने के बारे में निर्णय किया है। हाउस को ऐक्सटैंड करके भी यह तय किया है कि दिल्ली को स्टेटहुड दिया जाए। कांग्रेस की यह साजिश है कि दिल्ली को किसी तरह से स्टेटहुड न मिले। **(व्यवधान)**

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनीचौक) : आपके चेहरे काले हैं, आपको जनता जानती है। जिस तरह आपने दिल्ली को लूटा है। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : सिम्पल मैजोरिटी के द्वारा बिल पास करने का सरकार ने जो रास्ता निकाला है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। **(व्यवधान)** कांग्रेस को इस साजिश के लिए दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से कोशिश में था कि सदन के अन्दर मेरे इलाके के उन लाखों लोगों, किसानों के सवालों को यहां रखूं। मेरे इलाके के हजारों गांव लैवल क्रासिंग न होने की वजह से रेल लाइन पर कैद हो गए हैं। चीन की दीवार की तरह रेल लाइन किसानों को रोके हुए है जिसकी वजह से वे न तो अपने खेत में जा सकते हैं, न गांवों में जा सकते हैं, न ही मंडी से अपना अनाज ला सकते हैं। रेल विभाग ने फैसला किया है कि लैवल क्रासिंग नहीं बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि रेल विभाग लैवल क्रासिंग बनाए। तो फिर कौन लैवल क्रासिंग बनाएगा। किसान खेत से बाहर कैसे जाए और किसान अपने खेत का माल खलिहान में कैसे लाए? रोज ही वहां लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। रेल विभाग ने फैसला कर रखा है कि कोई भी अनमैनंड लैवल क्रासिंग नहीं बनेगा। मैनंड लैवल क्रासिंग बनेगा नहीं और अनमैनंड आप बनाएंगे नहीं? ऐसे में वे लोग मौत के शिकार होते हैं। आज 40 साल तक इस सदन के अन्दर इस महत्वपूर्ण सवाल को किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया। बाकी सवालों पर चर्चा जाया कर दिए जाते हैं। गांवों में बसने वाले किसान ऐसे में अपने खलिहानों में काम नहीं कर पाते। अगर लैवल क्रासिंग नहीं बनाएंगे तो वे किसान कैसे खलिहान में जाएंगे और कैसे मंडी में अपना सामान बेचने जाएंगे। यह किसानों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस गम्भीर मामले पर सरकार अवश्य ध्यान दे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भीषण जल संकट विद्यमान है। 3-3 और 4-4 किलोमीटर की दूरी से गांवों के लोगों को पानी लाना पड़ता है। बूंद-बूंद पानी के लिए वहां हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के 351 बड़े नगर और कस्बे, 70 विकास खण्ड और लगभग 12 हजार गांव भीषण जल संकट के अन्दर है। अभी हमारे प्रधान मन्त्री महोदय मध्य प्रदेश 24 अप्रैल को गए थे। उन्होंने बस्तर में सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि 37 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को पेयजल के लिए अतिरिक्त दिए जाएंगे लेकिन मुझे पता चला है कि प्रधान मन्त्री महोदय वह पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दूसरी मदों में सहायता के रूप में पैसा दिया जा रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कहां से पता लग गया है कि प्रधान मन्त्री वह पैसा नहीं दे रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीना हो गया है और मध्य प्रदेश पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक 37 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवास में इंदौर से रेलवे वैगनों द्वारा पानी भेजा जा रहा है। माननीय रेल मन्त्री जी ने कहा था कि यह जो रेलवे वैगनों द्वारा पानी भेजा जा रहा है, उसका किराया माफ कर दिया जाएगा। मैंने और हमारे मुख्यमन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुओं की संख्या 65 करोड़ के करीब है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : पीने के पानी की समस्या की बात हो रही है और अब आप हिन्दुओं पर आ गए हैं।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुओं की भावनाओं का आदर करते हुए वहां राम मन्दिर बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती। आप पीने के पानी पर बोलिए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली पुलिस के रवैये की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पीने के पानी पर बोलने की आपको इजाजत दी है।

कुमारी मायावती : मैं पानी के प्रश्न पर ही आ रही हूं। बहुजन समाज पार्टी ने दास प्रथा के खिलाफ मंडी हाऊस पर धरना किया हुआ है। हमने एन० डी० एम० सी० को लिखा था कि वहां धरने पर बैठे हुए लोगों को पानी दिया जाए लेकिन वहां पानी नहीं भेजा गया। हमने पुलिस विभाग के आफिसरों से गुजारिश की कि वे एन० डी० एम० सी० को कहें कि पानी दिया जाये, लेकिन इसके बावजूद भी पानी नहीं दिया गया। पुलिस विभाग के अफसरों ने एन० डी० एम० सी० वालों से इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की। इस बात को लेकर वहां झगड़ा भी हुआ। 17 हजार के करीब लोग जुलूस निकाल कर जब बोट क्लब से मंडी हाऊस जा रहे थे तो उस समय भी उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पुलिस का रवैया भी अच्छा नहीं था। वहां एक औरत को स्कूटर चलाते हुए जुलूस के बीच में भेजा। और हमारी पार्टी के प्रेसीडेंट ने पुलिस के लोगों से कहा कि आप इस औरत को जुलूस से बाहर निकालें, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं रोका, आधे घण्टे तक 17 हजार आदमी बोट क्लब पर रुके रहे और पुलिस खड़ी देखती रही कि हम लेडी पुलिस को बुलाएंगे, जबकि जुलूस में महिलाएं भी थीं तो मैं आपको यह बताना चाहती थी कि दिल्ली पुलिस का रवैया बहुजन समाज के प्रति सौतेला रहा तो···

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, बैठ जायें। आप बार-बार रिपीट कर रही हैं।

कुमारी मायावती : लेकिन दूरदर्शन में बहुजन समाज के लोगों की बात नहीं कही गई। प्रसारण मंत्री अभी मौजूद नहीं हैं, मैं पी० उपेन्द्र जी को बताना चाहती हूं, आपके मार्फत से कि बहुजन समाज की बात को बिल्कुल दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, बैठ जायें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप को बैठने के लिए कह रहा हूं और आप बोले जा रही हैं।

कुमारी मायावती : मैं रामायण और महाभारत के खिलाफ नहीं हूं लेकिन दास प्रथा के खिलाफ हूं। रामायण और महाभारत में जो दास लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है उसको निकाला जाय और मानववाद को बढ़ावा दिया जाय, ऐसी मेरी आप से गुजारिश है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यदुनाथ पाण्डेय, मेहरबानी करके संक्षिप्त बोलिए।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हजारीबाग की रामगढ़ घाटी में एक पेट्रोल टैंकर के उलट जाने से एक मारुति कार, एक एम्बेसडर, एक जीप और एक मोटर साईकिल जलकर राख हो गए और उसमें करीब 25 लोग जलकर मर गए। 5-10 आदमियों का तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं स्पॉट पर गया था, खुद घटनास्थल पर गया था और वहां पर मैं अपनी आंखों से 18 लाश गिनकर आया, जो पूरी तरह से जल गए थे लेकिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर 4 घण्टे तक नहीं पहुंचे। वहां साढ़े सात बजे से आग लगी हुई थी और धू-धू कर करीब 70 फीट ऊंचाई तक आग जल रही थी। मैं आपके

माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक हास्पिटल में करीब 6 लोग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं और दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए मुआवजा दिया जाय और जो मर गए हैं उनके परिवार वालों को दो-दो लाख का मुआवजा दिया जाय।

अब मैं दूसरी घटना पर चर्चा करूंगा। हजारीबाग का जिला प्रशासन ऐसा कर रहा है कि आज 60-70 दिन हो गए, फिर हो सकता है कल हम इस बात पर चर्चा करने यहां पर आयें तो कहा जायेगा कि साम्प्रदायिकता की बात हो रही है। हजारीबाग में राम नवमी से अभी तक चार हजार झण्डे रुके हुए हैं और जिला प्रशासन उन चार हजार झण्डों को अभी तक पार नहीं करा रहा है, मां दुर्गा की प्रतिमा रुकी हुई है और मैं बताना चाहता हूं वहां के जिला प्रशासन ने जबरदस्ती ईद के दिन दुर्गा मां की प्रतिमा को विसर्जित करने का प्रयास किया और हिंसा भड़काने का प्रयास किया। वहां किसी भी दिन हिंसा भड़क सकती है। हम मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर से आग्रह करके उसमें हस्तक्षेप करके उन झण्डों को वहां से परम्परागत मार्ग से निकाला जाय।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय मेण्टीनेंस कमाण्ड डिवीजन का जो मुख्यालय नागपुर के पास स्थापित किया गया है वहां कई वर्षों से कुछ वायुसेना के वायुयान, कई एयरक्राफ्ट वहां पर रखे गए हैं जैसे कि ए० आई० एल० 76, बी-200, सी-90, ए० एन० 12, ए० एन० 32। मुझे यह कहना है कि जिस तरह से बोफोर्स के बारे में आज मांग की गई है, उसी तरह से इन सारे एयरक्राफ्ट्स में बहुत करोड़ों रुपए की लागत लगी है लेकिन कभी भी उनका उपयोग नहीं किया गया, यदि कुछ एयरक्राफ्ट्स का उपयोग किया भी गया तो एकाध बार किया गया और करीब-करीब 40-50 करोड़ के ये एयरक्राफ्ट्स नागपुर में रक्षा मन्त्रालय के कार्यालय में वैसे ही पड़े हुए हैं तो शासन इन एयरक्राफ्ट्स का क्या उपयोग करना चाहता है या इस प्रकार की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए क्या प्रयास करेगा? इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : नैनीताल जिले में बालको पेपर और पल्प मिल्स से हजारों मजदूर निकाले जा रहे हैं। वहां तीन महीने से हड़ताल चल रही है। आधे मजदूर निकाल दिए गए हैं। इसके विषय में वहां कोई देखने वाला नहीं है। वहां वर्क टू रूल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको देखा जाए। खास कर लेबर मिनिस्टर से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जितनी फैक्ट्रियां हैं उनमें हड़ताल के बारे में, उनमें मजदूरों की आवश्यकताओं के बारे में, मजदूरों की मांगों के बारे में देखरेख करने की व्यवस्था की जाए।

श्री युवराज (कटिहार) : कटिहार और पूर्णिया किशनगंज, अररिया आदि जिले के तमाम इलाके से जामुन, आम, सेमल और कटहल के वृक्ष बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। सेमल से रुई ली जाती है और उसकी लकड़ी काटी नहीं जा सकती है। उस पर प्रतिबन्ध है। लेकिन ठेकेदार लोग इन वृक्षों को बड़े पैमाने पर कटवा देते हैं। इनसे बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए प्लाईवुड बनायी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में प्लाईवुड का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल बड़े-बड़े शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतों में शोभा के लिए होता है। इनके लिए गांवों से वृक्ष काटे जा रहे हैं। वहां के अफसर और प्रशासन तमाम भ्रष्ट हो गए हैं। ठेकेदार लोगों को पैसा देकर के लकड़ी कटवाते हैं। इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इसकी शीघ्र रोकथाम होनी चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात के राष्ट्रीय मार्गों पर दिन-प्रति-दिन यातायात बढ़ता जा रहा है। राजमार्गों पर बसें बड़ी स्पीड से चलती हैं। वे इतनी स्पीड से चलती हैं कि रात्रि के समय स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें अक्सर टक्कर मार देती हैं और निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। रात्रि के समय बसों की स्पीड की लिमिट तय की जाए और नेशनल हाई वेज पर बराबर पेट्रोलिंग जारी रखनी चाहिए।

श्री राघवजी (विदिशा) : भोपाल से 25 मील दूर दीवानगंज गांव में फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। जिससे फिर गैस रिसी है। गैस का रिसना यह चौथी बार हुआ है। तीन बार यह पहले हो चुका है। इससे लाखों रुपए की फसल का नुकसान हुआ था और भैंसें और पशु मर गए थे और अब भी मरे है। इस बार भी 50 लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। आसपास के किसानों की फसल का भी नुकसान हुआ है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस गैस के रिसाव का उपाय करवाना चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही किसानों की क्षति-पूर्ति फैक्ट्री से कराई जाए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरे प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है उसकी हालत बहुत गम्भीर है। आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ऊंचाई पर आंख रखे है। वहां कम से कम 10-15 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। अखबारों में भी छप चुकी है। बहुत से जानवर लोग और भारी संख्या में जानवर मौत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार आंख बन्द किए हुए है। मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार जरा आंख खोले और वहां पर जो लोग भूख से मर रहे हैं और वहां हजारों की संख्या में लोग घरबार छोड़ रहे हैं और रोटी की तलाश में वहां से बाहर निकल गए हैं, केन्द्रीय सरकार विशेष कर प्रधान मन्त्री महोदय से अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाएं। प्रादेशिक सरकार जो है वह कोई व्यवस्था नहीं कर पायी है। केन्द्रीय सरकार ने भी वहां किसी प्रकार के राहत कार्य की घोषणा नहीं की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में वक्तव्य चाहता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सब प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह तय हो चुका था कि अप्रैल 1990 तक हिन्दुस्तान में लिमका पर बैन कर दिया जायेगा। मुझे खेद है कि लिमका आज भी चल रही है। चन्द चान्दी के टुकड़ों के आधार पर लिमका बनाने वाली फैक्ट्रियों ने हमारे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को खरीद लिया है।

सब प्रकार के खोज के बाद बी० बी० ओ० केमीकल के आधार पर कैंसर जैसी घातक व्याधियों का कारण लिमका पेय पदार्थ है। मेरा निवेदन है कि आज से 10 दिन पहले औरेंज और रसना पर प्रतिबन्ध लगाया था, लेकिन आज सब कम्पनियां जबरदस्ती बी० बी० ओ० नहीं है, यह कह करके, आज भी मार्केट में लोग प्राण घातक लिमका जैसे पेय पदार्थ को बेच रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में जो इस प्रकार के पेय पदार्थ बिक रहे हैं, इस प्रकार के पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और साथ ही लिमका पर भी तुरन्त बैन किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, समाचारपत्रों के आज के संस्करण में यह रिपोर्ट

छपी है कि सरकार ने स्कूलों और कालेजों में दाखिले के लिए भरे जाने फार्म में से जाति के कालम को निकालने का निर्णय लिया है। ऊपरी तौर पर यह एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय लगता है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों पर कुठाराघात है।

जाति और धर्म को समानता देना एक अच्छा नारा है। लेकिन साथ ही संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। हमारे राज्य में स्कूलों, कालेजों, व्यावसायिक कालेजों आदि में सीटों का एक बड़ा प्रतिशत पिछड़े वर्गों और हरिजनों के लिए आरक्षित रखा गया है। तकरीबन 50 प्रतिशत भर्ती पिछड़े वर्ग और हरिजनों की होती है। अतः यदि इसे लागू किया गया तो मैं समझता हूं इससे आरक्षण नीति की व्यवस्था की नींव ही कमजोर पड़ जायेगी। अतः मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस निर्णय पर कम से कम पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के मामले में पुनर्विचार करे।

फिर सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वह मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। किस आधार पर आप यह रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि ये करोड़ों लोग छात्र, युवक गांव के कार्यालय में जाएं, राजस्व अधिकारी के पीछे घूमें उसे रिश्वत दें और फिर इसके लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करें? अपना सम्प्रदाय प्रमाणित करने का केवल यही एक वैध प्रमाण पत्र है चाहे सम्बद्ध व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हो या अनुसूचित जाति का हो।

पासवान जी यहां हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम पिछड़े सम्प्रदायों तथा अनुसूचित जातियों के मामले में इस पहलू पर पुनर्विचार किया जाए।

डा० गुलाम याजदानी (रायगंज) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री को एक मामले की जानकारी देना चाहता हूं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मेरे क्षेत्र रायगंज में लोगों को सता रहे हैं और उनके अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों का कार्य बंगला देश सीमा से 8 किलोमीटर अन्दर तक तस्करी रोकना है। मेरा क्षेत्र इसी के तहत आता है। लेकिन वे तो बड़े उत्साह से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हैं। वे 16 से 40 किलोमीटर दूर तक भी गायों को पकड़ रहे हैं। कृषक तथा छोटे व्यापारी प्रसिद्ध हाटों से गाय खरीद रहे हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए छोटे हाटों में ला रहे हैं।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने 512 पशुओं को पकड़ा और उन्हें सीमा से 16 से 40 किलोमीटर दूर सीमा सुरक्षा बल के शिविरों में ले जाया गया। वहां पर पशु चारे और पानी के बगैर ही रहे जिसके फलस्वरूप उनमें से अनेक मर गए। चार दिन बाद उन्होंने सारी गायों को सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया। अब, यह हुआ है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने गायों के प्रत्येक मालिक से 400 से 1000 रुपए लिए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सारी समस्या पर विस्तार से मत बोलिए।

(**व्यवधान**)

डा० गुलाम याजदानी : सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है? मैंने काफी पैसे खर्च करके 28 तारीख को गृह मन्त्री को एक तार भेजा था। लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा लोगों को सताने के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है? आप इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? यदि आप लोगों को अपना व्यवसाय नहीं करने देंगे···

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात क्यों दोहरा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

डा० गुलाम याजदानी : महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। सीमा सुरक्षा बल का कार्य पूर्वोत्तर में विद्रोह तथा आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध लड़ना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गाय पकड़ना भी विद्रोह तथा आतंकवादी गतिविधियों के अन्तर्गत आता है या नहीं। **(व्यवधान)**

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, 45 मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व कर रही 'आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामी कान्फ्रेंस' ने एक वक्तव्य जारी करके कश्मीर मुद्दे पर हमारी कार्यवाही के लिए भारत की निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि हमने आतंक फैला रखा है, हम सैंकड़ों लोगों की हत्या तथा महिलाओं के बलात्कार में संलिप्त रहे हैं और हमने प्रसिद्ध मुस्लिम नेता मौलवी फारूख के अन्तिम संस्कार के दौरान बड़े स्तर पर कत्लेआम किया। महोदय, इस्लामी कान्फ्रेंस के अधिकांश देशों विशेषकर खाड़ी तथा दक्षिण के देशों से भारत के सम्बन्ध बहुत ही अच्छे, मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम देशों के समर्थन तथा परम्परागत मित्रता को और मजबूत करने के लिए इस सरकार द्वारा की गई कूटनीतिक पहल का क्या परिणाम निकला। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता ने यह वक्तव्य जारी करके हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है कि हमने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध घातक बलों का उपयोग किया है। इस सबसे हमारे देश के सुरक्षा बलों के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इन सभी देशों का दौरा किया है और इस सम्बन्ध में हमारे प्रयास बहुत कम हैं। परम्परागत मित्र मुस्लिम देश भी हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री ने कश्मीर के मामले पर हमारे विरुद्ध मुस्लिम देशों के समर्थन को और अधिक संगठित किया है : आप अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मामले को सही तरह से स्पष्ट नहीं कर सके हैं। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ, विदेश सचिव श्री एस० के० सिंह को उनके पद से बहुत ही गलत तरीके से हटा दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि इस्लामी देशों की कान्फ्रेंस को भारत की स्थिति सही प्रकार से स्पष्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय क्या पहल करने जा रहा है, मन्त्रालय के मौजूदा रवैये से तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मसले को उठाने में पाकिस्तान की पहल को बल मिल रहा है। हम इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही न करने के लिए इस सरकार की आलोचना करते हैं। हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री एक वक्तव्य दें।

1.00 म० प०

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : मैं सभा तथा माननीय भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि वह जानते हैं कि विजाग बन्दरगाह अनेक कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है। महोदय, तूफान के बाद कोट्टावलसा मार्ग पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। इसलिए इस मुख्य मार्ग से विजाग बन्दरगाह पर लाकर जापान को निर्यात होने वाला लौह अयस्क का कार्य पूर्णतया प्रभावित हुआ है। जापान के लिए जहाजों में लदान हेतु केवल एक सप्ताह तक का लौह अयस्क विद्यमान है। जल भूतल मंत्री रेलवे मंत्री पर जोर देकर यह सुनिश्चित करें कि युद्ध स्तर पर कार्य करके यह मार्ग पुनः चालू हो ताकि जापान हमारे अनुबन्ध को रद्द न करे और हम लौह अयस्क के निर्यात के अपने अनुबन्ध पूरे कर सकें।

[हिन्दी]

*श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : महोदय, पंजाब में नौकरियों पर लगी हुई रोक हटाई जाए क्योंकि पंजाब में कई साल से पढ़े हुए नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछड़ी जाति के लोगों के साथ नौकरियों में बहुत भेदभाव होता है। इस भेदभाव को दूर किया जाए और उनकी जायज प्रोमोशन उन्हें समय पर दी जाए। सरकार ने सत्ता में आने से पहले बहुत से वायदे किए थे और यह कहा था कि पंजाब का मामला प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। पंजाब में जो आई० ए० एस० की पोस्टें खाली हैं जो बैकलॉग है वह भरा जाए। यह बहुत दुःख की बात है कि अब तक पंजाब का मसला हल करने के लिए इस सरकार ने भी पिछली सरकार की तरह कुछ नहीं किया। इसलिए पंजाब में बड़ा जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं नौजवानों को पुलिस घरों से पकड़-पकड़ कर ले जाती है और उन पर ज्यादती की जाती है। नौजवानों को झूठे मुकाबलों में मारा जा रहा है। जब अमृतधारी सिक्खों को पुलिस पकड़कर ले जाती है, तो उन सिक्खों के पांच ककार (चिह्न) कच्छा, किरपान, केश, (किरी साहिब) कड़ा, कंघा सब उतार दिए जाते हैं जिसके कारण अमृतधारी सिक्खों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी नौजवान इंटैरोगेशन सैंटर में रखे जाएं या जेलों में भेजे जाएं, सिक्खों की भावनाओं को समझते हुए उनके पांच ककार जो हर अमृतधारी के लिए जरूरी है वे जरूर ऐलाओ किए जाने चाहिएं ताकि उनकी भावनाओं को चोट न पहुंचे। दूसरी बात यह है कि जो नौजवान कई सालों से घरों से भगोड़े हो चुके हैं, पुलिस उनके बुजुर्ग मां बाप को, बुजुर्ग माता पिता को और नौजवान बहनों को थाने ले जाकर वहां कई दिन रखती है और तशद्दुद करती है। जब यह सरकार यह कहती है···

अध्यक्ष महोदय : बिमला जी आप बैठिए, समाप्त कीजिए।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : कि किसी भी बहन को थाने में नहीं लाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हर रोज नौजवान बेटियों को और बुजुर्ग माताओं को थानों में पुलिस तंग करती है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : क्योंकि पुलिस आज भी वही चली आ रही है जो कि कांग्रेस के समय पर थी। पंजाब के माहौल को खराब करने के लिए ज्यादा···(व्यवधान)। अतिंदरपाल सिंह जो कि हमारे एक जीते हुए एम० पी० हैं वह अभी भी तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गई···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आप बैठिए। अब मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं (व्यवधान)

श्रीमती बिमल कौर खालसा : जो नौजवान जेलों में नजरबन्द हैं उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय : क्या करें महिला हैं···

श्रीमती बिमल कौर खालसा : अतिंदरपाल सिंह को कोई एम० पीज वाली सहूलियतें नहीं दी गई। यहां तक कि एक सीलिंग फैन भी उनकी बैरेक में नहीं लगा हुआ। ड्रिंकिंग वॉटर भी टैप में नहीं आता। पानी कि इतनी दिक्कत होती है कि···(व्यवधान)

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय : यैस, आप बैठिए । बिमला जी, हो गया । आपने जो कहना था, कह दिया।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : उन्हें इन्फार्मेशन भी नहीं दी जाती कि उनके मुलाकाती आये हैं इसलिए जीते हुए एम० पी० को तुरन्त रिहा करना चाहिए । दूसरे सरदार सिमरनजी सिंह मान, जो कि अकाली दल के प्रधान और चुने हुए एम० पी० हैं और भाई ध्यान सिंह मांड को शपथ दिलवाई जानी चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं आप बैठ जाएं । मिस्टर चिदम्बरम···

[**अनुवाद**]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, पिछले सप्ताह विपक्ष ने सरकार को बाध्य करके यह स्वीकृति ले ली कि वह मेहम कांड की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का एक जज नियुक्त करेगी । पिछले मंगलवार को यह वादा किया गया था कि विचारार्थ विषय सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे । आज गुरुवार है । महोदय, इस विषय में आशंका उठने के हमारे पास अनेक कारण हैं कि वे इस मामले में देरी कर रहे हैं क्योंकि दरबा कलां उप-चुनाव शनिवार को होना है । हम जानना चाहते हैं कि ये विचारार्थ विषय सभा के सम्मुख कब प्रस्तुत किए जाएंगे । वें प्रैस अधिसूचना कब जारी करेंगे ? महोदय, मैं आज इसकी सूचना दे रहा हूं कि यदि वे कल तक इसे पेश नहीं करेंगे तो हमें कल फिर यह मुद्दा उठाना पड़ेगा । वे कल इस विषय को अवश्य प्रस्तुत करें क्योंकि दड़बा कलां का चुनाव शनिवार को है और हमें पूरी आशंका है कि वे दड़बा कलां के चुनाव के बाद विचारार्थ विषय प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं। वे इन्हें कल सभा में पेश करें जैसाकि उन्होंने शुक्रवार को वादा किया था । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : महम के साथ अमेठी को भी क्या शामिल किया जायेगा ? (**व्यवधान**)

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मैं एक घंटे से समय मांगने के लिए चिल्ला रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपका नम्बर जब आयेगा तभी बुलाया जायेगा ।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : मैं मथुरा से आता हूं वह एक तीर्थ स्थान है वहां पर सारे देश से ही नहीं, विश्व से भी तीर्थ यात्री आते हैं···

श्री हरीश रावत : वहां पर पेड़े भी होते हैं।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : वहां के पेड़े आपको खिलाऊंगा । इस कार्यकाल में भी मथुरा, वृन्दावन, बरसाना, नन्दगांव और दाऊ जी वहां के विकास की बात करते रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि इस सरकार ने भी तीर्थ स्थल के विकास में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया । जो कुछ सुविधायें वहां पर मौजूद हैं उनकी हालत भी दयनीय है । मथुरा और वृन्दावन में टेलीफोन की व्यवस्था बिलकुल ठप्प है । मैं यहां अपना टेलीफोन लेकर आया हूं, यह देखिये···

अध्यक्ष महोदय : दिखाने की जरूरत नहीं है ।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : वहां का टेलीफोन सेंटर खराब रहता है इसलिए मैंने अपना टेलीफोन उठाकर फेंक दिया है । मथुरा और वृन्दावन में टेलीफोन व्यवस्था बिलकुल ठप्प है । वहां पर सारे

विश्व से लोग आते हैं और वहां से कॉल देश में ही नहीं, अपितु विदेश में भी होते हैं। मैंने बार-बार टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने की बात कही है। मथुरा का टेलीफोन एक्सचेंज पहले इलेक्ट्रोनिक होने जा रहा था, मगर तत्कालीन संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह उसको गोरखपुर ले गये इस कारण आज भी वहां व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो अधिकारी हैं उनको तुरन्त हटाया जाये, क्योंकि वे निकम्मे हैं और वहां पर दूसरा बड़ा एक्सचेंज लगाया जाये। मथुरा और वृन्दावन में जितने भी नये कनेक्शन दिए गए यह कह कर रद्द कर दिये गए हैं कि वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप जनेश्वर जी को सुना रहे हैं, अब समाप्त करें।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री जी को कह रहा हूं और मथुरा जनपद की ओर से यह टेलीफोन मंत्री जी को भेंट करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : इंस्ट्रूमेंट तो सही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ का व्यवस्था संबंधी प्रश्न सुनिए। इस बारे में आपका क्या प्रश्न है?

श्री लोकनाथ चौधरी : एक माननीय सदस्य ने यहां पर अपने टेलीफोन का प्रदर्शन किया है। क्या आप ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने बार-बार मना किया है और बताया है कि आप नहीं रख सकते हैं और ये चीजे नहीं दिखानी चाहिएं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : लेकिन उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, मैं आपके साथ सहमत हूं।

[अनुवाद]

उन्हें ऐसी चीज दिखानी नहीं चाहिए थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा में ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं होनी

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी को जानना कि चाहिए कि इस तरह से नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, गंगा नदी भारत और विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बंगलादेश के विदेश मंत्री कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए थे और गंदा नदी के पानी के बंटवारे पर कुछ चर्चाएं हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए दिल्ली में थे। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया था। कहा जाता है कि यह सहमति हुई कि 67 प्रतिशत पानी बंगलादेश में जाएगा और 33 प्रतिशत भारत अर्थात फरक्का से शुरू होकर बंगाल में आएगा। यह पश्चिम बंगाल के लिए एक खतरा होगा। पहले ही कलकत्ता बन्दरगाह फरक्का क्षेत्र से पानी न छोड़े जाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसलिए यह मांग है कि तंगी के मौसम में 50 प्रतिशत पानी पश्चिम बगाल को दिया जाए अन्यथा कलकत्ता शहर तथा गंगा नदी के साथ-साथ बसे सभी नगर तथा कृषि उद्देश्यों के लिए सप्लाई लाइन अस्त-व्यस्त हो जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे संक्षेप में कह सकते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री अजीत पांजा : महोदय, बशर्ते आप मुझे सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री अजीत पांजा : इसलिए कृषि उद्देश्यों, बांध और अन्य उद्देश्यों के लिए सप्लाई लाइन में पानी नहीं रहेगा।

ऐसा लगता है कि एक चर्चा हुई थी—मैं नहीं जानता कि विदेश मंत्री के साथ या किसी और के साथ—जिसमें यह कहा गया कि 55,000 क्यूसेक जल बंगलादेश लेगा। विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया। वे बंगाल को—जब यह बंगाल को दिया जाएगा—सिर्फ 33 प्रतिशत देने जा रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल राज्य के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। श्री उन्नीकृष्णन यहां उपस्थित हैं। सुबह उन्होंने कलकत्ता बंदरगाह ट्रस्ट में रुचि दिखाई है। इस पर विचार करना चाहिए। इससे काफी खतरा पैदा हुआ है। गंगा नदी की नौगम्यता पर असर पड़ रहा है। अतः, हम मांग करते हैं कि जल का 50 प्रतिशत भाग पश्चिम बंगाल राज्य को तुरन्त दिया जाना चाहिए।

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : श्रीमान्, पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाते वक्त, गृहमंत्री ने कहा था, कि वे राज्यपाल और उच्च अधिकारियों से मिलने चण्डीगढ़ गए थे, जिससे पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारी जा सके। इसके तत्काल बाद, सात व्यक्तियों को उनके घरों से ले जाया गया और गोली मार दी गई। पांच मजदूरों को मार दिया गया। सात और व्यक्तियों को मार दिया गया। अर्ध-सैनिक बल स्थापित करने की बजाय गृहमंत्रालय ने गुरदासपुर जिले से बी० एस० एफ० भी वापस बुला ली है जिसके परिणामस्वरूप गश्त स्वाभाविक रूप से कम हो गई है। वहां नाकाबन्दी भी कम हो रही है। जनता—पंजाब की अल्पसंख्यक जनता—गांवों से पलायन कर रही है। हर रोज, बहुत से परिवार गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट में आ रहे हैं। इस समय चार सौ परिवार बोट क्लब पर आए हुए है, और प्रधानमंत्री से उन्हें जो मिला है वह है पीने के गरम पानी का एक टैंकर।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, और कहती हूं कि वहां बैठे लोगों को आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिएं। दूसरे, दुर्भाग्य से गृहमंत्री जा चुके हैं। उन्हें जांच करनी चाहिए कि क्या यह सत्य है—यह सत्य है कि सीमा सुरक्षा दल को हटा दिया गया है। अगर यह सच है तो, इसका अर्थ है कि सरकार की उग्रवादियों से मिली-भगत है ताकि सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक पंजाब छोड़ दें। तीसरे, राज्यपाल ने एक भी घटना स्थल का दौरा नहीं किया है। चौदह दिनों में, 20 से ज्यादा लोग मारे गए। वह एक बहुत अच्छे आदमी हैं, परन्तु इस काम के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए।

एक आखिरी बात जो मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी वह यह है कि : जिस प्रकार श्री फर्नाण्डीज को कश्मीर मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है, उसी प्रकार श्री गुजराल को पंजाब के लिए मंत्री नियुक्त कर देना चाहिए; किन्तु उनका मुख्यालय यहां दिल्ली में न हो। उन्हें अमृतसर जाना चाहिए, या तरन तारन में बैठना चाहिए और हमारे साथ रहना चाहिए और वह देखें कि हम किस प्रकार जी रहे हैं। मैं उनकी नियुक्ति चाहती हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार 15 दिनों के अन्दर पंजाब समस्या का समाधान कर देगी। दुर्भाग्य से, पिछले पांच महीनों में, उन्होंने पंजाब में 15 दिन भी नहीं बिताए हैं। अतः, मैं सरकार से कहूंगी कि वह ऐसा प्रबंध करे जिससे इन लोगों को भोजन और आश्रय मिले और अन्य सुविधायें मिलें। प्रसन्नता है कि कुछ राशि दी गई है, आतंकवाद के शिकार लोगों को राशि दी गई है।

[हिन्दी]

आज स्थिति यह है कि जो मारे गए हैं, उन्हें तो सरकार ने दे दिया लेकिन जो बच कर आ गए हैं उनके लिए यह सरकार क्या करने जा रही है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष जी, जब कोई आदमी बड़ी जिम्मेदारी का काम अपने ऊपर ले लेता है, जिम्मेदार नेता बन जाता है तो लोगों में आम धारणा यह पायी जाती है कि कम से कम उसके निर्वाचन क्षेत्र में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति होगी, वहां रूल ऑफ लॉ होगा। यदि उसके क्षेत्र में, उसी के परिवार के लोग रूल ऑफ जंगल बना दें, उसके क्षेत्र में रूल ऑफ जंगल हो जाए तो सारे देश की हालत क्या हो जाएगी, इसे आप समझ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहां केन्द्र में एक जिम्मेदार मन्त्री ही नहीं, प्रधानमन्त्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, सिर्फ सर्वनाम में बोलिए।

श्री आर० एन० राकेश : मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ऐसे ही बोलूंगा। आज वह आदमी यहां की सरकार में प्रधानमन्त्री के रूप में एक बहुत जिम्मेदारी का पद सम्भाले है, वह सरकार का सबसे बड़ा आदमी है, उसके स्वयं के गांव में उसके भतीजे ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। बड़े व्यक्ति के भतीजे ने एक आदमी का शिकार कर दिया। मामले की रिपोर्ट इलाहाबाद के कोराव थाने में आज तक नहीं लिखी गयी है, जबकि वह मामला 24 फरवरी 1990 का है। जब भी रिपोर्ट लिखने को होता है बड़े आदमी के घर से फोन जाते हैं और एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती। इसी बड़े आदमी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 28-4-90 को, फिर 29-4-90 को, फिर 30-4-90 को, फिर 1-5-1990 को, फिर 4-5-1990 को और उसके बाद 14 और 19 मई, 1990 को मास किलिंग होती है, तमाम बड़ी संख्या में हरिजन मारे जाते हैं। फिर 18 मई को वह बड़ा आदमी अपने संसदीय क्षेत्र में जाता है

अब हरिजन नहीं मारे जाएंगे कहकर आता है और वापिस आने के बाद 19 मई को फिर उसके क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हो जाती है, फिर एक हरिजन को बिन्दकी में मार दिया जाता है, पलटू राम नाम के हरिजन की हत्या कर दी जाती है। उस बड़े आदमी के गुण्डों ने, पालतू गुण्डों ने, उसकी पार्टी के लोगों ने, '***' नाम के व्यक्ति ने एक हरिजन को मारकर चीर डाला। यह बहुत लम्बी घटना है, यदि मैं विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया, अब आप बैठ जाइए।

श्री आर० एन० राकेश : मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आप सारे मामले की जांच करवाइए। इससे भी आगे कहना चाहता हूं कि जिस बड़े आदमी के बारे में मैंने यहां कहा है, वह हम***ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक हरिजन को गोली मारी है, यह उनके इलाके की सनसनीखेज घटना का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। अभी तक वहां के थाने में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी है। यदि '***' में नैतिक बल है, मूल्यों की राजनीति करते हैं तो उन्हें अपने पद से तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर एक के बाद दूसरे अत्याचार होते चले जा रहे हैं। वहां हरिजन सुरक्षित नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में जितने एलीगेटरी रिमार्क्स बोले हैं, उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने इस देश के '***' के खिलाफ जितने गलत आरोप लगाए हैं, उन्हें संसदीय परम्पराओं के अनुसार तुरन्त कार्यवाही से निकाला जाए। ये इस देश के '***' को बदनाम करना चाहते हैं, उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो एलीगेटरी रिमार्क्स हैं, वे कार्यवाही से हटा दिए जाएं।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, ये गलत आरोप लगाते हैं।

श्री आर० एन० राकेश : अगर गलत आरोप होगा, तो मैं सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : सर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : इसे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने पहले ही कह दिया है। अब आप बैठ जाएं। श्री राम लाल राही।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने कई मामले उठाए जा चुके हैं और यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य का जिसे मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : हां कहिए।

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, "...*...गोली मारी" यह बात यहां नहीं कही जानी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन शब्दों को कार्रवाई में से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने पहले ही कह दिया है। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाएं तिवारी जी।

श्री रामलाल राही : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान राज्य के रहते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में हरिजन उत्पीड़न बढ़ गया है। इस देश के प्रधानमन्त्री के क्षेत्र की घटनाएं इस सदन में आपके सामने रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री '...*...' के क्षेत्र की घटनाएं, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राही जी, आपको "...*..." नाम नहीं लेना चाहिए। नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री रामलाल राही : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के क्षेत्र की घटनाएं, उनके चुनाव-कार्यालय से लेकर अब तक की हरिजनों की उत्पीड़न की कहानियां अखबारों में प्रकाशित हुई हैं—यह सन्डे मेल की कटिंग मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : आप कटिंग अपने पास रखिए, जो कहना है, वह कहिए।

श्री रामलाल राही : इसमें मुख्यमन्त्री के क्षेत्र में जसवन्त सिंह नगर गांव में हरिजनों को मुख्य-मन्त्री के परिवार वालों ने इतना उत्पीड़ित किया है कि उनको गांव छोड़ना पड़ा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह मिसरिख संसदीय क्षेत्र है। वहां वजीराबाद के गांव बसरवा, माजरा थाना सदरा है, उस गांव के हरिजन गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मुझे खबर मिली, तो मैं वहां गया, वहां पर पूरा गांव खाली था। मुझे बताया गया कि दोपहर को गांव में डकैतों ने हमला किया था। जब मैं वहां गांव के थाने गया, तो मुझे बताया कि हमारे पास एक आदमी खबर देने आया था कि गांव में दोपहर में डकैतों ने आतंक मचाया है हमें बन्धक बनाया और फिर कहा कि गांव से भाग जाओ, जब हम वहां गए, तो हमें गांव में कोई नहीं मिला। यह पुलिस का बयान है। जब मैंने कप्तान से कहा, तो वे कहने लगे कि हम नहीं जानते। जब मैंने इस बारे में कलैक्टर से पूछा तो वे कहने लगे कि मैं नहीं जानता। मेरा निवेदन श्रीमन् यह है कि गांव में आज भी हरिजन नहीं रह रहे हैं, पूरा गांव खाली है और वे पास के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गांवों में रह रहे हैं। यहीं से श्रीमन् दूसरे गांव में तीन लड़कियां भी उठा ली गई और जब गांव के लोगों ने बन्दूक तान ली तो लड़कियों को छुड़ाया जा सका। श्रीमन्, मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस कांड की तत्काल जांच कराएं। हरिजनों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह ताकीद करें और बजीराबाद में जो हरिजन भगा दिए गए हैं, उनकी जान-माल की रक्षा की व्यवस्था और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : सदन में मन्त्री व्यवस्था का प्रश्न उठायें, ऐसी प्रथा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी सदन के एक सदस्य हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : वह सदन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री हरीश रावत : एक सदस्य के नाते उन्होंने कई व्यवस्था के प्रश्न उठाए हैं। वह हमारा कार्य क्यों करना चाहते हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह सदन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

पहले शान्त रहिए। मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि अभी तक नियम था कि वैसे तो जीरो आवर नियम में कुछ है नहीं लेकिन बारह बजे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल एक-दो मुद्दों पर उठा लिया करते थे। उसके बाद उन मुद्दों पर समय की बचत के लिए 377 लाया गया। जो भी छोटी-मोटी बातें हों, उनको नियम 377 के माध्यम से ले लिया जाए। मैं देख रहा हूं कि डेढ़ घण्टा डेली का समय जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुन लें।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : बहुत देर से यह पता चला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं दोनों पक्षों की बात कह रहा हूं, एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं। अखबार में समाचार निकलते हैं। यदि कोई भी मैम्बर चाहे तो पूरे समाचारपत्र में से कोई भी समाचार यहां आकर पढ़ सकता है। किसी भी पक्ष के लोग कहीं ऐलीगेशन लगाते हैं, तो पहले नियम यह था कि उस आरोप को पहले अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता था, यदि अध्यक्ष सैटिसफाई हो जाते थे तो सदन में रखने की अनुमति देते थे नहीं तो कह देते थे कि बन्द करो। मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई लिमिटेशन नहीं रह गयी है। नतीजा यह है कि गवर्नमेंट का बिजनस अलग रूका रहता है, और भी दूसरी महत्वपूर्ण चीजें रह जाती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि रेगुलेट करने के

लिए दो-चार मुद्दे, जो महत्वपूर्ण हों, उनको सुन लिया कीजिए। उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। नियम 377 में आप मुद्दे देते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी ने जो बोला है उस पर सारे सदन को ध्यान देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब आप ओपोजीशन में थे तो बहुत पाइन्ट आफ आर्डर रेज करते थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही सूची मेरे सामने है। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय और उसके पश्चात् कश्मीर से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा का समय ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं श्री पासवान का समर्थन करता हूं क्योंकि हम शून्य काल पर इतना समय नष्ट नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लोग भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर जोशी, आप बोल चुके हैं, आप बैठ जाएं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार राज्य में पीने के पानी का भारी संकट है खास कर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी का भारी संकट है। इस संकट के कारण सैकड़ों पशुधन बिना पानी के प्राण त्याग रहे हैं। कुछ गांवों में बच्चे एवं वृद्ध लोग भी पानी के अभाव में मर चुके हैं। मखदुमपुर प्रखंड में महादेविगहा, दौलतपुर, अकबरपुर, मकपा, लोहगढ़, परसौना इत्यादि घोसी प्रखंड के ठिकरौर, लखिसराय, उवेर इत्यादि, गया जिला के खिजरसराय प्रखंड के ग्राम बजैना, बालचन विगहा, नादरा, जगडिहा, महकार, मखदुमपुर, सपनेरी, आदमपुर इत्यादि इन सब गांवों में ट्यूबवैल से पानी नहीं निकलता है। अन्दर पहाड़ है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को तुरन्त निर्देश दें कि मशीन से पानी निकालकर लोगों की जान बचाएं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ने की इजाजत नहीं है, बोलने की है।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान

सरकार की उस नीति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके 'तहत होटेल कार्पोरेशन आफ इण्डिया' की इकाइयों, जिनमें पूरी तरह एयर इण्डिया का पैसा लगा हुआ है का निजीकरण किया गया है। 'होटेल कार्पोरेशन आफ इण्डिया' सरकार द्वारा प्रायोजित निगम है। मुम्बई और दिल्ली के सेन्टोर होटल और भारत में होटलों के अन्य समूह की शेयरों में बदलाव द्वारा एक निजी संस्था को सौंप दिए जायेंगे। इससे संबंधित व्यक्ति एक अप्रवासी भारतीय है, जो इस सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजीकरण करने पर यह व्यक्ति इन पांच बड़े होटलों से 25,000 कर्मचारियों को निकाल देगा। इसका विरोध होगा। एल० एण्ड ट्रीप के मामले में कम्पनी की अध्यक्षता निजी निदेशकों के हाथ में थी, जहां हमने निजी निदेशकों को निकाल फेंका और सरकारी वित्त संस्थाओं से इसका नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के लिए कहा और इस तरह इसका नियन्त्रण एक प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हो गया। किन्तु यहां हम सरकारी स्वामित्व को निजी स्वामित्व में बदल रहे हैं जो कि बिल्कुल विपरीत है। इसका विरोध होगा। अतः, सरकार को इसे जल्दी रोकना चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, असम चुनाव इसलिए नहीं हो सके, क्योंकि वहां कोई मतदाता सूची नहीं थी। 23 दिसम्बर को अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। दुर्भाग्य से, अब अखबारों में एक खबर छपी है मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है—कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर यह दबाव डाला जा रहा है कि असम में दोबारा एक बार मतदाता सूची का अच्छी तरह से पुनरावलोकन कराया जाए। मतदाता सूची के पुनरावलोकन के कारण जो पहले तीन बार हो चुका है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक पहले से ही काफी परेशान हो चुके हैं। मैं भारत सरकार और विधि मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस मामले पर गौर करें। मैं कहता हूं कि वहां पुनः मतदाता सूची का पुनरावलोकन नहीं होना चाहिए और चुनाव उचित समय पर होने चाहिएं। दिसम्बर में, विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। उसी के साथ लोक सभा चुनाव भी हो जाने चाहिएं ताकि यहां उनके जन प्रतिनिधि पहुंच सकें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मैं समय बचाने के लिए कल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। मैंने एक समाधान ढूंढ़ लिया है। हम इतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब मैं एक या दो मिनट लूंगा।

दिल्ली में दूरदर्शन समाचारों में स्थापित मानदंडों का पालन नहीं करता। कल, उन्होंने श्री मल्होत्रा, श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री सोमनाथ चटर्जी के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर कहे गए कथनों को प्रसारित नहीं किया, और हमने बी० बी० सी० से समाचार सुना। मैं कई रोज से दूरदर्शन देख रहा हूं। आकाशवाणी ने अगले दिन मेरे कथन को प्रसारित किया और इन व्यक्तियों का समाचार कल के समाचार में प्रसारित किया। किन्तु दूरदर्शन एक चाल चल रहा है। जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, जब से वर्तमान राज्यपाल ने पदभार संभाला, वे वर्तमान राज्यपाल के खिलाफ कोई उल्लेख नहीं चाहते। जब प्रसार भारती विधेयक सदन के सामने आएगा तो मैं अपने विचार रखूंगा। मैं आपको बताता हूं कि आप इस माध्यम को स्वायतता देने जा रहे हैं। किन्तु आदमियों को प्रशिक्षित करना होगा। वे

वर्तमान राज्यपाल के प्रतिकूल कोई उल्लेख नहीं करना चाहते । इसीलिए, उन्होंने मेरा कथन प्रसारित नहीं किया । जब विधान सभा भंग कर दी गई थी, तो सिर्फ श्री प्राण चोपड़ा को ही टिप्पणी करने के लिए क्यों बुलाया गया था ? मैं एक पत्रकार के तौर पर उनकी इज्जत करता हूं । किन्तु, यह दूरदर्शन की एक योजना थी । वे उन्हें बचाना चाहते थे और वे दूरदर्शन पर वह खबर नहीं प्रसारित करना चाहते थे, जो सही है । जम्मू और कश्मीर की जनता श्रीनगर और दिल्ली दूरदर्शन के समाचारों से छुटकारा पाना चाहती है । महोदय, मैं चाहता हूं कि श्री सत्यपाल मलिक श्री उपेन्द्र से बात करें । उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए और उन्हें इन मानदंडों का पालन करना चाहिए । यह मेरा अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा ।

[हिन्दी]

***श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा** (लुधियाना) : सर, पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि 42 साल तक पंजाब में कांग्रेस का राज रहा । : साल तक पंजाब के लोग जुल्म की चक्की में पीसे जाते रहे और पंजाब आज भी उसी भट्ठी में जल रहा है । ब्लैक-कैट के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो ब्लैक-कैट पहले कांग्रेस ने पाली हुई थी आज भी वही चल रही है या इस नेशनल फ्रन्ट ने नई ब्लैक-कैट पाल ली हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप फार्मर पर बोलिए, ब्लैक कैट पर नहीं ।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : बस जी, यह थोड़ा-सा है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । किसान ।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : थोड़ा-सा ही है, ब्लैक कैट का यह है कि (व्यवधान)···सिंह एस० एच० ओ० था, उसके घर पर ब्लैक कैट दी वैन में आए, वहां आकर उन्होंने घर पर गोली चलानी चाही लेकिन एस० एच० ओ० ने उन्हें पकड़ लिया । बाद में पता चला कि उनके पास से पुलिस के रिवाल्वर निकले । अगर वो उन्हें न पकड़ते और वे लोग एस० एच० ओ० को मारकर भाग जाते तो यही कहा जाता कि आतंकवादी आए और एस० एस० ओ० को मार कर चले गए । जैसे कि पुलिस और आतंकवादियों की दुश्मनी चल रही है । यह ब्लैक-कैट का कलंक जो कांग्रेस के जमाने से पाला हुआ है, नेशनल फ्रन्ट को उसे धो देना चाहिए । ताकि अब ब्लैक कैट पंजाब के लोगों को ब्लैक मेल न कर सकें ।

दूसरी बात किसानों के बारे में है । बोरियों का वजन 1020 ग्राम है···एक्चुअली बोरी का जो वजन है, वो 700 ग्राम है । पंजाब के किसानों के साथ यह बड़ा ··

अध्यक्ष महोदय : आप आइए ना । आप किसान पर नहीं बोलेंगी ?

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : किसानों के बारे में ही तो बोल रही हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं सुन रहा हूं ।

---

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर ।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : किसानों पर ही बोल रही हूं। जो बोरी का वेट है, वो 700 ग्राम है, एक्चुअली पर जो कटिंग वहां होती है वह 1020 ग्राम तक होती है। इससे किसान को 320 ग्राम गेहूं का घाटा पड़ रहा है। गरीब किसानों को घाटा हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि 320 ग्राम के हिसाब से सभी किसानों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिये। जब बोरी का भार 700 ग्राम है तो 320 ग्राम अधिक क्यों लिया जाता है। दूसरे पैप्सी वाले किसानों पर महज एक फ्राड है। वे किसानों की कोई चीज नहीं लेते। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि वो प्रोसेसिंग कब शुरू करने वाले हैं और किस-किस फ्रूट की प्रोसेसिंग करेंगे। पंजाब के लोग अंगूर के बाग उखाड़ने के स्थिति में हैं क्योंकि अंगूर की सही वेल्यू मार्किट में नहीं मिलती। पैप्सी वाले कह रहे हैं। कि पंजाब का किनू अधिक मीठा है उसमें अधिक शूगर है तो फार्मर को क्या···

अध्यक्ष महोदय : बुलारा जी समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : बोलिए बोलिए।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा : फार्मज को इससे क्या लाभ हुआ?

1.35 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अधीन अधिसूचना

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अपने सहयोगी, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 374 (अ) जो 10 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 10 मई, 1990 का राष्ट्रपति का वह आदेश दिया हुआ है जो दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन का निलम्बन 13 मई, 1990 से और चार महीने की अवधि तक लागू रखने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 986/90]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचनाएं; केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन और कार्य-करण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 416(अ), जो 29 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास डॉक उपविधियों में किए गए संशोधनों का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 987/90]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र पर टक्कर का निवारण) संशोधन विनियम, 1990, जो 14 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 136अ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 988/90]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 989/90]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 38 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990, जो 14 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी०11031/1/88-एन० सी० आर० पी० बी० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय से रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 990/90]

दूर संचार विभाग के वर्ष 1988-89 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र

हिन्दी]

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर सिंह) : मैं दूर संचार विभाग के वर्ष 1988-89 लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (प्रोदभवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी स्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 991/90]

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1990 जो 15 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 478(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1990, जो 15 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० 479(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 992/90]

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के प्रति प्रारूप दृष्टिकोण

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : मैं "आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के प्रति प्रारूप दृष्टिकोण" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 993/90]

राष्ट्रीय बीज निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 और कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 994/90]

(ख) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास नियम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 995/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 994-995/90]

(3) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1980-81 से 1988-89 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 996/90]

(4) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 997/90]

(5) (एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 998/90]

भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 999/90]

(3) (एक) सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1987 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1987 से 31 मार्च, 1989 की अवधि तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1000/90]

[अनुवाद]

19 मार्च, 1990 को जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं 19 मार्च, 1990 को जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1001/90]

1.38 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

फीजी में भारत के राजनयिक मिशन का बन्द कर दिया जाना

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : कल सूवा में फीजी के विदेश मन्त्रालय ने हमारे कार्यदूत को बुलावा और उनसे कहा कि हमारा मिशन 24 घन्टे में बन्द कर दिया जाना चाहिए । उनसे

यह भी कहा गया कि मिशन में काम करने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों को 14 दिन के भीतर फीजी से रवाना हो जाना चाहिए।

फीजी के प्राधिकारियों द्वारा दिए गए एक स्मारक-पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय निम्नलिखित मामलों में भारत सरकार के, उनके अनुसार "अमैत्रीपूर्ण और अवांछित कार्यों" के कारण दिया जा रहा है :

(क) फीजी के खिलाफ एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ने का निश्चय;

(ख) फीजी के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध;

(ग) राष्ट्रमण्डल में फीजी के पुनः प्रवेश का विरोध; और

(घ) फीजी के आन्तरिक मामलों में भारतीय राजदूतावास का कथित हस्तक्षेप।

1.39 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि ऊपर जो बातें कहीं गयी हैं उनमें से पहली तीन तो हमारी ओर से की गई तीन कार्रवाइयां हैं जो हमने फीजी में एक ऐसी गैर-कानूनी सरकार स्थापित किए जाने के वक्त अपनी ओर से की थी जिसने सैन्य राज्य-विप्लव के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया था तथा स्वर्गीय डा० बावांद्रा की लोकतान्त्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटा दिया था। चौथी बात जिसका आरोप फीजी के प्राधिकारी लम्बे समय से लगाते आ रहे हैं कि—हमारा राजदूतावास फीजी के आन्तरिक मामलों में दखल दे रहा है—सरासर झूठ और विद्वेषपूर्ण है। ऐसा लगता है कि फीजी की गैर-कानूनी सरकार अब फीजी में लोकतान्त्रिक आन्दोलन की शक्ति और उसके प्रति हमारे समर्थन के कारण विचलित है।

आज के युग में इस गैर-कानूनी सरकार की जातिवादी नीतियां स्वीकार्य नहीं हो सकती। जातीय भेदभाव तो दक्षिण अफ्रीका से भी पलायन कर रहा है; और फीजी में भी यह बहुत दिन नहीं टिक सकता। यह गैर-कानूनी सरकार अलोकतान्त्रिक सरकारों की "लोगों में फूट डाल कर शासन करने की" पुरानी युक्ति को अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन लोकतान्त्रिक आन्दोलन अपनी परिधि में सभी जातियों के लोगों को समेटे हुए है जिसमें फीजी के मूलवासी तथा फीजी के भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। इस बहुजातीय लोकतान्त्रिक आन्दोलन को हम जो समर्थन दे रहे हैं उसी की वजह से यह गैर-कानूनी सरकार हमारे मिशन को बन्द करने के लिए जोर दे रही है।

इस अवसर पर मैं औपचारिक तौर पर यह भी कहना चाहूंगा कि सूवा में हमारे राजदूतावास के सदस्यों ने बहुत प्रशंसनीय ढंग से अपना कार्य किया है और सरकार उनकी सराहना करती है। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ हमारी नीतियों को लोगों के समक्ष रखा है तथा फीजी के विशुद्ध आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से वे पूरी ईमानदारी के साथ बचे हैं।

मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार फीजी के लोकतान्त्रिक आन्दोलन को

निरन्तर समर्थन देने के लिए कृत-संकल्प है । यह आन्दोलन गैर-कानूनी सरकार की जातीय भेदभाव की नीति के विरुद्ध है । जातीय भेदभाव अमानवीय है और यह जरूरी है कि विश्व समुदाय इन घृणास्पद प्रथाओं के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए । भारत लोकतन्त्र और जातीय समरसता की बहाली के लिए फीजी के बहादुर लोगों के संघर्ष में लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति विश्व जनमत जागृत करेगा और उसे अपना समर्थन देता रहेगा ।

हम जातीय भेदभाव के विरुद्ध उसका रूप चाहे कुछ भी हो और चाहे वह कहीं भी बरता जाए, जब भी मौका मिलेगा, अपनी आवाज बराबर उठाते रहेंगे ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए । क्या आप मुझे इजाजत देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आमतौर पर हम अनुमति नहीं देते हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, केवल एक स्पष्टीकरण/नियम समिति ने 4 तारीख को सभा पटल पर रखी अपनी अन्तिम रिपोर्ट में कहा था कि अब मन्त्रियों के वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण मांगने की परम्परा शुरू हो जाएगी । यह 4 तारीख को सभा पटल पर रखी रिपोर्ट है । यदि आप सभा को सम्मान देने की वजह से नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो मैं नही करूंगा । लेकिन मन्त्री महोदय से मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । फीजों में भारतीय हितों को कौन देखेगा ? कौन सादेश इसकी रक्षा करेगा ? कृपया हमें बताइए ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, हम कुछ भिन्न देशों की सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैं अभी उनके नामों का खुलासा नहीं करना चाहूंगा ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मिनिस्टर साहेब ने पहले यह कहा था···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सिर्फ कह रहा था कि उस दिन मिनिस्टर साहेब ने कहा था कि हम अपनी मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सेल खोलेंगे । जिसके थ्रू सारी दुनिया में इस सवाल को उठाने के लिए कम काम किया जाएगा । उन्होंने यह काम किया या नहीं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में आपको सूचना भेज दी जाएगी । परन्तु हम सभा में इस परम्परा को नहीं निभाते हैं । अभी तक हमने इस परम्परा का पालन नहीं किया है ।

श्री सत्येन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, मैं केवल इसे लाना चाहता···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कुन्दू जी मैं बेवजह सदस्यों को रोकना नहीं चाहता हूं। यदि आपको विदेश मंत्री से कुछ पूछताछ करनी है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

श्री समरेन्द्र कुन्दू : महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मुझे यहां रहने वाले फीजी लोगों के फोन आ रहे हैं कि फीजी में स्थिति बहुत खराब है। यह अच्छी बात है कि माननीय मन्त्री ने वहां की सरकार की रंग भेद की नीतियों की निन्दा करते हुए एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुन्दू, क्या आप समझने की कोशिश करेंगे ?

श्री समरेन्द्र कुन्दू : परन्तु, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय मूल के उन फीजी निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए जो वहां बहुत मुसीबत में है, वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, मैं घोषणा करना चाहूंगा कि अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.50 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.50 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण
दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पेयजल की कमी

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शहरी विकास मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पेयजल की भारी कमी तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्य सरकारों तथा दिल्ली के कतिपय क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी के बारे में सूचित किया है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय के पास कोई केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मन्त्रालय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, छोटे मिशन आदि के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सातवीं योजना में 1,898.09 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जोकि 1282.32 करोड़ रुपए के मूल परिव्यय से बहुत अधिक है। केन्द्रीय सरकार राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की समस्या पर निगरानी रखने पर जोर देती रही है।

भीषण सूखे तथा पेयजल की अत्यधिक कमी की स्थिति में नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1---90 से अब एक नई पद्धति तैयार की गई है। प्रत्येक राज्य को आबंटन द्वारा विपदा राहत निधि का गठन किया गया है। केन्द्रीय सरकार गैर-योजना अनुदान के रूप में राशि का 75 प्रतिशत का अंशदान करेगी और 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध किया जाता है। इस निधि में अंशदान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। अभाव राहत के लिए कृषि मंत्रालय नोडल मन्त्रालय है।

अभी तक केवल मध्यप्रदेश तथा तमिलनाडु की सरकारों ने ही सूखा राहत, जिसमें वर्ष 1990-91 के दौरान पेयजल भी शामिल है, के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने पेयजल आपूर्ति के तहत 53.68 करोड़ रुपए सहित 194.48 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की है। विपदा राहत निधि के लिए केन्द्रीय अंशदान के बतौर "सहायता अनुदान के भुगतान लेखे पर" 14-5-90 को वित्त मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार को 6.94 करोड़ रुपए दिए हैं, वर्ष 1990-91 के लिए मध्यप्रदेश को आबंटित कुल राशि 37 करोड़ रुपए है।

सूखे की स्थिति के कारण मद्रास शहर में पेयजल की अत्यधिक कमी पर तमिलनाडु सरकार ने भी 9-4-90 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार का अनुरोध विचाराधीन है।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित कालोनियों तथा ऊंचे स्थानों पर स्थित पॉकेटों में कमी महसूस की जाती है। इस समय रैनी कुंओं तथा नलकूपों सहित सभी जल शोधन संयंत्रों से दिल्ली को 437 एम० जी० डी० पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन संयंत्रों से उत्पादन में वृद्धि करके इसमें 460 एम० जी० डी० तक और वृद्धि की गई है। दिल्ली में इस समय लगभग 530 एम० जी० डी० पानी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, अतः लगभग 70 एम० जी० डी० की कमी है।

गर्मियों के मौसम के दौरान जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) बजीराबाद में 40 एम० जी० डी० क्षमता के नए जल शोधन संयंत्र को पूर्णरूपेण आरम्भ करना। 20 एम० जी० डी० क्षमता का प्रथम चरण को पहले ही आरम्भ कर दिया गया है। द्वितीय चरण (20 एम० जी० डी०) को भी 15 जून, 1990 से पूर्व चालू कर दिया जाएगा।

(ii) ओखला में 12 एम० जी० डी० क्षमता जल शोधन संयंत्र के प्रथम चरण को चालू करना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए 20 नलकूप (1 एम० जी० डी०) चालू करना।

(iv) पश्चिमी दिल्ली में जल आपूर्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जनकपुरी तथा बोडेला में बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों सहित 2 जलाशयों को चालू करना। पश्चिमी क्षेत्र में रघाला, शाहदरा में गीता कालोनी, दक्षिणी क्षेत्र में डियर पार्क तथा शहरी क्षेत्र में सुभाष पार्क में बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों सहित ऐसे जलाशय पूरे किए गए थे और 1989-90 के दौरान चालू किए गए थे।

सभी 44 पुनर्वास कालोनियों, 652 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों और लगभग 500 अनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों में जल आपूर्ति का विस्तार किया गया है। गत ग्रीष्म ऋतु से पुनर्वास कालोनियों तथा अनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों के निवासियों को पानी के लगभग 1.5 लाख कनैक्शन दिए गए हैं। पानी के उत्पादन में 20 एम० जी० डी० से अधिक बढ़ोतरी होने, पानी की अतिरिक्त मुख्य लाइनें और भूमिगत जलाशयों तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों को चालू किए जाने से दिल्ली में पिछली गर्मी के महीनों की तुलना में पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। बजीराबाद संयंत्र के द्वितीय चरण (20 एम० जी० डी०) और ओखला संयंत्र के द्वितीय चरण (6 एम० जी० डी०) को चालू करने से, विशेषकर पश्चिमी तथा दक्षिणी दिल्ली में पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय सभापति जी, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस समय भयंकर पेयजल का संकट है। यद्यपि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारें अपने-अपने स्रोतों से इस पेयजल के संकट से निपटने का प्रयास कर रही हैं तथापि केन्द्र सरकार की वांछित सहायता राशि न मिलने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसे माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पेयजल की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार भी विशेष प्रयत्न कर रही है और उन्होंने निश्चित राशि इसके लिए रखी है। किन्तु इस राशि का समय पर उपलब्ध न होना तथा किसी प्रकार की अन्तरिम सहायता उपलब्ध न होना उन प्रदेशों के लिए संकट का कारण बना हुआ है।

मैं प्रथमत: दिल्ली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली में इस समय भयंकर पेयजल संकट है। कई स्थानों पर तो इतनी बड़ी असमानता है और वितरण व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है जिसके कारण एक क्षेत्र में 24 घण्टे पानी मिलता है और दूसरे क्षेत्र हैं महरौली सरीखे, जहां पर 10-15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। वितरण व्यवस्था असमान है। पर कैपिटा कैलन निश्चित किया हुआ है, कहीं 50 गैलन मिलता है और कहीं 500 गैलन पानी मिलता है। बी०आई०पी० और होटल के क्षेत्रों में 200 से 300 गैलन प्रति व्यक्ति के आधार पर पानी दिया जाता है। दिल्ली के लिए पेयजल की समस्या भयंकर बनी हुई है। हैदरपुर प्लांट, जिसके बारे में, जिसके विस्तार के बारे में 1977-78 में विस्तार हुआ था, उस समय उस क्षेत्र की आबादी लगभग 10 लाख थी, आज यह बढ़कर 20 लाख हो गयी है। लेकिन जो उसकी क्षमता उस समय थी, पिछली

सरकार जो अब तक सत्ता में बैठी हुई थी, कांग्रेस सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया और यह समस्या यथावत चली आ रही है। इस कारण आबादी के दुगुने बढ़ जाने के बाद भी उस क्षेत्र के निवासियों के सामने पेयजल का भयंकर संकट बना हुआ है।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए जो रॉ-वाटर लिया जाता है उसके बारे में अन्य प्रदेशों से समय पर जिस प्रकार का अनुबन्ध किया जाना चाहिए उसके कारण रॉ-वाटर उपलब्ध नहीं हो रहा है। यही कारण है कि दिल्ली के लाखों लोग पेय-जल के संकट से प्रभावित हैं, विशेषकर उन कालोनियों में जो दूर स्थित हैं। रोहिणी एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है। वहां पर काफी आबादी है ! लेकिन ऊपरी मंजिल पर पानी पहुंचना असम्भव सरीखा है। पानी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से पश्चिमी दिल्ली में तथा अन्य क्षेत्रों में ऊपरी मंजिल पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है और दिल्ली के लिए भयंकर पेयजल संकट बना हुआ है।

वैसे दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर पेयजल संकट होना बड़ा विचारणीय है। इस बारे में नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। नेशनल सेमीनार भी पेय-जल संकट पर अक्तूबर, 1989 में आयोजित हुआ है। इस बारे में विचार हुआ था कि हम नये पेय-जल स्रोत ढूंढ़े, नये बांध बनाएं और जल की आपूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं।

3.00 म०प०

यह दिल्ली के लिए अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्रीय जल आयोग भी इस दिशा में जितना उसे प्रयत्न करना चाहिए उतना नहीं कर पाया है। मैं आपका ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक खबर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है।"

[हिन्दी]

कि पीने के पानी की गम्भीर चिन्तनीय स्थिति है।

[अनुवाद]

बाबुओं, नौकरशाह और उच्च प्रौद्योगिकीविदों के अनुसार ग्रामीण भारत में सब जगह कम से कम आधे गांवों में 1990 तक पानी आ जाना चाहिए लेकिन वहां पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है।

[हिन्दी]

यह दिल्ली की स्थिति है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जिसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग दो सौ चालीस करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से राहत के नाम पर पेयजल की आपूर्ति के लिए मांगे हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी 6.94 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं जोकि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। यहां कहा गया है कि मध्य प्रदेश के लिए आबंटित राशि चालू वित्त वर्ष के लिए 37 करोड़ रुपये है, लेकिन यह आज मिलने वाले नहीं हैं। जबकि मध्य प्रदेश के

सामने पेयजल का संकट बना हुआ है। इन्दौर, मन्दसौर, विदिशा, झाबुआ, रतलाम तथा उज्जैन में पेयजल का भयंकर संकट बना हुआ है। ये सब या तो आदिवासी या पिछड़े इलाके हैं। दवास में रेल टैंकरों से व्यवस्था है राज्य सरकार के पास इतनी मशीनें नहीं है कि वह कुए नहर खुदवा सके या नलकूप लगवा सके, क्योंकि केन्द्रीय सरकार से उसको पर्याप्त सहायता नहीं पहुंच रही है और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पेयजल की स्थिति भयावह है और संकट की स्थिति बनी हुई है उस संकट की स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश को वांछित राशि तुरन्त उपलब्ध कराई जाये कि जो यह संकट से पार पाया जा सके। अन्यथा वहां जो सूखे की आज भी स्थिति बनी हुई है वह और भयंकर स्थिति बनने वाली है। अभी तक जो राशि उपलब्ध कराई गई है वह बहुत ही कम है, प्रधानमन्त्री स्वयं बस्तर की यात्रा पर आये थे और उन्होंने 37 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उपलब्ध राशि 6 करोड़ है। पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। कई किलोमीटर दूरी से पानी लाना होता है। अतः इस बारे में मानवीय दृष्टि से तुरन्त विचार जरूरी है।

जहां तक राजस्थान की बात है, मैंने राजस्थान के माननीय सदस्यों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार से कोई मांग नहीं की है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भी मांग की है और राजस्थान के बारे में 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान में पीने का पानी दुर्लभ है, अगर आप दूध चाहें तो वह मिल सकता है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां के दूरस्थ क्षेत्रों के अन्दर मारवाड़ के इलाके में भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में पेयजल का भयंकर संकट है। उस बारे में भी विचार करते हुए राजस्थान को भी उपयुक्त सहायता राशि केन्द्र दे। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां दिल्ली के बारे में अनेकानेक योजनाएं प्रस्तावित की है वहां इन योजनाओं से भी दिल्ली में जल सेवा की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि समस्त योजनाओं के बाद भी 70 एम०जी०डी० पानी कम रहेगा यदि सारी योजनाएं पूरी हो जाती हैं तब भी, उस दशा में भी दिल्ली को पीने के पानी के संकट का सामना करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कालोनीज हैं, तथा जो 91 कालोनीज आज अत्यधिक संकट में है उनमें 73 कालोनीज शाहदरा क्षेत्र में है। वहां भी भयंकर जल संकट बना हुआ है। दूरस्थ क्षेत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकार सीधे उत्तरदाई है। उसे अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह करना चाहिए मैं पुनः मध्य प्रदेश में जो भयावह स्थिति बनी हुई है वह स्वयं प्रधानमन्त्री जी ने बस्तर में अपनी यात्रा के दौरान इस बात को देख कर कहा था। जो इलाके आदिवासी हैं वहां स्थिति गम्भीर है। जिनमें मध्य प्रदेश की एक तिहाई आबादी रहती है वहां पर पेयजल की बड़ी भयंकर स्थिति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ऋतु सम्बन्धी फोरकास्ट हुआ है उसके आधार पर मध्य प्रदेश के अन्दर आने वाले वर्ष में भी पेयजल का संकट रहने वाला है। इसलिए जब तक युद्ध स्तर पर कार्यवाही नहीं की जाती और केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं करती तो निश्चित रूप से जहां मनुष्यों के लिए पीने के पानी का संकट है, पशु आज भी बिना पानी के मर रहे हैं, शायद मनुष्यों के सामने भी यह संकट पैदा हो।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भले ही उन्होंने तमिलनाडु सरकार के बारे में कहा है कि उसने मांग की है और यह विचाराधीन है, मैं उस वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम बिजली दर के लिए

तैयार हैं और आप पानी ले लो केन्द्रीय सरकार से लेकिन बिजली के बदले पानी दीजिए। हमारे यहां पानी का संकट बना हुआ है सरकार इसे भी गम्भीरता से ले। मुझे इस बात पर और आश्चर्य है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर दूरवर्त्ती स्थानों पर तो पेयजल संकट है ही, शिमला जैसे स्थान पर भी पीने के पानी का संकट बना हुआ है और हमारी सरकार हतप्रभ होकर एक मूकदर्शक बनकर देख रही है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पेयजल की स्थिति इतनी गम्भीर बनी हुई है, न केवल दिल्ली में अपितु देश के अन्यान्य भागों के अन्दर भी बनी हुई है। इसलिए जैसाकि प्रस्तावित किया है कि शिप्रा-नर्मदा को लिंक किया जाए यानि नर्मदा का पानी शिप्रा में लाकर मिला दिया जाए और उसे अन्य स्रोतों के साथ जोड़ दिया जाता है। यदि नर्मदा का पानी जो वेस्ट हो रहा है, अगर वह ठीक से उपयोग में आयेगा तो निश्चिय ही हमारे अन्यान्य सुदूरवर्त्ती ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर लाभ मिलेगा। ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंकेज की भी बात है। कावेरी नदी के बारे में भी इस प्रकार का प्रस्ताव है। अगर इन नदियों के लिंकेज को योजना के तहत हम स्वीकार करते हैं काफी काम होगा सुदूरगामी परिणाम होंगे। तो हमारा सेन्ट्रल वाटर कमीशन इसको कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी आबादी के हिसाब से पानी का संकट बढ़ जायेगा और इस सम्बन्ध में जैसाकि विशेषज्ञ लोगों ने भी भविष्यवाणी की है। कि यदि हमने दूरवर्त्ती या दूरगामी उपाय पेयजल के बारे में नहीं किये तो आने वाले 15-20 वर्षों में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि पीने का पानी भी बिकने लगेगा जैसाकि आज मारवाड़ में बिक रहा है, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई स्थानों पर बिक रहा है और यह स्थिति सारे देश के लिए हो सकती है। इसलिए इस भयंकर स्थिति को देखते हुए और इस भविष्यवाणी से सचेत होते हुए जो चेतावनी दी है, चाहे भू-गर्भवेत्ता हो, मौसम विशेषज्ञ हो, जल विशेषज्ञ हो इसके बारे में जानते हैं, निश्चित रूप से पेयजल की बड़ी संकट की घड़ी सारे भारत में खड़ी होने वाली है, उसका सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपना उत्तरदायित्व समझकर दिल्ली, दिल्ली के साथ-साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या जहां-जहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उस संकट का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष सहायता दे और यह मानकर कि वह हमारा प्रथम दायित्व है, उसको पूरा करे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता इस कालिंग अटेंशन का जवाब देने के लिए यहां पर कृषि मन्त्रालय से भी कोई व्यक्ति उपस्थित होता क्योंकि दिल्ली, मद्रास और कुछ शहरी क्षेत्रों के कारण तो मारेन साहब पर जिम्मेदारी आ गई लेकिन इस सदन के अधिकांश लोग इस मामले में इंट्रेस्टेड हैं कि सरकार इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए और विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से पीने का पानी उपलब्ध करवाने जा रही है ? मैं उम्मीद करता हूं कि मि० मारेन हमारी भावनाओं को कृषि मन्त्रालय तक पहुंचा देंगे।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा) : मैं तो हूं।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : क्षमा कीजिए, मैं आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

जहां तक दिल्ली का सवाल है, उसके बारे में श्री मारेन ने जो इन्फार्मेशन दी है, वह एम०जी०

डी० पानी की आवश्यकता उस पाप्लेशन के हिसाब से बतायी है जो 1981 के हिसाब से सैंसस में रजिस्टर्ड टेबल पॉपूलेशन है। लेकिन इस पॉपूलेशन के अलावा भी बाहर से बहुत से लोग आते हैं और प्रतिदिन आते हैं, वह जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। उन लोगों को भी पीने का पानी उपलब्ध कराना दिल्ली प्रशासन का दायित्व है और यदि उस हिसाब से पानी बांटकर देखें तो केवल 70 एम०जी० डी० पानी की कमी नहीं रहेगी बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़कर होगी। इसलिए मैं मारेन साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली के अन्दर पीने के पानी के विषय में त्वरित योजना बननी चाहिए जिससे इन गर्मियों में लोगों तक पहुंचे और उनको राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, और जगह को तो छोड़िए, हम संसद सदस्य लोग जहां रहते हैं—नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू—वहां भी इस समय पीने के पानी की किल्लत है। केवल एक-डेढ़ घण्टा पानी आता है और उसी से ही सारे दिन भर का काम चलाना होता है लेकिन दिल्ली के दूसरे रिहायशी इलाके जहां पर मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग्ज हैं, वहां तो स्थिति इतनी कष्टपूर्ण है कि अभी जब मैं कालिंग अटेंशन उठाने के लिए यहां आ रहा था। तो कई लोगों ने जो यहां सेक्रेटेरियेट में या बाहर के दफ्तरों में काम करने आते हैं मुझसे कहा कि उनके यहां पानी की बड़ी तंगी है, परेशानी है। इसलिए दिल्ली की आज यह हालत है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। आपने अभी कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ नलकूप लगाए जाएंगे, यमुना पार क्षेत्र में कुछ नए एरियाज में भी नलकूप लगाए जाएंगे, लेकिन उनके फॉल्टी होने की तरफ हम अनेक बार इस सदन में सरकार का ध्यान दिला चुके हैं। पिछली बार जब दिल्ली में हैजा फैला था, उसका कारण भी यही था कि उन इलाकों में जितने नलकूल या हैंडपम्प गाड़े गए थे, वे सब ऊपर ही ऊपर सतह के, गाड़े गए थे। बरसात के दिनों में उस इलाके में पानी भर जाने से उन हैंडपम्पों में वही गंदा पानी आने लगा जो उस क्षेत्र में महामारी फैलने का कारण बन गया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जितने हैंडपम्प या नलकूप गाड़े जाएं वे पर्याप्त गहराई तक जाकर गाड़े जाएं ताकि लोगों को जमीन के नीचे का स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। नलकूप गाड़ते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।

सभापति महोदय, एक अनुमान के अनुसार दिल्ली को इस शताब्दी के अन्त तक पेयजल के भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। जब तक दिल्ली की मदद के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे तब तक दिल्ली की पेयजल की समस्या हल नहीं हो सकती। टिहरी डैम का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। मेरा आग्रह है कि आप हिमाचल प्रदेश की सरकार से बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से बात कीजिए ताकि दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिल सके और आने वाले वर्षों में दिल्ली में पेयजल का संकट न होने पाए। जहां तक सारे देश का सवाल है, हमने एक वायदा किया था कि हम 1990 तक इस देश के तमाम लोगों को पेयजल उपलब्ध करा देंगे, हमारे देश में जितने 5 लाख 70 हजार गांव हैं, सब में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करा देंगे। आज हालत यह है कि छठी योजना में हमने 27 हजार करोड़ रुपया, और सातवीं योजना में 35 हजार करोड़ रुपया इस काम में खर्च कर दिया, उसके बावजूद अभी तक, ऐसे गांवों की संख्या जिन्हें हम "नॉन सोर्स विलेज" कहते हैं, बहुत बड़ी है। आपकी अपनी दी हुई जानकारी के अनुसार सारे देश में 10 हजार के करीब ऐसे गांव हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 10 हजार गांव ऐसे होंगे, क्योंकि आपका गणना करने का ढंग ऐसा है और जो फीगर्स आप तक पहुंचती है, वे काफी डिस्प्यूटिड फीगर्स होती हैं, यदि किसी गांव को 1952 में पानी दिया गया तो आपने उस गांव को भी फीडिड विलेज मानकर लिस्ट से हटा दिया, यदि किसी गांव में एक नलकूप गाड़ दिया गया तो उस गांव को भी मान लिया कि गांव में पीने

का पानी उपलब्ध है, जबकि हकीकत यह है कि अनेक गांव ऐसे हैं, जहां नलकूप गाढ़ने के एक साल बाद ही खराब हो गया, उस गांव में लगा हैंडपम्प एक साल में ही खराब हो गया, उस गांव को भी आपने कवर्ड मान लिया और लिस्ट में से उस गांव का नाम काट दिया। किसी गांव में यदि एक नल भी गड़ गया तो उस गांव को भी लिस्ट से निकाल दिया। हकीकत यह है कि ऐसे गांवों की संख्या, जहां पीने के पानी का संकट है, हमारे अनुमान के अनुसार, देश के कुल 50 लाख 70 हजार गांवों में से, 5 लाख गांव आज भी ऐसे हैं जिन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है। मेरा आग्रह है कि सरकार टैक्नोलॉजी मिशन ऑन ड्रिंकिंग वाटर को स्ट्रैंग्थन करने पर ध्यान दें, जिन पर उस समय की सरकार ने 7 हजार करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया था। टैक्नोलॉजी मिशन को स्ट्रैंग्थन करने के साथ-साथ राज्य सरकारों के बीच में उचित तालमेल बिठाए जाने की भी आवश्यकता है। नौवें वित्त आयोग ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि इस काम में 75 परसेंट राशि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ग्रान्ट इन एड के रूप में देगी और 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को मैचिंग ग्रान्ट के रूप में वहन करना होगा, 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को कन्ट्रीब्यूट करना होगा। अब प्रश्न है कि मैचिंग ग्रान्ट लेकर कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आ पाएंगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पहले ही उसे जो 75 परसेंट हिस्सा देना है, उसे रिलीज कर दे ताकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह ओब्लीगेशन रहे, भार रहे कि वे अपने यहां के प्रौब्लम विलेजेज को जल्दी से जल्दी कैटर करे, उनकी प्रौब्लम को देख सकें। हमारे देश में नेशनल टैक्नोलौजिकल मिशन ऑन ड्रिंकिंग वाटर को लॉन्च करते समय यह वायदा किया गया था कि न केवल इसके 55 सब-मिशन्स होंगे बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, या मराठवाड़ा इलाके के लिए आइडिया यह रखा गया था कि किसी स्टेट में यदि एक से अधिक सब-मिशन स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट पूरी फण्डिंग के साथ उनकी मदद करेगी। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि यह जो नेशनल टैक्नोलॉजी मिशन ऑन ड्रिंकिंग वाटर था वह भी एक प्रकार से बैकग्राउण्ड में चला गया है। आप उधर नहीं देख रहे हैं, आप उधर कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यदि आपको इस मिशन के नाम से कोई एलर्जी हो क्योंकि यह नाम कांग्रेस के शासन के दिनों में उपजकर सामने आया था, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसका नाम बदल दीजिए, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड बना दीजिए और उस बोर्ड का सारी स्टेट्स को मैम्बर बना दीजिए और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने फण्ड्स को उसमें पूल कर सकें और पूल करने के बाद पानी की समस्या को दूर करने के लिए ऐहतियाती तरीके से एक एक्शन-प्लान लांच किया जा सके और हम लोगों को बता सकें कि दो या तीन वर्ष के अन्दर हम सारे गांवों को, जितने भी प्रौब्लम विलेजेज हैं, चाहे नो-सोर्स विलेजेज कहिए या प्रौब्लम विलेजेज कहिए, उनको हम पीने का पानी उपलब्ध करवा देंगे। तभी हम जो हमारा राष्ट्रीय कमिटमेंट है, उसको पूरा कर पाएंगे।

सभापति महोदय, एक लास्ट सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पानी के विषय में बहुधा सोर्स को लेकर बड़ा झगड़ा रहता है और यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत आती है। मैं मेघालय में देख रहा था कि मेघालय के अन्दर 37 परसेंट आज भी प्राब्लम विलेजेज हैं पेयजल के मामले में, इसका कारण यह है कि पानी के ऊपर हर गांव वाला अपना हक जताता है। अच्छा हो, यदि आप पानी को राष्ट्रीय-करण कर दें। आप इसको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दीजिए, ताकि जहां जरूरत है, वहां लोगों को पीने का पानी दिया जा सके।

श्री केसरी लाल (घाटमपुर) : माननीय सभापति महोदय, स्वतन्त्रता मिले भारतवर्ष को करीब 43 वर्ष हो गए और हमारे देश में, हमारी पूर्व सरकार, नागरिकों को पानी देने में भी असमर्थ रही।

चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, हमारी राजधानी दिल्ली, नौएडा में पानी की भारी किल्लत रही है। झुग्गी और झोंपड़ियों में नहीं, बल्कि मन्दिर मार्ग, नानककुरा तथा लक्ष्मीबाई नगर जैसी कालोनियों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1022 गांव ऐसे हैं जहां पानी के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कानपुर देहात, इटावा, जालौन, बांदा, उरई, हमीरपुर तथा आस-पास के अन्य क्षेत्रों में इस समय पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। पेयजल की समस्या केवल आदमियों को ही नहीं है, बल्कि हमारे जो मवेशी हैं, वे भी पीने के लिए पानी न मिलने के कारण मर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे कानपुर के निवासी गंगा बैराज के लिए कई सालों से मांग कर रहे हैं, परन्तु पूर्व सरकार ने उस पर कतई ध्यान नहीं दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री जी ने 100 करोड़ रुपया गंगा बैराज कानपुर और आगरा के लिए आवंटित किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस काम को शीघ्र शुरू करवाएं। पिछली अप्रैल में मेरे एक लिखित प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था कि कानपुर में गंगा में जो प्रदूषण है, उनको दूर करेंगे और स्वच्छ तथा अच्छा पानी नागरिकों को देने के लिए 39 करोड़ 90 लाख रुपए का आवंटन किया है। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी का इसके लिए आभारी हूं और उनका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश के जो प्रदेश हैं, उनमें अभी तक पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। हमारे देश के आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में कुल 9201 ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव 1022 गांव ऐसे हैं, जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है। लोग कई-कई मील दूर से पानी भरकर लाते हैं। इसी तरह से सरकारी सूचनाओं के आधार पर आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल रहित समस्याग्रास्त गांवों की संख्या मिल है। आसाम में 1894, बिहार में 106, गोवा में 2, गुजरात में 215, हरियाणा में 271, हिमाचल प्रदेश में 1168, जम्मू एवं कश्मीर में 1013, कर्नाटक में शून्य, केरल में 10, मध्य प्रदेश में 258, महाराष्ट्र में 369, मणिपुर में 53, मेघालय, मे 1758, मिजोरम में 117, नागलैण्ड में 99, उड़ीसा में 1734, पंजाब में 929 और राजस्थान मे 680 गांव हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के 2324 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कतई व्यवस्था नहीं है। 12764 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इन गांवों में से 6406 समस्याग्रस्त गांवों में 31-3-90 तक पेयजल की जो व्यवस्था की जाने के लिए कहा गया है, मैं सरकार का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो पूरे सूबे में जिले वाईज पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ-साथ सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर, कानपुर में जो गंगा बह रही है और गंगा प्रदूषण के लिए धन आवंटित किया गया है, शीघ्रता से काम प्रारम्भ करवाया जाए। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ सरकार पर्याप्त मात्रा में पेयजल की सप्लाई करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है, जल सप्लाई के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पानी का राशन भी किया जाएगा। मन्दिरमार्ग, मोतीबाई मार्ग, लक्ष्मीबाई मार्ग, आई०एन०ए० दिल्ली के निवासियों को मुश्किल से पानी मिल पाता है नौएडा के मित्तल जी ने यह कहा कि यहां ढाई लाख की आबादी है जबकि यहां की फैक्टरियों में पचास हजार से ज्यादा लोग बाहर से काम करने आते हैं। सबसे ज्यादा जानवर हैं, दूध डेरी है, उनके

लिए भी पानी की कमी रहती है। उन्होंने कहा कि अस्थाई व्यवस्था है, हम इसको शीघ्र हल करेंगे। यह अस्थाई नहीं है, यह कई वर्षों से हैं, संकटपूर्ण स्थिति है। अधिकारी सरकार को तो गुमराह करते ही हैं, साथ-साथ जनता के साथ भी धोखा करते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था करें।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, आज भी पानी के बारे में और बरसों बरस पहले से भी पानी के बारे में चिन्ता की जाती रही है। रहीम कवि कहते थे कि :

रहिमन पानी राखिए
बिन पानी सब सून।
पानी गए ना उबरै
मोती मानस चून॥

इस सरकार को चुनौती है कि पीने के पानी का पर्याप्त प्रबन्ध करे। हिन्दुस्तान की आजादी के चार दशक बीत जाने के बाद, चालीस वर्ष होने के बाद भी पीने का पानी चाहिए। हमने देश की उन्नति के बारे में, ज्ञान और विज्ञान के बारे में बहुत प्रगति की है। यदि हम शानदार घोषणा करना चाहते हैं तो हमारी घोषणा के साथ यदि हम पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर पाएं तो यहां भी हमारी कमी उजागर हो जाती है। दक्षिण दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, जनकपुरी में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है तो फिर पानी कहां पर होगा ? इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि चाहे पिछली सरकार ने कुछ भी किया हो, पिछली सरकार का पानी चुक गया होगा। हमारे यहां पर कहावत है कि "तलवार का पानी उतर जाए तो कुछ काम की नहीं रहती है, मोती का पानी उतर जाए तो किसी काम का नहीं रहता है।" सरकार का पानी दिखाई देना चाहिए। इसलिए मेरी बात को चुनौती के रूप में सरकार को लेना चाहिए। आज गांवों में पीने के पानी की समस्या है। सरकार सर्वेक्षण कराती है कि इतने गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। सरकार की जो जानकारी हमें प्रश्न-उत्तर के माध्यम से मिली है, उसमें कहा गया है कि 12,74 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी का प्रबन्ध किया जाना है। और 31 मार्च तक 6406 गांवों का प्रबन्ध कर दिया जाएगा और बाकी के 6358 गांवों का प्रबन्ध हम आठवीं योजना में करने वाले हैं। यह क्या कोई जादूगरी है ? कैसे इसे करेंगे ? आप जब समस्याग्रस्त गांवों का मूल्यांकन करेंगे तब जिन गांवों में पानी की समस्या नहीं होगी वहां वह भूमिगत जल स्तर कम होने से पैदा हो जाएगी। इससे एक नई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जो हैंडपम्प लगाए जाते हैं वह गहराई तक नहीं जाते हैं। ऊपर-ऊपर जो पानी होता है वह उसके द्वारा चला आता है। इसको पानी की समस्या के लिए निदान-कारक उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

सरकार ने पानी की समस्या के निदान के लिए अनेक योजनाएं बनायी हैं—जैसे एक एम० एन० पी० प्रोग्राम है। इसके अन्तर्गत सरकार प्रावधान करती है और योजना बनाती है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इन सारी योजनाओं का सारा का सारा पर्दाफाश तब हो जाता है जब गर्मी के दिन आते हैं। ऐसे में लोग पानी-पानी की पुकार लगाते हैं। मेरा कहना है कि पानी की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो उन्नति हमने की होगी वह सब की सब बेकार हो जाएगी। आज दूर-दराज के गांवों में पीने का पानी नहीं है। वहां कुछ

नदियों, तालाबों या छोटे-मोटे पोखरों में जो पानी बचा होता है वही वहां के लोग उपयोग करते हैं। वह पानी पीने के लायक नहीं होता है और उसमें रोगाणु होते हैं। अगर उस पानी को पी लिया जाए तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे दूर-दराज इलाकों के अन्दर जहां कुंओं में पानी नहीं है और जहां तालाबों और नदियों में पानी नहीं है, ऐसे स्थानों की चिन्ता कौन करेगा ? हम दिल्ली के बारे में कहते हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है और मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में पानी नहीं है। आप इन शहरों की चिन्ता के साथ-साथ गांवों की चिन्ता भी करें। हमारे यहां हजारों गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना के अन्दर शोहपुर जोहरा ब्लाक में पीने का पानी पशुओं को नहीं मिल रहा है। ऐसे में 2 हजार पशु मर गए। इसके साथ-साथ मनुष्य के मरने के भी समाचार हमें सुनने को मिल रहे हैं।

कुदरत ने हमें हवा और पानी दिया है और इसके लिए हम उसके बहुत मेहरबान हैं। लेकिन पानी को पूरी तरह से रोक नहीं सके हैं। इससे हमारी अयोग्यता सिद्ध होती है। आज मध्य प्रदेश के अन्दर पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। अभी मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहा है कि "केवल मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडू की सरकारों ने सूखा राहत जिसमें वर्ष 1990-91 के दौरान पेय जल भी शामिल है के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।" मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सहायता के तौर पर वह धनराशि कब देंगे ? यह सहायता आपको अभी देनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने 194.48 करोड़ रुपए मांगे हैं। उसमें से केवल 6.94 करोड़ रुपए दिए हैं।

सरकार कहती है कि हम पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए उपाय कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह उपाय कैसे होगा ? जितना रुपया आपने इसके लिए दिया है अगर उसमें मटका भी खरीदना पड़े तब भी वह पूरा नहीं होगा, ऐसे में पानी कहां से आएगा ? थोथी योजनाओं और कागज की योजनाओं से प्यास बुझने वाली नहीं है। अगर किसी को एक बार खाना खाने को थोड़ा विलम्ब तो चलेगा लेकिन पानी के बिना कोई थोड़ी देर के लिए भी रह नहीं सकता है। अतः पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

आपको पता है कि हमारे यहां कुम्भ पर्व का आयोजन होता है। उज्जैन के अन्दर 1992 के दौरान इस पर्व पर एक करोड़ लोग आने वाले हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि यहां वर्षा कम होने वाली है। जहां पर एक करोड़ लोग आने वाले हैं, वहां लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे वे गुजारा करेंगे। जो पानी की समस्या वहां पैदा होने वाली है उसको दूर करने के लिए आपको साधन जुटाने चाहिए। हमारे यहां कहावत है कि जब जरूरत हो उससे बहुत पहले बांध की व्यवस्था करनी चाहिए। नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना से दो करोड़ आबादी को लाभ मिलने वाला है। ऐसी योजना पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। पेयजल के लिए छोटी-छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे हम पानी की समस्या को हल कर सकें। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में पूरा ध्यान देगी और ऐसी परीक्षा की घड़ी में इस चुनौती को दिखाने के लिए इसे स्वीकार करेगी। तूफान आता है तो पानी की व्यवस्था खत्म हो जाती है, सूखा पड़ जाए तो पानी की समस्या और ज्यादा पानी पड़ जाए तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं पानी इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस सारी समस्या को हल करने के लिए गम्भीरता के साथ सरकार क्या उपाय करेगी ? इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि समस्याग्रस्त गांवों का पुनर्सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, आधी अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए, पेयजल स्रोतों का विस्तार किया जाना चाहिए, नए स्रोतों को शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए

और इन सारी बातों के लिए केन्द्रीय सरकार योजनापूर्वक प्रदेश सरकारों को, मध्य प्रदेश सरकार को, जो उसकी मांग है, उसकी शीघ्र पूर्ति करनी चाहिए ।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : महोदय, मैं अपने साथी से अच्छा कुछ भी नहीं कह सकता हूं । अत: मन्त्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं ।

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्यों का उनके विचारों के लिए आभारी हूं । श्री हरीश रावत ने अपने विचार बहुत ठीक पेश किए हैं । मेरा मन्त्रालय दिल्ली का कार्य देखता है । लेकिन जहां तक अन्य शहरी क्षेत्रों की बात है केन्द्र सरकार के कोई कार्यक्रम नहीं हैं । अत: यह स्थिति है । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र समझौते को मान लिया है जिसमें कि 100 प्रतिशत जल आपूर्ति तथा स्वच्छता की घोषणा की गई है । यद्यपि हमने इस पर हस्ताक्षर किए और उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की । फिर भी ऐसा करना अभी भ्रामक ही लगता है । अत: हमें अपने लक्ष्यों में कटौती करनी पड़ी । 100 प्रतिशत जल आपूर्ति की बजाय हमें इसे कम करना पड़ा । लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि यह कम किया हुआ लक्ष्य भी अभी हमें प्राप्त करना बाकी है । यह स्थिति वित्तीय अड़चनों की वजह से है । हम अपने अधिकांश संसाधनों को जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर खर्च नहीं कर सकते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यही हमारी आयोजना की विशेषता है ।

श्री मुरासोली मारन : ठीक है । रंगा जी, आयोजना बहुत अच्छी तरह की गयी थी । उदाहरण के तौर पर, सातवीं योजना में कार्यदल ने 19883 करोड़ रुपए का निवेश सुझाया था लेकिन हमें केवल 2935 करोड़ रुपए ही मिले । अत: आयोजना अच्छी थी । लेकिन हम धन मुहैय्या नहीं कर सके । इसलिए यह प्रक्रिया बराबर चल रही है । यहां तक कि वर्तमान आठवीं योजना में हमने अकेले शहरी जल आपूर्ति के लिए 13850 करोड़ रुपयों की मांग की है । और हमें आशावान रहना चाहिए । चालू वर्ष में शहरी जल आपूर्ति एक काफी अधिक उपेक्षित क्षेत्र रहा है । ग्रामीण जल आपूर्ति का ध्यान रखना चाहिए और साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी समान महत्व देना चाहिए जो उन्हें नहीं दिया गया । पहली बार 1990-91 में शहरी जल आपूर्ति की आवश्यकता को कुछ मान्यता दी गई । मैं सोचता हूं कि प्रो० रंगा को यह जानने में रुचि होगी कि शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । इन 3 करोड़ रुपयों में से 2 करोड़ रुपए मूल्य के "हुडको" के शेयर खरीद लिए जाएंगे शेष 1 करोड़ रुपए बचते हैं । बजट में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 1081 रुपए आवंटित किए गए हैं । इस क्षेत्र के लिए ज्यादा राशि आवंटित की जानी चाहिए । और शहरी जनता को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए । यह स्थिति है ।

डा० बिप्लब दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : क्या इसमें सिंचाई भी शामिल है ?

श्री मुरासोली मारन : जी नहीं । मैं पेयजल की बात कर रहा हूं । अधिकतर माननीय सदस्य दिल्ली की स्थिति के बारे में बोले । वास्तव में, श्री हरीश रावत ने पूछा था कि क्या 70 एम० जी० डी० जल आपूर्ति 1981 की जनसंख्या पर आधारित है अथवा नहीं । ऐसा नहीं है । 1990 में 88 लाख की जनसंख्या के लिए 60 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 530 एम० जी० डी० पानी की आवश्यकता आंकी गई है । वर्तमान जल आपूर्ति 460 एम० जी० डी० है और इस प्रकार लगभग 70 एम० जी० डी० पानी की कमी है । किन्तु यह सब आंकड़े और गणना है । हम सभी जानते हैं और

दिल्ली के विशेषज्ञ यहां बैठे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो दिल्ली में पर्याप्त जल है, किन्तु आप यह कह सकते हैं कि वितरण बहुत खराब है। पानी की टंकियों और दूसरी चीजें उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में स्थित हैं, किंतु शहर दूसरी दिशाओं में फैल गया है। अतः, वहां जल के वितरण और पम्पिंग की समस्या है। दिल्ली को इन दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमानुसार माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री मुरासोली मारन : दिल्ली एक विशेष अनुकम्पा प्राप्त नगर है क्योंकि यह भारत की राजधानी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, महानगरों को 60 गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है। दिल्ली को 52 गैलन मिलता है, मुम्बई को 29 गैलन, कलकत्ता को 20 गैलन, मद्रास को 15 गैलन, हैदराबाद को 34 गैलन, बंगलौर को 29 गैलन पानी मिलता है आदि आदि। यह स्थिति है, किन्तु हम दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों को कम करके नहीं आंक सकते। क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है अतः वे स्वभावतः संसद में अपनी आवाज उठा सकते हैं। सरकार की इस विषय में दीर्घकालिक और अल्पकालिक क्या योजनाएं हैं इससे मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

जैसाकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि बजीदाबाद के जल शुद्धि संयंत्र में 20 एम० जी० डी० के पहले चरण को शुरू कर दिया गया है। 15 जून, 1990 से पहले द्वितीय चरण भी शुरू कर दिया जाएगा। यह 20 एम० जी० डी० पानी की अतिरिक्त आपूर्ति देगा। ओखला में 12 एम० जी० डी० जल शुद्धि संयंत्र के प्रथम चरण का उद्घाटन 31 मई को होने जा रहा है। इससे पश्चिमी दिल्ली और ग्रामीण दिल्ली में जल आपूर्ति में सुधार होगा। जल्दी ही बूस्टर पम्पिंग केन्द्र सहित दो जलाशयों का उद्घाटन होने वाला है, एक तो जनकपुरी में 26 मई, 1990 को है और दूसरा बोडेला मे शायद जून, 1990 के पहले सप्ताह में होगा। इससे पश्चिमी दिल्ली में समान जल आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

सिर्फ यही नहीं; बल्कि कुछ मध्यावधि योजनाएं भी हैं। हैदरपुर में एक 100 एम० जी० डी० जल शुद्धि संयंत्र तैयार हो रहा है जो हरियाणा से कच्चे पानी के बदले शुद्ध पानी बनाएगा। शायद यह 1992 के आसपास बन कर तैयार हो जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं यहां नियमानुसार कार्यवाही चलाने के लिए हूं। यह प्रश्न कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरासोली मारन : नांगलोई में एक 40 एम० जी० डी० जल शुद्धि संयन्त्र बनाने की भी एक योजना है। भूमि ले ली गई है। यह डेढ़ साल दो साल के बीच तैयार हो जाएगा। बजीराबाद में भी 100 एम० जी० डी० जल शुद्धि संयंत्र लगाने की एक योजना है जो टिहरी बांध जो अभी निर्माणाधीन है, से छोड़े गए 300 क्यूसेक पानी पर आधारित होगा। यह एक दीर्घकालिक योजना है ये

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजनाएं हैं। किन्तु इसके साथ ही मैं आपसे कहता हूं कि कुछ कठिनाइयां हैं। मैं इसे कम करके नहीं आंक रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए लगभग 150 टैंकर लगाए गए हैं और दिल्ली प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इनकी संख्या बढ़ायेंगे। कल से वे एक टेलीफोन लगाने जा रहे हैं। अगर कोई भी उस विशेष नम्बर पर फोन करता है तो उसे शीघ्रता से एक टैंकर मिलेगा। हमने यह नई व्यवस्था की है। हम दिल्ली के नागरिकों को आश्वासन देते हैं कि सरकार समस्या से अवगत है और हम यथासंभव कोशिश करेंगे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नियमानुसार, इसकी इजाजत नहीं दी जाती।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप इस बहस में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। और नियमानुसार किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। मुझे खेद है, आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

3.42 म० प०

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य

राष्ट्रीय कीट नियन्त्रण नीति बनाना

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निदेश 115 के अधीन निम्नलिखित एक वक्तव्य देता हूं :

मैंने 26-5-90 को तारांकित प्रश्न 515 के सम्बन्ध में खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री, श्री नाथू राम मिर्धा से पूछा था कि क्या उन्हें या सरकार को राष्ट्रीय कीट नियन्त्रण नीति के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, और यदि हां, तो यह अभ्यावेदन किस से प्राप्त हुआ था और यह नीति कब तैयार की जाएगी। उत्तर अस्पष्ट और गलत था। कार्यवाही वृत्तांत से सही तथ्यों का पता नहीं चलता। भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य संघ ने उप प्रधानमन्त्री और कृषि मन्त्री, जिन्हें प्रारम्भ में मेरा उक्त प्रश्न सम्बोधित था, को लिखे एक पत्र में उक्त नीति बनाने की मांग की है।

इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या वास्तव में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, और यदि हां, तो उसकी विषयवस्तु क्या थी, तथा उस पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को यह अवश्य समझना चाहिए कि वे व्यवस्था का प्रश्न तभी उठा सकते हैं जब किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो। अन्यथा आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। आप मात्र इस कारण कि आप कुछ जानकारी चाहते हैं या कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : महोदय, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ की ओर से एक अभ्यावेदन 4 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है, जिसमें कीटनाशियों के सम्बन्ध में अनेक मुद्दे उठाए गए हैं जैसे जैवीकीय नियंत्रण, समेकित कीट-प्रबन्ध तथा आर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देना; एवं वर्तमान कीटनाशियों के अन्धाधुन्ध प्रयोग को निरुत्साहित करने के उपाय करना। अभ्यावेदन में कीट एवं रोग नियन्त्रण सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए एक विशेष निकाय के गठन की मांग भी शामिल है। यह अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

3.46 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 23 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मन्त्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 23 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री ए० के० राय :

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन रखे हैं।

सभापति महोदय : आप ऐसे संशोधन नहीं रख सकते। यह स्वीकार्य नहीं है। सामान्यतः कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों पर संशोधन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। लेकिन समय में परिवर्तन के लिए विशेष मामले के रूप में आप संशोधन कर सकते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० के० राय : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है। नियम 290 में कहा गया है :

> "प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थापित किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है; परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को वापस भेज दिया जाए; और
>
> परन्तु यह और भी की प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।"

यह कहीं भी नहीं लिखा है कि केवल समय के प्रश्न पर ही संशोधन किया जा सकता है। यह नियम है। नियम में यह स्पष्ट किया गया है।

हम में से जो छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने उस समय ऐसे संशोधन कई बार प्रस्तुत किए थे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आठवीं लोक सभा भी कहिए।

श्री ए० के० राय : मैं आठवीं लोक सभा के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं आठवीं लोक सभा में नहीं था। इसी कारण मैंने ऐसा कहा है। लेकिन छठी और सातवीं लोक सभाओं में हमने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। ऐसा इस कारण किया गया था क्योंकि कई मुद्दों को छोड़ दिया गया था। हमें सुझाव देने तथा संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। हमने इन्हें सही समय और सही रूप में प्रस्तुत किया है। मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसे किस आधार पर अस्वीकार किया गया है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं इसमें कुछ और कहना चाहूंगा। मैं छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा का सदस्य रहा हूं।

सभापति महोदय : बधाई हो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह स्थिति है। यह नियम उन लोगों को जो सदन की कार्यवाही में यदा-कदा ही भाग लेते हैं, यह अधिकार देता है कि कार्य की उन मदों पर, जिन पर कार्य मन्त्रणा समिति ने विचार ही न किया हो, अपने सुझाव दे सकें। मैंने केवल इसी उद्देश्य से कार्यवाही में हस्तक्षेप किया था। मैं नियमों के अंतर्गत सदस्यों के बोलने के अधिकार को सीमित करने के प्रति चिंतित हूं। यही मेरी एकमात्र चिन्ता है। मैं व्यवस्थित और प्रभावी वाद-विवाद के उदाहरण दे सकता हूं। मैं कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन पर दिए गए संशोधनों का उदाहरण दे सकता हूं जो मैंने स्वयं उन मुद्दों पर दिए थे जो प्रतिवेदन का भाग नहीं थे। अभी तक जो चलन रहा है, वह इस प्रकार है। सदस्य सुझाव देते हैं और मन्त्री हमें यह बताते हैं कि अगले सप्ताह या उसके बाद कौन-कौन से मुद्दे लिए जाने हैं। तत्पश्चात सदस्य कहते हैं कि हमारे पास कुछ अन्य मामले हैं जिनके बारे में हम चिंतित हैं, उन पर भी सभा में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सदस्यों को कुछ बातों पर प्रकाश डालने का अधिकार है। इस अधिकार को अब छीना जा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसी कठिनाइयां जनता के प्रतिनिधियों के भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार में अनुचित कटौती के कारण पैदा हो सकती हैं।

सभापति महोदय : इसका भाषण की स्वतन्त्रता से कुछ लेना-देना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं। मैंने दो मूल बातों का प्रस्ताव किया था—एक काम का अधिकार और दूसरे प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी जिसके लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बचनबद्ध है। वे इस सत्र में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन, उन्होंने इसे क्यों छोड़ दिया। मेरा प्रस्ताव है कि उन संशोधनों सम्मिलित किया जाए।

सभापति महोदय : आपने यह स्पष्ट कर दिया है। मैं आपके संशोधनों को देखूंगा। आपके संशोधन मेरे सामने हैं।

श्री ए० के० राय : सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि अक्सर लोग सभा को भ्रमित करने के लिए कौल और शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार नामक पुस्तक का उल्लेख करते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि किसी न किसी प्रकार से वे भी हमारी बात का समर्थन करते हैं।

पृष्ठ संख्या 756 पर कहा गया है :

"....यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि सभा समिति की रिपोर्ट से सहमत है।"

महोदय, यहां आपकी बात उचित है परन्तु इसमें यह भी कहा गया है :

"....परन्तु सदस्य चाहें तो कार्य की विभिन्न मदों के लिए नियत समय में, जिसकी सिफारिश की गयी हो, परिवर्तन अथवा संशोधन का सुझाव दे सकते हैं अथवा संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।"

यहां आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

"....वे उस प्रस्ताव पर उपयुक्त संशोधन रखकर समिति की अन्य सिफारिशों में परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं। यह भी संशोधन पेश किया जा सकता है कि रिपोर्ट समिति को वापस भेज दी जाए या तो बिना कोई परिसीमन लगाए या किसी विशेष विषय के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए..."

सभापति महोदय : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री ए० के० राय : इस "विशेष मामले" के अनुसार मैंने सुझाव दिया है कि काम के अधिकार और प्रबन्ध में श्रमिकों की भागेदारी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मेरा यह संशोधन था। कृपया मुझे भी बताइए कि आप इसे किस आधार पर और कैसे अस्वीकृत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं आपको बताऊंगा। अब श्री थामस बोलें।

श्री एडुआर्डो फलेरो : नियम समिति के सुविचारित मत के लिए कृपया इसे इस समिति को सौंप दीजिए।

सभापति महोदय : विद्यमान नियमों के अनुसार मैं विनिर्णय दूंगा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : नियम 290 को, जैसाकि इसका उल्लेख हुआ है, प्रभावी बनाया जाए क्योंकि कुछ दलों का—मैं अपना ही मामला उद्धृत कर सकता हूं—कार्य मंत्रणा समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है। हम नहीं जानते कि वास्तव में उसमें क्या विचार किया जा रहा है। वहां हो रहे विचार-विमर्श के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। हमें उसमें सुझाव देने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम केवल इस सभा में ही उन मामलों के संबंध में सुझाव दे सकते हैं, जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं, इसकी नियम 290 में व्यवस्था है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस नियम को प्रभावी बनाया जाए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरा सुझाव है कि कम से कम नियम 290 के अनुसार आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति दे सकते हैं। तत्पश्चात् मंत्री महोदय कह सकते हैं कि क्या वह उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे। उन सुझावों पर विचार करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है।

सभापति महोदय : श्री रावत, मैं आपकी बात समझता हूं। यदि नियमों में संशोधन किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं इस समय विद्यमान नियमों के आधार पर विनिर्णय दे सकता हूं।

श्री हरीश रावत : नियम 290 से सदस्यों को सहायता मिलती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सदस्यों के अधिकारों को कम करना है।

श्री ए० के० राय : हमें बताइए कि नियमों में कहां और कैसे संशोधन किया गया है?

सभापति महोदय : अधिक दूर तक मत जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

प्रो० पी० जी० कुरियन (मवेलीकारा) : सबसे पहले मैं इस बात पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं। मैं सातवीं और आठवीं लोकसभा का सदस्य था; उस समय यह प्रथा थी कि सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में संशोधनों का सुझाव देते थे। यह प्रथा समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आपने कोई नयी बात नहीं कही है। अब श्री बनातवाला बोलें। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि पहले अध्यक्ष महोदय ने इस आशय का निर्णय दिया था कि जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो सदस्य सदन की कार्यवाही के संबंध में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन, माननीय मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव के बारे में प्रस्तुत संशोधन से स्थिति पूरी तरह भिन्न है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट स्वीकार की जाए। जब यह प्रस्ताव सभा के समक्ष है तो सभा को इस प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के लिए नोटिस देने का पूरा अधिकार है। यह सामान्य अधिकार भी है और नियम 290 द्वारा इस अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। जब तक नियमों को निलंबित अथवा संशोधित नहीं किया जाता तब तक इस अधिकार में कोई कमी नहीं की जा सकती, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जहां तक नियम का संबंध है, निस्संदेह नियम में सदस्यों को संशोधन संबंधी सुझाव देने की व्यवस्था है। इसके संबंध में मैं आपके विचार हेतु दो बातें कहना चाहती हूं। जहां तक आठवीं लोक सभा का संबंध है, मेरे मित्र को याद होगा कि इसके आखिरी दिनों में इस

असीमित अधिकार को कम कर दिया गया था। सदस्य नोटिस दे सकते थे परन्तु उनमें से दस नोटिसों को बैलट द्वारा चुना जाता था। परन्तु अन्य नोटिसों के समान इन नोटिसों को भी 10 बजे से पहले देना पड़ता था। इसलिए इस नियम के बचाव तथा समर्थन करने के लिए मेरे विचार से ऐसे सभी नोटिस 10 बजे से पहले प्राप्त हो जाने चाहिएं थे। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैंने इसे 10 बजे से पहले दिया है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप सदस्यों को उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अनेक सदस्यों ने नियम 290 का उल्लेख किया है। परन्तु मुख्य नियम 288 है जो प्रसांगिक है। इसमें कार्य मंत्रणा समिति के कार्यों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है :

"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्त कार्य पर चर्चा के लिए समय के बंटवारे की सिफारिशें करे, जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दे।"

इसलिए समिति का कार्य समय निर्धारित करने के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार यह निर्णय करती है कि सभा में कौन सा कार्य शुरू किया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अब मुझे और मत समझाइये। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सदस्यों के अधिकारों को कम करना है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम भी इसका विरोध करते हैं।

सभापति महोदय : मैं विनिर्णय दूंगा। निस्संदेह नियम स्पष्ट है। मैंने नियम पढ़ लिया है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है। नियम में कार्य मंत्रणा समिति के कार्य का स्पष्ट उल्लेख है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हम आपके विनिर्णय का विरोध करते है। (व्यवधान) यह उचित नियम नहीं है।

सभापति महोदय : मुझे इस सभा के नियम और व्यवहार का अनुसरण करना है। शोरगुल मचाने से कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आपको आज एक घंटे के अन्दर ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनमें कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में संशोधन करने की अनुमति दी गयी थी और उन्हें स्वीकार किया गया। मैं आपको एक घंटे के अंदर स्वीकृत संशोधनों के बारे में बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हम इसका विरोध करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उन्हें स्वीकार किया गया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। दिनांक 4 मई, 1973 को तत्कालीन अध्यक्ष डा० जी० एस० ढिल्लो ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया था—

"4 मई, 1973 को जब एक सदस्य (श्री मधु लिमये) ने आगामी सप्ताह के दौरान सभा में 3 अल्पकालिक चर्चाओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से 29वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव पर एक स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना दी थी"...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कैसे कह सकते हैं कि निर्णय नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप अपना समय लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शोर करने का कोई लाभ नहीं है। श्री रावत, आप कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है फिर, आप किसी निर्णय पर क्यों पहुंच जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप संसद की गरिमा में इसे कल दीजिएगा।

सभापति महोदय : श्री फैलीरो जी, इतना आगे मत जाइये, अब बहुत हो चुका।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया माननीय सदस्यों के अधिकार अनावश्यक रूप से मत छीनिये। **(व्यवधान)**

श्री० ए० के० राय : यह समय के अन्दर ही है। प्रत्येक बात सही भावना से की जा रही है। (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्यों को गुमराह मत कीजिए।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय का संशोधन एक नए मद को शामिल करने के बारे में है। यह वही है। इस संबंध में एक विनिर्णय दिया गया है। मुझे इसे पूरा करने दें।

4.00 म० प०

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने स्वयं ऐसा अनेकों बार किया है।

सभापति महोदय : इस विनिर्णय में कहा गया है :

"....अध्यक्ष ने नोटिस प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी तथा सदस्य को सूचित कर दिया गया था। जब सदस्य ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयत्न किया तब अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि संशोधन द्वारा उस समय आबंटन में परिवर्तन किया जा सकता था जिसकी सिफारिश समिति ने की थी परन्तु, संशोधनों द्वारा कार्य के नये मद नहीं जोड़े जा सकते तथा नये मद जोड़ने के सुझाव तभी किए जा सकते थे जब संसदीय कार्य मंत्री इस आने वाले सप्ताह के लिए कार्य-सूची के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।"

इसका अभिप्राय अगले सप्ताह से है। तत्पश्चात् डा० बलराम जाखड़ ने निर्णय दिया था :

"दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 को जब कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तब श्री चन्द्रजीत यादव एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे। अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी तथा यह टिप्पणी की कि 10 दिसम्बर, 1981 की अपनी बैठक में कार्य मंत्रणा समिति ने, यह सिफारिश की थी कि सुस्थापित परम्परा के अनुसार समिति द्वारा सिफारिश किए गए आबंटित समय में परिवर्तन कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में संशोधन द्वारा किया जा सकता था परन्तु संशोधनों द्वारा कार्य की नई मदें उसमें नहीं जोड़ी जा सकती थीं।"

तत्पश्चात् श्री मावलंकर ने यह विनिर्णय दिया था :

"मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्येक सदस्य को कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी देने का अधिकार है परन्तु, इस अधिकार का प्रयोग करने के तरीके हैं। मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूं। यदि कोई सदस्य कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आबंटित किए गए समय से संतुष्ट नहीं है, तब मेरे विचार से बेहतर तरीका यह नहीं होगा कि वह इसके लिए संशोधन प्रस्तुत करे बल्कि अपने दल के नेता के समक्ष मामले को रखे, जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित था। तब वह उसे यह भी बता सकता है कि उस मद के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा क्यों निर्धारित की गई थी तथा इस मामले पर चर्चा भी की जा सकती है। अतएव मैंने भी परामर्श के रूप में कहा था कि इस सदन में भी जब कुछ समय आबंटित किया गया तथा ऐसा महसूस किया गया कि इस मद के लिए कुछ और समय आबंटित करना आवश्यक है, तब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का परिणाम यह निकला कि यह सदन द्वारा समय—आबंटन संबंधी आदेश हो जाता है तथा उस समय यह भी आवश्यक हो जाता है कि इसे सदन की इच्छा माना जाये तथा सदन समय-समय पर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार कर सकता है। यही उचित तरीका है न कि संशोधन प्रस्तुत किए जाएं।"

ये विनिर्णय हैं। अतः मुझे खेद है कि नियम अत्यन्त स्पष्ट हैं तथा निर्णय भी अत्यन्त स्पष्ट है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम इस पर नियम समिति में चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : आप इस पर नियम समिति में चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है। कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर चर्चा की गई तथा कुछेक निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में सदन की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में भी एक निर्णय लिया गया। परन्तु इस बैठक में जो निर्णय लिया गया, उसमें कुछेक विवेकशीलता भी थी।

सभापति महोदय : सामान्यतः ऐसा किया जाता है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह एक विशेष स्थिति है । महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं । इस मामले पर कुछेक समझौता हुआ है तथा मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम यह विश्वास करते हुए सदन की अवधि बढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं कि वह समझौता अब भी कायम है तथा सत्तापक्ष भी निश्चित रूप से उस समझौते को बनाए रखेगा ।

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली सदर) : वह समझौता क्या है ?

प्रो० पी० जी० कुरियन : दूसरे, कि एयरबस ए-320 समझौते के सम्बन्ध में सभा पटल पर कागजात प्रस्तुत किए जाने के बारे में इस तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, मैं चाहूंगा कि इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाये । नियम 184 के अधीन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था । अब केवल तीन अथवा चार दिन ही सदन की बैठक होगी है । मैं इस बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : आप इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष ले जा सकते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि चूंकि इस मामले पर चर्चा आवश्यक नहीं समझी गई थी, इसीलिए, इसे इसमें सम्मिलित नहीं किया गया । परन्तु, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा दिनांक 23 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । कार्य मत्रणा समिति के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि कश्मीर मामलों के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा शाम 4.00 बजे तक समाप्त हो जाएगी तथा यह समझौता हो गया था कि सभा की बैठक शाम 8.00 बजे तक चलेगी जिससे कि शाम 4.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक के समय में चार विधेयकों पर चर्चा पूरी की जा सके । यह समझौता किया गया था । उसी के अनुसार समय आबंटित किया गया था । (**व्यवधान**) उसी के अनुसार कल सहमति प्रकट की गई थी । यदि आपके नेता सहमत हैं तथा यदि आप सहमत नहीं हैं तब कार्य मंत्रणा समिति की कोई आवश्यकता नहीं है···(**व्यवधान**) महोदय, पिछले दो अथवा तीन दिनों के दौरान कोई भी सरकारी कार्य नहीं किया गया है, एक भी विधेयक पर चर्चा नहीं की गई है । अतएव, मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ होने से पूर्व कम से कम एक अथवा दो विधेयकों पर चर्चा कर ली जाए···(**व्यवधान**) ठीक है । आप नियम 193 के अधीन चर्चा हेतु समय निर्धारित कर दीजिए । आप कितना समय आबंटित करेंगे ? हम विधेयकों पर चर्चा कल आरम्भ करेंगे ? हम कितनी देर तक बैठेंगे ?

सभापति महोदय : आप इसे नियम 377 के अधीन मामलों के पश्चात् उठा सकते हैं।

जब नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ की जाए, उस समय आप इस मामले को उठा सकते हैं।

अब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे।

4.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों को दक्षिण-मध्य रेलवे मंडल, हैदराबाद के अन्तर्गत लाए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : विशाखापट्टनम विजयनगरम और श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) जिले दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के अन्तर्गत आते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन जिलों के निवासियों को रेलवे में साक्षात्कार और भर्ती सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड का मुख्यालय वहां पर स्थित है। इन जिलों के लोगों की लम्बे समय से यह मांग चल रही है कि इन जिलों को दक्षिण मध्य रेलवे मण्डल के अन्तर्गत लाया जाए जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थित है। इससे रेलवे का कार्य सुचारू रूप से चलेगा और इन क्षेत्रों के निवासियों को भी लाभ होगा। सरकार इस मामले पर विचार करे।

(दो) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित सूचना देता हूं :

"उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला एवं मुनस्यारी विकास खण्डों तथा जोशीमठ व टौन्स क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली अन्य जातियां जिन्हें जनजातियों का दर्जा प्राप्त नहीं है, आर्थिक व शैक्षणिक एवं सामाजिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं तथा जनजातियों पर निर्भर हैं। इनकी पारिवारिक, पारस्परिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां भी एक ही प्रकार की हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली अनवाल जातियां तो पूर्णतः जनजातियों का अंग हैं। परन्तु भूलवश उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है।

सीमा के इन क्षेत्रों में सरकारी भेदभाव के कारण असंतोष व्याप्त है। लम्बे अर्से से इन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र (शेड्यूल्ड एरिया) घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस आशय का अनुरोध किया गया है।

अतः मेरा आग्रह है कि भारत सरकार इन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र (शेड्यूल्ड एरिया) घोषित करे।"

(तीन) देश में कालेज/विश्वविद्यालय कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : देश में विश्वविद्यालयों के लगभग एक लाख कर्मचारी गत अनेक वर्षों से समान वेतनमान और सेवा शर्तें, पर्याप्त आवास सुविधाएं, सिनेट और सिंडीकेट जैसे विश्वविद्यालय निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व, नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने, पेंशन, उपदान और अंशदायी भविष्य निधि के तीन सेवानिवृत्ति लाभ और विश्वविद्यालय का लोकतंत्रीकरण करने आदि की मांग कर रहे हैं।

देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। उच्चतम न्यायालय के 21 फरवरी, 1978 के निर्णय के बावजूद इन कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और इस प्रकार उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो देश में सभी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान निर्धारित करता है, उसने गैर-शिक्षक कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने से मना कर दिया है।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इन कर्मचारियों की न्यायोचित और सही मांगों को पूरा करने तथा एक समान वेतनमान निर्धारित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(चार) राजस्थान के करोली क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उसे रेल द्वारा धौलपुर तथा गंगापुर के साथ जोड़े जाने की मांग

[हिन्दी]

डा० किशोरी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) : राजस्थान के करोली क्षेत्र को रेल से जोड़े जाने का मामला काफ़ी लम्बे समय से उठ रहा है। यह समूचा क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा उबड़-खाबड़, बीहड़ों के कारण डकैतों से ग्रस्त है। अगर इस क्षेत्र को धौलपुर से व गंगापुर पर ब्राडगेज लाइन से जोड़ दिया जाए तो मध्य रेलवे व पश्चिम रेलवे लिंक हो जाने के कारण सरकार को भारी फायदा होगा साथ में करोली, सवाई माधोपुर, दौसा जयपुर एवं धौलपुर के 1500 सकें. माइल्स की 5-6 लाख आबादी को आवागमन एवं व्यापार की सुविधा बढ़ेगी। करोली व धौलपुर क्षेत्र के बीहड़ों में डकैतों की समस्या का समाधान होगा।

4.12 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए।]

इस क्षेत्र में लाल व सफेद पत्थर की खानें प्रचुर मात्रा में हैं जिनका पत्थर विदेशों तक जाता है। इसी पत्थर से ऐतिहासिक महत्व के आगरा, दिल्ली, सीकरी के किले, राष्ट्रपति एवं संसद भवन तक निर्मित हुए हैं। रेल लाइन से पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बेकारी व भुखमरी दूर होने के साथ-साथ अवैध खनन रुकेगा व सरकार को करोड़ों की रायल्टी मिलेगी। इस पत्थर के अलावा करोली

क्षेत्र में लोहा, ताम्बा, पन्ना की खाने भी मौजूद हैं व सीमेंट योग्य अच्छा पत्थर बहुत बड़ी तादात में उपलब्ध है जिससे औद्योगिक धन्धों को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्षेत्र में पान व तेन्दू के पत्ते हैं जिनका व्यापार बढ़ेगा। इसी क्षेत्र का ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल तिमनगढ़ व कैलादेवी को यात्रियों के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा।

1956 में तत्कालीन रेलवे मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को पूरा करने का विश्वास दिलाया था। सभी अनुकूल परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के इरादे की दृष्टि से मांग करता हूं कि करोली को धौलपुर व गंगापुर से जोड़ दिया जाए जिससे क्षेत्र की अनेकानेक समस्याओं के समाधान के साथ-साथ औद्योगिक विकास होगा। अतः राज व जनहित में करोली को रेल सेवा से जोड़ा जाना नितांत आवश्यक है।

(पांच) पश्चिम बंगाल में छः खानों को बन्द करने के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० सी० एल०) के निर्णय की समीक्षा किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी ई० सी० एल० द्वारा सैंट्रल ट्रेड यूनियन के सख्त विरोध की उपेक्षा करके पश्चिम बंगाल में छः खानें बन्द करने और कामगारों को दूसरी खानों में भेजने के निर्णय से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ई० सी० एल० द्वारा 1987 से अब तक इसी तरह नौ खानें पहले ही बन्द की जा चुकी हैं। ई० सी० एल० के इस निर्णय से न केवल देश को अपने हजारों करोड़ रुपए के लाखों टन कोयले के बहुमूल्य भण्डार से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि इन खानों की गैस, आग से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सुरक्षा उपायों अथवा वैज्ञानिक तरीके से रेत भरने की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। अवैज्ञानिक खनन के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्र के लगभग 100 गांवों/नगरों को असुरक्षित घोषित किया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और ई० सी० एल० को राष्ट्र के हित में इस प्रस्ताव पर अमल न करने की सलाह दें।

(छः) "सिद्धार्थ विकास योजना" के अन्तर्गत भोजपुर जिले का विकास करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, बिहार में भोजपुर जिला आर्थिक विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सिद्धार्थ विकास योजना के अन्तर्गत भोजपुर जिले के 19 अंचलों में से केवल दस अंचलों को ही विकसित करने की योजना बनायी गई, परन्तु सभी अंचलों की हालत अभी भी दयनीय बनी हुई है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिद्धार्थ विकास योजना के अन्तर्गत भोजपुर जिले के सभी अंचलों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर भोजपुर जिले का चतुर्मुखी विकास किया जाए।

(सात) **जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में बसे शरणार्थियों के दावों के मामले निपटाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : वर्ष 1947, 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थी बड़ी संख्या में जम्मू, राजौरी, पूंछ, ऊधमपुर, कठवा और डोडा जिलों में बस गए थे, परन्तु उनके दावों का निपटारा अभी तक नहीं किया गया है। सरकार ने उनके दावों को निपटाने के लिए एकमुश्त राशि के रूप में प्रत्येक परिवार को 25 हजार रुपए देने का वायदा किया था लेकिन, अभी तक उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है। संसद की याचिका समिति ने भी उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद सिफारिश की है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे ताकि सरकार की सहमति के अनुसार इन लोगों के दावों का निपटारा करने हेतु 12,500 रुपए अनुदान के रूप में और 12,500 रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाएं।

(आठ) **बिहार में प्रस्तावित औरंगा और कनहर जलाशयों का निर्माण चालू योजना में शामिल किए जाने की मांग**

[हिन्दी]

श्री जोरावर राम (पलामू) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मन्त्री जी का ध्यान बिहार प्रान्त के पलामू जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पलामू जिले में कृषि योग्य कुल 10.31 लाख एकड़ भूमि में मात्र 84,000 एकड़ के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है किन्तु 67,000 एकड़ क्षेत्र में ही निश्चित सिंचाई होती है। 1970 में उत्तरी कोयल जलाशय का निर्माण जब प्रारम्भ किया गया तो इस जिले के जन प्रतिनिधियों द्वारा एक स्वर से विरोध करने पर कि इस जलाशय से पलामू जिला की मात्र 40,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है और विशेष लाभ औरंगाबाद एवं गया जिलों को मिलेगा तक तत्कालीन बिहार सरकार ने आश्वासन दिया था कि औरंगा एवं कनहर जलाशय योजना से क्रमशः 1,61,000 एवं 1,46,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और कनहर जलाशय से 400 मेगावाट बिजली मिलेगी जो हिन्दुस्तान के लिए एक उपलब्धि होगी। किन्तु बिहार सरकार ने उपर्युक्त परियोजनाओं छोड़ दिया। 1977 में तत्कालीन बिहार सरकार ने इन योजनाओं के लिए साढ़े चार अरब रुपए मंजूर किए थे किन्तु अन्य मद में बिहार सरकार ने वह पैसे खर्च कर दिए।

उल्लेखनीय है कि औरंगा जलाशय योजना की स्वीकृति योजना विभाग एवं वन पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार से मिल गई है और 125 करोड़ रुपए की प्रशसनिक स्वीकृति भी मिल गयी है। अतः वर्ष 1990-91 की योजना में उसे उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ कराने की दिशा में अविलम्ब कार्यवाही की जाए एवं औरंगा, अमानत एवं कनहर जलाशय को 1990-91 की योजना में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगला विषय नियम 193 के अधीन चर्चा ले रहे हैं। इसके लिए 2 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। आज, हम 8 बजे तक बैठेंगे। अभी-अभी हमने कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन को स्वीकृति दी है। इसमें कहा गया है कि क्योंकि ये विधेयक 24 मई, 1990 को पारित किए जाने हैं, इसलिए सभा 24 मई, 1990 को 8 म० प० तक बैठ सकती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आप द्वारा कुछ मिनट पहले स्वीकृत कार्य मंत्रणा समिति के इस प्रतिवेदन की ओर आकर्षित कर सकता हूं? इसके एक पैरा में अत्यन्त स्पष्ट रूप कहा गया है :

> "समिति यह भी सिफारिश करती है कि श्रीनगर में मौलवी मुहम्मद फारूक की हत्या के बारे में 22 मई, 1990 को सभा में गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अन्तर्गत गुरुवार, 24 मई, 1990 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समाप्त होने के तुरन्त बाद चर्चा शुरू की जाए और उसी दिन 4.00 म० प० तक समाप्त कर दी जाए।"

हमने यह प्रस्ताव पारित किया है। अब हमें यह निर्णय लेना है कि क्या हम इन चार विधेयकों पर आज कार्यवाही पूर्ण कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने वक्ताओं को भी सलाह देनी है। यदि यह चर्चा कल तक जारी रही तो ये विधेयक न तो आज और न ही कल चर्चा हेतु लिए जा सकेंगे.....

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का अब महत्व नहीं रहा है।

सभापति महोदय : मैं आपका संकेत समझ रहा हूं। आप समय के पहलू का जिक्र कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं बीच का रास्ता सुझाता हूं अर्थात् नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जाए। यह शुरू हो और फिर हमें विधेयकों को लें।

सभापति महोदय : यदि आप यह निर्णय लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभा को इस पर निर्णय लेना है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पहले नियम 193 के अधीन चर्चा पूर्ण की जाए। इसे स्थगित करने का कोई तुक नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार को ये विधेयक पारित कराने ही हैं। इन विधेयकों को छोड़ा नहीं जा सकता।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यद्यपि आपने कहा है, हमने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है कि इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तुरन्त बाद शुरू करना था और 4 बजे तक समाप्त करना था। परन्तु इस समय तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा ही पूर्ण हो पाई। नियम 193

के अधीन चर्चा के लिए निर्धारित समय सदैव ही दो घण्टे रहा है। इस प्रकार अब इस बारे में आपको निर्णय लेना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा कहना यह है कि आप नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू कराइए। नियम 193 के अधीन जिस प्रकार अन्य चर्चाएं दिन-प्रतिदिन स्थगित की जा रही हैं, उसी प्रकार यह चर्चा भी इन विधेयकों के पारित होने तक स्थगित की जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, हम असमंजस में हैं। चूंकि हमने विधेयकों को पारित करने के लिए चार घण्टे निर्धारित किए हैं और अब पहले ही 4.00 म० प० से अधिक समय हो गया है और हमने 8.00 म० प० तक कार्य करने का निश्चय किया है। अतः यदि हम विधेयकों को अब लेते हैं तभी यह कार्य पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन यदि हम नियम 193 के अधीन चर्चा को जारी रखेंगे तो इन विधेयकों पर कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाएगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, कार्य सूची के अनुसार कश्मीर पर चर्चा को वरीयता दी गई है। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि कश्मीर का मुद्दा ही बहुत उच्च प्राथमिकता का है। सारी सभा, दोनों पक्ष कल ही इस पर चर्चा करना चाहते थे और तब अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया जाएगा और कार्य मंत्रणा समिति ने पर्याप्त विचार के बाद निर्णय लिया है कि इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तुरन्त बाद चर्चा की जाएगी। जहां तक सरकारी विधेयकों का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि हम आपको सहयोग देंगे। आप इन विधेयकों को पारित करना चाहते हैं और ये विधेयक पारित किए जा सकते हैं। इस बारे किसी का कोई विवाद नहीं है। लेकिन कश्मीर मामले का महत्व और उस पर होने वाली चर्चा को किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। अतः मेरा दृढ़ विचार है कि हमें कश्मीर पर चर्चा शुरू करके आज ही समाप्त कर दें। तत्पश्चात् हम सरकारी कार्य ले सकते हैं···(**व्यवधान**) आपके पास चार दिन हैं। आप चिन्ता क्यों करते है ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : हम लोगों की एप्रोच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ यह है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम तय करते हैं, उसके एक हिस्से को हम याद रखते हैं और दूसरे को भूलते हैं, उसके गड़बड़ होती है। अभी वाया मीडिया के तौर पर मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूं कि कश्मीर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहस शुरू हो जाए और इस पर सोज साहब का भाषण हो जाए या एक दो लोग और बोल सकते हों, किसी का भी भाषण हो जाए···(**व्यवधान**)··· खैर छोड़िए इसको। आप साढ़े पांच बजे तक, एक घण्टा हम कश्मीर पर सुन लें···इसके बाद जवाब कल चला जाए और उसके बाद हम बिल पास करें। आप एग्री करते हैं और फिर उसको बदल देते हैं, यह बहुत दिक्कत है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० पी० जे० कुरियन : इन विधेयकों का क्या महत्व है ? हम दोनों बातें नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यपाल मलिक : यह अच्छा नहीं है । आप कार्य मंत्रणा समिति में किसी विषय पर सहमत होते हैं और जब सभा में आते हैं तब आप कुछ और ही कहते हैं ।

[हिन्दी]

4 बजे से कोई गवर्नमेंट बिजनेस नहीं हुआ है । हम हर चीज के लिए एग्री करते हैं, आप हर डिसकशन के लिए एग्री करते हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार यह रवैया अपना रही है और मुख्य मुद्दों पर चर्चाओं से बचने का प्रयास कर रही है । मैं सभा में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति तथा यह सभा, दोनों ही इस सभा की बैठक को बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे । ये विधेयक इतने अनिवार्य नहीं हैं कि इन्हें आज रात को ही पारित किया जाए । यदि सभा की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो मैं इन विधेयकों के महत्व को समझ सकता हूं । अब सभा का समय बढ़ा दिया गया है और हम समुचित चर्चा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उचित संशोधनों के बाद इन विधेयकों को पारित करने के लिए सहमत हुए हैं । लेकिन इस समय तो स्पष्ट है कि कश्मीर के मामले पर चर्चा होनी चाहिए । मैं आग्रह करता हूं कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । इस मामले पर उचित चर्चा होनी चाहिए ।

श्री सत्यपाल मलिक : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य एक विषय पर सहमत हुए थे और वे यहां पर कुछ और ही मुद्दा उठा रहे हैं ।

[हिन्दी]

ऐसा कभी नहीं हुआ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कार्य मंत्रणा समिति में यह सहमति हुई थी कि नियम 193 के अधीन इस मामले पर चर्चा के लिए दो घण्टे दिए जाएंगे और उसके बाद हम आज की कार्य सूची में उल्लिखित विधेयकों को पारित कर सकते हैं । हम इन विधेयकों को पारित करने के लिए 8.00 म० प० तक भी बैठ सकते हैं । लेकिन दुर्भाग्यवश इसके लिए अधिक समय उपलब्ध नहीं हो सका क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा ही 4.00 म० प० तक जारी रही थी । (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : आपको उसी समय हमें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था ।

[हिन्दी]

आप उस समय हमें बता देते, अब हमें एक्सटेंड करके क्या करना है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आमतौर पर होता यह था कि जब सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करती है तो यह चर्चा दो घण्टे या तीन अथवा चार घण्टे से भी अधिक समय तक चलती थी । ऐसा

आमतौर पर होता रहा है । लेकिन यदि आप सब सहयोग करें तथा अत्यन्त संक्षेप में बोलने का प्रयास करें तो हम इस मामले को पूरा कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : यह वास्तव में कष्टपूर्ण है ।

[हिन्दी]

हम हर चीज पर, 193 पर एग्री किए हैं टाइम अलाट किया है और जिस दिन आपने जो चाहा है, हमने उसको माना है और किया भी है ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या मत है ?

सभापति महोदय : मैं सरकार तथा इस सभा के अधिकांश सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं । वे इन विधेयकों को पारित करना चाहते हैं और नियम 193 के अधीन कश्मीर के मामले पर भी चर्चा करना चाहते हैं । इसलिए, आज नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते हैं और फिर यदि आप इन विधेयकों को पारित करना चाहते हैं तो सभा की बैठक रात में 9 या 10 बजे तक भी जारी रखी जा सकती हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, हमने नियम 193 के अधीन हर चर्चा को स्वीकारा है और उनकी बात मानी है तथा सर्वसम्मत निर्णय लिए गए हैं । सभा से मेरी अपील है कि तीन महत्वपूर्ण विधेयक हैं, स्वर्ण (नियन्त्रण) निरसन विधेयक पारित किया जाना है । यह बहुत ही छोटा सा विधेयक है । यदि इसे तुरन्त ले लिया जाए तो इसके उपबन्धों को लागू करके छोटे स्वर्णकारों की परेशानियों को तत्काल रोका जा सकता है । यदि इसे एक दिन अर्थात् कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो कल शुक्रवार है और इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लिया जाता है और इसके फलस्वरूप इसमें कई दिन लग जाएंगे । इसके कारण परेशानी होगी । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नियम 193 के अधीन एक घण्टे तक चर्चा करें । इसके बाद, विधेयकों को लिया जाए और फिर बाद में आप पुनः नियम 193 के अधीन चर्चा कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : यह इस वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रयास है । हम चाहते हैं कि आप आज ही कश्मीर पर चर्चा शुरू करके समाप्त करें । (व्यवधान)

श्री विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, फिर नियम 193 के अधीन अन्य चर्चा का क्या होगा ? (व्यवधान) महोदय, मैं एक बात कहना चाहता था । मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा कि वे क्या चाहते हैं । वे चाहते हैं कि कश्मीर पर चर्चा की जाए । हम भी कश्मीर पर चर्चा के प्रति बहुत उत्सुक हैं । इस सम्बन्ध में कोई असहमति नहीं है । लेकिन अभी अधिक विधाई कार्य नहीं किया गया है और अन्य अनेक मामले पड़े हैं । अतः हमारे पक्ष का यही अनुरोध है । हमें इस सहमति के साथ कश्मीर पर चर्चा शुरू करनी चाहिए कि इन विधेयकों को चर्चा के बगैर ही पारित कर दिया जाएगा । उन्हें इन विधेयकों को चर्चा के बगैर पारित कराने के प्रति अपनी सहमति दर्शाकर अपनी

ईमानदारी दिखानी चाहिए। (व्यवधान) यह स्पष्ट है कि उनकी कश्मीर में रुचि नहीं है। उन्हें कश्मीर के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो केवल सभा की कार्यवाही रोकने में रुचि रखते हैं। वे गत कुछ दिनों से यही कर रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि हम कश्मीर पर एक घण्टे के लिए चर्चा करें और इसके बाद इन विधेयकों को चर्चा किए बगैर ही पारित कर दें तथा तत्पश्चात् पुनः कश्मीर पर चर्चा करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप सब ऐसे ही बोलेंगे तो क्या होगा ? मेरी अनुमति के बिना इस प्रकार मत बोलिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमने सरकारी कार्य को करने के लिए सभा का समय बढ़ाए जाने के प्रति सहमति व्यक्त की थी। (व्यवधान) हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रहनी चाहिए। इसके बाद, यदि समय रहा तो वे विधेयकों को आज ले सकते हैं अन्यथा हम कल निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि ये विधेयक पारित हो जाएं। उन्हें इस पर इतनी अधिक आपत्ति क्यों है ? (व्यवधान)

डा० बिप्लब दासगुप्त : हमें कश्मीर पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। एक घंटे बाद हम विधेयक पारित करके फिर से कश्मीर पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : हम इसके पक्ष में हैं। यही सर्वसम्मति है और महोदय, यदि आवश्यक हो तो आप सभा की सहमति ले सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप कार्यवाही को आगे चलाइए। हम बाद में देख लेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ कहा गया है उस पर वाद-विवाद करने की बजाय हमें यह चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। एक घंटे के बाद आप जैसा चाहें, इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान मैं सरकारी सचेतक तथा अन्य नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में फैसला करें। अब यदि आप यही वाद-विवाद करते रहेंगे तो प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय लेने में काफी समय लग जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले कश्मीर पर चर्चा शुरू करें। एक घंटे के बाद आप जो कुछ चाहें, उस पर निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : सभापति महोदय, अभी कश्मीर पर एक घंटा बहस हो जाए, उसके बाद मन्त्री जी फिर किसी दिन जवाब दे दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक घंटे के बाद आप निर्णय ले सकते हैं।

डा० बिप्लब दासगुप्त : महोदय, आप कश्मीर पर चर्चा शुरू कीजिए। उन्हें और अधिक बहाने न ढूंढने दें।

सभापति महोदय : अब डा० चिन्ता मोहन अनुपस्थित। अतः श्री सन्तोष मोहन देव नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करें।

4.35 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

21 मई 1990 को श्रीनगर में कश्मीर के मीर वाइज मौलवी फारूख की हत्या

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य पर नियम 193 के तहत चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। मैं बेहद दुःख के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूं जिसका मुख्य कारण मौलवी फारूक की मृत्यु है, जोकि कश्मीर तथा पूरे देश के प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे।

महोदय, एक समय था जब कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन आज, दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की अक्षमता के कारण, यह धरती का नर्क हो गया है। कई बार यहां सदन में हमने कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की है। कुछ दिन पहले कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति और केन्द्रीय सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी श्री खेड़ा की हत्या कर दी गई। इस पर पूरे देश ने दुःख व्यक्त किया, यही नही संसद ने भी उस मुद्दे पर पूरे देश का साथ दिया। आज, इस सदन में, जबकि हमने इस मुद्दे पर कार्यवाही शुरू होते ही चर्चा शुरू कर दी है, मैं एक बात, जो एकदम स्पष्ट है, श्री विजय कुमार मल्होत्रा को बता देना चाहता हूं। अभी हाल ही में उन्होंने उग्रवादियों के विषय में कांग्रेस-आई की नीति पर एक प्रश्न उठाया था। मैं यह कहते हुए गर्व का अनुभव करता हूं कि जब केन्द्र में हम सत्ता में थे तो हमने उग्रवादियों से कभी-भी समझौता नहीं किया था। हमने यह सुनिश्चित कर दिया था कि उग्रवादी जो राष्ट्रहित के विरुद्ध थे, उनके साथ प्रशासन कड़ाई से पेश आए। हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वे हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते और संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं करते, तब तक उनसे हमारी कोई बात नहीं हो सकती। हमारा दृष्टिकोण नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा में सही साबित हुआ। श्री विजय रांकेल देश की मुख्यधारा से जुड़ गये। ऐसा ही श्री लालडेंगा के साथ भी हुआ। अतः आपके दिमाग में कोई शक इस बारे में नहीं रहना चाहिए। हमारा दृढ़ विचार है कि उग्रवादियों और आतंकवादियों के साथ सरकार कड़ाई से पेश आए, चाहे केन्द्र अथवा राज्य में जो भी सरकार हो। लेकिन दुर्भाग्यवश जम्मू और कश्मीर में वहां के वर्तमान राज्यपाल श्री जगमोहन दमन के प्रतीक हो गये हैं। हमने इस बारे में शुरू में ही कह दिया था। उस समय कई राजनीतिक दल हमसे सहमत नहीं हुए। आज, यद्यपि देर हो चुकी है, सी० पी० आई० (एम), सी० पी० आई० और जनता दल का एक हिस्सा यह महसूस कर रहा है कि हमें श्री जगमोहन से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। श्री जगमोहन व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिये कोई मुद्दा नहीं हैं लेकिन राज्यपाल के रूप में उनके कार्य देश के समक्ष निश्चय ही एक मुद्दा बना हुआ है। श्री जगमोहन 19 जनवरी, 1990 को कश्मीर पहुंचे। वह श्रीनगर नहीं पहुंचे, जम्मू पहुंचे। वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसी रात, श्री जगमोहन ने कश्मीर में दमनचक्र चलाना शुरू कर दिया, घर-घर में छापे मारे गये। इतना ही नहीं, सर्वदलीय दल के नेता जो कश्मीर गये थे और कश्मीरी लोगों के वरिष्ठ नेताओं से पता चला है कि लोगों ने कहा है कि उनके घरों पर अर्धरात्रि को छापा मारा गया जिससे महिलाओं को परेशानी हो। मैं इसके विस्तार में नही जानना चाहता हूं। लेकिन, श्री जगमोहन के आतंक के साम्राज्य का अंत यहीं तक नहीं हुआ। एक के बाद दूसरी घटनाएं घटती रहीं। प्रत्येक घटना में हम पाते हैं कि श्री जगमोहन ने आतंक और दमन का साम्राज्य कायम कर रखा है। वह कहते हैं कि वे आतंकवादियों को खोज निकालना चाहते

हैं। हम भी चाहते हैं कि वे आतंकवादियों को खोज निकालें और उन्हें बंदी बनाएं। यदि वे सुरक्षाबलों के अभियान के बदले में कार्रवाई करते हैं, तो हम भी यह चाहते हैं कि अर्ध-सैनिक बल और स्थानीय पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन, तलाशी अभियान के नाम पर आप किस तरह प्रत्येक घर की तलाशी लेंगे और यह कहने का प्रयास करेंगे कि हर कश्मीरी पाक-समर्थक है? आपके विचार में, जिला प्रसासन तथा राज्य प्रसाशन में डी० आई० जी० और आइ० जी० पुलिस रैंक के अधिकारी पर तथा जिला प्रसाशन तथा पुलिस संगठन में कार्यरत कश्मीरियों पर आप विश्वास नहीं करते। इससे कश्मीर के लोगों में गलत धारणा पैदा हो रही है।

हम उस घटना को नहीं भूले जो वहां घटी है और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौलवी फारूक की मृत्यु कश्मीर के मामले में केन्द्रीय सरकार के प्रशासन पर कलंक का टीका है। कल प्रधान-मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि मौलवी फारूक ही क्या हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व है। क्या सरकार को कश्मीर में पता नहीं था कि कश्मीर में मौलवी फारूक हिटलिस्ट में सबसे ऊपर हैं? उन्होंने अपने लिये सुरक्षा गार्ड नहीं मांगा था, यह तो मान लिया। मुझे गृह मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला है। इस तरह के मामलों में सादे कपड़ों में पुलिस को इन क्षेत्रों में भेजकर निगरानी की जाती है ताकि ऐसे लोग किसी भी तरह आतंकवादियों का निशाना न बनें। माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि माली उस समय काम पर था। उससे तीन कश्मीरी लड़कों ने पूछा और उसने श्री फारूक से जाकर पुष्टि की क्या उन्होंने किसी को मुलाकात का समय दे रखा है। उन्होंने कहा "हां"। तब तीनों लड़के अंदर चले गये और माली ने बंदूक चलने की आवाज सुनी।

वह अंदर गया और उसने एक को पकड़ना चाहा। तब आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आप कब जवाब देंगे, कृपया आप इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण दें। पुलिस घटना स्थल पर कब पहुंची? मौलवी फारूक के निवास स्थान से पुलिस नियंत्रण कक्ष कितना दूर है; क्या खुफिया या स्थानीय पुलिस को श्री फारूक के अपने निवास स्थान पर होने का पता था, क्या पुलिस अपना कार्य कर रही थी। आप अपने कैबिनेट मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज का महत्व कम कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह प्रधानमंत्री से कहा था। हमने यह समाचारपत्रों से पढ़ा और सुना है। जब कभी भी वे वहां जाते हैं वे कश्मीर तथा केन्द्रीय सरकार के खुफिया के लोगों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। केवल यही नहीं, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। वह एक व्यक्ति से बात करना चाहते थे ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ सकें। समितियों के ये सदस्य विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। दूसरे दिन ही आपके खुफिया विभाग के लोग उन लोगों से जाकर पूछते हैं "कि आपने इन प्रतिनिधियों से क्या बातचीत की?" आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कैबिनेट मंत्री हैं वह आपके सहयोगी हैं, आपके प्रधानमत्री हैं। क्या आप आपस में चर्चा नहीं कर सकते? आपने अपने खुफिया विभाग को यह बताने के लिए क्यों कहा कि जार्ज फर्नान्डीज और उनके समिति के सदस्यों और कश्मीर के लोगों के बीच क्या बातचीत हुई?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : आपसे किसने कहा।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने आपको कहा "मैं यह समाचारपत्रों में पढ़ रहा हूं। आप इससे इंकार कर दें। मैं खुश हूं। जब आपकी बारी आए तो आप इंकार कर दें। यदि यह सत्य नहीं है तो इसे नहीं माना जाना चाहिये। लेकिन बार-बार इंकार करके आप राष्ट्र को कश्मीर के अस्तित्व से ही इंकार कर रहे हैं। कश्मीर की हालत यह हो गई है कि कश्मीरी इस देश में स्वयं को अस्तित्वहीन

अनुभव करने लगे हैं। जब शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वहां थे, जब आप वहां की राजनीति में थे तो क्या आप यह कह सकते हैं कि अधिकतर कश्मीरी लोग भारत के विरुद्ध थे। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो पाक-समर्थक और भारत विरोधी हैं।

अब आपके राज्यपाल वहां हैं। उन्होंने क्या किया है। शोक व्यक्त करने वालों का जलूस जब निकाला जा रहा था, उस समय उन्होंने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। क्या जरूरत थी कर्फ्यू लागू करने की जब तीन लाख लोग मौलवी फारूक जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी थी, उनकी दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करने वे लोग सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने तो कभी भी उग्रवादियों का समर्थन नहीं किया। उनके पास कुछ कठोर विकल्प थे। वह कश्मीर के लोगों के लिए संघर्षशील थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कई नेता हैं, जैसे श्री बुखारी का अपना दृष्टिकोण है जिसका हम में से कई लोग समर्थन नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं है कि वह राष्ट्र विरोधी हैं। चाहे हम उनके कुछ कार्यों का समर्थन नहीं करें फिर भी वह एक धार्मिक नेता हैं। एक राष्ट्रवादी स्तर के व्यक्ति मौलवी फारूक की हत्या कर दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से उनके शव को जन-समूह ले गया। श्री जगमोहन एक प्रशासक के नाते कितने अच्छे हैं—यह मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछता हूं जो हर समय उनका समर्थन करते हैं जब कभी भी श्री जगमोहन के बारे में कोई बात होती है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में जब तक कोई मौलिक प्रस्ताव न लाया जाए राज्यपाल की आलोचना या उसका नाम नहीं लिया जा सकता। आपको मालूम ही है कि जब नागालैंड पर चर्चा हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस समय व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल के विरुद्ध मौलिक प्रस्ताव लाया जाए। राज्यपाल के विरुद्ध मौलिक प्रस्ताव लाए जाने पर हमने नागालैंड के मुद्दे पर चर्चा शुरू की और राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई। यहां भी वह राज्यपाल पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं चूंकि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है और राज्यपाल की आलोचना बिना मौलिक प्रस्ताव लाए नहीं की जा सकती।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं माननीय सदस्य तथा उनकी पार्टी द्वारा इस व्यक्ति के लिए व्यक्त चिंता की सराहना करता हूं जिसका नाम मैंने लिया है। मेरा मतलब पूरा हो गया है। अब मैं उन्हें अमुक श्री कहूंगा। इससे काम चलेगा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कश्मीर में अमुक श्री।

श्री राम नाईक : मैंने जो कुछ कहा है, उसे सभापति स्वीकार करेंगे, न कि आप। अगर आप समझते हैं कि मेरा दावा सही है, तो मैं आपसे इन आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देने का निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि हम राज्यपाल के आचार पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं इसे स्वीकार करता हूं। परन्तु साथ ही हमें यह भी देखना है कि जब कहीं कोई सरकार न हो और राज्यपाल उसका मुखिया हो तो हम राज्यपाल के आचार पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसे मानता हूं। आप जो कहते हैं, वह सही है। यदि कोई सदस्य यहां

उपस्थित नहीं है तो उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए यह मैं मानता हूं। साथ ही यहां राज्यपाल का नाम भी न घसीटें। स्थिति से निपटने के लिए उचित रास्ता ढूंढने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : सभापति जी, उनको तो इन्होंने गवर्नर बनाया था वहां पर क्योंकि वे टैकल कर रहे थे इस प्राबलम को। यह नहीं चाहते थे कि कश्मीर की समस्या का हल हो। ये तो इस समस्या को और सुलझाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको बुरा लग रहा है लेकिन वास्तव में तो ये वहां ले गए थे और बी० जे० पी० तो इनको नहीं ले गयी थी।

श्री संतोष मोहन देव : जब आपका वक्त आएगा कल तो आप बोलियेगा।

श्री कालका दास : आप कौन हैं मुझे कहने वाले ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री जगमोहन के बारे आपके दुख को मैं समझता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नाईक : आप मुझे आदेश देने वाले कौन होते हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : तो आप न बैठें। खड़े रहें।

श्री राम नाईक : यदि आप कहेंगे "आप बैठ जाओ", तो मैं कहूंगा कि "आप बैठ जाओ।"

श्री संतोष मोहन देव : मैं बैठ जाऊंगा।

अब सारा देश जानता है कि दो कारणों से वहां राज्यपाल को नियुक्त किया गया। वर्तमान गृह मन्त्री कश्मीर की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानते हैं कि इस राज्यपाल को नियुक्त करने से राज्य में निर्वाचित सरकार नहीं रहेगी क्योंकि श्री फारूख अब्दुल्ला इस राज्यपाल विशेष के साथ सरकार नहीं चलाएंगे। अतः उनका उद्देश्य सिद्ध हो गया।

इसमें दूसरा कारण यह सिद्ध हुआ कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को वहां भेजना चाहते थे कि जिसके आधार पर वे देश में हिन्दुओं को सन्तुष्ट कर सकें। इस प्रकार प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दोनों अर्थात् गृह मन्त्री और भाजपा को खुश कर दिया है। यही सही है। परन्तु आगे क्या होगा ? अगला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कश्मीर समस्या का समाधान किया जा सके। परन्तु आज कश्मीर में तीन कमियां हैं। वहां एक प्रशासन 'एक्स' महोदय दूसरा यहां गृह मन्त्रालय में गृह मन्त्री महोदय और तीसरा श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री सैफुद्दीन चौधरी जैसे अन्य सदस्यों के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है। मैंने कभी यह नहीं सुना कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा गठित किसी केन्द्रीय मन्त्री और उसकी समिति को किसी राज्यपाल ने अपने यहां न आने का निर्देश दिया हो। उन्हें वहां जाकर स्थिति को देखना चाहिए था। केवल यही नहीं, गृह मन्त्री और कश्मीर के प्रभारी मन्त्री भी वहां जाते हैं। परन्तु वे एक साथ नहीं जाते। वे अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। वे अलग-अलग भाषण देते है। एक कहते हैं : "मैं एक ऐसी प्रक्रिया आरम्भ करना चाहता हूं जिससे काश्मीर मे राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ हो सके।" दूसरा कहता है : "श्री जगमोहन सही हैं; उन्होंने कड़ा रवैया अपनाया है और यह

समस्या का समाधान करेगा।" एक अच्छे प्रशासक को नरम और कठोर दोनों रुख अपनाने चाहिएं। श्री जगमोहन के पास केवल कठोर तरीका है नरम नहीं। यही श्री जगमोहन के साथ कठिनाई है। इस उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल को श्री जगमोहन ने कहा कि उन्होंने काश्मीर को आजादी दी है। उस प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य यहां उपस्थित हैं। आजादी से आपका क्या तात्पर्य है? आजादी का अर्थ है कि लोग कहेंगे कि जो सरकार 1987 में बनी थी, उसे हटा दिया गया है। शुद्धि के अधीन, जहां तक मैं समझता हूं कि एक सी पी० एम० के सदस्य ने उनसे पूछा : चुनाव में किस हद तक गड़बड़ की गई ? उसने कहा : 14 सीटों पर। काश्मीर में कुल सीटों की संख्या कितनी है ? यह संख्या 76 है, जिसमें दो नामांकित किए जाते हैं। जब 14 सीटों पर धपला किया गया है तो आप सारी सरकार को कैसे निष्कासित कर सकते हैं। आप सरकार को नहीं हटा सकते। परन्तु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया ? क्योंकि उन्होंने संविधान में इसके लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। और यह प्रकरण विधि मन्त्रालय को भी भेजा गया। जहां तक मुझे मालूम है, महाधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस पर राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श कर लेना चाहिए था क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति के परामर्श के अध्याधीन है। उन्होंने सलाह नहीं ली। आज कश्मीर में क्या हो रहा है ? एक लाख प्रवासी दिल्ली में आए हैं। वे यहां शरणार्थी के रूप में आए हैं। मैं उन्हें शरणार्थी नहीं कहता। शरणार्थी दूसरे देशों से आते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में शरणार्थी नहीं आते। उन्होंने वहां से स्थान बदला है। क्यों ? ऐसा उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के कारण नहीं बल्कि श्री जगमोहन की जेहाद घोषित करने की नीति के कारण किया है। यदि मैं गलत हूं तो मेरी बात को सही कर दें कि जब ये समिति के सदस्य वहां गए तो इन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि कश्मीरी पण्डितों के एक भी घर को मुस्लिम या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।

केवल यही नहीं, मुस्लिम वहां छोड़ी गई सम्पत्ति और अन्य सामान की भी सुरक्षा कर रहे हैं। परन्तु राज्यपाल ने हिन्दुओं को बाहर निकालने की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

यह जुलूस क्या है ? इस वक्तव्य के अनुसार भीड़ में से किसी ने ए०के०-47 द्वारा जुलूस पर गोली-बारी की। महोदय, मैंने ए०के०-47 राईफल देखी है। मैं रक्षा मन्त्रालय में था; मैं गृह मन्त्रालय में भी रहा। मैंने सुदूर रक्षा क्षेत्र भी देखे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी मैंने स्वयं इस ए०के०-47 राईफल का प्रयोग किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस पर ए०के०-47 राइफल द्वारा गोली चलाई गयी। सदन के समक्ष रखे गए वक्तव्य के अनुसार केवल एक कमान्डैंट और 10 जवान घायल हुए थे। पुलिस की 303 राईफलों की गोलीबारी से कितने लोग मारे गए ? माननीय गृह मन्त्री महोदय के अनुसार यह संख्या 47 है कश्मीर के सांसदों और अन्य स्रोतों के अनुसार यह संख्या सौ से अधिक है और गम्भीर रूप से घायल अस्पताल में दाखिल व्यक्तियों की संख्या 74 है और अन्य घायलों की संख्या 400 है। गृह मन्त्री महोदय; क्या गोलीबारी करना आवश्यक था ? कृपया हमें यह बताएं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आप स्वयं शोक प्रकट करने वालों पर उस समय विशेष पर किए गए कार्य से सन्तुष्ट है ? इससे क्या सन्देश मिलता है ? मौलवी फारूख की हत्या के बाद बुश प्रशासन ने यह वक्तव्य दिया था कि भारत में निहत्थे लोगों पर भारतीय पुलिस द्वारा जुल्म किया गया। हम इससे इंकार करते थे। परन्तु अब हमारे पास इंकार करने के आधार नहीं हैं। यह एक खुला तथ्य है। सारा राष्ट्र और सारा संसार जानता है कि शोकाकुल व्यक्तियों पर गोली बारी की गई। केवल यह नहीं, जिस व्यक्ति को आतंकवादियों ने अनेक गोलियों से भून दिया, उसे आपकी पुलिस की गोलियां भी झेलनी पड़ी। इसके लिए वह आपको क्षमा नहीं करेंगे। हमारे धार्मिक

संस्कारों के अनुसार यह एक पाशविक अपराध है। उस व्यक्ति को फिर से मरने के लिए मजबूर किया गया जैसे कि उसके फिर से कब्र से लौटकर आने का डर हो। कश्मीर में यह प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें प्रशासन ने मरवाया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह सम्भव नहीं है। परन्तु प्रशासन की कमियां उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी थीं; प्रशासन उन्हें नहीं मरवा सकता।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : यदि आप किसी बात में विश्वास नहीं करते तो उसे दोहरा क्यों रहे हैं?

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं इसे आपके लाभ के लिए दोहरा रहा हूं। आप यह जानते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन राज्यपाल से बात करते हैं। उनका मुख्यालय मन्त्रालय में नहीं है; यह मेरे घर के पास भाजपा मुख्यालय में है।

अतः इस विशिष्ट विषय पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमन्त्री ने स्वयं इसे प्रशासन की असफलता स्वीकार किया है। जो कुछ भी हुआ, गृह मन्त्री ने भी इस पर गहन दुःख प्रकट किया है। सी०पी०एम०, सी०पी०आई०, फारवर्ड ब्लाक, आर० एस०पी० ने भी इस बारे में खेद व्यक्त किया है। भाजपा का विचार मैं नहीं जानता। मैं श्री जगमोहन के वापस दिल्ली बुलाने की जोरदार मांग करता हूं। वो और अधिक समय तक वहां राज्यपाल नहीं रह सकते। यदि वे राज्यपाल रहते हैं तो भारत की मुख्य धारा से कश्मीर के लोग और अधिक दूर होंगे।

हम चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो। हमने सुना है कि खाड़ी देशों, अरब देशों इत्यादि में आप इस सम्बन्ध में कड़े राजनयिक प्रयास करने जा रहे हैं। मैंने एक समाचारपत्र में पढ़ा है जिसमें ओ०आई०सी० ने मौलवी फारूख और विश्वविद्यालय के कुलपति की निर्मम हत्या की निन्दा की है। ओ०आई०सी० इस देश के लिए अनभिज्ञ नहीं है। उनके अनुसार कश्मीर में निहत्थे लोगों, विशेषकर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार की पाकिस्तानी दलील, सही है। मैं कश्मीरियों को मुस्लिम या पण्डित नहीं कहूंगा। मैं उन्हें भारतीय नागरिक कहूंगा क्योंकि वे किसी भी अन्य जाति या धर्म के व्यक्तियों के समान हैं।

मैं अनेक बार काश्मीर गया हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि काश्मीर में एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि आप भारत से आए हो। परन्तु यदि आप जनसाधारण से मिलें तो ऐसा नहीं है। यहां तक कि इस समिति—जो महानुभाव यहां उपस्थित है—ने श्री जगमोहन से वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति की जानकारी मांगी। श्री जगमोहन ने ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को शहरी नागरिकों की तुलना में अच्छा बताया। इस समिति के सदस्य के रूप में श्री सैफुद्दीन चौधरी ने पूछा कि आप वहां राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ कर रहे हैं। कैसे? उनके अनुसार कश्मीर की राजनीति से कांग्रेस आई और नेशनल कान्फ्रेंस का कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे एक व्यक्ति को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यक्ति कौन है? उसका नाम सबीर शाह है उसका व्यक्तिगत विवरण क्या है? उसे 1982 से 1989 तक कम से कम आठ बार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण कैद किया गया। जे०के० एल०एफ० के साथ भी उसके सम्बन्ध हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि यदि वे सत्ता में आ जाएं और सबीर शाह मुख्यमन्त्री बने, केवल तभी कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है।

अब क्या हुआ है? भारत सरकार तथा कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा को अवैध संगठन घोषित कर दिया है। अब वह नहीं आ सकता। अब दूसरा प्रश्न उठता है।

4.59 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस सदन में हम हर रोज अपने सहयोगी मित्र दल भारतीय जनता पार्टी से यह सुनते हैं कि कश्मीरी शरणार्थियों—जैसाकि वह कश्मीर से आने वालों को कहते हैं, को धनराशि तथा चिकित्सीय सहायता नहीं दी जा रही है। गृह मन्त्री जी यह आश्वासन देते हैं कि यह सब कुछ उन्हें दिया गया है। वे कहते हैं कि उन्हें नहीं दिया गया है। मैं जानता हूं कि यह सब एक दूसरे से बाजी जीतने के लिए तथा देश को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शरणार्थियों के हितों का ध्यान रख रही है। न भारत सरकार तथा न ही दिल्ली के नागरिक उनके लिए कुछ कर रहे हैं। यह एक गलत संदेश है। हमने भी ऐसा किया है तथा हमने धनराशि बढ़ा दी है। प्रत्येक विधायक ने इसमें योगदान दिया है। केवल इतना ही नहीं स्वयं गृह मन्त्री जी ने कहा है कि भारत सरकार ने इन लोगों विशेष को यह राहत दी है जिससे कि वह सहायता राशि इन तक पहुंच सके।

कश्मीर में परम्परा यह है कि वे छः महीने के लिए श्रीनगर के स्थान पर जम्मू को राजधानी बना देते हैं। इसमें कितना व्यय लगता होगा ? 10 करोड़ रुपये। इसका क्या असर होता है ? अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन होता ही नहीं है तथा उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा है क्योंकि सर्दियों में श्रीनगर घाटी में अत्यन्त ठण्ड पड़ती है।

5.00 म०प०

वास्तव में यह अत्यन्त दुःखदायी निर्णय है। इस बार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसमें न केवल 10 करोड़ रुपये का व्यय आता है बल्कि इससे श्रीनगर घाटी में स्थिति और बिगड़ती है। महोदय, गृह मन्त्री जी हंस रहे हैं। मैं यह देखकर अत्यन्त प्रसन्न हूं कि वह सब तरह की परिस्थितियों में हंस सकते हैं। परन्तु मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तविकता नहीं है कि उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में बस में जा रही वर-पार्टी को सीमा सुरक्षा बल द्वारा रोका गया था ? परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने यह सोचा कि आतंकवादियों ने बस का अपहरण कर लिया है। अतः उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी तथा जवाबी गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के दो आदमी मारे गए। आखिरकार वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर वापस गोली नहीं चला सके। तत्पश्चात् दुल्हन को गाड़ी में से बाहर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य ने तार भी सभा पटल पर प्रस्तुत किया है परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह एक सच्चाई है। यदि यह सच्चाई है तब इससे पता चलता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं।

मैंने लगभग सात दिन पहले दूरदर्शन पर माननीय गृह मन्त्री जी का काफी अच्छा भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। परन्तु प्रधानमन्त्री ने कहा कि पूरा बार्डर सील किया जा रहा है अथवा सील कर दिया जाएगा। यह अत्यन्त अच्छा है तथा हम इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु आपके दाहिनी ओर पर बैठे मित्रों का कहना है कि आप पाक आधिकृत कश्मीर में तथा पाकिस्तान में कैम्पों पर आक्रमण करते हैं। यह सही है तथा यदि आप उनकी परामर्श लेते हैं तथा ऐसा काम करते हैं। परन्तु जब आप कुछ कहते हैं तथा उसे करते नहीं हैं, तो

अनावश्यक ही आप श्रीमती बेनजीर भुट्टो को सहारा देते हैं। श्रीमती भुट्टो अपने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए भाषणों में कहती हैं—मैंने उसे वीडियो पर देखा भी है—कि मैं कैसे विश्वास कर सकती हूं कि भारत अनावश्यक ही हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है क्योंकि उनके सहयोगी दल—भारतीय जनता पार्टी—जो सरकार का एक भाग है, उनकी यह मांग है कि पाक अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तानी प्रशिक्षण कैंपों पर आक्रमण किया जाये।

हां, माननीय गृह मन्त्री जी, आप हंस सकते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है परन्तु देश का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कश्मीर एक मुस्लिम-शासीय राज्य बन जाये। हम यह देखना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना रहे।

भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्रों की मांग है कि अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाये। परन्तु प्रधानमन्त्री जी कहते हैं 'नहीं'। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी तथा उनके माननीय सदस्यों से जान सकता हूं कि क्या वे जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत कोई 371क है? अनुच्छेद 371क के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके अनुसार नागलैंड के राज्यपाल को विशेष अधिकार मिल गए हैं। सिक्किम के राज्यपाल को विशेष अधिकार मिल गए हैं। वे बोट क्लब पर दिए गए अपने भाषणों में कहते हैं कि एक भारतीय वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। क्या आप मेघालय में जमीन खरीद सकते हैं? क्या आप नागालैंड में खरीद सकते हैं? आप नहीं खरीद सकते। दिल्ली में भी यदि आपके पास धन है तब भी आप एक फ्लैट से अधिक नहीं खरीद सकते। यही प्रतिबन्ध है। जबकि आप मुख्यमन्त्री होने का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली में यह स्थिति है। ये वे बातें हैं जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए। भारत में मूल बात है "विभिन्नता में एकता"। हमारे यहां विभिन्न जातियां, तथा धर्म हैं परन्तु भारतीय के रूप में हम हमेशा मौका पड़ने पर एक साथ खड़े हुए हैं। आज वह समय आ गया है जब हमें.....

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : चालीस साल तक आपकी जो सोच थी, उसी के कारण यह समस्या उलझी है।

श्री सन्तोष मोहन देव : 40 साल करते-करते खत्म हो जाएगा और 40 साल मत खत्म करो।

[अनुवाद]

महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि कश्मीर में जो हस्तांतरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है वह किसी और के कारण नहीं है बल्कि यह केन्द्र सरकार की नीति के अभाव के कारण है जिसके प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं क्योंकि हमारे गृह मन्त्री श्री कश्मीर के हैं। आप उन्हें राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद समिति में नहीं ले सकते। आप उन्हें कश्मीर के मसले में जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। आप नहीं चाहते कि वह अपने आपको संवेदनशील मसलों में शामिल करें। परन्तु आप जनता को यह बताते हैं कि मैंने अल्पसंख्यक समुदाय में से गृह मन्त्री बनाया है। आपको यह सिद्ध करना चाहिए। किसी भी चालक को उसके मड-गार्ड से जाना जाता है। यदि उसके पास अच्छा मड-गार्ड है तब वह एक अच्छा चालक है। यदि उसका मड-गार्ड ठीक नहीं है तब वह अच्छा चालक नहीं है। श्री वी० पी० सिंह अच्छे हो सकते हैं परन्तु उनके मड-गार्ड अच्छे नहीं हैं। श्री जार्ज फर्नाण्डीज का कहना है कि मुझे काम करने की अनुमति नहीं है। परन्तु श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते हैं कि वह राज्यपाल की बात सुनेंगे। मैं कहता हूं कि राज्यपाल को आपकी बात सुननी

चाहिए परन्तु आपको राज्यपाल की बात नहीं सुननी चाहिए। अब यदि आपका यही रवैया रहा तो आप राज्य नहीं चला सकते। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हम कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाना चाहते हैं जैसाकि भारतीय कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवाद) भारतीय कम्युनिस्ट दल तथा हमने अब नहीं हमेशा यही मांग की थी, कि वहां के प्रशासक तथा राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाया जाये।

यदि आप कश्मीर को बचाना चाहते हैं तब सभी दलों के साथ चर्चा के पश्चात् एक नीति बना ली जानी चाहिए। हम कश्मीर की जनता को सन्देश दे सकते हैं। वे हमारे सहयोगी हैं हमें उन्हें कुछ ऐसा नहीं देना चाहिए जोकि वर्तमान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कश्मीर पर बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे अब कुछ कहने के लिए कहेंगे। मैं एक अथवा दो घण्टे से प्रतीक्षा कर रहा था। सभापति महोदय, मुझे शीघ्र बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस समय वहां दुःख और पीड़ा.....

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : साढ़े पांच बजे तक का समय इसके लिए तय था। क्या दो स्पीकर ही इस बीच बोलेंगे।

[अनुवाद]

क्या इस समय यही एकतरफा बयान ही जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो घण्टे का समय दिया गया है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, नहीं, आप यहां पर उस समय उपस्थित नहीं थे। (व्यवधान) यह निर्णय किया गया था कि यह चर्चा 5.30 बजे समाप्त हो जायेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे चार्ट में दो घण्टे का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : कार्य मन्त्रणा समिति में लिए गए निर्णय को चुनौती दी गई है। अब हम चाहते हैं कि यह चर्चा 5.30 बजे समाप्त हो जाये ताकि हम सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श शुरू करें। यह स्थिति है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह तय हुआ था कि एक इस साइड से बोलेगा और एक उस साइड से बोलेगा।

[अनुवाद]

वे ऐसा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घण्टे का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सदन ने तय किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं कैसे जान सकता हूं ?

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जो चेयरमैन पहले गये थे, उनको बताकर जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक इस निर्णय को नहीं बदला जाता, इस प्रस्ताव के लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। मैं नहीं जानता किसने क्या निश्चित किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह उनको बताकर जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार समय दो घण्टे का है और कांग्रेस दल को 41 मिनट दिए गए हैं। आपके दल के लिए 18 मिनट दिए गए हैं और आप 18 मिनट तक बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह तय हुआ था कि पहले इधर से बोलेगा फिर उधर से बोलेगा साढ़े पांच बजे यह खत्म हो जायेगा तो फिर कैसे दूसरे लोग बोलेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे भी बोलने दें। हर समय, यदि आप समय में परिवर्तन करेंगे मैं आपको समय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे सुन लें। मैं आपको समय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यदि आपने इस विषय को चर्चा के लिए निश्चित कर लिया है, आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप इसे निश्चित नहीं करना चाहते तो न करें, किन्तु हर समय आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इसका निर्णय मैंने नहीं लिया है। यह सदन ने तय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां बैठकर सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार लोगों को चुप नहीं करा सकते।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : हमने चुप नहीं कराया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वह समय मिलेगा जो आपको दिया गया है। उस आधार पर आप अन्य लोगों को न बोलने के लिए नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलने के लिए समय की मांग करें, मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप इस तरह हमें आदेश न दें। आप हमेशा हमें इसी प्रकार कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां पर बैठकर आप सदन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ को सभा की कार्यवाही चलाने दें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी मिसअण्डरस्टैंडिंग हो गई है। इनका कहने का यह मतलब नहीं था। यह तो हाऊस को तय करना है कि कितना समय इसके लिए रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मिसअण्डरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं है। अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना है तो आपको बोलने का अवसर समय दिया जाएगा। अगर कोई बोलने के लिए खड़ा होगा और उसे बोलने नहीं दिया जाएगा तो यह कैसे सम्भव होगा।

[अनुवाद]

आपको समय मिलेगा ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस दोनों का एलाइन्स है । दोनों पहले एक साथ कैसे बोल रहे हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा । जनता दल को समय मिलेगा । कांग्रेस दल को समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कार्य मन्त्रणा समिति में जो भी तय किया जाता है उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : किसके द्वारा ? (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : आप खड़े क्यों होते हैं । मैंने कुछ नहीं कहा । महोदय, आप भी जानते हैं यह चर्चा नियम 193 के अधीन सरकार ने, सरकारी कार्यों के लिए नियत समय में कटौती करके, इस सहमति पर स्वीकार की है कि यह 4 बजे म० प० तक समाप्त हो जानी चाहिए और 4 म० प० और 8 म० प० के बीच विधायी कार्य लिए जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु इसे आरम्भ कब किया जाना था ?

श्री पी० उपेन्द्र : यह 4 म० प० तक समाप्त नहीं हुआ । उस अवस्था में, मैं उठा और मैंने कहा कि विधायी कार्य शुरू किए जाने चाहिए और इस चर्चा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए । किंतु इस बात को नहीं माना गया । इसलिए, महोदय आपको अपना निर्णय देना है । अब तक एक भी विधेयक पारित नहीं हुआ है, इसलिए सरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । सारा दिन नियम 377 के अधीन विषयों, नियम 193 के अधीन चर्चा, ध्यानाकर्षण, स्पष्टीकरण, इत्यादि में बीत गया है । यदि ऐसा है, तो यहां हमारी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । इसे ऐसे ही चलने दें, जैसा है । कृपया कोई व्यवस्था निश्चित करें जिससे सरकारी कार्य को भी लिया जा सके । सरकारी कार्य के साथ हम अन्य विषय भी ले सकते हैं । किन्तु अन्य कार्यों को सरकारी कार्य से प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए···(व्यवधान)···इसलिए, मेरा सुझाव है, कि 5.30 म० प० पर, हमें यह चर्चा रोक देनी चाहिए···(व्यवधान)···कृपया मेरी बात सुनिए । आप 'नहीं, नहीं' क्यों कहते हैं ? आप सारी कार्य-प्रणाली में आदेश क्यों दे रहे हैं ? आप जो भी कहें हम स्वीकार नहीं कर सकते । हर बात की एक सीमा होती है । आप सदन को इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : हम चर्चा को रोकने नहीं देंगे । (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : यह 5.30 म० प० पर समाप्त हो जानी चाहिए। सदन का मत लिया जाना चाहिए। वे जो कहते हैं मैं उसे अस्वीकार करता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठिए। मैं सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : यह मामला तब उठाया गया था जब सभापति महोदय पीठासीन थे। यह कहा गया था कि कश्मीर मुद्दे पर चर्चा 3.30 म० प० तक जारी रहेगी और दुबारा शुरू की जाएगी। यह कहा गया था कि 5.30 म० प० पर विधेयकों को लिया जायेगा। (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : किसने कहा था ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पेश करने दें।

(**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मेरे पश्चात् आप उन्हें सुन सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष कक्ष में हमारी चर्चा हुई थी और वहां पर मुख्य विपक्ष का भी प्रतिनिधित्व था। अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि यह चर्चा 5.30 म० प० पर समाप्त हो जाएगी और कश्मीर मुद्दे को कल जारी रखा जायेगा। अध्यक्ष की भी यही राय है। हम उनके निर्णय का पालन करेंगे। मैं उनके निर्णय को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : इस चर्चा से पहले, माननीय सदस्य नागालैंड के राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करना चाहते थे। वह चर्चा भी चल रही है। तब आप नियम 193 के अधीन तमिलनाडु ने "लिट्टे" की भूमिका पर चर्चा का प्रस्ताव लेकर आ गए। यह भी चल रही है। मैं नहीं सोचता कि आप अपनी उठायी हुई किसी भी चर्चा के प्रति गम्भीर हैं। अब, लिट्टे के सम्बन्ध में हो रही चर्चा के प्रति जिसके लिए आप बहुत इच्छुक थे, आप गम्भीर क्यों नहीं हैं ?···(**व्यवधान**)··· इसलिए, सरकारी कार्यवाही 5.30 म० प० शुरू की जायेगी। और विधेयकों को प्रस्तुत किया जायेगा और पारित किया जायेगा। हम आपकी चर्चा को जारी नहीं रहने देंगे। इस प्रकार, आप सरकारी कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं···(**व्यवधान**)···आप इस प्रकार इसका इन्कार नहीं कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी कार्य 5.30 म० प० पर आरम्भ किया जाए। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, गृह मन्त्री इस प्रकार सदन को आदेश नहीं दे सकते।

(**व्यवधान**)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप किसी भी मुद्दे के प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री के साथ सहमत हूं कि सरकारी कार्य सम्पन्न किया जाना चाहिए और मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सरकार को कार्य सम्पादित करने में मदद करें। यदि इसके लिए देर तक बैठने की आवश्यकता है तो, हमें देर तक बैठना चाहिए; यदि अधिक समय तक बैठने की आवश्यकता है, तो हमें अधिक समय तक, अधिक दिनों के लिए, बैठना चाहिए, किन्तु सरकारी कार्य भी सम्पादित किया जाना चाहिए। यह एक बात है।

दूसरे, जब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है तो उसके पश्चात् सदस्यों को अपनी बात कहने दें। यदि नियम 193 के अधीन हम और कोई विषय उठाना नहीं चाहते, आप तय करें और हम उसे नहीं उठायेंगे। किन्तु एक बार इस पर शरू करने के पश्चात् मैं किसी भी सदस्य को इस मुद्दे पर चुप करवाना पसन्द नहीं करूंगा।

तीसरे, चर्चा बन्द करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए, केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वे इसकी अनुमति देते हैं, तो आप यह कर सकते हैं। किन्तु मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा रुख न अपनाएं।

मैं सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात दिए गए समय में ही समाप्त कर दें। मैं सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्य भी सम्पादित हो जाए। यदि सरकार यह चाहती है कि हम 5.30 म० प० पर इस पर चर्चा करनी बन्द कर दें, और यदि आप कल फिर इसे शुरू करना चाहें, तो आप शुरू कर सकते हैं। किन्तु, कल आपको इसे शुरू करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सदस्य को इसमें भाग लेने से रोका जाए। भाजपा को समय मिलेगा, मार्क्सवादी दल को समय मिलेगा, कांग्रेस दल को समय मिलेगा और उन्हें भी समय मिलेगा। किन्तु कोई विघ्न नहीं; मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैंने यह मुद्दा बन्द कर दिया है। इसे लम्बा मत खींचें। श्री सोज को बोलने दें।

श्री सोज, आप केवल इस मुद्दे पर बोलें। यदि आप मुख्य बात से हटते हैं तो मुझे मजबूरन आपको याद दिलाना होगा कि आप मुख्य बात से हट रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग भी उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार से मत कहते जाइए।

[अनुवाद]

आप वहां से मुझे आदेश नहीं दे सकते।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गहरा दुख है और मैं गालिब की निम्न पंक्तियां पढ़ता हूं जो उन्होंने स्वयं के लिए कही थी :

[हिन्दी]

"रखियो गालिब मेरी तलख नवाई को माफ,
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है।"

[अनुवाद]

गालिब खुद से कहता है कि यदि आज मैं कोई कड़वी बात भी कह दूं तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना क्योंकि आज मैं कुछ ज्यादा ही दुखी हूं।

इस महीने की 21 तारीख को हुई मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने इस महाद्वीप के लोगों के दिलों को दुख से भर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया गया परन्तु जहां तक कश्मीरवासियों का सम्बन्ध है, उस हत्या और उसके बाद की अनेक हत्याओं और दुखद घटनाओं ने उनके दुख को और अधिक बढ़ा दिया है। कश्मीर में मृत्यु और विनाश की स्थिति पैदा हो गयी है और मुझे यह जानकर दुख होता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हत्या से एक प्रश्न सामने आता है। सामान्यत: हमारी याददास्त कमजोर है। हमें पिछली बातें याद करनी चाहिए। कुछ लोग इसे भूल जाते हैं और वे मौजूदा हालात की तुलना फारूख अब्दुल्ला शासन के हालातों से करने की कोशिश करते हैं। इनमें कोई तुलना नहीं है, उस समय का कोई सवाल नहीं है। यह 18 जनवरी का सौभाग्यशाली दिन था जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य के मुख्यमन्त्री से सलाह-मशविरा किए बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति का गलत फैसला कर लिया था। राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने जो घातक निर्णय लिया था हो सकता है उसमें हमारे गृह मन्त्री भी शामिल हों। इसलिए उन्होंने एक भली-भांति निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। 19/20 तारीख की उस रात से, हम उस रात को याद रखेंगे, कश्मीर में भारी अत्याचार होने आरम्भ हो गये। हजारों की तादाद में लोगों को मस्जिदों में ले जाया गया और बिना किन्हीं आदेशों के उनकी जांच पड़ताल की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे पहले ही विस्तार से चर्चा न करने के लिए कहा है परन्तु समय के अनुसार कुछ मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। वहां "गवा-कदल" में नर संहार हुआ जहां 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। राज्यपाल के द्वारा बताये गये आंकड़े गलत हैं। कश्मीर में मृतकों की इस संख्या को किसी ने भी नहीं स्वीकारा है। इस प्रकार 21 जनवरी को 'गा कडाल' नरसंहार हुआ और इसी महीने की 26 तारीख को ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जो 'इन्तीफादा' से भी खराब थी। एक छोटे से बच्चे ने कांगड़ी अर्थात् एक अंगीठी दिखा दी और 6 व्यक्तियों ने गोली चला दी। वे एक जीप में जा रहे थे और एक दुकान के सामने खड़े 6 बच्चों की मृत्यु हो गयी। महोदय, मैं इस स्थिति को 'इन्तीफादा' से भी खराब मानता हूं। इजराइल में एक पत्थर के बदले व्यक्ति के गोली लग सकती है। पत्थर के बदले गोली लग सकती है परन्तु एक 'कांगड़ी' दिखाने पर 6 व्यक्तियों को मार दिया गया। कश्मीर के इतिहास में इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता।

इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में अपने दुख और क्रोध के कारण जनता हांडवाडा में एक पंचायत घर को आग लगाना चाहती थी जिसे वे जला ही लेते परन्तु एक पंचायत घर को बचाने के लिए 40 लोगों को मार दिया गया। एक मार्च का दिन अर्द्ध-सैनिक बलों के हस्तक्षेप और उनके द्वारा

तेंगपुरा एवं हावाल में 60 लोगों की मृत्यु किए जाने के रूप में याद किया जाता है, यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है, हमने इस सदन में बहस की मांग की थी।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरे विचार से श्री सोज गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं ये आंकड़े आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं तैयारी करके आया हूं।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, उन्हें ये आंकड़े प्रमाणित किये बिना सभा में प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। मैं कहता हूं जो आंकड़े आप बता रहे हैं वे मनगढ़न्त हैं, वे वास्तविक नहीं हैं और निराधार हैं। मैं यह बात अधिकार के साथ कहता हूं···। (व्यवधान) इस सूचना का स्रोत आतंकवादी हैं···। (व्यवधान) उन्हें ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जैसाकि आप जानते ही हैं, यह अत्यधिक नाजुक मामला है। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, उसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। यदि आपके आंकड़े प्रमाणित हैं तो ही आप इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, दुर्भाग्य की बात है, जब तक मैं अपनी बात समाप्त करूं तब तक गृह मन्त्री को प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं उनके सामने यह सिद्ध कर दूंगा कि पिछले दिनों के उनके वक्तव्य ने प्रधानमन्त्री को गुमराह किया और हो सकता है कि उनके मन्त्रालय ने ही गृह मन्त्री को गुमराह किया हो। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, सभी आंकड़े मनगढ़न्त हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसे सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें काफी सावधान रहना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यदि गृह मन्त्री कुछ धैर्य रखें तो मैं साबित कर दूंगा कि ये आंकड़े सही हैं। वे ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो जगमोहन ने तैयार किये हैं और गृह मन्त्री को भेज दिए गए हैं। मैं आपको वह बात बताऊंगा जो मैंने समाचार-पत्रों के सामने व्यक्त की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगमोहन के बारे में की गयी चर्चा को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने मार्च में मृतकों की संख्या 450 बतायी थी। राज्यपाल, श्री जगमोहन ने उसका विरोध किया था। वे मुझसे सूची लेना चाहते थे। मैंने उनसे यह अनुरोध किया था कि वे मुझे अपने साथ ले चलें। हम उन लोगों के पास जायेंगे जिनके पुत्र और पुत्रियां मर गए हैं। हम उनके घर जायेंगे। हम अस्पतालों में जायेंगे और घायलों की संख्या की गणना करेंगे। उन्होंने कभी भी किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया। वे घायलों और मृतकों की संख्या के बारे में किस प्रकार बता सकते हैं? यह सभी मार्च में हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आपको एक बात याद रखनी चाहिए। एक मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना इस सभा में राज्यपाल के कार्य की चर्चा नहीं की जा सकती। कृपया इसे याद रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अनुमति दी। मैं कश्मीर में मृत्यु और विनाश की स्थिति की चर्चा कर रहा हूं। उसके लिए, आपके माध्यम से मैंने गृह मन्त्री से अनुरोध किया था कि वे धैर्य रखें, मैं एक राज्यपाल की नीति की चर्चा कर रहा हूं। मैं इस स्थिति को कम करके बता रहा हूं। 6 अप्रैल को जब मुशीर-उल-हक का उनके सचिव एवं खेड़ा जी के साथ अपहरण कर लिया गया था तो उन्होंने (राज्यपाल) कर्फ्यू लगा दिया था और यह कर्फ्यू दो सप्ताह तक जारी रहा अर्थात् यह 24 घंटे लगा रहता था। मैंने यह प्रश्न उठाया था।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। चर्चा का विषय यह है : "श्रीनगर में 21 मई, 1990 को कश्मीर के मौलवी मोहम्मद फारूख मीरवाइज की हत्या के सम्बन्ध में गृह मन्त्री द्वारा सभा में 22 मई, 1990 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करना।" यह वक्तव्य है। कोई व्यक्ति भूमिका में थोड़ा लगा समय सकता है। परन्तु अभी तक केवल भूमिका में दस मिनट का समय व्यतीत हो चुका है। अतः मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। मेरा व्यवस्था का यही प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाईक द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि श्री सोज इस बात को ध्यान में रखेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदेश का ध्यान रखूंगा।

मैं 6 अप्रैल को लगाये गये कर्फ्यू के बारे में चर्चा कर रहा था। यह कर्फ्यू 15 दिन तक जारी रहा। मैंने इस बात को इस सभा में भी उठाया था। मेरे कारण ही कुछ राहत मिली अन्यथा कर्फ्यू का यह सतरहवां दिन था। मैंने आपके सामने एक प्रश्न उठाया था। क्या आप भारत के किसी हिस्से में ऐसा कर्फ्यू 24 घण्टे के लिए लगा सकते हैं ? आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। भोजन और दवाईयों की कमी के कारण कितने लोग मर हैं ? अस्पतालों में जाकर बच्चे न होने के कारण कितनी औरतों की मृत्यु हुई है ? उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। अतः ऐसी स्थिति में यह सरकार क्या कर रही है ? ये लोग उस स्थिति का आनन्द ले रहे हैं। उस कर्फ्यू से संसार में एक रिकार्ड कायम हो गया है।

[हिन्दी]

श्री बाबू दयाल जोशी (कोटा) : कोटा में 400 बम पाए गए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सत्य कड़वा होता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए विशेष रूप से अधिक कटु हो रही है। मैं नहीं जानता कि गृह मन्त्री महोदय मेरे आंकड़े ठीक कराने के लिए क्यों खड़े हुए थे।

कुछ भी सही, यह कर्फ्यू एक विश्व रिकार्ड बन गया है। यद्यपि न तो गृह मंत्री ने और न ही

प्रधानमंत्री ने आगे आकर कोई सुझाव दिया है तथापि एक दिन ऐसा आएगा जबकि सरकार को उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। परन्तु उस आयोग से पूर्व जब एक जांच आयोग गठित किया जाएगा; तो यह प्रश्न उठाया जाएगा : आप किस प्रकार एक लाख लोगों पर लगातार रात-दिन का कर्फ्यू लगा कर उन्हें खाने, दवाईयों और अन्य सुविधाओं के बिना बन्धक बनाए रख सकते हैं ? यहां तक कि वृद्ध और अशक्त लोगों के साथ ऐसा करना···**···**···यह शर्म की बात होगी।

श्री राम नाईक : मैं पुनः व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री वी० उपेन्द्र : कल हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे; हम कल इसे जारी रखेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी : महोदय, आप उनके भाषण में कैसे विघ्न डाल सकते हैं ? (व्यवधान)

आप उनके भाषण समाप्त करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। आप श्री सोज के बात समाप्त करने की प्रतीक्षा करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं बोल रहा हूं। महोदय, परन्तु यदि यह आपका निर्देश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोड़ा, क्या आप कल बोलना चाहते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, यदि आप मुझे ऐसा करने के लिए कहें। (व्यवधान) मुझे अध्यक्ष-पीठ के आदेश का उत्तर देने दें। (व्यवधान) महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं। आपने जो कहा, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है; और मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, कृपया अपना भाषण चार या पांच मिनट में समाप्त करें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब मैं कर्फ्यू के दौरान किए गए अत्याचारों की बात नहीं करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं : दिनांक 4 मई को नवाकदम में दोनों ओर से गोलियां चलीं और जब उग्रवादी गोलियां चलाकर अपने छिपने के स्थानों पर चले गए तो अर्द्ध सैनिक बलों ने सड़क पर जा रहे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं, जिससे चार व्यक्ति मारे गए। तत्पश्चात् उन्होंने घर-घर की तलाशी ली और एक घर में घुसकर दो महिलाओं को मार दिया। उन्होंने दो महिलाओं पर गोली चलाई एक विधि स्नातक, और एच० एम० टी० की कर्मचारी जाना बानु मर गई। उसकी मां को छाती पर चोटें आईं। यहां तक कि अब भी वे सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रही हैं। (व्यवधान) मेरे सूबे और नगर मरबाह में दोनों ओर से गोलियां चलीं। पुनः वही घटना हुई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। (व्यवधान) गृह मन्त्री महोदय मुझे राज्यपाल के आंकड़े दे रहे थे।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी और उसके फलस्वरूप आम लोगों पर अर्द्धसैनिक बलों द्वारा गोली चलाने पर दूरदर्शन और रेडियों ने विशेष रूप से दूरदर्शन, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल के प्रवक्ता ने जले पर नमक छिड़का। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में चार व्यक्ति मारे गए जबकि गोलीबारी में किसी की मृत्यु नहीं हुई। वहां आठ लोग मारे गए और 12 घायल हुए। श्रीनगर में सात दिन बन्द रहा। गृह मन्त्री महोदय, यह वह सूची है, जिसे मैंने प्रेस कान्फ्रेंस में जारी किया था और आपके राज्यपाल और रेडियो ने यह कहा कि चार व्यक्ति गोलीबारी में मारे गए। आपको संसद को बताए जाने वाले आंकड़ों में सावधानी बरतनी चाहिए।

तत्पश्चात् 10 मई को सुरक्षा बलों ने लतीफ अहमद खान पर गोली चलाई। वह एक आतंकवादी भी हो सकता है और नहीं भी। परन्तु, मैं आपको यह बताना चाहता हूं : उसका खून बह रहा था। उसकी बाजू और टांग में गोली लगी थी। उसे तारा निवास ले जाया गया न कि अस्पताल। रक्त बहने से उसकी मृत्यु हो गई। क्या यह सम्भव है, क्या हमारे संविधान और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ऐसा किया जाना चाहिए ? यहां तक कि युद्ध बन्दियों को भी राहत दी जाती है। जब आप किसी विदेशी को किसी अपराध के लिए कारावास में डालते हैं तो उसको भी राहत दी जाती है। परन्तु लतीफ की रक्त बहने से मृत्यु हो गई और जब थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तो सी० आर० पी० ने कहा कि : 'हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करें और लिखें कि वहां दोनों ओर से गोलीबारी हुई। श्रीनगर में यह सब कुछ हो रहा है।

मौलाना फारूख की 21 तारीख को मृत्यु हो गई। मैंने उनको सुरक्षा न दिए जाने का प्रश्न उठाया था, क्योंकि इस बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें उदारवादी बतलाया।

जैसे कि उस दिन प्रधानमन्त्री जी ने इसके बारे में पूछा था, तो मैंने भी एक प्रश्न उठाया था कि यह किसका उत्तरदायित्व है। पुलिस इस घटना के दो घण्टे बाद घटना स्थल पर पहुंची। जब निर्दोष और शोकाकुल व्यक्तियों द्वारा शवयात्रा निकाली जा रही थी तो राज्यपाल ने कर्फ्यू लगाने का प्रयास किया। वह शवयात्रा पर कैसे कर्फ्यू लगा सकते हैं ? उसमें लाखों लोग थे। प्रशासन ने मूर्खता से कर्फ्यू लगाने का प्रयास किया (व्यवधान) तब उन्होंने गोली चलाई। परन्तु उस समय दोनों ओर से गोली नहीं चली थी। उस दिन गृह मन्त्री महोदय ने कहा कि केवल 27 व्यक्ति मारे गए। यह पूर्णतः गलत आंकड़ा है। केवल एक सौ व्यक्ति मारे गए थे। यदि आप अस्पताल में जाएं तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। क्या गृह मन्त्री महोदय इस बारे में जानते हैं ?

[हिन्दी]

देखो भाईयों ! यह इनसानों की बात है। आपका एक आदमी मरा था, आपने कितना शोर मचाया। (व्यवधान)

श्री कालका दास : आखिर इनको कितना समय दिया गया है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, कृपया हर बार इसके बारे में न कहें। जब आप चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे थे तो आपको काफी समय दिया गया था; जब आप मूल्यों पर चर्चा कर रहे थे, तो आपको

काफी समय दिया गया था। जब आप उत्तर देंगे तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा। परन्तु आप उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ये इतनी देर से बोल रहे हैं, आखिर इनको कितना समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

वे पहले ही लगभग 25 मिनट बोल चुके हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप जितना समय चाहते हैं, आपको भी मिलेगा।

[हिन्दी]

ये कश्मीर से आये हुए हैं और कश्मीर के हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहूंगा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है। किसी ने मुझे बताया है कि 31 तारीख को 300 से अधिक व्यक्ति गोलीबारी में घायल हुए। गृह मन्त्री महोदय इस बारे में नहीं जानते। तीन चिकित्सक द्रवित हो गए क्योंकि उन्हें बहुत-सी टांगों को काटना पड़ा। यह टेलीफोन पर एक चिकित्सक ने बताया। यह स्थिति है। आप कब तक इसको स्वीकृति देंगे…**…(व्यवधान) दिल्ली का रुख भी अत्यन्त निन्दनीय है; दिल्ली इसका कोई ध्यान नहीं कर रही है। (व्यवधान) इस मामले में दोहरा रुख अपनाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि श्री बी० पी० सिंह जी की अन्त: प्रेरणा सही है क्योंकि मैं उनसे बात कर पाया। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि किस प्रकार एक माध्यम राज्यपाल और दूसरा श्री जार्ज फर्नान्डीज के पास है। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि यदि श्री जार्ज फर्नान्डीज त्यागपत्र दे दें तो इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे। क्योंकि वे राज्यपाल को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते और वहां कश्मीर में उनकी अन्त: प्रेरणा और विचारों को नहीं समझा जाता। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की सफलता चाहता हूं परन्तु उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता। मैं एक बात समझना चाहता हूं। (व्यवधान) महोदय, उन्हें मौन रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें। आप जो भी कह रहे हैं, उसे दर्ज किया जा रहा है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्यपाल की ****कश्मीर पट्टे पर दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्यपाल के आचार पर चर्चा नहीं कर सकते। ऐसा मूल प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। मैंने कहा कि सरकार ने इसका सही तरह से उत्तर नहीं दिया है। मानव अधिकार संगठन की ओर से यह रिपोर्ट दी गई थी कि 'पी० यू० सी० एल०' और न्यायमूर्ति तारकुण्डे और न्यायमूर्ति श्री सच्चर जैसे व्यक्ति वहां गए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और दिल्ली में सम्बन्धित पार्टियों ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। राज्यपाल के एक घनिष्ठ मित्र, जो जम्मू कश्मीर मे भाजपा के एक सदस्य हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को रद्दी के टुकड़े की तरह अस्वीकृत कर दिया। अतः यह एक बड़ी चुनौती है।

मैं अलग-थलग होने के प्रश्न में नहीं जाना चाहता। वह मेरा विषय नहीं है।

कश्मीर के लोग देश से पूरी तरह अलग-थलग हो गए हैं। वे कहते हैं अनुच्छेद 370 प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को क्षति पहुंचाई गई है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : 'पूरी तरह' मत कहिए। आप कहिए "लगभग पूरी तरह।"

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लेकिन मैं केन्द्र को चेतावनी देता हूं। आप कृपया मुझे उन्हें वह चेतावनी देने की अनुमति दीजिए। वह चेतावनी है। (व्यवधान) क्या आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति देंगे? मैं कल बोल सकता हूं। इसमें जल्दी क्या है?

महोदय, मुझे आपके सम्मुख एक बहुत ही अच्छे माने पत्रकार श्री हानिफ द्वारा लिखे गए एक लेख का उल्लेख करना था। मुझे आपको बताना था कि राज्यपाल ने उनके साथ तथा कुछ पत्रकारों के साथ अलग से क्या बातचीत की थी। उन्होंने "भ्रष्टाचार" को बढ़ावा दिया। मैं इसे साम्प्रदायिकता नहीं कहता क्योंकि मैं एक औसतन हिन्दु को साम्प्रदायिकता नहीं मानता। श्री जगमोहन जम्मू और कश्मीर में भारत के लोकाचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूं। जब तक वह वहां राज्यपाल हैं, बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीतिक प्रक्रिया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन, वहां हर दिन देश से अलग-थलग होने की बात होती है।

अतः, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक प्रश्न उठाता हूं। यह सरकार क्या कर रही है? यह सरकार मौलवी फारूख की हत्या और अर्धसैनिक बलों द्वारा पहले किए गए अत्याचारों की जांच कराने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन जांच आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? सत्ताधारी पार्टी, कश्मीर भेजने के लिए एक संसदीय शिष्टमण्डल का गठन क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री श्री वी० पी०

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सिंह वहां क्यों नहीं जाते और कश्मीर के लोगों से क्षमा क्यों नहीं मांगते ? क्योंकि इसमें कुछ हल दिखाई देता है । उस राज्यपाल को बर्खास्त कीजिए और उन पर जनसंहार का आरोप लगाइए ।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, मैं प्रधानमन्त्री जी से केवल अपील ही करता हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां कहिए, क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर रूलिंग देते हुए यह बताया गया था कि कश्मीर की चर्चा कितने बजे शुरू होगी और कितने बजे समाप्त होगी और यह भी चेयर की तरफ से कहा गया था कि मंत्री जी साढ़े पांच बजे जो तीन बिल हैं, उनको इंट्रोड्यूज करेंगे, लेकिन अब पौने छः बज गए हैं, अभी तक बिल इंट्रोड्यूज नहीं किए गए हैं । इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग दी गई है, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है । अब तक तो महोदय, बिल पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी । (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, कहिए ।

श्री मदनलाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के बिजनैस को चलाने की एक पद्धति है । किस पार्टी के सदस्यों की कितनी संख्या है, उसके हिसाब से जिसकी ज्यादा संख्या है, कांग्रेस वाले पहले नम्बर पर बोलते हैं, फिर जनता दल और तीसरे नम्बर पर बी० जे० पी० के लोग बोलते हैं, यह एक सिस्टम बनाया है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि कांग्रेस के बाद जिस दल की सदस्य संख्या मात्र तीन है और एक ही पाइंट आफ व्यू है, वही जाएगा । (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : हाउस को चलाने की एक पद्धति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नो पाइंट आफ आर्डर । आप बैठिए ।

यहां पर किसको बोलने देना चाहिए, कितना बोलने देना चाहिए, जो भी चेयर पर बैठते हैं, वे डिसाइड करते हैं । बाई एण्ड लार्ज,...

(व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : आप रूल्स से तो ऊपर नहीं हैं । आप भी हाउस विदइन दि रूल्स चलाएंगे ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा कुछ नहीं है ।

[हिन्दी]

आप रूल कोट करके मुझे बताइए, मैं रूल फॉलो करूंगा। यह बात रूल में नहीं है। बाई एण्ड लार्ज स्लिप जो नाम देते हैं, उनके नाम को पुकारा जाता है, लेकिन वह बन्धनकारक नहीं है।

[अनुवाद)

इसे कार्यवाही वृत्तान्त में जाने दीजिए।

[हिन्दी]

जो स्लिप की तरफ से आता है, उसी को फॉलोअप करना, स्पीकर के लिए या कोई भी जो यहां चेयरमैन बैठे हों, उनके लिए बन्धनकारक नहीं है। अब सोज साहिब कश्मीर से आते हैं और वहां से आने की वजह से उनकी जो मालूमात है, उनकी जो भावना है, उसको ध्यान में रखकर उनको बोलने दिया गया और उन्होंने अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आपको भी बोलने के लिए पूरा-पूरा मौका दिया जाएगा। आज ही नहीं, यदि आप कल बोलेंगे, तो आपको पूरा-पूरा मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इस समय उनके अत्याचारों का ब्यौरा नहीं दूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने इस विषय को किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बनाया'''(व्यवधान) मैं केवल दो या तीन मिनट का समय लूंगा'''(व्यवधान)

मेरे पास लम्बी सूची है, एक बहुत ही संक्षिप्त सूची है, जिसमें उनके अत्याचारों का ब्यौरा है कि राज्यपाल ने किस प्रकार इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय बनाया और देश को बदनाम किया। मैं अब उसके ब्यौरे नहीं दे रहा हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से, गृह मन्त्री के माध्यम से श्री वी० पी० सिंह को एक दोहा भेज रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके किसी मंत्री को लिखने के लिए सभा की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब यह दोहा श्री वी० पी० सिंह को मेरी व्यथा बताएगा क्योंकि मैं उनके मनोवेग, उनकी ईमानदारी को समझता हूं, वह कोई हल निकालना चाहते हैं। परसों प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के एक नोट के आधार पर गलत वक्तव्य दिया। जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई उनकी संख्या 27 नहीं है। यह दोनों ओर से गोली चलाए जाने की वजह से नहीं है। तारीख 21 को दोनों ओर से गोली नहीं चलाई गई थी। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को बदनाम कर रहे हैं। अतः यहां दोहरी स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इधर-उधर की बातें न करें। कश्मीर पर काम की बात करें।

[हिन्दी]

वी० पी० सिंह को मैं कहना चाहता हूं :

"तू इधर उधर की बात न कर ये बता कि काफिला क्यों लूटा
मुझे राहजनों का गिला नहीं रहबरों का सवाल है।"

[अनुवाद]

आप प्रधानमन्त्री हैं। आपको मौके की नजाकत को समझना चाहिए। अतः कश्मीर जाइए, उनको बर्खास्त कीजिए। लोगों से क्षमा मांगिए, उन पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में एक जांच आयोग की नियुक्ति कीजिए और किए गए अत्याचारों को समझने के लिए तत्काल संसदीय शिष्टमण्डल भेजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज करने के बाद कहा था कि जगमोहन जी का नाम लेकर स्पेसीफिक इस प्रकार के ऐलीगेशन्स नहीं लगाने चाहिएं। जब तक सबस्टैनटिव मोशन नहीं आता है तब तक नहीं करना चाहिए। आपके कहने के बाद कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैंने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अब पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं कि इसप्रकार के ऐलीगेशन करने वाले जो-जो वाक्य इन्होंने कहे हैं, वह नियमों के विरुद्ध हैं, ऐसे सपस्टैनटिव मोशन आए बगैर जो-जो भी इन्होंने कहा है, वह कार्यवाही से निकालना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कश्मीर में राज्यपाल सरकार चला रहे हैं और उन्हें इस सब से अलग करना बहुत ही कठिन है। लेकिन साथ ही यह बहुत ही नाजुक मामला है, जो कोई भी बोल रहा हो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन में राज्यपाल या उनके कार्यकलाप का इस तरह से उल्लेख न हो कि उसके लिए मूल प्रस्ताव की आवश्यकता पड़े। आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतयः अस्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन साथ ही मैं इसकी नाजुकता को समझता हूं क्योंकि वहां कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। सरकारी कार्य राज्यपाल के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए मैं उन बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के पक्ष में नहीं हूं जो अपमानजनक अथवा जिनमें आरोप लगाया गया हो। यदि कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं जिनमें आरोप लगाया गया हो या जो अपमानजनक हों, तो वह कार्यवाही वृत्तांत का भाग नहीं होंगे। फिर भी यदि वह राज्य के संचालन से सम्बन्धित हैं तो वह कार्यवाही का भाग रहेंगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जो कुछ मैंने कहा है मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप अपनी बात कह चुके हैं।

उन सदस्यों को अवसर देने के लिए जो अलग दृष्टिकोण रखते हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस चर्चा को छह बजे तक जारी रहने दें और उसके बाद विधेयकों को लिया जा सकता है अब मैं श्री मल्होत्रा से कहूंगा कि वह बोलें। यदि वह आज अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाते हैं तो वह बोलेंगे···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि श्री मल्होत्रा आज बोलने के लिए तैयार नहीं हैं मैं श्री प्रताप सिंह से कहूंगा कि वह बोलें। श्री प्रताप सिंह···

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व आपने यह निर्णय दिया था कि आज श्री मल्होत्रा को, जितना वह चाहें, समय दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आज बोल सकते हैं और कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। यदि वह बोलने के लिए तैयार नहीं हैं तब मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा। अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राम नाईक : चर्चा आवश्यक है। आपने यह निर्देश दिया था कि श्री मल्होत्रा को पर्याप्त समय दिया जाएगा। उसके पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि वह अपना भाषण 6.00 बजे समाप्त कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल बोलने की अनुमति दूंगा। आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से जब आपने श्री विजय कुमार मल्होत्रा का नाम पुकारा तब वह शायद बोलने के लिए ही खड़े हुए थे लेकिन वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं और उन्हें अपनी बात कहने की पूरी अनुमति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल यही बात मैंने कही थी।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यदि वह अपना भाषण आज 6.15 बजे तक समाप्त कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मौलाना फारूख की जो कायरता पूर्ण हत्या हुई है, वह अत्यन्त दुखदायी और निन्दनीय है। वह एक धार्मिक नेता भी थे और कश्मीर की जनता का उनके प्रति बहुत सम्मान था। उनकी जिस प्रकार से हत्या की गई वह अत्यन्त निन्दनीय है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके जनाजे में शामिल जुलूस में वहां क्रॉस गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए और उनमें कुछ निर्दोष भी थे। उनकी मृत्यु पर भी हमें अत्यन्त दुख है। हम उनके और उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं।

आज यहां पर जिन बातों का जिक्र हुआ उसमें हमें यह देखना चाहिए कि इसमें जो निर्दोष लोग मारे गए उनकी मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? परसों प्रधानमन्त्री और गृह मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को बताया था कि आतंकवादी वहां पर जानबूझकर एक साजिश के तहत उस जनाजे के जुलूस में शामिल हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलायीं। इस तरीके से सुरक्षा बलों और उनके बीच क्रॉस फायरिंग ने अनेक लोगों को मरने पर मजबूर किया। मुझे इस बात का दुख है। मेरे दोस्त संतोष मोहन देव जी और माननीय सोज साहब किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर उस जुलूस में शामिल हो गए थे और वहां ए० के०-47 से

उन्होंने चलायीं। वास्तव में उन लोगों ने निर्दोष लोगों को मरने पर मजबूर किया। जितने लोग भी वहां मारे गए—चाहे उनकी संख्या एक ही क्यों न हो, वह बहुत दुखदायी और बहुत निन्दनीय है। वहां 27 मरे या 30 मरे, इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं। सरकार को वह संख्या कम करके नहीं बतानी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन बढ़ा-चढ़ा कर मरने वालों की संख्या बतायी जाए और बढ़ा-चढ़ा कर दूसरी घटनाओं का जिक्र किया जाए, मैं ऐसा समझता हूं कि···(व्यवधान)··· वह देश के हित में नहीं है। मानवता के हित में नहीं है।

प्रो० संकुहीन लोच : महोदय, यह गलत कह रहे हैं, मैंने इस सम्बन्ध में ठीक कहा है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे यह बात बहुत अजीब लगी कि सारी बहस घुमा-फिरा कर एक सवाल के इर्द-गिर्द खड़ी हो गई और उसमें कहा गया कि जगमोहन को वहां से हटाया जाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जगमोहन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जगमोहन वहां रहें या न रहें यह हमारे लिए प्रतिष्ठा या नीति का सवाल नहीं है। जब जगमोहन दिल्ली में थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी लगातार लड़ाई रहती थी। वह जब दिल्ली में थे तो पहले संजय गांधी के खास आदमी थे। जब एमर्जेंसी लगी तो उस समय वह संजय गांधी के साथ थे। मैं संतोष मोहन देव जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने उनको दिल्ली का लैफ्टिनेंट गवर्नर बनाया। उन्होंने उनको गोआ और कश्मीर का गवर्नर बनाया। वह कांग्रेस के ब्लू-आईड बॉय थे।

6.00 म० प०

और दिल्ली में वह चुनाव लड़कर, कांग्रेस के टिकट पर लड़ें, इसके लिए बार-बार उन्हें आग्रह किया या नहीं किया? आज उनका बी० जे० पी० से क्या ताल्लुक है? बी० जे० पी० के साथ हम लोगों के साथ तो उनकी रनिंग स्ट्रगल थी क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी उनको इस्तेमाल करती थी और इससे हम उनके विरोध के अन्दर लगातार यहां संघर्ष करते रहते थे। इसके बाद वह कश्मीर के गवर्नर एपाइण्ट हुए, कांग्रेस पार्टी की मुसीबत क्या है, इनको दुख किस बात का हुआ? इसका दुख नहीं था कि जगमोहन जी वहां एपाइण्ट हुए, वह इनके खास आदमी थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के एपाइण्टी थे पर जब उन्होंने वहां पर जाकर इस बात को साबित किया और कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे, जो आतंकवाद में शामिल थे, जब उन्होंने उनको पकड़ा, तीन-तीन मिनिस्टर्स कांग्रेस के पकड़े, वह आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, जब उन्होंने कांग्रेस के मिनिस्टर को पकड़ा, जिस एक मिनिस्टर ने अपनी मारुति गाड़ी आतंकवादियों को दे रखी थी, मि०* ने, जब उन्होंने उन व्यक्तियों को पकड़ा जो वहां पर नेशनल फ्रण्ट और कांग्रेस के नेता, संतोष मोहन देव जी, आप खासकर इस बात को कहिए, आप इसे झुठलाइए कि वहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष कार साहब हैं···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : कांग्रेस के एक मैम्बर का, एक मिनिस्टर का उन्होंने नाम लेकर कहा कि उन्होंने अपनी मारुति कार आतंकवादियों को दे रखी थी और उस व्यक्ति का नाम लिया है। [अनुवाद]

उन्होंने श्री···*···का नाम लिया जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। वह उनका नाम नहीं ले सकते।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सज्जन का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के वहां के जो अध्यक्ष हैं, क्या उनके बेटे के घर पर लगातार सारे आतंकवादियों का अड्डा नहीं रहा ? क्या उन आतंकवादियों का अड्डा वहां पर नहीं था ? गाड़ियों में उन आतंकवादियों को अड्डों पर पहुंचाने और लाने का काम कांग्रेस के प्रेसीडैण्ट का लड़का नहीं करता रहा ? अगर यह बातें वहां रिपोर्ट में हैं, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में हैं, होम मिनिस्टर साहब को मालूम हैं, तब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ शुरू हुई और इन्होंने यह कहा कि जगमोहन को वहां से हटाना चाहिए। जगमोहन इनके खास आदमी थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी के थे, जिनको ये लोग राष्ट्र की माता हमेशा घोषित करते रहे लेकिन वोटों की खातिर और समय बदल जाय तो ये लोग अपनी माता के नाम को भी भुला सकते हैं इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जगमोहन जी वहां रहें या नहीं रहें, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, जगमोहन के हटने से अगर वहां आतंकवाद खत्म हो सकता हो···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण आज समाप्त करना चाहेंगे या कल बोलना चाहेंगे ?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मुझे पांच-दस मिनट और दीजिए उसके बाद मैं कल भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखकर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी बात अधूरी जाएगी, पूरी बात ही नहीं आएगी और वह बात रह जाएगी इसलिए मैंने कहा था कि मुझे 10 मिनट बोलने दिया जाय और कल बाकी बातों को मैं पूरा कर दूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास क्या विकल्प है ? क्या आप जारी रखकर अपना भाषण समाप्त करेंगे या आप कल बोलना चाहेंगे ?

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कल पता नहीं लास्ट में यह 9-10 बजे पूरा हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप जारी रख सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार समाप्त कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह आज जारी रखकर कल समाप्त करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप मेरी सलाह मानिए। आप जितना समय लेना चाहें लेकर, आज इसे पूरा करें।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह जिक्र कर रहा था कि जगमोहन जी वहां रहें या न रहें, हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जगमोहन साहब के वापस आने से आतंकवाद खत्म हो सकता है, अगर जगमोहन साहब के वापस आने से पृथकतावाद खत्म हो जाय, अगर जगमोहन साहब के आने से कश्मीर में पूरी शान्ति हो जाय तो सबसे पहला आदमी मैं हूंगा जो कहे कि उनको वापस बुला लिया जाय परन्तु क्या सोज साहब इसकी गारण्टी कर सकते हैं कि जगमोहन साहब के वापस आने के बाद शान्ति हो जाएगी, क्या संतोष मोहन देव जी इसकी गारण्टी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी इसकी गारण्टी कर सकती है कि यदि वह वापस आ जायेंगे तो वहां पर शान्ति स्थापित हो जाएगी ? वहां पर पूरी तरह से अमन हो जायेगा ? अमन कैसे हो जायेगा ? जगमोहन साहब के जाने से पहले वहां पर आतंकवाद था या नहीं था ? जगमोहन साहब के वहां जाने से पहले पृथकतावाद था कि नहीं था, वहां की जनता एलीनेटेड थी कि नहीं थी ? वहां पर जब कश्मीर के अन्दर चुनाव बायकाट की काल दी गई वहां की जनता ने कश्मीर के अन्दर बायकाट होने पर कितने परसेंट वोटिंग किया। इनको कितने परसेंट वोट मिले, सोज साहब इसको जानते हैं। पिछले इलेक्शन में कश्मीर के अन्दर टोटल बायकाट किया गया था। (व्यवधान) मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले दो चुनावों में कितने परसेंट वोट पड़े ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले वर्ष में 80 आदमी गोली से नहीं मरे ? पिछले चुनाव में किसी आदमी को वोट डालने की हिम्मत नहीं हुई, कोई वोट डालने नहीं गया। इनसे पूछा जाए कि ये कितने परसेंट वोटों से चुनकर आए हैं ?

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 के बाद से लगातार कश्मीर के अन्दर किसकी हुकूमत रही है ? लगातार 42-43 साल तक नेशनल कांफ्रेंस या कांग्रेस की हुकूमत रही है। अगर कश्मीर के अन्दर हालात बिगड़ गए, कश्मीर के अन्दर लोग एलिनियेट हुए, अगर यह बात सही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस जिनकी कि वहां हुकूमत रही, के अलावा कोई जिम्मेदार हो सकता है ? हम तो वहां कभी हुकूमत में नहीं रहे, हम तो हिन्दुस्तान की हुकूमत में भी कभी नहीं रहे। यहां पर नेहरू जी, इन्दिरा गांधी या राजीव गांधी की हुकूमत रही। कश्मीर के अन्दर शेख अब्दुल्ला या फारूख अब्दुल्ला की हुकूमत रही। वहां पर कांग्रेस के या नेशनल कांफ्रेंस के मिनिस्टर रहे। अगर कश्मीर में हालात बिगड़े हैं, अगर वहां की जनता हिन्दुस्तान से दूर होती चली गयी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उपाध्यक्ष जी मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। कश्मीर के अन्दर एलिनियेशन के सवाल के साथ ही वहां जम्मू के लोगों के बारे में कोई विचार नहीं होता। जम्मू के लोगों के साथ कश्मीर के अन्दर लगातार डिस्क्रीमिनेशन होता रहा है, लद्दाख के लोगों के साथ डिस्क्रीमिनेशन होता रहा है। लद्दाख की कोई बात नहीं करता, जम्मू की कोई बात नहीं करता। गजेन्द्र गडकर कमीशन ने यह कहा था कि जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, कश्मीर के लोगों को प्रेफर किया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, सोज साहेब ने जिक्र किया, उससे पहले संतोष मोहन देव जी ने जिक्र किया।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अगर आपको इसमें लाभ होता है, आप समझते हैं तो आप कहिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : संतोष मोहन देव जी ने और सोज साहेब ने बहुत सवाल उठाए। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या ह्यूमन राइट्स सिर्फ आतंकवादियों के हैं और उन्हीं से बात होनी चाहिए ? लेकिन जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हैं, और जो लोग मारे गए हैं, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं ? जिनकी पत्नियां विधवा हो गयीं, जिनके बच्चे बेसहारा हो गए, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं ? ह्यूमन राइट्स टू लाइफ इज ए बेसिक राईट। जो वहां पर लोग मारे गए हैं, कांग्रेस के भी मारे गए हैं, नेशनल कांफ्रेंस के भी मारे गए हैं, वहां वाइस चांसलर मारे गए हैं, वहां पर ये मौलवी फारूख मारे गए हैं, क्या इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे ? आप जिक्र करते हैं ह्यूमन राइट्स का। वह नौजवान जो बार्डर पर खड़ा है, बार्डर पर खड़ा हो करके हिन्दुस्तान की रक्षा कर रहा है, पाकिस्तान से देश की रक्षा कर रहा है, उसके बीवी और बच्चे थर-थर कांपते रहते हैं, जिस पर गोलियां चलायी जाती हैं, जिस पर बम फेंके जाते हैं, उसका कोई ह्यूमन राईट नहीं है। (व्यवधान) मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर उसके पीछे कौन खड़ा है, आप उसे यह बताइये ? फार गाड सेक उसको डिमोरेलाइज मत कीजिए। उसको आप डिमोरेलाईज कर रहे हैं। उसके हाथ में बन्दूक किसने दी ? आपने दी। जगमोहन ने नहीं दी देश ने उसके हाथ में बन्दूक दी है, देश की रक्षा के लिए देश की रक्षा करते हुए जब उस पर गोलियां चलती हैं, उस पर बम फेंके जाते हैं तो आप क्या उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह चुपचाप ह्यूमन राइट्स की बात करे ? अपनी उस बन्दूक को जमीन पर फेंक दें, उससे आप क्या उम्मीद करते है कि जब उसके ऊपर आतंकवादी हमला करे तो वह क्या करे, अपने को बचाये या न बचाये। उस आतंकवादी को, पाकिस्तानी एजेन्ट को पाकिस्तानी हथियार लेकर के आने वाला उसके सामने मारने के लिए खड़ा हो, तो वह क्या करें उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में, आप विचार करें। मुझे बड़ा दुख होता है जब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता है, उन आतंकवादियों का, कोई जिक्र नहीं किया जाता है कि उन आतंकवादियों ने वहां पर क्या हालत कर रखी है। मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो सकती थी जब हमारे माननीय संतोष देव जी ने कहा कि वहां से जो लोग चले आए हैं, लाखों आदमी चले आए हैं, ये लाखों आदमी जो आ गए, ये तो वहां पर साजिश के तौर पर आ गए हैं यह आना नहीं चाहते थे, उनको वहां से कोई निकालना नहीं चाहता था, ये तो अपने आप आ गये। लाखों आदमी अपने घर-बार छोड़ करके दो कपड़ों में आ गए, यहां पर लाखों आदमी आ गए पूरी की पूरी आबादी आ जाए तो यह जेनोसाइड नहीं तो क्या है ? एक लाख 60 हजार में से डेढ़ लाख चले आए हैं। वहां पर बारामूला में 16 हजार हिन्दू-सिख थे, जिनमें से अब सौ रह गए हैं, उनका क्या कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका कोई राइट टू लाइफ एण्ड प्रोपर्टी नहीं है कि वे वहां पर रह सकें, इसका कोई इन्तजाम करने की जरूरत है या नहीं, जो आतंकवादी उनको मारने आते हैं, उनको अगर रोका जाए, उनके लिए अगर कर्फ्यू लगाया जाए, इनको कन्ट्रोल में लाने के लिए, तो आप कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया, ऐलिनेट कर दिया, लोगों को वहां से निकाल दिया, लोगों को वहां से मार दिया, इस तरह की बातें शुरू कर दी जाती हैं। (व्यवधान)

एक लाख 60 हजार में से डेढ़ लाख निकाले गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज उनके पक्ष में कोई प्रतिक्रियायें व्यक्त क्यों नहीं की जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मजहबी सवाल नहीं है और मैं कोई धार्मिक सवाल भी इसमें नहीं लाना चाहता हूं परन्तु यहां पर रिऐक्शन कैसे होते हैं, प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं, उसे देखिए अगर यहां पर कश्मीर, हिन्दू मेजोरिटी स्टेट होती और वहां से डेढ़ लाख मुसलमान निकलकर आ जाते तो क्या आपका यही रिऐक्शन होता, जो आजकल आपका रिऐक्शन है, क्या आप उसी प्रकार की प्रतिक्रिया रखते, मैं समझता हूं कि यह निहायत बदकिस्मती और दुखदायी बात है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी कश्मीर छोड़ करके चली आयी है और आप इस बात को मजाक में ले रहे हैं, इस तरीके से आप उनको डील कर रहे हैं जैसे जगमोहन जी ने उनको निकाल दिया है। आप बताएं कि उनके कोई ह्यूमन राइटस हैं या नहीं, उनको वहां वापिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एलिनेशन की बात भी कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि वहां पर बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मैं आपको इस बात से भी एग्री करता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो हिन्दू माईग्रेंट्स आए, उनके घरों की चाबियां उनके पास हैं, उनके घरों को लूटा नहीं गया है परन्तु आप साथ किसका दे रहे हैं, क्या आप उन नेशनलिस्ट लोगों का साथ दे रहे हैं, क्या उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, या आप उनको भी डिमोरोलाइज कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादी जब अपनी गोली उसकी छाती पर रखता है और उससे कहता है कि खबरदार तुमने इसको बचाया या इसकी मदद की और उसके बाद वह उनको मजबूर करता है कि वह अपनी आवाज बुलन्द न करे। आज वहां कौन लोग मारे गए हैं, वे लोग मारे जा रहे हैं जो हिन्दुस्तान के साथ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर में दो तरह के लोग हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब वे पाकिस्तान जिन्दाबाद करता है, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाता है, उसको तो आप कहते हैं कि उनके ह्यूमन राइट हैं, उसे ऐलिनेट नहीं करना चाहिए और जो भारत-माता की जय करता है। (व्यवधान) भारत-माता की जय का नारा लगाने वाला आतंकवादी की गोली से मर जाए, तो उसकी किसी को परवाह नहीं मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं, जो जवान मारे गए हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है, वे स्कूल जाना चाहते हैं, उनके स्कूल में जाने के लिए, उनकी भर्ती करने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है, कोई उसके लिए आवाज नहीं निकालता है कि जो लोग आतंकवादियों के हाथों से मारे जा रहे हैं, उनकी भी एलीनेशन की बात सोची जाए। जब यहां पर खेड़ा के लड़के ने बहुत दुख में भर कर यह कहा था कि मेरे पिता को इस तरह से मार डाला गया और उसके बाद मुझे इस हिन्दुस्तान से क्या लेना है तो लोगों ने कहा था कि कैसी देशद्रोह की बात कर रहे हो, जिसका पिता मर जाए जिसके घर में से एक ही आदमी कमाने वाला मर जाए, आतंकवादियों के हाथ से और आप कहें कि आतंकवादियों से समझौता करो, उससे बात-चीत करो, उसका दिल जीतो, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, यह अच्छा सिगनल नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि श्री जगमोहन यहां पर रहें या न रहें, हमारी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है परन्तु जगमोहन जी को वापस बुलाने की जो आप बार-बार बात करते हैं और मैंने कल भी इस बात को कहा था कि अगर वहां पर किसी ने ज्यादा फोर्स इस्तेमाल किए तो आप इंक्वायरी करें कि वहां पर ज्यादा फोर्स इस्तेमाल हुई है या नहीं, किसने ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की है और वहां पर जो निर्दोष लोग मारे गए है, उसकी जांच कीजिए। वहां पर अगर निर्दोष लोग मारे गए हैं तो इसकी जांच की जाए और सारे परिपेक्ष्य में जांच की जाए, किन्तु वहां पर जिसने गोली चलाई है, क्या जगमोहन ने आर्डर दिया कि वहां पर जाकर गोली

चलाओ। अगर आप जगमोहन को वापिस बुलाना चाहते हैं तो क्या सिग्नल देना चाहिंगे। मुझे बड़ा अजीब लगा जब यह कहा गया कि सिग्नल देंगे, कि वहां पर अत्याचार रुकना चाहिए ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी जी ने यहां पर जिस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी, जो भाषण दिया, मैं उसको शब्दशः कोट करता हूं। उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"क्या आप पंजाब के आतंकवादियों से नहीं दब रहे हैं ? क्या आप कश्मीर के आतंकवादियों से नहीं दबे हैं। पहली बात जो मेरी समझ में आती है वह कश्मीर के आतंकवादियों के सामने इस सरकार द्वारा घुटने टेकना है। कोई राष्ट्र सम्मान के साथ कैसे रह सकता है यदि वह आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता ? यदि उनमें हिम्मत नहीं है तो सम्मान भी नहीं रह सकता।"

[हिन्दी]

यह राजीव गांधी साहब ने नई सरकार के बनने पर दिसम्बर के महीने में कहा था। तब जगमोहन वहां पर नहीं था। तब उन्होंने यह कहा था कि कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनका मुकाबला क्यों नहीं करते, क्यों वहां पर आतंकवाद को नहीं रोकते और आज जब वहां पर जगमोहन को गवर्नर बनाकर भेजा गया और वह आतंकवाद को रोकता है, आतंकवाद को रोकने की कोशिश करता है तो उसको वापिस बुलाने की बात करते हैं। यह कांग्रेस की दोगली नीति मेरी समझ में कभी नहीं आई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक्शन लो, तुमने हिन्दुस्तान की डिगनिटी को खत्म कर दिया है। मैंने सारे हिन्दुस्तान में राजीव गांधी जी के भाषण सुने हैं, जो उन्होंने स्टेट्स असेंबलीज के इलेक्शन के दौरान दिए, उनका एक ही चार्ज था कि यह सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती, कश्मीर में लोगों को बचाती नहीं, पंजाब में लोग मर रहे हैं, कश्मीर में लोग मर रहे हैं, कोई कदम नहीं उठाती, यह निकम्मे लोग हैं। यही सब जगह उनका भाषण था। आज जब वहां पर एक्शन शुरू हुआ, तब यह उसकी निन्दा करने लगे। 8 मार्च को यहां से राजीव जी और देवीलाल जी श्रीनगर गए थे, ये सब लोग वहां पर शहर में नहीं जा सके थे, शहर में कोई कदम नहीं रख सकता था। आज उन सारे हालात के बाद कम से कम वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लेवा है, आफिसेस खुले हैं, सिवाए श्रीनगर के कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी जगहों पर करफ्यू नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने वह इंप्रूवमेंटस बताई थी जो वहां पर हुई है और उन्होंने कश्मीर को एक तरफ से हिन्दुस्तान के लिए बचाने का काम किया है और आज आप उनको वापिस बुलाने की बात करते हैं, क्या सिग्नल आप देना चाहते हैं, यह मैं जरूर जानना चाहता हूं। क्या आप वहां पर यह सिग्नल देना चाहते हैं कि आतंकवादियों की खुली छूट दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि आज यह मांग कौन लोग कर रहे हैं, दो व्यक्ति एक बेनजीर भुट्टो, जिनका टेप मैंने देखा है, जिसके अन्दर उन्होंने कहा है कि यह जगमोहन तो भागमोहन है, भाग जाएगा हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश जगमोहन को हटाने की है, एक ओर बेनजीर भुट्टो जगमोहन को हटाने की बात करती है और दूसरी ओर कांग्रेस भी यही बात कह रही है। (व्यवधान)

इस तरह से यह वहां पर टेररिस्ट की जुबान में जुबान मिलाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे जगमोहन को वापिस बुलाइए या न बुलाइए, पर मैं जानता हूं कि जिस दिन जगमोहन को गवर्नमेंट ने वापिस बुलाया तो उस दिन पाकिस्तान में घी के दीए जलाए जाएंगे, नेशनल कान्फ्रेंस खुशियां मनाएंगी, मुस्लिम लीग खुशियां मनाएगी और वहां पर जितने राष्ट्रवादी तत्व हैं, वे वहां पर पूरी तरह से डीमारलाइज हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई भी गवर्नर आप भेजिए, परन्तु 3-4 बातें पहले तय करिए। क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है। लगातार 10 साल राजीव गांधी कहते रहे कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है, पाकिस्तान साजिश कर रहा है, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है, अगर पाकिस्तान कश्मीर में साजिश कर रहा है, अगर वह कश्मीर को बंगलादेश बनाना चाहता है, जैसे आज से कुछ समय पहले भारत ने बंगलादेश को आजाद करवाया था, वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर में सोच रहा है, कश्मीर को बंगलादेश बनाना चाहता है, यह सच है या नहीं, पहला बेसिक और फण्डामेंटल सवाल यह है और इस पर बहस हो जानी चाहिए। अगर यह सत्य है कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है तो उस साजिश का मुकाबला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या पाकिस्तान आतंकवादी अड्डे चला रहा है या नहीं चला रहा। लगातार कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी कहते रहे कि पाकिस्तान आतंकवादी अड्डे चला रहा है, उनके पास प्रूफ हैं, वह साबित कर सकते हैं, दसियों बार उन्होंने इस बात को दोहराया। अगर पाकिस्तान आतंकवादी अड्डे चला रहा है और लोगों को कश्मीर में ट्रेंड करके भेज रहा है तो कश्मीर के बार्डर को सील करना है या नहीं? तीसरी बात क्या यह सच है या नहीं कि आतंकवादी पाकिस्तान से धन लेकर कश्मीर में आ रहे हैं और कश्मीरी जनता का एक हिस्सा पथभ्रष्ट हो गया है, गलतफहमी में पड़ गया है और वह "आजाद कश्मीर" का "पाकिस्तान जिन्दाबाद' का नारा लगता है। अगर ये तीनों बातें सत्य हैं और यह भी सत्य है कि इस समय कश्मीर में पूरा का पूरा प्रशासन खत्म हो गया है तो इसका मुकाबला कैसे होगा? क्या इसी तरह से मुकाबला होगा कि वहां पर जो कोई भी हिन्दुस्तान की ओथोरिटी है, उस ओथोरिटी को हर वक्त कंडम किया जाए, हर वक्त उसके खिलाफ वातावरण बनाया जाए, सिर्फ चन्द वोटों के लिए? अपनी वोटों की खातिर वहां पर कश्मीर के हिन्दुस्तान से अलग होने की दिशा में सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आतंकवादियों का मुकाबला करना है या नहीं? क्या इस देश लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य है या नहीं कि हम आतंकवादियों का मुकाबला करें या यह सिग्नल दें कि आतंकवाद को सहन न किया जाए? क्या यह सिग्नल दे या न दें कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले कश्मीर की धरती का एक इंच भी हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जा सकता है? हिन्दुस्तान में जब तक लोग जिन्दा हैं, कश्मीर हिन्दुस्तान से अलग नहीं हो सकता। जब यह तय है उसके लिए पाकिस्तान के जो एजेंट आ रहे हैं। हम यहां पर उनका मुकाबला कैसे करें? पाकिस्तान के जो एजेंट हिन्दुस्तान में आए हुए हैं उन्हें निकाला जाए या जगमोहन को, मैं इन्कार नहीं करता कि कश्मीर के अन्दर जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी तत्व हैं, जिनको 40 साल तक कांग्रेस ने निगलैक्ट किया और आज आप भी निगलैक्ट करने की गलती कर रहे हैं। जो वहां पर राष्ट्रवादी लोग हैं, हिन्दुस्तान से मिलना चाहते हैं, कश्मीर के अन्दर बहुत से मुसलमान भी हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। उनको अपने साथ रखने की जरूरत है। परन्तु बदकिस्मती यह है कि होम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा है कि हम ऐसे तत्वों की पहचान कर रहे हैं, आज उनकी पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है।

मैं सोज साहब, सन्तोष मोहन देव और कांग्रेस के लोगों से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि

हिन्दुस्तान अपनी अखण्डता की लड़ाई लड़ रहा है। हिन्दुस्तान में इस समय पाकिस्तान का हमला हो रहा है, पाकिस्तान हमारे ऊपर सीधा वार कर रहा है। लड़ाई के मोके पर, जब देश की अखण्डता दाव पर लगी हो, सुरक्षा दाव पर लगी हो, कश्मीर तथा देश के ऊपर खतरा सामने स्पष्ट हो, उस समय वोटों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। देश में मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स में प्रतिक्रिया है। साम्प्रदायिक मुसलमान की क्या मांग है। इन बातों का अगर आप विचार करेंगे तो देश का हित नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अनेक लोग प्राईवेट तौर पर जब मिलते हैं, बाहर मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं कि जगमोहन बिल्कुल ठीक कर रहा है, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है और यहां खड़े होकर दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सवाल को पार्टी का सवाल न बनाएं। हमने पार्टी का सवाल नहीं बनाया था। जब जगमोहन को भेजा गया तो मेरे मन में कई बार आया कि यही जगमोहन है जिसके साथ हमने लगातार लड़ाई की है। मेरे और खुराना साहब के खिलाफ जगमोहन की आखिर तक चुनाव लड़ाने की बात थी परन्तु हमने सोचा कि अगर कांग्रेस का आदमी भेजना चाहते हैं और कांग्रेस का आदमी जाकर पोजीशन ठीक कर सकता है तो हमें अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए और कश्मीर को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाए रखने के लिए कोई भी पग उठाने के उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जगमोहन के सम्बन्ध में उसे वापिस बुलाने के सम्बन्ध में दो तीन बातों का आप विचार कर लें। जगमोहन को इसलिए वापिस लाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि लोग एलीनेट हो रहे हैं। अभी सोज साहब ने कहा कि बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० से भी बड़े लोग एलीनेट हो रहे हैं। कल उनको वापिस बुलाया जाए। फिर हिन्दुस्तान की जो फौज वहां खड़ी है जिनको कहा जाता है "हिन्दुस्तानी कुत्तो वापिस जाओ" यह फौज हमें गुलाम बनाने के लिए रखी हुई है, फिर आप कहेंगे कि इस फौज को भी वापिस बुलाओ। क्योंकि यह फौज जो वहां पर रखी है वह वहां के लोगों को एलीनेट कर रही है। आखिर एलीनेशन की कोई लिमिट है। एलीनेशन की धमकी कब तक चलेगी? इसी धमकी के तहत क्या आप नहीं समझते हैं कि वहां पर जगमोहन को बुलाने के बाद अपनी सेना को भी बुलाने का सवाल उठेगा। यह सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। यहां पर आर्म्ड फोर्स, सुरक्षा बल और अर्ध-सुरक्षा बल ये सब इसके साथ इनवाल्वड हैं। जैसे मैंने पहले कहा किसी भी निर्दोष आदमी पर कोई जुल्म हो, उसकी निन्दा करिए जांच करिए, होम मिनिस्टर साहब ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनका आदेश है कि वहां पर मिनिमम फोर्स इस्तेमाल हो। जगमोहन के आर्डर गए हुए हैं कि वहां पर मिनिमम फोर्स इस्तेमाल हो। परन्तु उसके बाद इन सारी घटनाओं में से किसी एक इंसिडेंट को लेकर अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान के हाथ मजबूत होंगे। पाकिस्तान इन बयानों को कोट करता है और वह हमारे इन गलत बयानों को दुनिया के देशों में जाकर उनके सामने रखता है जिससे उनके सामने सही पिक्चर नहीं आती है। इसलिए देश के लिए, अपने भारत के लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इन बातों पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और पूरे देश के हित को विचार में रखकर अपने विचार प्रकट करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल हम इस पर विचार करेंगे । अब विधायी कार्य लिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब समझदारी की बात होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल चर्चा करेंगे । अब विधायी कार्य किया जाएगा । मद संख्या 16 और 17 दोनों को इकट्ठा लिया जाएगा जिसके लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है ।

6.26 म० प०

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

और

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि पुनरीक्षित कार्य सूची में दिया है मद संख्या 16 और 17 को एक साथ लिया जाएगा अतः मैं दोनों विधेयकों को सदन के विचारार्थ प्रस्तावित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जो दो विधेयक आज मैंने प्रस्तुत किए हैं वे नौवें वित्त आयोग के वर्ष 1990-95 के लिए द्वितीय प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर आधारित है । संविधान के अनुच्छेद 281 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिवेदन और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन 12 मार्च, 1990 को सभा पटल पर रखा गया था । संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अनुसार वित्त आयोग को निम्न-लिखित के सम्बन्ध में सिफारिश करनी होती है :

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के जो संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उनमें विभाजित किए जाते हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के अपने-अपने भाग के आबंटन के बारे में;

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान को शासित करने

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

वाले सिद्धान्तों के बारे में और राज्यों को राजस्व में से अनुदानों के रूप में दी गई सहायता जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत दी गई हो और उस अनुच्छेद के खण्ड (1) में दिए गए उद्देश्यों के अलावा हो; और

(ग) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि नौवां वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा 17 जून, 1987 के अपने आदेश के अन्तर्गत स्थापित किया गया था।

"वित्त आयोग को इसके अलावा निवेदन किया गया था कि वह अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व को राज्यों के बीच वितरण करने वाले सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन सुझाएं।"

जो दो विधेयक प्रस्तावित किए गए हैं वह नौवें वित्त आयोग के दूसरे प्रतिवेदन में संघ उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर लिए गए शासकीय निर्णय को संसदीय कानून के माध्यम से मूर्तरूप देने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रस्तावित दो विधेयकों में से प्रथम मूल उत्पाद-शुल्क के वितरण और आवंटन के सम्बन्ध में है। 1990-95 के पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पाद-शुल्क के आवंटन में प्रत्येक राज्य का भाग आयोग ने निर्धारित किया है। 1990-91 के दौरान 8589.65 करोड़ रुपए की राशि इस मद में अनुमानित है। दूसरा विधेयक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की निवल आय के वितरण के सम्बन्ध में है। राष्ट्रीय विकास परिषद के दिसम्बर, 1956 के निर्णय के अनुसरण में बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क 1957 में शुरू किया गया था। तब से केन्द्र द्वारा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाया और वसूला गया था और तीन वस्तुओं के ग्रुप-विशेष प्रकार के कपड़े, निर्मित तम्बाकू और चीनी (संघ क्षेत्रों के आय को छोड़कर) की निवल आय क्रमशः वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तरीकों के अनुसार राज्यों को वितरित की गई। अनुमान है कि 1990-91 में इस मद में राज्य सरकारों को 1598.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

मैं अपनी सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराता हूं कि हम केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों को सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं। ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हो।

मैं दोनों विधेयक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विचारार्थ इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने संशोधनों का नोटिस दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। दो विधेयक हैं। पहला विधेयक है—संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक। इसमें संशोधनों की सूचनाएं दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को उस पर 24 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 31 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक—प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 10 सदस्य हों, अर्थात् :

(1) श्री दिलीप सिंह भूरिया

(2) प्रो० मधु दण्डवते

(3) श्री सत्य नारायण जटिया

(4) श्री आर० जीवरत्नम

(5) श्री पी० आर० कुमारमंगलम

(6) श्री पीटर जी० मरबनियांग

(7) डा० पी० बल्लभ पेरुमाल

(8) श्री बनवारी लाल पुरोहित

(9) श्री के० डी० सुल्तानपुरी; और

(10) श्री लेइता अम्बरी

और उसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।" (4)

श्री पी० जी० चामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 3 सितम्बर, 1990 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (5)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 5 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) प्रो० मधु दण्डवते

(2) श्री मुरली देवरा

(3) श्री एडुआर्डो फैलीरो

(4) श्री अजीत पांजा; और

(5) श्री पी० आर० कुमारमंगलम

और उसे आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।" (6)

उपाध्यक्ष महोदय : अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक पर भी संशोधन की सूचनाएं दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को उस पर 24 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को उस पर 31 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक—प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 22 अक्तूबर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (4)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 3 सितम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (5)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक कठिनाई है। कुछ सदस्य पूरे विधेयक को प्रवर

समिति को सौंपे जाने के पक्ष में हैं। कुछ नामों का उल्लेख किया गया है। नियमों में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि प्रवर समिति के लिए सदस्यों का नाम प्रस्तावित करने से पूर्व सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

श्री हरीश रावत : हमने सहमति ले ली है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सहमति नहीं दी है।

श्री हरीश रावत : आपकी सहमति आवश्यक नहीं है। आपकी सहमति मान ली गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपने मित्र को नाराज नहीं करना चाहता।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सकता। मेरे पास कौल-शकधर की प्रक्रिया सम्बन्धी पुस्तक है। पृष्ठ 476 पैरा 1 में यह दिया है :

> "जिन सदस्यों के नाम, किसी विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति में शामिल किए जाते हैं, उनकी स्वीकृति के बारे में यह नहीं समझ लिया जाता कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है बल्कि प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है।"

अत: किसी बात को मानकर नहीं चला जा सकता। क्योंकि उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अत: प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो कुछ वित्त मन्त्री ने कहा है, सही है।

श्री हरीश रावत : यह प्रस्ताव से ही स्पष्ट है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालना चाहता और यदि यह पारित हो जाए, तो मैं अपनी सहमति देता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपस में ही उन्होंने समस्या का समाधान कर लिया है। मन्त्री महोदय ने सदन में अपनी सहमति दी है। यदि कोई सदस्य इस समिति की सदस्यता का इच्छुक नहीं है, तो उसका नाम छोड़ा जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह मूलभूत मुद्दा है। बिना सहमति को प्राप्त किए नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसे बाद में प्राप्त कर लिया जाए क्योंकि बाद में कोई यह कह दे कि वह ऐसा नहीं करेंगे। अत: ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नाम को प्रस्ताव करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका यह अर्थ है कि प्रस्ताव किया ही नहीं जा सकता ?

श्री हरीश रावत : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सदस्यों की पूर्व सहमति ले ली है। वित्त मन्त्री होने के कारण प्रो० मधु दण्डवते समिति में रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है। चर्चा आरम्भ की जाए। श्री अजीत पांजा···

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, अब क्योंकि दो विधेयक इकट्ठे

विचार के लिए लिए गए हैं, उनके विषय भिन्न होने के कारण, मैं पहले प्रथम विधेयक पर बोलूंगा, वह है केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1990।

देखने पर यह बहुत सरल और राज्यों को प्रोत्साहन देने वाला लगता है। वित्त आयोग की 29 जुलाई, 1988 की प्रथम रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड में यह प्रावधान है कि बंटवारे योग्य उत्पाद-शुल्क की कुल आय का 40 प्रतिशत भाग, इसके द्वारा प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा।

दूसरी रिपोर्ट जिसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि बंटवारे योग्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की कुल वार्षिक आय का 45% के बराबर राशि का भुगतान राज्यों को किया जाए।

अतः, जैसा मैंने कहा है, देखने पर ऐसे लगता है कि मानो राज्यों को 5% ज्यादा मिलने जा रहा हो। श्री रावत ने मेरी सलाह से अपना संशोधन रखा है। नवें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट के तहत जो फार्मूला अपनाया गया था, लगता है कि उसे त्याग दिया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो फार्मूला अपनाया गया था और बड़ी सावधानी से—इसी कारण सरकार ने इतनी जल्दी कार्य किया—वह यह है कि जिन राज्यों में घाटे का बजट नहीं है उन्हें इस हिस्सेदारी का लाभ नहीं मिलेगा।

अब पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें, तो इसने लगातार तीन शून्य बजट प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इस फार्मूले के अनुसार, क्योंकि यहां कोई घाटे का बजट नहीं है, अतः हिस्सेदारी इस फार्मूले के अन्तर्गत नहीं आएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने राजस्व घाटे का उल्लेख किया है, कुछ घाटे का नहीं।

श्री अजीत पांजा : पहले मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। जो भी आप कहना चाहते हैं बाद में कहिएगा। मैं सोचता हूं कि प्रो० मधु दण्डवते मन्त्री हैं हालांकि आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि गरीबी अनुपात पर विचार किया गया था क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है अपितु एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें गरीब लोग भी उत्पाद-शुल्क देते हैं। एक ऐसे गांव में जहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर एक व्यक्ति एक माचिस खरीदने जाता है जोकि एक जरूरी चीज है या एक मोमबत्ती या एक छोटी-सी चीज खरीदने जाता है, तो वह इससे प्रभावित होता है।

दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया है :

> "उपलब्ध आंकड़ों के समुचित रूप में न होने के कारण हम गरीबी अनुपात को छोड़ रहे हैं।"

अतः गरीबी अनुपात के आधार पर वितरण को उपलब्ध आंकड़ों में कमी को देखते हुए छोड़ दिया गया। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? यह सरकार है उनका सांख्यिकी विभाग है जिन्हें आंकड़ों को अद्यतन दुरुस्त रखना होता है। प्रक्रिया पूर्ण है और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रो० प्रशान्त महालानोबिस का 'सैम्पल डाटा' का सिद्धांत उपलब्ध है। जब गरीबी अनुपात को त्याग दिया गया तो

अधिकांश जनता ज्यादा उत्पाद-शुल्क देती है, हालांकि वह एक बहुत छोटी राशि है। किन्तु जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसे दे रहा है। इसीलिए हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं। गरीबी की अपेक्षा आप पिछड़ेपन का मापदण्ड ले रहे हैं। यह कैसा पिछड़ापन है? क्या उद्योगविहीन क्षेत्र पिछड़ेपन का मापदण्ड है? यदि गरीब जनता पर विचार नहीं किया जाता, यदि उनकी दैनिक खपत पर विचार नहीं किया जाता कि उनका दैनिक व्यय स्तर क्या है—कुल 80 करोड़ की जनसंख्या में से 30 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं—तो उत्पाद-शुल्क के संग्रहण और वितरण का आधार ही नहीं रहता हालांकि उन्हें उत्पाद-शुल्क देना पड़ता है। ऐसी कोई छूट नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उत्पाद-शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अतः, पूरा आधार ही गलत है। अतः मैं यह कहता हूं कि जनमत जानने के लिए कि क्या इसका आधार सही है इसे लोगों के समक्ष लाना होगा।

नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में—(प्रथम रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा नहीं किया) जब 18 दिसम्बर को नई सरकार सत्ता में आई, तब दूसरी रिपोर्ट उनके पास थी—उन्होंने पूरा मापदण्ड बदल दिया जिससे यह हुआ कि ऐसे राज्य जिनमें गरीबी रेखा से नीचे ज्यादा लोग थे, वे कष्ट भुगतते रहेंगे हालांकि वे लोग विभिन्न वस्तुओं पर लगा उत्पाद-शुल्क देने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है जो कि मूल प्रश्न है। एक जनगणना हुई थी। पिछले आयोग की रिपोर्ट में 1981 की जनसंख्या के आंकड़े लिए गए थे, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं और मैंने इसके लिए बहस की थी कि जनसंख्या में आंकड़े आवंटन करते समय नहीं लेने चाहिए।

दूसरी ओर, हम राज्यों से कह रहे हैं कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम जारी रखें, इस पर काफी ज्यादा राशि खर्च करें ताकि परिवार नियोजन हो सके, अर्थात् परिवार की सीमा छोटी होनी चाहिए। दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि यदि ज्यादा जनसंख्या होती है तो उत्पाद शुल्क भी ज्यादा होगा। यह बिलकुल गलत है। महोदय, ऐसा क्यों है कि नवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में, 1971 जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं, 1981 में आंकड़े नहीं लिए जाते जबकि वे जनगणना विभाग के पास उपलब्ध हैं? 1971 की जनगणना के आंकड़े क्यों लिए गए? उसके लिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसी तरह आप सिफारिश करते हैं कि 1990-95 के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल आय में 45 प्रतिशत का राज्यों के बीच वितरण निम्न तरीके से होना चाहिए: 1971 की जनगणना के आधार पर 25 प्रतिशत राज्यों में बांट देना चाहिए। आठवें वित्त आयोग और नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भी इसे 1981 की जनसंख्या के आधार पर क्यों लिया गया? इसके लिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सरकार कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देती कि जबकि नवीनतम जनगणना आंकड़े उपलब्ध थे तो उन्होंने उसे विधेयक में क्यों नहीं लिया। 1991 में एक और जनगणना होने जा रही है। अब, जनसंख्या के आंकड़े गलत हैं, और गरीबी स्तर अनुपात पर विचार नहीं किया गया। अतः सारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हालांकि गणितीय रूप से कहा गया है—प्रो० दण्डवते बधाई के पात्र होंगे—कि यह 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक बढ़ गया है, नवें वित्त आयोग ने शब्दों की हेराफेरी से और मूल आधार को बदल कर, ऐसे राज्यों की जनता, जो बहुत गरीब हैं, के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यह निरर्थक होगा क्योंकि 1971 के आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने 1971 की जनगणना के आंकड़ों को वितरण के लिए लिया है और 1981 की जनगणना आंकड़ों की संग्रह के लिए लिया है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो सभी को देना होता है जब वे कोई भी वस्तु खरीदते हैं जिस पर

यह लगा होता है, जिसमें गरीब और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग भी आते हैं। यह आयकर की तरह नहीं है जोकि एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर के बारे में, कानून बहुत स्पष्ट है कि कुल आयकर में से राज्यों को कितनी राशि मिलेगी।

इसलिए, एक तरह से आप राज्यों का बिक्री कर उनसे ले रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम आपको यह दे रहे हैं। किन्तु किस आधार पर? गरीबी के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर। पिछड़ेपन की कोई परिभाषा नहीं है। हम नहीं जानते कि यह जिले का पिछड़ापन है या खंड का पिछड़ापन है या जनसंख्या का पिछड़ापन है या राज्य का पिछड़ापन है। यह कैसे बांटा जाएगा? यह बहुत मुश्किलें पैदा करेगी। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश को लाभ देने की अपेक्षा असमान वितरण होगा। असमान लोगों को एक जैसा माना जाएगा और समान लोगों से एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है। इसकी यह स्थिति होगी।

जहां तक अगले अधिनियम का सम्बन्ध है, क्योंकि यह भी साथ ही लिया जा रहा है, मैंने रिपोर्ट देखी है—नवें वित्त आयोग की पहली बैठक का मापदण्ड—जब राजीव गांधी की सरकार थी। 18 दिसम्बर को, जब नई सरकार सत्ता में आई थी, तब पूरे फार्मूले को बदल दिया गया। यदि आप इसका ब्यौरा देखें और इसे ध्यान से पढ़ें, यह दिखाया जा रहा है कि हम राज्यों को ज्यादा दे रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर, फार्मूला बदल देने से, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जनता को तकलीफ होंगी।

जहां तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, नवें वित्त आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट 29 जुलाई, 1988 को तैयार की गई थी जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि उक्त माल के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के राज्यों के हिस्से को राज्य घरेलू उत्पाद और जनसंख्या को समान महत्व देते हुए बांटा जाना चाहिए। उक्त आयोग ने राज्यों को कितना प्रतिशत भाग दिया जाए इस निष्कर्ष तक पहुंचने में वर्ष 1982-83 से 1984-85 के लिए राज्यों के औसतन राज्य घरेलू उत्पाद और 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को अपनाया है।

18 दिसम्बर 1989 की 1990-95 की अवधि की द्वितीय रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि उक्त वस्तुओं के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से को राज्य घरेलू उत्पाद और जनसंख्या को समान महत्व देते हुए वितरित किया जाए। उन्होंने तीन सालों 1982-83 से 1984-85 के औसत राज्य घरेलू उत्पादों और 1981 की जनसंख्या के तुलनीय अनुमानों के नए क्रम का प्रयोग किया है। प्रश्न वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का है। हम 1981 की जनसंख्या के अनुसार चलेंगे। कृपया उसे देखें। और जब वितरण का सवाल आता है वे 1971 के अनुसार चलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है राज्यों के साथ धोखा और छल। जब संग्रहण का सवाल होता है, तब 1981 की जनगणना लेते हैं क्योंकि तब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग चीज खरीदते हैं, इसलिए, कर ज्यादा इकट्ठा होगा। जब उसी का वितरण करते हैं तो 1971 को आधार मानते हैं। यह सरकार द्वारा लाए कानून के साथ एक कपट है। मैंने पुस्तकालय और शोध विभाग में से आंकड़े लेने की कोशिश की। एक वित्तीय कानून में, सिर्फ एक साल में ही नहीं, किसी भी सरकार द्वारा यही किया गया था कि जब कर लेने का समय हो तो, हम 1981 के उपलब्ध जनगणना आंकड़ों को लेंगे किन्तु जब वितरण किया जाए तो हम 1971 को आधार मान लेते हैं। ज्यादा लोगों से, ज्यादा इकट्ठा करों, ज्यादा रखो किन्तु जब वितरण हो तो आप इसे कम लोगों को दें। इस प्रकार वे अपने खुली-सरकार के सिद्धांत का मूल्य आधारित सरकार के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, और यह दिखाने की

कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वे इस प्रकार का लोकतांत्रिक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि राज्यों की पहले शासन की अपेक्षा बेहतर ढंग से देखभाल हो। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता क्योंकि नवें वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

आंकड़ों का उपलब्ध न होना इसका कारण नहीं हो सकता। मुझे इसका कोई कारण नहीं पता चल सका। क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने इसे राज्य सरकार को पुनर्विचार के लिए भेजा है। क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि वे इसमें विलम्ब करना चाहते हैं। इस सरकार के पास समय है। इन आकड़ों को योजना आयोग से प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। यह आंकड़े हर समय उपलब्ध हैं। इन्हें अद्यतन नहीं बनाया गया। जो विकास हो रहा है उसके अनुसार इसे अद्यतन बनाया जा सकता है। विभिन्न मानदण्डों को आधार मानकर एक फार्मूला बनाया जा सकता है और 18 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार इसको गुणा करने से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। परन्तु इस सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा गया। यह सिद्धांत बहुत समय पहले प्रो० महालानोबिस द्वारा दिया गया था और किसी कारण से लिया गया सैम्पल पुराना पड़ गया है तो इसे अद्यतन बनाया जाना चाहिए। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा इसे अद्यतन बनाया जा सकता है। राज्यों के साथ धोखा करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। दूसरे, दूसरी रिपोर्ट इस तरह से आरम्भ होती है, दूसरे वित्त आयोग से लेकर अब तक गठित सभी वित्त आयोगों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व के परस्पर वितरण के सिद्धांतों के आधार पर सुझाव देने के लिए कहा गया था—(मैंने इसे 'ए' की संज्ञा दी है)—इस विषय में विचारार्थ विषय के पैरा संख्या 5(ए) के अनुसार हमें सुझाव प्रस्तुत करने हैं। पैरा 7 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को मूल उत्पाद शुल्क में जोड़ने के सम्बन्ध में भी सुझाव मांगे गए हैं। (जिसे मैं 'बी' पुकारूंगा) इसके अतिरिक्त इसी पैरा में हमसे यह अपेक्षा की गई है कि हम एक ऐसा फार्मूला तैयार करें जिसके द्वारा तीन वस्तुओं के वर्ग से विलय के उपरांत उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व के एक भाग को राज्यों में वितरित किया जा सके।" जहां तक विलय का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह कहा गया : "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के मूल उत्पाद शुल्क में विलय की बात दिसम्बर, 1989 के दीर्घकालीन आर्थिक नीति सम्बन्धी दस्तावेजों में कही गई थी। वर्तमान प्रधानमन्त्री दिसम्बर, 1989 की इस दीर्घकालीन आर्थिक नीति के जन्मदाता हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नवें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने इसे वित्त आयोग की दूसरी बैठक में प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि एक तो उन्हें न तो पर्याप्त आंकड़े ही प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे कुछ राज्यों से इसका विरोध हो रहा है और सभी राज्यों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श नहीं किया गया है। नई सरकार 18 दिसम्बर, 1989 को सत्ता में आई। यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री इस दीर्घकालीन आर्थिक नीति के जन्मदाता हैं यो भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में एक ही पंक्ति में यह कह दिया गया है कि विलय अब आवश्यक नहीं। इसलिए अब हम विलय नहीं कर रहे हैं। मैं उस वाक्य को पढ़ रहा हूं।" यदि आप समूची स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे तो राज्यों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं किया जा सकता। 18 दिसम्बर, 1989 की दूसरी रिपोर्ट के पैरा 8.4 में कहा गया है कि, "विलय का विरोध अधिकतर उस तरीके के कारण हुआ जिससे पिछले समय में कर वसूली व्यवस्था को लागू किया गया।" फिर पैरा 8.7 में कहा गया कि, "इसलिए, हम अतिरिक्त उत्पाद कर तथा मूल उत्पाद कर के विलय का सुझाव नहीं देते।" इसलिए, दीर्घकालीन आर्थिक नीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि वित्त विधेयक राज्यों को न केवल करों को वसूल करने में बल्कि उनके वितरण में भी वितरण सम्बन्धी न्याय उपलब्ध करा देगा। उन में से एक मुद्दा यह है कि विलय को

अजबिदा कहा जा रहा है। और यह सब कुछ अंकगणित के आंकड़ों को आधार बनाकर कर दिया गया है कि अब वे 40 प्रतिशत की बजाय राज्यों को 45 प्रतिशत उपलब्ध करवाएंगे। सभी यह सोच कर प्रसन्न हैं कि उसे अधिक प्राप्त होगा। परन्तु किस प्रावधान के अन्तर्गत हमें अधिक प्राप्त होगा ? यह सब किस आधार पर किया गया है ? इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया गया है। जहां तक इस विधेयक के मुद्दों का सम्बन्ध है, विलय के प्रश्न को उन्होंने दूसरी बैठक तक स्थगित किया है। अतिरिक्त उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व के वितरण का प्रबन्ध हो गया है। यह दो विधेयक जनसंख्या तथा तथाकथित गरीबी और गरीब लोगों पर आधारित हैं। परन्तु उस आधार को यह कह कर नकार दिया गया है कि कर वसूलते समय 1981 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा और इससे प्राप्त राजस्व के वितरण के समय 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। जहां तक राज्यों की आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है, इससे उसको गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परन्तु यदि इसे अगस्त महीने तक लोगों के विचार जानने के लिए टाल दिया जाता है अथवा इसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है जिसकी अध्यक्षता हमारे वित्त मन्त्री प्रो० मधु दण्डवते कह रहे हों तो हम यह जान सकते हैं कि यह सब इस तरीके से क्या किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक्साइज ड्यूटी और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो दो एमेण्डमैण्ट बिल्स हैं, उनके बारे में मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं।

मुख्यत: मुझे पहली बात यह कहनी चाहिए कि पांजा जी ने बताया कि नई गवर्नमेण्ट और पुरानी गवर्नमेण्ट की बात है, मुझे तो लगता है, पांजा जी, इसमें नई गवर्नमेण्ट और पुरानी गवर्नमेण्ट की कोई बात नहीं है। फाइनेंस कमीशन तो पुरानी गवर्नमेण्ट ने ही नियुक्त किया था और उसमें वही पर्सोनल थे, उसमें कोई बदल नहीं हुआ और उनकी ही रिपोर्ट है और पुराने पन्त प्रधान और नए पन्त प्रधान का भी इसमें कोई बतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।

लेकिन इसमें दो महत्व के मुद्दे मुझे सामने रखने हैं जिसके कारण मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि यह जो बिल है, वह पब्लिक ओपीनियन सोलिसिट करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा पहला कहना यह है कि यह पांच साल के लिए किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है और पांच के लिए यह जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वह पहले की सरकार की आम आर्थिक नीति के आधार पर किया हुआ है। अब नई सरकार आई है, नये लोक सभा के सदस्य चुनकर आये हैं और लोगों की भी नई अपेक्षाएं हैं और इसलिए जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट पर इस लोक सभा में बहस होना जरूरी है। आम जनता की भी इस बारे में क्या राय है वह भी जानना आवश्यक है। मेरी एक बात को आप सुनिए। आज ख्याल में आ रही है, कि इसके पहले तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर, मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, पहले बहस होती ही नहीं थी लेकिन एथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई और उस रिपोर्ट में बहस में पहला जो भाषण किया है वह प्राध्यापक मधु दण्डवते जी ने किया था लगभग 8 और 9-10-1984 को वह चर्चा हुई और 12 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। उसमें आज की सभागृह के जो सदस्य हैं वह सोमनाथ चटर्जी हैं, वाई० एस० महाजन हैं, गीता मुकर्जी हैं, उन्नीकृष्णन हैं, चित्त बसु हैं, ऐसे कई लोगों ने इसमें भाग लिया और मुझे मेरे विचार रखने का प्रारम्भ करते समय पहली

बात यह कहनी है कि यह जो वित्त आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आयी है, उस पर इस सभागृह में बहस होनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों को मौका मिलना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे बड़ी खुशी है कि हम जो बोलते हैं तो उसको पढ़ने वाले भी हैं।

श्री राम नाईक : और मुझे भी इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री मुझे रैस्पोन्ड कर रहे हैं तो हमारी जो मांग है, जिस डिबेट की चर्चा उन्होंने गए समय पर की थी तो उस डिबेट का मौका इस समय पर हमको देंगे, इस प्रकार की आशा मैं रखता हूं। इसी संदर्भ में जैसे हमारे विचार आने चाहिए तो लोगों के विचार भी आने चाहिए और इसलिए एक पब्लिक ओपीनियन सोलिसिट करने के लिए यह दोनों विधेयक देने चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

अब इस कमीशन ने दो रिपोर्ट दी हैं, पहली और दूसरी रिपोर्ट। इसमें मुझे यह दिखाई दे रहा है कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में कुछ बेलेंस बराबर नहीं रहा। एक उदाहरण मैं पश्चिम बंगाल के बारे में देना चाहता हूं और एक मैं जिस महाराष्ट्र प्रदेश से आता हूं उसकी हमारी मुम्बई नगरी के बारे में है। पहली, अन्तरिम रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा था कि मुम्बई और कलकत्ता दो बड़े शहर हैं, देश के सभी प्रदेशों के लोग वहां आते हैं और वहां स्लम डवलपमेण्ट के बारे में एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए दोनों शहरों की समस्याएं सुलझाने के लिए 50 करोड़ से एक स्पेशल ग्राण्ट उन्होंने पहली रिपोर्ट में दी और स्टेट को यह भी कहा कि उन्हें मैचिंग ग्राण्ट देनी चाहिए। इस प्रकार 100 करोड़ रुपए मुम्बई शहर के लिए और कलकत्ता शहर के विकास के लिए काम में आयेंगे। अब यह जो दूसरी रिपोर्ट आई है, सारी समस्याएं वैसी की वैसी हैं लेकिन दूसरी रिपोर्ट में मुम्बई शहर को या कलकत्ता शहर को यह बदल की ग्राण्ट देने की कोई बात नहीं की है तो मुझे यह पूछना है कि इस प्रकार कैसे हो गया। यानी अन्तरिम रिपोर्ट में 50 करोड़ दिए जाते हैं और अन्तिम रिपोर्ट में इस प्रकार से कोई ग्राण्ट नहीं दी जाती है, समस्याएं वैसी की वैसी हैं। मैं मुम्बई शहर के बारे में चर्चा कर सकता हूं, रेल के बारे में चर्चा कर सकता हूं, मेरे क्षेत्र के बारे में कि 20 किलोमीटर मुम्बई शहर का अंधेरी से जोगेश्वरी तक का क्षेत्र है जिसमें 25 लाख लोग रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेल्वे लाइन क्रास करने के लिए एक भी फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं है, ऐसी मुम्बई शहर में कई समस्याएं हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि पहले कमीशन ने जिस प्रकार पहली रिपोर्ट में 50 करोड़ दिये थे तो हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी यह निवेदन किया था और इसमें सारे महाराष्ट्र का एकमत था।

7.00 प० प०

कम से कम मुम्बई शहर की समस्या को हल करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट इस प्रकार से दी जाए तो मुम्बई के सवाल को समाप्त किया जा सकता है। मुम्बई और कलकत्ता ये दोनों शहर देश को लगभग 80 परसेंट इनकम टैक्स और एक्साईज देते हैं। ये दोनों शहर दुधारू गाय जैसे हैं। दुधारू गाय को आप खाना तो खिलाओ। अगर आप उसे खाना नहीं देंगे तो वह कैसे दूध देगी ? मुम्बई जैसे शहर को एक हजार करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

फाइनेंस कमीशन ने जिस प्रकार की ग्रांट का सुझाव दिया है, ग्रांट का वह सुझाव दूसरी रिपोर्ट के पेज 89 पर है। उसमें उन्होंने टेबल चार में दिया है। उसमें उन्होंने चार प्रदेशों को एक रुपए की भी ग्रांट नहीं दिखायी है। ये चार प्रदेश हैं—महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात। इन चारों

प्रदेशों में डेफिसिट नहीं है क्योंकि वे अपनी आय में अपना काम चलाते हैं और नये टेक्सिज लगते हैं। जो प्रदेश फाइनेंशल डिसीप्लीन रखते हैं, अपने यहां डेफिसिट नहीं होने देते, ऐसे प्रदेशों को फाइनेंशल डिसीप्लीन रखने के लिए आप पनिशमेंट दें, इसका कारण मैं नहीं समझता। इस प्रकार की जो रिकमण्डेशन है वह अन्याय है। उत्तर प्रदेश से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कारण महाराष्ट्र को कुछ नहीं, कर्नाटक को कुछ नहीं, हरियाणा को कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश को 3,235 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गयी है। यह घोर अन्याय है। ये सारी विसंगतियां हैं जिनका उल्लेख आपने भी किया है। 1971 के सेन्सस के आधार पर ये सारी विसंगतियां दूर करने के लिए इस सदन की क्या राय है, यह जानने के लिए इस रिपोर्ट पर यहां चर्चा होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

यह जो डिस्ट्रीब्युशन किया गया है उसमें ऐसे कोई तत्व नहीं दिखायी देते। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। ऐसे उदाहरण अन्य प्रदेशों के भी मिल सकते हैं। मैंने तुलना करने की कोशिश की है। सेवंथ और एठथ फाइनेंस कमीशन के अंदर इनकम टैक्स का डिस्ट्रीब्युशन 11.5 को कम करते-करते नाईन्थ फाइनेंस कमीशन ने 8.19 कर दिया। महाराष्ट्र का 3.31 परसेंट कम कर दिया। सिक्सथ फाइनेंस कमीशन का एक्साइज ड्यूटी 8.68 से कम करते-करते 5.18 पर ले आए। यहां पर 3.40 परसेंट एक्साईज के बारे में महाराष्ट्र का कम कर दिया गया। इसी प्रकार से अन्य के बारे में भी दिखाई देता है। ये जो डिस्ट्रीब्युशन करने का प्रिंसिपल अपनाया है यह प्रिंसिपल फाइनेंशल डिसीप्लीन रखने वाले प्रदेशों के साथ अन्याय करने वाला है। इसलिए इसके सम्बन्ध में खुलासा करने की आवश्यकता है।

यह जो सारा आर्थिक व्यवहार है। जिसका उल्लेख मैंने गत दिसम्बर में किया था कि स्माल स्केल सेक्टिंग के बारे में कुछ परसेन्टेज प्रोविडेन्ट फंड का प्रदेश को मिलता है। केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया, उसके कारण सेवंथ फाईव ईयर प्लान में महाराष्ट्र को 1,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैंने उस समय बहस की तो वित्त मंत्री जी ने बताया कि इसमें यह कैसे हुआ और इसमें आगे कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में सदन को बताया जाएगा। मैं मानता हूं कि दंडवते जी के पास काफी काम है लेकिन इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गयी है। जिसके कारण महाराष्ट्र के ऊपर इस प्रकार का अन्याय लगातार होता रहा है। यह अन्याय बराबर चल रहा है।

ये सारी बातें हैं। इन बिलों का तो हम समर्थन करेंगे और मंजूर करेंगे लेकिन इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि यह जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बहस की परमीशन दी जानी चाहिए। दूसरे मुम्बई शहर को एक हजार करोड़ रुपए आने वाले प्लान में देने की चेष्टा करें। इसके बारे में सरकार क्या विचार करती है यह बताया जाना चाहिए। जो स्टेट फाइनेंशल डिसीप्लीन रखते हैं उनको उसके कारण पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इन बातों को कहता हुआ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं और अपेक्षा रखता हूं मंत्री जी मेरी बातों का उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट के सुझावों में परिवर्तन तथा सरकार द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के पश्चात्, यह संशोधन आवश्यक हो गए हैं। इन संशोधनों के पश्चात् राज्यों के हिस्से में वृद्धि हो गई है। उत्पाद कर के रूप में प्राप्त राजस्व के वितरण के आधार में भी परिवर्तन हुआ है।

जहां तक मेरे राज्य पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इस बात से प्रसन्न है कि उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व में उसके हिस्से में बढ़ोतरी हुई है यद्यपि यह बहुत कम है। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री पांजा पश्चिम बंगाल के लिए आंसू बहा रहे हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने इस राज्य के सुदृढ़ केन्द्र बनाने के तर्क के आधार पर वंचित रखा।

महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्र द्वारा देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। 1975 तक इस सूची के अन्तर्गत 67 वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। उस वर्ष के बजट में शुल्क मद 68 को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत उन वस्तुओं को लाया गया जो इस सूची में नहीं आती हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून 1985 की अनुसूची में 96 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को शीर्षक और उपशीर्षक में विभाजित किया गया है। उस साल के पश्चात् देश में उत्पादित प्रत्येक वस्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत आ गई है। इसलिए उत्पाद शुल्क प्रणाली पर चर्चा करना कभी न समाप्त होने वाला खेल बन गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व को बांटने की कोई संवैधानिक बाध्यता केन्द्रीय सरकार पर नहीं है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी संसाधनों की मात्रा तथा उनके वितरण के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। राज्य सरकारें प्रत्येक वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् और अधिक राशि और हिस्से की मांग करती रही हैं। इसे दो तरीकों से बढ़ाया गया है। आय कर के सम्बन्ध में इसे आय कर के अनुपात में बढ़ोत्तरी करके बढ़ाया गया है। उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में इसे उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं को लाकर बढ़ाया गया है।

जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उत्पाद शुल्क के वितरणयोग्य पूल में विशेष उत्पाद शुल्क के साथ-साथ सभी प्रकार के उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होना चाहिए, परन्तु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व तथा निर्धारित उपकर इसमें सम्मिलित नहीं होने चाहिए। परन्तु यहां पर स्थापित सिद्धांत से मुंह मोड़ा गया है। अब सारे के सारे उत्पाद शुल्क के 45 प्रतिशत धन को संचित धन माना जायेगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या गरीबी को भी कोई महत्व दिया गया है। तथ्य यह है कि नवें वित्त आयोग ने कहा है कि आयकर के वितरण में गरीबी के स्तर को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक राज्य की आय को ध्यान में रखा गया है। इसलिए, उन्होंने अब अपना निर्णय बदल दिया है और प्रथम रिपोर्ट में अपनाए गए मानदण्डों पर ही अपनी नई सिफारिशों को आधारित किया है, अर्थात् 1971 की जनसंख्या, आय-समायोजित जनसंख्या, तथा पिछड़ेपन की अनुक्रमणिक। 1982-83 से लेकर 1984-85 के तीन वर्षों की प्रति व्यक्ति आय के अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य अर्थात् पंजाब से अन्तर को आधार बनाकर पिछड़ेपन को निर्धारित किया गया है। इसलिए यह बात सही नहीं है कि राज्यों के घाटे और गरीबी के स्तर को ध्यान में नहीं रखा गया है।

दूसरे मामलों में गरीबी के मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा गया है। फिर भी मेरे विचार में राज्यों में उनका हिस्सा वितरित करते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस धन पर राज्य सरकारों की निर्भरता कम की जा सके।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के मामले में, किसी विश्वसनीय घरेलू उत्पादन के आंकड़ों के अभाव में, चौथा वित्त आयोग एस० डी० पी० के 1982-83 से 1984-85 तक पिछले तीन साल के तुलनात्मक

औसत अनुमानों तथा 1981 की जनगणना रिपोर्ट से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी पर निर्भर रहा। अब प्रश्न यह है कि राज्यों का हिस्सा बढ़ गया है। अभी भी राज्य अधिक धन की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे कमजोर हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राज्यों को और अधिक धन मांगने का कोई शौक नहीं है बल्कि अधिकतर राज्य संसाधनों के अभाव के कारण कल्याणकारी योजनाएं अपनाने तथा दूसरी आर्थिक जिम्मेवारियों को निभाने में अपने आपको अक्षम महसूस करते हैं। इसलिए राज्यों को और अधिक राशि उपलब्ध की जानी चाहिए।

पहले वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

> "वित्तीय सहायता प्रदान करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसी भावना पैदा न हो कि वर्ष प्रतिवर्ष राज्यों को अपने बजटों में सन्तुलित करने में मदद करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है।"

अब, प्रत्यक्ष रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु यदि हम इसमें गहराई से विचार करें तो ऐसा लगेगा, जैसे कोई मालिक अपने गुलाम से बात कर रहा है—अपने हाथ में लोहे की छड़ के साथ मालिक अपने गुलामों से कह रहा है : 'एक हो जाओ, एक हो जाओ', जिसका वास्तव में अर्थ है, 'अलग हो जाओ, अलग हो जाओ।' ऐसी स्थिति अधिक देर तक नहीं चल सकती।

उत्पाद का अतिरिक्त कर लगाने की वर्तमान प्रक्रिया कर-किराया व्यवस्था के रूप में है। इस कर-किराया व्यवस्था के बारे में करीब-करीब सभी राज्यों ने आलोचना की है। अतिरिक्त करों के सम्बन्ध में, वर्ष 1972 में एक आश्वासन दिया गया था कि इसे बढ़ाकर 108 प्रतिशत कर दिया जायेगा; किन्तु केवल 1990 में ही इसे 10.7 प्रतिशत किया गया है। इसकी प्रभाव-सीमा बढ़ाने में देर होने से राज्यों में शंका उत्पन्न हुई है; और यदि हम एक स्वस्थ केन्द्र राज्य सम्बन्ध चाहते हैं तो इस शंका को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैंने पहले ही कह दिया है कि इस वर्तमान वितरण व्यवस्था के पक्ष में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वह एक मजबूत केन्द्र के विकास के नाम पर दिए गए हैं, यद्यपि यह इस समय कर पर आधारित, यह राज्यों के लिए बहुत कठोर है। केन्द्र का हिस्सा अधिक है और राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनकी स्थिति हाथ में कटोरा लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाने वाली जैसी हो रही है। यह स्वस्थ स्थिति नहीं हैं। मजबूत केन्द्र, किसके लिए है? प्रान्तीयता से मुकाबला करने के लिए, क्षेत्रीयता से मुकाबला करने के लिए, अलगाववाद से मुकाबला करने के लिए? यदि ऐसा है तो हमारा अनुभव बताता है कि ये सभी असफल रहे हैं? और एक मजबूत केन्द्र, किसके विरुद्ध? पाकिस्तान के विरुद्ध, अमरीका के विरुद्ध या स्वयं भारत के लोगों के विरुद्ध?

अब इस तर्क का प्रयोग केवल हमारे संघीय ढांचे में भारत के लोगों और राज्यों को कमजोर करने के लिए ही किया गया है। संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से, हमें इस प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय शासन प्रणाली वास्तव में संघीय है अथवा अर्द्ध-संघीय। देश के राजनैतिक और आर्थिक एकीकरण में राज्यों का योगदान बहुत आवश्यक है। किन्तु उनका स्तर और महत्व कई रूपों में बहुत ही व्यवस्थित रूप से कम किया जा चुका है जो देश की एकता पर यह गलत विश्वास डालता है कि केन्द्र का आदेश ही राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित कर सकता है। जितनी जल्दी हम इस विश्वास को समाप्त कर दें, उतना ही अच्छा है।

वित्त आयोग को एक निष्पक्ष विशेषज्ञ निकाय होना चाहिए। किन्तु वित्त आयोग की निष्पक्षता को बनाए नहीं रखा गया है। यहां तक कि कभी-कभी वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन भी नहीं किया गया है। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वे कम से कम नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उसे लागू करने की इच्छुक है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज बिल और एडीशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज बिल दोनों पर जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक्साइज ड्यूटी उसी माल पर लगती है, फैक्टरी में जिसका उत्पादन होता है। नौवें वित्तीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 5 प्रतिशत वित्त आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए देने का प्रावधान किया था। उसको समाप्त करके पूरे का पूरा 45 प्रतिशत राज्य सरकारों को दे दिया जाए, यह प्रावधान अब किया गया है। प्राथमिक रिपोर्ट में 5 प्रतिशत रखने का प्रावधान था। मेरा कहने का मतलब यह है कि पांच प्रतिशत देने वाला जो प्रावधान था, इन्होंने क्यों उसको समाप्त कर दिया। जो राज्य वित्तीय आपात स्थिति से घिरे हुए हैं उनको 5 प्रतिशत देने का प्रावधान वित्तीय रूप से पिछड़े राज्यों की सहायता करने के लिए रखा जाना मेरी दृष्टि में माननीय मन्त्री जी अभी भी आवश्यक है। हो सकता है महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और पंजाब को इसकी आवश्यकता न हो। लेकिन मैं जिस पिछड़े प्रदेश का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वहां पर मैं समझता हूं इस सहायता की बहुत ही आवश्यकता है। राजस्थान की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

नौवें कमीशन ने जो रकम देने की रिपोर्ट दी थी उसे 1971 की जनसंख्या को आधार मान कर किया था। मेरा मतलब यह है कि नौवें कमीशन ने रकम देने का आधार 1971 माना है। इसको मान कर 1990 से 1995 तक के लिए यह राशि निर्धारित की है। मेरी आपसे सीधी मांग है कि 1971 को आधार न मान कर 1981 को जो जनगणना हुई थी, उसको आधार माना जाना चाहिए। मेरा एक तो यही विनम्र निवेदन है।

दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का औसत 1982-83, 1983-84 और 1984-85 तीन साल की आय से लें। इसके लिए भी जनसंख्या का आधार 1971 माना गया है। इसलिए मेरा दूसरा विनम्र निवेदन है कि प्रति व्यक्ति आय का औसत 1971 नहीं 1981 के आधार पर माना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक्साईज की रकम का निर्णय करने का अधिकार सीधे भारत सरकार को हो। इनकम टैक्स में इस प्रकार का नहीं, जो कुछ रकम बनेगी, वह देनी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मन्त्री जी से मेरी मांग है कि आपने उत्पादन और आबादी को आधार मान लिया है, परन्तु वह ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक्साईज राज्य देते हैं, इसमें एरिये को भी आधार मानना चाहिए। इसलिए मानना चाहिए क्योंकि राजस्थान मरुस्थली क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां पर लोग रहते नहीं हैं, आबादी नैचुरली कम होगी। इसलिए मरुस्थल के आधार को भी मानना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है। मान लो अगर एक कुआं खोदना है या पानी का

पाइप डालना है और पेयजल उपलब्ध कराना है तो कुआं खोदना पड़ेगा या हैंड पम्प लगाकर पानी पहुंचाना पड़ेगा, तो आबादी इतनी नहीं है पर खर्चा ज्यादा है। इसलिए राजस्थान की विशेष परिस्थिति पर ध्यान दिया जाये और चूंकि राजस्थान एक मरु प्रदेश है, वहां अकाल पड़ता है, पिछड़ापन है और आदिवासी अधिक रहते हैं और काफी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, आय के साधन नहीं हैं, पानी बिजली की कमी है, खरीफ का उत्पादन कम हुआ है अतः आपने जो 45 प्रतिशत का प्रावधान रखा है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन राजस्थान के लिए आप पांच प्रतिशत अलग से कोष बनाकर प्रावधान करें। कांग्रेस ने चालीस सालों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण करके उनका विकास नहीं किया और आपने भी आरक्षण की अवधि 10 साल और बढ़ा दी है तो मेरा आपसे निवेदन है और मैं आप से उम्मीद करता हूं कि नई सरकार पिछड़े प्रदेशों की उपेक्षा नहीं करेगी जैसी कि कांग्रेस पार्टी ने की है, और जो वित्तीय संकट वाले राज्य हैं उनको पांच प्रतिशत मदद दी जाये और उसमें राजस्थान का विशेष ध्यान रखा जाये।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी तम्बाकू, कपड़ा और चीनी पर लगती है सेल्स टैक्स की आय के बजाय। कमलापति त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया था कि सीमेंट, पेट्रोलियम पोडक्ट, वेजीटेबल आयल्स, पेपर व दवाइयां इन पांच पर ही सेल्स टैक्स खत्म करके अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा आज से 11 साल पहले जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने दवाइयां, वनस्पति, कागज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट व सीमेंट पर बिक्री कर समाप्त करके अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी। इसलिए तुरन्त बिक्री कर समाप्त करके अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा का जो स्वरूप है मैं समझता हूं कि यह जनता राज का स्वरूप है। इसलिए 11 साल पहले जो वायदे किये थे पार्टी ने उन सारे वायदों को नहीं भुलाना चाहिए और पांच वस्तुओं के अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किन-किन वस्तुओं पर सेल्स टैक्स के स्थान पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाये और वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे। चाहे हम हों या कांग्रेस पार्टी वाले हों, राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि बिक्री कर को खत्म करेंगे, हमने भी चुनाव में कहा था कि हम सेल्स टैक्स को खत्म करेंगे, अब व्यापारी तड़प रहे हैं। उस सब के आधार पर देश के लाखों व्यापारियों को इससे कठिनाई हो रही है और इसी बिक्री कर की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देश में महंगाई कम हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि भ्रष्टाचार को पनपाने वाला यह बिक्री कर ही है इसलिए इसको खत्म करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जिस समय वित्त मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था हम बिक्री कर को समाप्त करेंगे, क्योंकि बिक्री कर भ्रष्टाचार की जननी है कालेधन का कोष है। मैं समझता हूं कि सौभाग्य से वित्त मन्त्री आप बने गये और आपके स्थान पर वह देश के प्रधानमन्त्री बन गए इसलिए अपने वायदे को भी उन्हें पूरा करना चाहिए। इसके लिए विधि आयोग ने भी देश के सभी राज्यों के लिए आदर्श बिक्री कर कानून बनाना चाहिए उसके लिए एक प्रपत्र सभी राज्यों के विधि संस्थाओं को भेजा है। नौवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की रकम तय करने की व्यवस्था की है कि चीनी, तम्बाकू व कपड़ा की खपत के लिए विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किये जायें। एक्साइज ड्यूटी दी जाती है राज्यों को और वित्त मन्त्री जी की कठिनाई यह है कि राज्यों में इन तीन चीजों के आधार पर एक्साइज ड्यूटी लगती है जो वह नहीं दे रहे हैं। उनका कितना उत्पादन होता है, कितनी एकत्र आती है इन सारी बातों को वे नहीं बता रहे हैं और यही बहाने के कारण भारत सरकार उनको अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की रकम पूरी नहीं दे पा रही है। इसलिए नौवें वित्त आयोग ने कहा है कि

अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी रकम निश्चित करने में उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है कि चीनी, तम्बाकू और कपड़े की खपत के बारे में राज्यों से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होते। इसलिए वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर राज्य का प्रत्यक्ष कर तय कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राज्य वास्तव में तीन चीजों के खपत के आंकड़े भारत सरकार, सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको अधिक रकम दी जानी चाहिये और इसका आधार भी 1971 की जनसंख्या को माना जावे। अन्त में मेरी मांग है कि सभी वस्तुओं पर सेल्स टैक्स समाप्त करके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का हम प्रावधान करें। और जैसाकि श्री राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की थी और यह कहा था, साथ ही राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने भी चुनाव के समय अपने घोषणा-पत्र में कहा था, वह बात पूरी हो सके कि अतिरिक्त एक्साईज ड्यूटी उस पर लगा लें और सेल्स टैक्स खत्म कर दें। यही मेरी मांग है और यही मेरा सुझाव है।

श्री बाबू लाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, 9वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के मामले को लेकर जो संशोधन रखे गये है, उसमें यह तय किया गया है कि राज्य सरकार को एक निश्चित राशि इसके माध्यम से दी जावेगी। जैसाकि श्री राम नाईक ने बताया कि मुम्बई और गुजरात आदि प्रदेश आज किसी प्रकार से अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहते हैं और बात भी सही है। आज सारा हिन्दुस्तान हुआ है लेकिन उस पिछड़ेपन में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो सब प्रकार से पिछड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ हो लेकिन मेरा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में 14वें नम्बर पर खड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जो रेल के मामले में पिछड़ा हुआ है। राजस्थान की राजधानी रेल के मामले में छोटी लाईन से जुड़ी हुई है और आज भी गुजरात के लोग जो अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो सीधे यहां से बड़ौदा होकर जाने के लिए तैयार हैं लेकिन रेल के मामले में हम पिछड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की परिकल्पना मरु क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ऐसी स्थिति में राजस्थान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जाना जाता है। हमारे वित्त मंत्री समाजवादी मंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब नवें वित्तीय आयोग के आधार पर उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का वितरण करेंगे तो उसका लक्ष्य बतायेंगे क्योंकि कांग्रेस के सदस्य यह कहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या होगा? क्या औद्योगिक दृष्टि से जो राज्य पिछड़ा हुआ है, वह लक्ष्य मानेंगे? राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो सब प्रकार से और सब क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, चाहे सूखे का क्षेत्र हो। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्पादन शुल्क के बारे में इन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह सदन को बताया था कि हिन्दुस्तान के 16 बड़े घरानों पर 576 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क बकाया है। ये कैपटिलिस्ट्स, ये धनाढ्य लोग, ये पूंजीपति लोग अरबों-खरबों रुपया लेकर बैठे हुए हैं। उत्पादन शुल्क के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने परमानेंट एडवोकेट्स रखे हुए हैं जिनको अच्छी सैलरीज देते हैं। इसलिए वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उत्पादन शुल्क का करोड़ों रुपया जो इनके ऊपर बकाया है, वह तेजी से वसूल करके राज्यों को दिया जाना चाहिए। और जब इस पैसे का वितरण करें तो कृपा करके राजस्थान को प्राथमिकता प्रदान करें नहीं तो राजस्थान का

कल्याण नहीं होगा और यह पिछड़ा हुआ ही रह जायेगा। यही मेरा निवेदन है और यही चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए तीन महीनों तक जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी चर्चा बहुत छोटी लेकिन रोचक रही। किन्तु जब मेरे मित्र श्री अजीत पांजा ने यह चर्चा शुरू की थी, यद्यपि वे भूतपूर्व वित्त राज्य मन्त्री हैं, वे वित्त विधेयक सम्बन्धी कुछ विशेष परम्पराओं और मान्यताओं को और उनके परिणामों को भी भूल गए थे। वे सारे उत्तरदायित्व को इस नई सरकार पर थोपना चाहते थे। मैं किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता, किन्तु केवल रिकार्ड के लिए मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट 18-12-89 को प्रस्तुत की गई थी। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री साल्वे थे: मैं सोचता हूं, कुछ कमियों के बावजूद यह एक अच्छी रिपोर्ट थी। और सामान्य रूप से इस सदन में पिछले कई वर्षों से यह परम्परा रही है कि जब कभी भी वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। इसका एक कारण है; वित्त आयोग एक वैधानिक संस्था है। परम्परा के अनुसार इसकी सिफारिशें सामान्यतया एक निर्णय के रूप में स्वीकार की जाती हैं। चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, सामान्यतया यह परम्परा है कि हम व्यापक रूप से उन सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। और वास्तव में, इनके आधार पर उपबन्ध किए जाते हैं। बजट के प्रस्तावों में ऐसा होता है कभी-कभी ऐसे आबंटन किए जाते हैं जो दूरगामी होते हैं और उनमें हिस्सेदारी भी कुछ बढ़ जाती है। मेरे पास इन पहले से आठवें वित्त आयोगों की रिपोर्टों और विवरणों का एक सार है। मैं यह पता लगाने के लिए सदन का समय नहीं लूंगा, जैसाकि हमारे एक मित्र ने सही संकेत किया है, कि किस तरह यहां तक कि उत्पाद शुल्क और उसके फलस्वरूप उसकी हिस्सेदारी में सम्मिलित उपभोग की वस्तुओं का भी विस्तार हुआ है और यह एक स्वागतयोग्य प्रक्रिया है।

एक अन्य पहलू, जिसका उल्लेख मैं माननीय सदन को करना चाहूंगा, यह है कि किए गए परिवर्तनों के बावजूद कुछ ऐसे निर्देश-निबन्धन हैं जिनका वित्त आयोग को भी पालन करना पड़ता है। निर्देश-निबन्धनों के अनुसार, वर्ष 1971 की जनसंख्या को आधार बनाना चाहिए वर्ष 1981 को नहीं। मैं श्री साल्वे पर दोष नहीं लगाना चाहता। किन्तु वे क्या कर सकते हैं यदि निर्देश-निबन्धन की सीमा और विचारार्थ विषय उन्हें एक विशेष कार्य तक सीमित कर देते हैं और वे उनसे आगे नहीं जा पाते। ठीक है, बिक्री करके स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के वितरण के लिए 1981 में परोक्ष उपभोग को माना गया था। यही वह तर्क है जो वित्त आयोग द्वारा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि आप या मैं इन सब सिफारिशों से सन्तुष्ट हैं। कुछ विशेष असामान्यताएं तथा विरूपण किए गए हैं, जैसा मेरे मित्र श्री राम नाईक ने महाराष्ट्र के बारे में संकेत किया है। श्री अजीत पांजा ने पश्चिम बंगाल के बारे में ठीक ही कहा है।

श्री अजीत पांजा : क्या यह सत्य है कि वितरण के लिए 1971 की जनगणना को और संग्रहण के लिए 1981 की जनगणना को लिया गया है? मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप 1971 को आधार मानते?, करों के संग्रहण और करों के वितरण के लिए भी 1971 को ही निर्धारित वर्ष माना जाए। आप 1981 की जनगणना को संग्रहण और 1971 जनगणना को वितरण के लिए कैसे मान सकते हैं? तब यह राज्यों के प्रति अन्याय होगा। मेरा यही कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह जानने की चेष्टा की थी कि वित्त आयोग द्वारा इसके लिए कौन-सा

तर्क दिया गया है। वे कहते हैं कि बिक्री कर को देखते हुए, जो कर-किराया व्यवस्था है और हस्तांतरण का हिस्सा नहीं है, अतिरिक्त उत्पाद कर के वितरण के लिए, आयोग ने 1981 की जनगणना को परोक्ष उपभोग माना है। उसका यही विचार है। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, किन्तु आप अवश्य यह समझने की कोशिश करें कि उनके द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किया गया था और एक मद के लिए 1971 को और अन्य के लिए 1981 को क्यों चुना ? मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जब मैंने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, सौभाग्य से 1990-91 का बजट, जिसमें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है, राज्यों को करों में हिस्सेदारी और वैधानिक अनुदानों का एक बड़ा भाग उपलब्ध कराया गया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में, करों में हिस्सेदारी 12438 करोड़ रुपए थी जबकि वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में यह 14426 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1989-90 के अन्तर के सम्बन्ध में बजट अनुमान 1971 करोड़ रुपए और 1990-91 में बजट अनुमान 2546 करोड़ रुपए था और यदि आप इन दोनों का जोड़ करते हैं तो वर्ष 1989-90 में बजट अनुमान की राशि 14409 करोड़ रुपए और वर्ष 1990-91 में यह 16972 करोड़ रुपए बैठती है और इसलिए, यह 2563 करोड़ रुपए अधिक है। मैं अत्यन्त प्रसन्न होता यदि संसाधनों की किसी प्रकार से कोई कमी न होती और मैं राज्यों के संसाधनों में एक अच्छी हिस्सेदारी पाने में सक्षम हो पाता क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि इस विवाद में पड़ने का कोई लाभ नहीं है कि केन्द्र शक्तिशाली है अथवा राज्य। मैं मानता हूं कि यदि केन्द्र को मजबूत होना है तो राज्यों को भी मजबूत होना है केवल तभी एक मजबूत केन्द्र पा सकते हैं। और वे जो केन्द्र को मजबूत देखना चाहते हैं, वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिखरबिन्दु को मजबूत देखने के लिए, आधार का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए, इसको ध्यान में रखते हुए, और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।

यही कुछ विकल्पन हैं किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह संशोधन है जो कुछ मित्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुछ अन्य मित्र इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते थे, अन्य मित्र इसे परिचालित कराना चाहते थे। राजस्थान के हमारे मित्र ने भी इसे परिचालित करने का सुझाव दिया है। किन्तु, एक कठिनाई है जो आपके ध्यान में नहीं है। कई राज्यों में वित्तीय संसाधनों की कमी और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिविकर्ष व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है और रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश की है, इसलिए मैं सोचता हूं कि जहां तक राज्यों का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को, जिन्होंने कहा है कि वे बहुत बुरी स्थिति में हैं, यह रचनात्मक प्रस्ताव दिए हैं, कि यदि आप वित्तीय दृष्टि से बहुत ही बुरी स्थिति में हैं तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यों को यह मानते हुए कि उनको जो हिस्सा उपलब्ध कराया जाना है, वह संसद द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा, मैं आगामी तीन महीनों के लिए आपका हिस्से का हिसाब बना दूंगा। और मैं आगामी तीन महीनों के लिए आपको यह रकम अग्रिम रूप में देने के लिए तैयार हूं जो बहुत लाभप्रद-सिद्ध होगी, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, और कुछ उन पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों के लिए जो बहुत अधिक वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। और यदि इसे करना है तो मैं सोचता हूं···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान एक पिछड़ा क्षेत्र है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : उड़ीसा भी एक पिछड़ा राज्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : राजस्थान और उड़ीसा को भी पिछड़े राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। (व्यवधान)

इससे पूर्व आप यह कहें, मैं यह कहूंगा कि, रेगिस्तान की दृष्टि से सिंचाई सुविधा की दृष्टि से, संचार की दृष्टि से सभी राज्यों को पहले से ही शामिल किया गया है। सूची दी गई है। इसलिए, यमुना प्रसाद शास्त्री जी, मुझे बार-बार आपके पिछड़ेपन—राजनीतिक पिछड़ापन नहीं—का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कुछ राज्य जो राजनीतिक रूप से आगे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हां, बंगाल जैसे कुछ राज्य राजनीतिक रूप से आगे हैं और आर्थिक रूप से भी आगे हैं और यह एक अलग चीज है। अतः, हम उचित सावधानी बरतेंगे ताकि अग्रिम सहायता दी जाए। और इसलिए, अगर हम तीन महीनों में उनके हिस्से की अग्रिम गणना करना चाहते हैं और उन्हें जरूरी सहायता देते हैं, तो हमें और वित्त आयोग की सिफारिशें मानने की अनुमति मिलनी चाहिए, और परम्पराओं और नीतियों के अनुसार हिस्से की गणना करने और कुछ राज्यों को जिन्हें पूंजी की बहुत आवश्यकता हो, उन्हें सहायता देने की अनुमति और छूट मिलनी चाहिए। यह एक प्रस्ताव है। पांजा जी ने विलय का प्रश्न उठाया है जो सही है और दूसरों ने भी यह प्रश्न उठाया है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का सामान्य उत्पाद शुल्क में विलय कर देना चाहिए। यहां शायद आपको प्रसन्नता से या अप्रसन्नता से यह जानकर आघात पहुंचेगा कि कई राज्यों ने वित्त आयोग के सामने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का सामान्य उत्पाद शुल्क में विलयन का विरोध किया है। इस बाधा का वित्त आयोग को फिर सामना करना पड़ा। मैं वित्त आयोग की हर बात का पक्ष नहीं लेना चाहता किन्तु यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वह क्या बाधा थी जिसका सामना श्री साल्वे ने किया। मैं राजनैतिक बन्धनों का उल्लेख नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर्थिक बाधाओं का उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ न कुछ विकार व असन्तुल जो आपने बताए हैं, इसमें हैं इसमें कोई शक नहीं है, किन्तु ऐसे तरीके और उपाय हैं जिनसे ये असन्तुलन राज्यों के साथ भागेदारी के लिए उपलब्ध साधनों के अलावा साधनों द्वारा सुधारे जा सकते हैं। हम ऐसे कदम और तरीके और उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन राज्यों को ढूंढ सकें जो आर्थिक रूप से मुश्किल में हैं, वे राज्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वे राज्य जिनमें काफी बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं, और वे भी राज्य जिनका घाटा काफी ज्यादा है। हमारे लिए उन्हें एक अलग ढंग से सहायता देना किस प्रकार सम्भव है, वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ साधनों की भागेदारी पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता।

श्री राम नाईक ने पिछली संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट पर बहस में मेरे कथन का उल्लेख किया है। वह सही है। किन्तु, इसके साथ ही, उस बहस के अन्त में, हमें वित्त मन्त्री को यह बताने पर मजबूर होना पड़ा—उस समय श्री वाई० बी० चव्हाण थे—जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह वित्त मन्त्री नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते : वित्त मन्त्री नहीं। वह वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मैं असावधानीवश सन्देश बोल गया। महोदय, यहां इतने अधिक वरिष्ठ जन हैं कि भ्रम हो जाता है। किन्तु मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं है। अतः, महोदय, हमें उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर एक सैद्धान्तिक चर्चा होगी, किन्तु हमने आशा की कि जो भी अगले वित्त आयोग का अध्यक्ष हो, वह इस बात का ध्यान रखेगा कि हमने उस समय श्री चव्हाण की वित्त आयोग की

रिपोर्ट के बारे में क्या कहा था ताकि यह भविष्य में उन्हें मार्ग दिखाए। इस दृष्टि से हमने बहस की थी। उस वित्त आयोग की रिपोर्ट में हमने जो सुझाव और संशोधन दिए थे, उसमें से कोई भी माना नहीं गया। फिर भी, मैं खुश हूं कि उस बहस में हमने चर्चा की थी, वह कुछ हद तक अगले वित्त आयोग की रिपोर्ट में काम आई। हालांकि, सब कुछ माना नहीं गया, आंशिक रूप से सभी सुझाव मान लिए गए। वह बाधाएं होने से और इनके संवैधानिक संस्था होने की वजह से, हमने मुख्य रूप से सभी सिफारिशें मान ली हैं और उन्हें बजट में सम्मिलित कर लिया है। आपका संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और परिचालित करने का समय नहीं है। मूल्यांकन और गणना करने में और मुश्किलें पैदा करेगा। वह उन राज्यों के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा जो हमसे भागेदारी में से केन्द्रीय कोटा देने को कह रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलें दूर हों। इसके सन्दर्भ में हर सदस्य से मैं यह कहूंगा कि वैसे तथ्य में मैं हर संशोधन स्वीकार कर रहा हूं हर वास्तव में मैं प्रत्येक को अस्वीकृत कर रहा हूं। इसलिए मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें और दोनों विधेयकों को सर्वसम्मिति से पारित होने दें। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुण्डू : महोदय, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं आधे मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री के भाषण से उठा है। यह अच्छा है कि नौवें वित्त आयोग ने उन राज्यों की सहायता के लिए, जो घाटे में चल रहे हैं, कुछ उपाय सुझाए हैं। उसके लिए, 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क है जिसका बंटवारा किया जा सकता है। उससे सहमत हैं। किन्तु वित्त मन्त्री अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ पिछड़े राज्य जैसे उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि पिछली सरकार के कारण घाटे से बुरी तरह दबे हुए हैं। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां पिछला घाटा 135 करोड़ रुपए का है जिसका नई सरकार को सामना करना होगा क्योंकि ये घाटे उनके प्रबन्ध, कुप्रशासन और केन्द्रीय सरकार की कर्मचारियों का वेतन और भत्ता बढ़ाने सम्बन्धी कुछ निर्देशों के कारण उत्पन्न हुए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री हमारे साथ इसे सहन करें। मैं नहीं जानता कि उड़ीसा और दूसरे राज्यों के लिए इस 5% बंटवारे योग्य उत्पाद शुल्क आवंटन का कितना भाग मिलेगा। अगर यह राज्यों के पिछले घाटे को पूरा नहीं करता, तब क्या माननीय वित्त मन्त्री शेष राशि ऐसे गरीब पिछड़े राज्यों को देने की कोशिश करेंगे या देंगे ? भारत में 11 पिछड़े राज्य हैं जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत से नीचे हैं। भारत में दो 'देश' हैं, अमीर और गरीब, दोनों के बीच की खाई बढ़ रही है। हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण विभाजन की बात करते हैं। भारत में, हमें स्थिति देखनी चाहिए। इसलिए, माननीय मन्त्री से मेरी विनम्र प्रार्थना बहुत उचित है। वे बहुत खुशमिजाज हैं, बहुत अच्छे हैं खासकर पिछड़े राज्यों के लिए और मैं आशा करता हूं कि वे इसे दिमाग में रखेंगे और कुछ करेंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह ठीक कहा है कि जो भी चर्चा होती है वह अगले वित्त आयोग के लिए उपयोगी होगी। किन्तु वित्त आयोग की रिपोर्टों पर कोई बहस नहीं हुई। हम यहां सिर्फ दो घण्टों से चर्चा कर रहे हैं। अतः, मेरा अनुरोध है कि इस पर एक विशेष बहस होनी चाहिए, जबकि हम इसकी पूरी व्याख्या कर सकें। अतः, क्या माननीय मन्त्री मेरे दृष्टिकोण से सहमत हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम वित्त आयोग की रिपोर्ट का पोस्ट-मार्टम कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वित्त आयोग की एक खास विशेषता यह है कि पहली बार यह उल्लेख किया गया कि इसका एक माननीय दृष्टिकोण होना चाहिए और दूसरे राजस्व अनियोजित

घाटों की अपेक्षा नियोजित घाटों को भी लेना चाहिए। श्री साल्वे मेरे मित्र थे और वह वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जब वह कलकत्ता आए थे तो वे चाहते थे कि मैं वित्त आयोग के सामने उपस्थित होऊं और मैंने यह किया। महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि हम वित्त आयोग की रिपोर्ट का पोस्ट-मार्टम कर सकते हैं। वास्तव में, पहली बात जो मैंने प्रस्तावित की थी कि आपको मानदण्ड निर्धारित करने होंगे। आज मानक कौन स्थापित करेगा? स्वतन्त्रता के पिछले चार दशकों के दौरान, योजना आयोग को मापदण्ड निर्धारित करने चाहिए थे। उन्हें पूरा अवलोकन करना होगा और उसके आधार पर सिर्फ वे ही निर्णय कर सकते हैं कि किस राज्य को आवश्यकता होगी और कितनी? अगर ऐसा होता है, मैंने एक प्रस्ताव बनाया है, पर मैं सोचता हूं कि श्री दण्डवते इसे आज स्वीकारने की स्थिति में नहीं होंगे। वह यह है कि आपकी पहली अनुसंशा यह होनी चाहिए कि पहले वित्त आयोग को संविधान से अलग कर देना चाहिए और दूसरे, इसके स्थान पर, योजना आयोग को सवैधानिक निकाय बनाना चाहिए जिसका अन्तर्राज्यीय समिति के द्वारा चयन हो और उन्हें राज्यों में आवंटन करने के लिए कहें। इस तरह के चिंतन पर जैसाकि हमें 40 सालों से ज्यादा का अनुभव है पर विचार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मामले में, मैं कहूंगा कि जब वे किन्हीं आंकड़ों का आकलन करते हैं, वित्त आयोग की रिपोर्ट यह है कि घाटा 544 करोड़ रुपए का है और अनुदान 134.82 करोड़ रुपए की है। क्या आप सोच सकते हैं कि 1994-95 के लिए, यह सिफारिश है कि उनका अनुमानित घाटा 196.57 करोड़ रुपए होगा, जो लगभग एक तिहाई है? यह सिफारिश की गई है कि अनुदान, पूर्व आंकड़ों से ज्यादा होगा जो .279 करोड़ रुपए होगा। सिफारिशों की यह अनोखी विशेषताएं हैं। यह देश में अब तक का सबसे अधिक अजीब वित्त आयोग माना जाता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर सदन में एक बहस की जाए जोकि बेशक एक पोस्ट-मार्टम होगा किन्तु पोस्ट-मार्टम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं उनके सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं, किन्तु मैं आपके नियन्त्रण में हूं। कभी अगर हम सिर्फ इस वित्त आयोग की रिपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि वित्त आयोग की संरचना और विचारार्थ विषयों पर चर्चा कर सकें, तो यह वित्त आयोग के भविष्य की कार्यवाही के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

दूसरे, उन्होंने सुझाव दिया है कि वित्त आयोग का कार्य योजना आयोग को करना चाहिए। और अन्तिम बहस में दो सुझाव आए हैं। पहला यह कि वित्त आयोग का कार्य और पूरा कर्त्तव्य योजना आयोग को दे देना चाहिए। और अगर वित्त आयोग इसी रूप में जैसाकि वह है, में कार्य करते रहने में सफल हो जाता है, तो दूसरा सुझाव यह था कि पंचवर्षीय योजना की अवधि वित्त आयोग की अवधि के समान होनी चाहिए ताकि जब योजना बनाई जाए तो कोई अन्तर्विरोध न हो। यह दूसरा सुझाव है।

जहां तक मेरे मित्र कुन्दूजी के सुझावों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि उड़ीसा जैसे कुछ राज्य, जिनमें घाटे और आर्थिक बाधाओं जैसी कुछ परेशानियां हैं, मैं पहले से ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के सम्पर्क में हूं और उनमें से एक श्री बीजू पटनायक हैं—मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूं? ऐसा करना बहुत खतरनाक है। और इसीलिए, हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री सहित विभिन्न मुख्यमंत्रियों से पहले ही सम्पर्क बनाए हुए हैं। (व्यवधान) और इसीलिए, हम वित्तीय दबावों की वजह से जोकि पैदा हो गए वे जहां तक सम्भव हो सकेगा राज्यों की सहायता करने का प्रयास

करेंगे । इस आश्वासन के साथ ही मैं यह महसूस करता हूं कि सभी सदस्य अपने संशोधन वापस ले लेंगे और इन दो विधेयकों को कानून बनाने के लिए निर्बाध पारित होने देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1990 को सभा के मतदान के लिए रखेंगे ।

क्या सदस्य इस प्रस्ताव पर लाए गए अपने संशोधनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां, जी, हां ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उनकी ओर से, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि उनके संशोधनों को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ली जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा अनुमति देती है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन वापस लिए गए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 1, 2, और 4 से 6, सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी ।

खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1990 को सभा के मतदान के लिए रखेंगे।

मुझे आशा है कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना दी है। वे अब अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर संशोधनों के बारे में अपने पहले अनुरोध को दोहराता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, 2, 4 और 5 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.56 म० प०

स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 को लेंगे, अर्थात् स्वर्ण (नियन्त्रण) निरसन विधेयक 1990 पर विचार करना और पारित करना। अब मन्त्री महोदय कृपया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उपाध्यक्ष जी, इस गोल्ड कण्ट्रोल बिल के सम्बन्ध में बजट के साथ कई साथियों ने अपने विचार रखे हैं। उनको हम ध्यान में रखेंगे। यह बिल केवल एक्ट को वापस लेने के सम्बन्ध में है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं केवल विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदस्यों ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। क्या सदस्य उन संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं ?

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, सरकार को कुछ अनुवर्ती कार्यवाहियां करनी होंगी। अतः हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम बना हुआ है और हमने कहा कि हम उसे समाप्त करेंगे। अब यहां एक तरह का खाली स्थान है। बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने पहले ही घोषणा की थी कि हम स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम को समाप्त कर देंगे। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हम इसे प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं कर सकते और इसके परिणामस्वरूप, निरीक्षक और अधिकारी छोटे स्वर्णकारों के पास जाते रहेंगे और उससे अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। अतः सबसे पहले उपलब्ध अवसर में, हमने इसे वापस लेने का प्रयास किया। यदि हम इसे परिचालन के लिए भेजें, उसमें कुछ समय नष्ट हो जाएगा। अतः हमें इस अधिनियम को निरसन करने का लाभ नहीं मिलेगा। अतः मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने संशोधन प्रस्तुत न करें और विधेयक को पारित होने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को उस पर 24 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री दाऊ दयाल जोशी अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 31 अगस्त, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री राम नाईक अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री हरीश रावत अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री थामस अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी० सी० चाको (मुवत्तुपुजा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

8.00 म० प०

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये कंफ्यूजन हो जाएगा। यह गोल्ड का मामला है।

[अनुवाद]

मैंने जानबूझकर श्री अजीत पांजा को बुलाया है क्योंकि वह वित्त मन्त्रालय में रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि श्री जीवरत्नम् भी बोलेंगे। चलो ठीक है। श्री जीवरत्नम् वह महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, जो आप उठाना चाहते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : वह स्वर्ण के महत्व के सम्बन्ध में बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवरत्नम्।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 का निरसन करने वाले विधेयक के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। यह कानून माननीय श्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया था। इस कानून से स्वर्णकारों पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाए गए थे। उन्हें बेरोजगार होना पड़ा था। इसीलिए, मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं जोकि माननीय वित्त मन्त्री द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान दिए गए नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुरूप है।

इस कानून का संचालन करने में बहुत सी कठिनाईयां हैं। इसमें स्वर्ण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित उपबन्ध नहीं हैं। स्वर्ण सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। स्वर्ण को अरब देशों से लाया जा रहा है और उसे ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा है। सरकार यह अवश्य देखे की क्या वह स्वयं अरब देशों से स्वर्ण ला सकती है और उसे भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध करा सकती है।

भारत में, हम सभी को चाहे पुरुष हो महिलाएं हो, स्वर्ण की सनक होती है। अतः स्वर्ण की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

जैसे ही इस कानून का निरसन किया गया था स्वर्ण के मूल्य कम होने शुरू हो गए थे। स्वर्ण व्यापारियों ने तब स्वर्ण की जामाखोरी करनी शुरू कर दी थी और इसके मूल्य फिर से चढ़ गए हैं। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री से स्वर्ण रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवरत्नम कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आर० जीवरत्नम : देश की अर्थव्यवस्था में सुधार केवल तभी होगा जब स्वर्ण सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा। स्वर्ण आभूषणों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्यात किया जाए। इस समय यहां 14 केरेट स्वर्ण है और यहां 12 केरेट स्वर्ण भी है।

सरकार को स्वर्ण की शुद्धता में एकसमानता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश अवश्य जारी करने चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि स्वर्ण को पिघलाते समय नुकसान को यथासंभव कम करने के लिए इसकी सीमा निर्धारित की जाए। (व्यवधान)

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिस प्रकार सिक्के बनाने के लिए हमारे पास टकसालें हैं, उसी प्रकार से शुद्ध स्वर्ण की गिन्नियां बनाने के लिए भी हमारे पास ऐसा ही कोई प्रतिष्ठान होना चाहिए। स्वर्णकारों को रोजगार देने के लिए सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए जिससे स्वर्णकारों में व्याप्त अत्यधिक बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री जीवरत्नम जी, आप अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री आर० जीवरत्नम : महोदय, भारत में अरब देशों से सोने की तस्करी की जा रही है। पश्चिमी तट पर स्थित कालीकोट्टाव, कन्नानोर में सोने की तस्करी करने वालों के अड्डे हैं। यह तस्करी रोकी जानी चाहिए। सरकार को सोने की तस्करी रोकने के लिए तस्करी द्वारा लाये हुए सोने पर भारी उत्पाद-शुल्क लगाना चाहिए। भारत में तस्करों द्वारा लाये हुए सोने को जब्त करके उसे भारत में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (व्यवधान)

मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन करता हूं कि वह स्वर्ण-आभूषणों को धन कर से मुक्त करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्रीमती जयन्ती नटराजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य को सामने रखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि छोटे-छोटे कारीगरों को मेहनत करके जीवनयापन करने का अवसर देना इस बिल का उद्देश्य है। इस दृष्टि से यदि हम सोचें तो आज पूरे भारतवर्ष में करीब 15000 बड़े सोने के व्यापारी, डीलर्स हैं, लेकिन छोटे स्वर्णकारों की संख्या करीब साढ़े 4 लाख से भी अधिक है, जिनका नाम आफिशली रजिस्टर्ड हुआ है। इन साढ़े चार लाख स्वर्णकारों को इस बिल के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी कमाने में सहायता मिलेगी। इस दृष्टि से यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। माननीय सदस्यों के मूड को देखते हुए मैं अधिक लम्बा भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन की दृष्टि से गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के बारे में सोचें तो हम देखते हैं कि जब जेवरात बनाए जाते हैं तो उन पर होल मार्क होना बहुत आवश्यक है। होल मार्क के न होने के कारण दस ग्राम की सोने की चीज जब खरीदते हैं और जब दोबारा उसी दुकान पर बेचने जाते हैं तो एक ग्राम काटदेते हैं। एक ग्राम की कीमत लगभग 300 रुपए तक होती है, यह नुकसान ग्राहक को झेलना पड़ता है और उसकी बनवाई का पैसा भी बेकार जाता है। कहने का मतलब यह है कि होल मार्क सोने की प्योरिटी के आधार पर होना बहुत आवश्यक है, इससे सभी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और होल मार्क का सिक्का लगाने से स्मगलिंग पर भी निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। भारतवर्ष में करीब सवा दो सौ टन सोने की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है और देश की खानों से 125 टन के करीब सोना प्राप्त होता है। या तो भारत सरकार द्वारा सोना बेचकर नया सोना खरीदने की बात होती है, लेकिन हर साल 150 टन सोने की कमी हर साल हमको रहती है और जब यह आवश्यकता होती है तो स्मगलिंग के सोने का भी उपयोग होता है। मैं कहना चाहती हूं कि स्मगलिंग कालेधन की परिचायक है और हमें कालेधन

को यदि रोकना है, इस पर अंकुश लगाना है तो स्मगलिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। इसके लिए मैं पहले कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। 1988 में भारतवर्ष में 1·25 टन सोना आयात किया गया था और 1989 में करीब 170 टन, 5500 करोड़ रुपए का सोना आयात किया गया था, लेकिन इससे भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार को सोना उपलब्ध कराने की दृष्टि से गोल्ड बैंक बनाने चाहिए या गोल्ड बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। गोल्ड बोर्ड की रचना हो। जैसे कॉफी बोर्ड है, टी-बोर्ड है उसी प्रकार से गोल्ड-बोर्ड की रचना यदि सरकार करेगी तो निश्चित रूप से स्मगलिंग की मात्रा कम हो जाएगी और ग्राहकों को सस्ते दामों पर, योग्य दामों पर सोना खरीदने में आसानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि पटना हाई-कोर्ट का जजमेंट इस प्रकार से दिया गया था कि सोने की प्योरिटी स्वर्णकारों पर नियन्त्रित नहीं है, दुकानदारों पर कोई जिम्मेदारी जानी चाहिए। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि स्वर्णकार उसमें मरते हैं, उनको ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए होल मार्क की बात को लागू करके पूरे डीलर्स को उसके लिए बाध्य किया जाए ताकि फिक्स रेट पर सोना भारत के लोगों एविलएबल हो सके। इस दृष्टि से हमें विचार करना होगा।

दूसरी छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूं कि होल मोर्क का कानून पूरी ज्यूलरी के लिए नहीं, एक्सपोर्ट होने वाली ज्यूलरी पर होल-मार्क का सिक्का लगाया जाना चाहिए, यह आग्रह रखा जाता है। इसलिए स्मगलरों की मोनोपोली यूनियन बनी हुई हैं जो कहती हैं अरब देशों से, दुबई से भारत को सोना न भेजा जाए। इसके लिए कोशिश करके स्मगलिंग के माध्यम से अपनी मोनोपोली रखकर, डिमांड को पूरा करके कालेधन को बढ़ावा देते हैं। मेरा कहना यह है कि सोने के बारे में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की पॉलिसी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। बस मैं एक मिनट में समाप्त करती हूं। अरब देशों में जाने वाले लोग 18 कैरेड की गोल्ड ज्यूलरी पहनकर जाते हैं और आते समय 24 कैरेट सोने की ज्यूलरी पहन कर आते हैं। इससे भी सोने की स्मगलिंग होती है। मेरा अनुरोध है कि जो भी सोने की ज्यूलरी एक्सपोर्ट हो उसके ऊपर होल-मार्क सिक्का होना आवश्यक है। इसी स्वर्ण (नियन्त्रण) निरसन बिल के साथ यदि मंत्री महोदय होल-मार्क का बिल तुरन्त लागू करेंगे तो मैं मानती हूं कि उनके समाजवादी विचार की पुष्टि होगी और निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों को कभी भी यह परेशानी सहन नहीं करनी पड़ेगी। मुझे याद है 1988 में गोल्ड कण्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत बम्बई में कुछ सैम्पल्स लिए गए थे। करीब 82 सैम्पल गवर्नमेंट ने लिए थे। लेकिन आज मुझे बताते हुए दुःख होता है कि सैम्पल्स की रिपोर्ट यह रही कि 22 कैरेट का सोना नहीं था, 16-18 कैरेट का सोना था। आज तक रिपोर्ट पेश नहीं की गयी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार चिटिंग का जो व्यवसाय सोने में होता है उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि होल-मार्किंग बिल यहां पर लाया जाए। उससे स्वर्णकारों को अधिक फायदा होगा। क्योंकि देश में एक साल में 45 लाख से भी अधिक विवाह होते हैं। हर विवाह में कम से 30 ग्राम सोने का यदि उपयोग हो तो हमारे देश की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में माननीय मन्त्री जी सही अर्थों में सोच सकते हैं। मेरा कहना यह है कि कंज्यूमर्स की दृष्टि से सोच कर होल-मार्क का बिल तुरन्त यहां पर लाया जाए और स्वर्णकारों को कुछ राहत दिलाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही महीने पूर्व बजट भाषण

में वित्त मंत्री जी ने यह बताया था कि स्वर्ण-नियन्त्रण-अधिनियम निरस्त कर दिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि सदन के सामने एक निरसन अधिनियम को लाने के लिए इतना अधिक समय क्यों लिया गया जबकि वित्त मन्त्री जी ने स्वयं ही यह बताया था कि इंस्पेक्टरों द्वारा स्वर्णकारों को तंग किया जा रहा था। यह सही स्थिति नहीं है। इसमें जानबूझकर विलम्ब किया गया है। इस दौरान इससे केवल स्वर्ण-तस्करों को ही मदद मिली है। क्यों? सबसे पहले मूल्यों में दस प्रतिशत कमी आई। तत्पश्चात् मूल्य निर्धारित किए गए। किसी को भी यह नहीं पता है कि किस प्रकार से मूल्य निर्धारित किए गए। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ऐसी घोषणा की गई थी तथा यह सदन के कार्यक्रम में भी था कि यह अधिनियम निरस्त किया जाने वाला है, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण मूल्यों में अभी भी लगभग साठ प्रतिशत अन्तर है। अतएव, दस ग्राम सोने की तस्करी पर लगभग 1,200 रु० का लाभ अनुमानित किया गया है। गुप्तचर विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे तथा तस्करों के रवैये से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस वर्ष 200 टन स्वर्ण की तस्करी की जा सकती है। इस निरसन अधिनियम को इतनी अवधि तक निलम्बित रखने के पीछे क्या विचारधारा है?

उनकी हाल ही में इस सम्बन्ध में दो समितियां बनाई गई थीं जिन्होंने इस मामले की छानबीन की थी। इनमें से रंगराजन समिति सबसे नवीनतम है। इसमें विशेष रूप से इन सब मुद्दों पर विचार किया गया था तथा इसमें यह बताया गया था कि यदि इसे अनुवर्ती कार्रवाई के बिना ही निरस्त किया जाता है तब इससे केवल तस्करों को ही मदद मिलेगी। सरकार के पास वे दोनों रिपोर्टें हैं। उन रिपोर्टों में विशेष रूप से ये सुझाव दिए गए हैं कि इस अधिनियम को निरस्त करने से पूर्व या उसके साथ-साथ एक ऐसा अधिनियम भी लाया जाना चाहिए जिससे कि तस्करों को विदेशी मुद्रा ले जाने का परमिट या लाइसेंस न मिल जाए तथा वे पूर्ण रूप से इन सबके लिए स्वतन्त्र न हो जाएं। यदि 200 टन सोने की तस्करी पर विदेशी मुद्रा के नुकसान की गणना की जाए तो यह काफी बड़ा नुकसान होगा। अतएव इस सम्बन्ध में साथ-साथ स्पष्ट अनुवर्ती कार्रवाई भी की जानी चाहिए थी।

जहां तक मुझे याद है, इन दोनों समितियों ने इस सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। परन्तु काफी अन्तराल के पश्चात् इसे लाया गया है। यह विचार अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि छोटे शिल्पकारों की सहायता की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। खैर, दूसरा समर्थक विधान क्यों नहीं लाया गया है?

क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना का पता लगाया है जिसके अन्तर्गत छोटे स्वर्णकार कानूनन स्वर्ण खरीद सकें? नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। अतएव, यद्यपि अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है परन्तु वे तस्करों के हाथ की कठपुतली हैं तथा भारी मांग को देखते हुए हमारे देश में स्वर्ण-उत्पादन बहुत कम है।

मेरा दूसरा मुद्दा अप्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में है। रंगराजन समिति अथवा दत्त समिति रिपोर्टों में एक विशिष्ट खण्ड दिया गया है कि जब अप्रवासी भारतीय हवाई अड्डे पर आते हैं तब उन्हें एक प्रकार का कर अदा करना होता है और तभी उन्हें उस सोने को लाने की अनुमति दी जाती है जिसे वह उस विशिष्ट दर जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर बाजार में बेच सकते हैं। अथवा हवाई अड्डे पर ही वे इसे भारतीय रिजर्व बैंक के काउण्टर पर बेच सकते हैं जिससे कि सोना तथा विदेशी मुद्रा दोनों प्राप्त हो सकें। परन्तु बजट भाषण में वित्त मंत्री की इस घोषणा के पश्चात् से इससे सम्बन्धित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

तीसरा मुद्दा स्वर्ण-आभूषणों के सम्बन्ध में है। भारतीय स्वर्ण-आभूषण तथा भारतीय शिल्पकार विश्व प्रसिद्ध हैं। कई व्यक्ति स्वर्ण-व्यवसाय से अपनी जीविका कमा रहे हैं। यह वास्तव में एक कुटीर उद्योग बन गया है तथा यह किसी भी मशीनरी से श्रेष्ठ है। जहां तक स्वर्ण-आभूषणों का सम्बन्ध है, उनके निर्यात से असीमित धन अर्जित होता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि यदि भारत को विश्व के स्वर्ण-आभूषण-बिक्री का केवल पांच प्रतिशत भी प्राप्त हो जाता है, जो 41 अरब पाउन्ड स्टर्लिंग अनुमानित है, तब भी भारत को प्रति वर्ष 3500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। परन्तु कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि यह सब कैसे किया जाएगा।

वर्ष 1989-90 में स्वर्ण-आभूषणों का निर्यात केवल 275 करोड़ रु० का किया गया था। इस वर्ष यह लक्ष्य 500 करोड़ रु० का निर्धारित किया गया है। यदि माननीय वित्त मंत्री जी इन स्वर्णकारों की रक्षा के लिए तथा वैधानिक रूप से सोने का आयात वैध मूल्यों पर करने के लिए एक मूल अधिनियम लाए होते तो भारतीय स्वर्ण-आभूषणों का निर्यात 3500 करोड़ रु० का हो गया होता। इसके स्थान पर, इस वर्ष केवल 500 करोड़ रु० का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतएव मैं पूछता हूं कि इस सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है तथा यद्यपि सदन में यह बताया गया है कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाने वाला है, तो उस समय से इस मामले में विलम्ब करने का क्या कारण है? मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री के पास इन प्रश्नों के उत्तर हैं।

ज्यों ही बड़े स्वर्णकारों को यह पता लगा कि अधिनियम निरस्त किया जा रहा है, उन्होंने जर्मनी से ऐसी मशीनों के आयात का आदेश दिया जो कम्प्यूटरों के समान किसी भी प्रकार का आभूषण तैयार करने में समर्थ हैं। यदि आप कोई विशिष्ट डिजाईन देते हैं तब सोना उसमें डालिए तथा उसे ठीक से 'सैट' कीजिए—चाहे वह हीरा हो अथवा दूसरे प्रकार के रत्न हों, दस मिनट के अन्दर आप जो भी आभूषण चाहते हैं, वे तैयार होकर बाहर निकल आएंगे। क्या छोटे स्वर्णकारों के लिए यह लाभदायक है? अतएव रंगराजन समिति तथा अन्य समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि इन मशीन के आयात पर अधिनियम द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाए अथवा यह अनिवार्यतः बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति इस मशीन का आयात करेंगे, उन पर स्वर्ण-नियन्त्रण-अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ऐसा नहीं किया गया है। अतएव बड़े स्वर्णकारों ने इन मशीनों को आयात करना आरम्भ कर दिया है। अब तक नौ मशीनें आ चुकी हैं तथा यदि आज ही इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है तो ये मशीनें कल ही से अपना कार्य करना आरम्भ कर देंगी। आप छोटे शिल्पकारों के बारे में बात कर रहे हैं। छोटे शिल्पकारों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा मैं आपको बता सकता हूं कि इससे कौन लोग प्रभावित होंगे। (व्यवधान) रिकार्ड से पता लगता है कि लाइसेंसप्राप्त स्वर्ण-व्यापारियों तथा प्रमाणित स्वर्णकारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1988 में लाइसेंस-प्राप्त स्वर्णकारों की संख्या 15,713 थी। वर्ष 1989 में यह 16,704 हो गई। वर्ष 1988 में प्रमाणित स्वर्णकारों की संख्या 3,62,307 थी तथा वर्ष 1989 में यह बढ़कर 3,75,792 हो गई। ये सभी व्यक्ति अपने परिवारों सहित काफी बड़े संकट में पड़ जाएंगे। जब तक सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लाती है जिससे कि उन मशीनों का, जो स्वर्ण-आभूषण तैयार करती हैं, आयात करने से रोका जा सके। तब तक इस अधिनियम को निरस्त करके लोगों को यह बताना कि छोटे स्वर्णकारों की रक्षा की जा सकेगी, ऐसा पूरा का पूरा विचार ही पूरी तरह से असफल होगा। मैं वित्त मन्त्री जी से उस उद्देश्य के बारे में नहीं पूछूंगा जिसके बारे में वित्त मन्त्री जी ने ऐसा कहा है। उस उद्देश्य को पूरा किया जाना चाहिए। समिति ने भी यही कहा है। मैं आशा करता हूं कि सात दिन के अन्दर वह ऐसा

कानून लायेंगे जिससे निर्धन स्वर्णकारों के हितों की वास्तव में रक्षा हो सकेगी तथा तस्करों पर वास्तव में नियंत्रण किया जा सकेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव सकारात्मक है और सही दिशा में एक कदम है। परन्तु केवल इसके निरसन से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या इस बेशकीमती वस्तु के बहुत कम होने की है और इसीलिए हमें किसी भी तरह इसकी आपूर्ति को बढ़ाना है। जब तक इसकी आपूर्ति बढ़ाई नहीं जाती तब तक यह समस्या और तीव्र तथा गम्भीर होती जाएगी। इस वस्तु की अत्यधिक कमी के विस्तार में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। इसकी वार्षिक मांग लगभग दो सौ टन है, जबकि पूर्ति मुश्किल से केवल दो टन होती है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग एक सौ टन सोना देश में तस्करी द्वारा लाया जाता है। (**व्यवधान**)

श्री अजीत पांजा : यह दो सौ टन है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस प्रकार, इसकी मांग दो सौ टन तक है और तस्करी की मात्रा के अतिरिक्त, आपूर्ति केवल दो टन है, क्योंकि इसके घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में साठ प्रतिशत तक अन्तर है। इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि इसके सहायक उपायों का संकेत दिए बिना ही वित्त मन्त्री जी ने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक पेश कर दिया है। ऐसा कुछ विचार नहीं किया गया है। इसके विपरीत आप जल्द-बाजी कर रहे हैं। केवल इसे निरस्त करने के लिए अधिनियम लाए हैं। आपका दृष्टिकोण इस प्रकार का है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने केवल अपनी बात कही थी। अध्यक्षपीठ ने कहा था कि तुम इसे विचार के लिए प्रस्तुत करो। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते, मैंने आपको अनुमति दी है; आप ऐसा कर सकते थे।

(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : तथ्य यह है कि इन्होंने किसी सहायक उपाय की बात नहीं कही है और अब अध्यक्षपीठ पर आरोप लगा रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि अध्यक्षपीठ मुझे अनुमति दें तो आपके बोलने के पश्चात् मैं वह आरोप भी दूर कर दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : आपके पास अभी भी मौका है; जब आप चर्चा का उत्तर दें तो हमें उठाए जाने वाले सहायक उपायों की जानकारी दें। लघु स्वर्णकारों और शिल्पकारों की सहायता करने के लिए सोने के घरेलू मूल्य को कम करने और देश में इसकी तस्करी को रोकने की आपकी भावनाएं बहुत प्रशंसनीय हैं। ये सभी भावनाएं अच्छी हैं। परन्तु यदि आप इस व्यापार को लाइसेंस मुक्त कर दें और उचित माध्यम से उचित आपूर्ति के कोई समर्थक उपाय न करें तो न केवल इसके ये उद्देश्य ही समाप्त हो जाएंगे बल्कि मूल्य वृद्धि तथा स्थिति के और खराब होने से सारा राष्ट्र एक गम्भीर संकट में फंस जाएगा।

चूंकि अब समय नहीं है और हम सब वित्त मन्त्री महोदय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे हमें इस प्रशंसा योग्य भावनाओं वाले विधान की सफलता के लिए उठाए जा रहे सहायक उपायों से अवगत कराएं; इसलिए मैं कुछ एक सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। वैधानिक माध्यमों द्वारा सोने की आपूर्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सबसे पहले, भारत में आने वाले यात्रियों को कुछ सीमा तक सोना लाने की अनुमति देने के लिए सामान सम्बन्धी नियमों में कुछ छूट दी जानी चाहिए।

दूसरे, अप्रवासी भारतीयों को उनकी बचत या उसका कुछ भाग सोने के रूप में भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं।

तीसरे, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सोने के मूल्यों में मूल्यानुसार पांच से दस प्रतिशत के साधारण शुल्क पर स्वर्ण आयात की अनुमति दी जा सके।

दूसरी बात, जनता पार्टी सरकार के समय की जब्त सोने की नीलामी सम्बन्धी प्रथा को पुनः आरम्भ करने के बारे में निश्चय करने की है। इस पर विचार करें और निश्चय करें। सम्पूर्ण स्वर्ण व नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल तभी हम इस प्रकार के उद्देश्यों को पाने में सफल होंगे। वास्तव में इस अधिनियम को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारत से स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए विश्व बाजार में काफी सम्भावनाएं हैं और इसमें भारत का योगदान बहुत कम है। लेकिन इस प्रकार स्वर्ण नीति को संशोधित करने और तदनुसार ही शीघ्रता से इसके लिए आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी सदन में जो गोल्ड कन्ट्रोल रिपील बिल लाए हैं, आज से 28 वर्ष पहले इस देश में जो कानून बना था, उसे खत्म करने के उद्देश्य से ही लाए हैं। मैं इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का सुझाव देते हुए, वित्त मन्त्री जी के कदम का स्वागत करता हूं क्योंकि यह बिल बहुत पहले यहां आ जाना चाहिए था। अब आया है, भले ही देर में आया है, देर आयद दुरुस्त आयद, देर में आने के बावजूद दुरुस्त आया है, इसलिए वित्त मन्त्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब इस देश में गोल्ड कन्ट्रोल लागू हुआ था तो सभी सुनारों को 36 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, तब ही वे अपना व्यवसाय कर सकते थे, इस बिल के आने से अब उन्हें राहत मिलेगी। मैंने स्वयं देखा है, मैं यहां लाइसेंस लेकर भी आया हूं, जिस तरह कोई दुकान में भगवान की फोटो टांगता है, सुनारों को अपनी दुकानों में कई तरह के लाइसेंसों को जड़वा कर टांगना पड़ता था। अब उन्हें इससे राहत मिलेगी, इसलिए सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जबसे इस देश में गोल्ड कन्ट्रोल लागू हुआ था, तभी से इस देश में सुनारों का धन्धा चौपट हो गया था। उन्हें फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए थे परन्तु इससे भी उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई और कर्जा न चुका पाने के कारण अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया, अनेक सुनारों की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई, उनके नाम के वारन्ट जारी हुए। अभी एक माननीय सदस्य यहां जनता रिजीम की बात कर रहे थे, उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनके पुनर्वास के लिए जो 15 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से

1978-79 में जो 5 करोड़ रुपए का कर्जा बाकी रह गया था, जनता शासनकाल में ही तत्कालीन वित्त राज्य मन्त्री, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने स्वर्णकारों के उस कर्ज को माफ किया था। यह जनता पार्टी राज की बहुत बड़ी देन थी, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से मेरा नम्र निवेदन है कि अभी भी क्या कोई कर्ज किसी सुनार पर बाकी है और यदि किसी सुनार पर कर्ज बाकी है, तो उसको माफ कर दिया जाना चाहिए और क्या राज्य सरकार कर्ज माफी के बाद भी कुछ सुनारों से कर्जा वसूल कर रही हैं? इस ओर ध्यान देना चाहिए और मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि स्वर्ण नियन्त्रण उल्लंघन के मामले में यदि सुनारों को छोटे-मोटे मामलों में पकड़ा गया हो, उन पर यदि फौजदारी मुकदमे भी चल रहे हैं, तो कृपया आज से ही···

उपाध्यक्ष महोदय: भार्गव जी, आप विषय से हटकर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका बहुत अनुयायी हूं और बहुत कम समय लेता हूं। बिलों पर बोलने में मेरी रुचि है। मैं राजस्थान विधान सभा में भी अक्सर बोलता रहा हूं। इसलिए मैं थोड़ा-सा आपका समय ले रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सुनारों के ऊपर जो फौजदारी मुकदमे चल रहे हों, तो उनसे थोड़ी बहुत कम्पाण्ड फीस लेकर, उन पर चल रहे फौजदारी मुकदमे वापस लेने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव और देना चाहूंगा—जिन पुश्तैनी कलाकार परिवारों ने इस स्वर्ण नियंत्रण कानून की विषमता से पीड़ित होकर काम छोड़ दिया, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए और इस कानून से पीड़ित होकर जिन कई स्वर्णकारों ने आत्महत्या कर ली थी, मैं समझता हूं कि उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार ने स्वयं माना है कि यह अधिनियम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा है। तकनीकी कारणों से छोटे-छोटे सुनारों को जो नुकसान हुआ है, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 175 से 150 टन के मुकाबले, सिर्फ दो टन सोने का उत्पादन हमारे यहां होता है केवल दो टन सोना भारत में प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, उस पर सीमा-शुल्क लगाना चाहिए। एक सुझाव मेरा यह भी है कि आयात के लिए विदेशी-मुद्रा न लें। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि प्राइवेट पर्यटक या अप्रवासी भारतीय, मान लीजिए किसी के रिश्तेदार, भारतवर्ष में आते हैं, वे यदि यहां सोना लेकर आते हैं, तो उनको भी आप छूट दें और उनसे आप आयात शुल्क ले लें। इसी प्रकार से तस्करों से जो सोना जब्त किया जाता है, उसकी नीलामी की जानी चाहिए और अन्तिम सुझाव मेरा यह है कि स्वर्णभूषणों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इन सब सुविधाओं को दिए जाने के बाद, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि भारतवर्ष के जो 5 लाख स्वर्णकार हैं और 20 हजार लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री, जो मैंने रचनात्मक सुझाव दिए हैं उनको स्वीकार करेंगे। मैंने इस पर जनमत जानने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको वापस लेता हूं।

8.33 म०प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए।]

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे नहीं बोलना है।

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, मेरा संक्षेप में सुझाव यह है कि स्वर्ण के प्रति मोह भारत की जनता में समाप्त नहीं हुआ है और इसी कारण माननीय योग्य वित्त मन्त्री जी ने स्वर्ण नियन्त्रण कानून को समाप्त करने का अध्यादेश उपस्थित करके भारत की बहुत बड़ी सेवा की है। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। शादी के समय व्यक्ति 22 कैरेट के बजाय 15-16 कैरेट का सोना पुड़िया में बांधकर दे देता था इसलिए कि कोई आ गया तो पकड़ा जाएगा । इस प्रकार डर-डर कर वह काम करता था और इस प्रकार लोगों के साथ अन्याय होता था । मान्यवर, आपके रैवेन्यू कलैक्टर और एक्साइज कलैक्टर मण्डियों से स्वर्ण नियंत्रण कानून पास हो जाने बाद आज भी आपके अधिकारी दुकानों पर जाकर रजिस्टर चैक कर रहे हैं और उन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटी-छोटी सर्राफे की मंडियों से भी आपके इन अधिकारियों की 25-25 हजार रुपए महीना बंधी बधी हुई है। वे लोग आज उनसे वसूली कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तुरन्त रोका जाए क्योंकि कानून पास हो चुका है। अन्त में, मेरा निवेदन है कि आयात पर निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए । सात तोला सोना तक, यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर गया है, और लाता है, तो उसको छूट दी जानी चाहिए। तीसरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान का जेवर आज विश्वा में जा रहा है। अहमदाबाद में, गुजरात में सोने के सनसैट जेवर बनते हैं। मेरा निवेदन है कि गुजरात में जवाहरात की दृष्टि से मंडी स्थापित की जाए, रत्नों के लिए जयपुर और सोने की दृष्टि से अहमदाबाद को भी विकसित करके निर्यात तेजी से करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, सोना नियन्त्रण कानून को समाप्त करके सरकार ने जो कदम उठाया है, वह स्वागत योग्य है। आधुनिक अर्थव्यवस्था सोने के प्रति लोगों का मोह हटाती है लेकिन भारतवर्ष में अभी तक रूढ़िवादी लोगों का मोह सोने के प्रति है। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करोड़ों काश्तकार अपनी सुरक्षा के लिए 2-4 तोले सोना अपने घर में रखते हैं। उनका मूल उद्देश्य यह होता है कि जब कभी उनके ऊपर आपत्ति आ जाए, अर्थसकट आ जाए तो उसको बेचकर अपना काम चला सकें। आज जिस तरह के स्वर्ण आभूषण बाजार में आते हैं, वह शुद्ध सोना काश्तकार खरीदता है लेकिन जब उनको बेचने जाता है और संकट के समय जब उसकी जान पर आफत आती है तो उस सोने को बाजार में बेचने से उसको आधी कीमत भी नहीं मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि करोड़ों काश्तकारों के लिए क्या सुरक्षा, क्या नियम बनाने जा रहे हैं ? यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम को निरस्त करने के पश्चात् क्या आप उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के उल्लंघन में अधिक सोना रखा हुआ था ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं उठाए गए मुद्दों का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मुझे मेरे मित्र श्री अजीत पांजा के इस कथन पर न केवल हैरानी हुई बल्कि बहुत दुःख भी हुआ है कि तस्करों की सहायता के लिए ही मैंने इस विधेयक को विलम्ब से पुरःस्थापित किया है।

श्री अजीत पांजा : मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि सरकार की ओर से विलम्ब के कारण तस्करों को मदद मिली। व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है; मेरी गलतफहमी दूर हो गई है।

यदि इससे यह तात्पर्य भी लिया जाए कि इसके फलस्वरूप तस्करों को लाभ हुआ होगा, तो मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैंने यह विधेयक इस सदन में 24 अप्रैल 1990 को पुरःस्थापित किया था। परन्तु अनेक अन्य विषयों पर सदन की सर्वसम्मति के कारण प्राथमिकता के आधार पर विचार-विमर्श होता रहा और इस विषय को पहले नहीं लिया जा सका। अन्यथा, मैं तो इसके लिए बहुत उत्सुक था। सौभाग्य या दुर्भाग्य से इसी बीच मुझे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक सप्ताह के लिए वाशिंगटन जाना पड़ा। इसका कोई भी यह अर्थ नहीं निकलेगा कि अन्तरराष्ट्रीय तस्करों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ही मैं वहां गया···(**व्यवधान**) बहरहाल, जैसाकि मैंने कहा था, हम इस विधेयक को पहले लाए थे परन्तु स्थिति के अनुरूप, इसको पहले नहीं लिया जा सका।

मैंने दोनों ही रिपोर्टों का सावधानी से अध्ययन किया है। आपने केवल रंगाराजन रिपोर्ट का ही जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य रिपोर्ट दल समिति की भी है। मैंने इन दोनों रिपोर्टों का अध्ययन किया है और आपके सुझावों को भी सुना है। यदि आपने मेरे बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुना हो तो मैंने दो तीन सुझाव उसमें शामिल कर रखे हैं और उनमें से एक सुझाव वह है जो श्री पांजा ने दिया है। अपने भाषण में मैंने कहा था कि इस समस्या के दो पहलू हैं। क्या हमें अप्रवासी भारतीयों और पर्यटकों को कम मात्रा में सोना लाने की अनुमति देनी चाहिए या कुछ निश्चित विदेशी विनिमय शुल्क लगाया जाए और जब वे यहां वापस आएं तो उन्हें कुछ लेन-देन करने की छूट दी जाए। ये सभी समस्याएं मैं पहले ही सदन के समक्ष रख चुका हूं और इसके लिए मैंने सदस्यों से सुझाव मांगे थे। हमने पहले ही बहुत से सदस्यों के विचार प्राप्त कर लिए हैं। हम इस पर कार्यवाही करेंगे। इसके लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। भूतपूर्व वित्त मन्त्री होने के नाते आप यह जानते हैं कि ऐसा शासकीय आदेशों/अधिसूचनाओं द्वारा किया जा सकता है। यह एक पहलू है।

एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया है कि इसके फलस्वरूप स्वर्ण के मूल्य बढ़ गए हैं। वास्तव में मैं सदन को देश और विदेशों में सोने की कीमतों के अन्तर के बारे में बताना चाहता हूं। बजट से पूर्व इसमें पचपन प्रतिशत अन्तर था। अब यह अन्तर बढ़कर इकहत्तर प्रतिशत हो गया है। इन्होंने तस्करी का सही प्रश्न उठाया है। इसके लिए क्या ठोस उपाय किए जाने चाहिए? यदि आपको याद हो तो वर्ष 1963 में चीनी आक्रमण के समय भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत पहली बार स्वर्ण नियन्त्रण को लागू किया गया था। यह विधान वर्ष 1968 में बना था जब मोरारजी भाई इस स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को लाए थे। मुझे बड़ी प्रसन्ता है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले व्यक्ति ने ही सबसे पहले मुझे बधाई का तार भेजा। उन्होंने कहा, "चीन द्वारा आक्रमण के पश्चात् उस विशेष परिस्थिति में स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम आवश्यक हो गया था। लेकिन इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी इसलिए इसे निरस्त करना आवश्यक हो गया था। यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतना साहस दिखाया।" वे इसके लिए मुझे बधाई दे रहे हैं। परन्तु इसके पश्चात् कुछ कदम उठाने आवश्यक है। हम प्रभावी कदम उठायेंगे। उनमें से एक सुझाव यह था जिसका आपने अभी जिक्र किया। एक और सुझाव तस्करी को कम करने के बारे में है। यह तथ्य है कि जब सबसे पहले स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम

बनाने का विचार किया गया था, तो यह उम्मीद की गयी थी कि इस कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत हम तस्करी को रोकने में सफल होंगे। परन्तु अगर आप भूतपूर्व वित्त मन्त्री के रूप में पकड़े गए सोने से सम्बन्धित आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पकड़े गए सोने की अधिकांश मात्रा स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए सोने की नहीं थी बल्कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए सोने की थी। मेरी सरकार का निरन्तर प्रयत्न रहेगा कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए ताकि तस्करी के क्षेत्र में जो कुछ भी हेराफेरी होती है, उससे कठोरता से निपटा जा सके। हम तस्करी को अधिक से अधिक रोकना चाहते हैं। तस्करी का सबसे बड़ा कारण अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में अन्तर है। दूसरा कारण, उपलब्ध सोने की मात्रा में अन्तर है। अनुमानतः 25,000 से 50,000 टन तक से छिपा हुआ सोना विद्यमान है। उस पर भी नियन्त्रण करना होगा। एक कारण यह भी है। कुल उपलब्ध सोने की मात्रा कितनी है ? भारत में लगभग 200 टन सोने की मांग है। जैसाकि आपने उचित ही कहा है, 2 टन सोने का स्थानीय उत्पादन होता है तथा 50 टन सोना फिर से बाजार में आ जाता है और इस प्रकार केवल 52 टन सोना उपलब्ध है जबकि मांग 200 टन सोने की है। इसलिए, इस अन्तर को समाप्त करना होगा। हम इस पर भी विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे। तीसरे, जहां तक छोटे स्वर्णकारों का सम्बन्ध है, तो इस अधिनियम को निरस्त करने का अधिकतम लाभ बड़े-बड़े व्यापारियों की बजाय इन छोटे स्वर्णकारों को ही होगा जिनको कि सरकारी निरीक्षकों द्वारा परेशान किया जाता था। उन्हें घूस देनी पड़ती थी। कोई भी निरीक्षक किसी स्वर्णकार के पास से 200 रु० से 3000 रु० तक लिए बिना नहीं जाता था। जैसाकि भार्गव जी ने कहा है, इसके अतिरिक्त उन्हें दावपेंचों का भी सामना करना पड़ता था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय सरकार ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि वे छोटे स्वर्णकार, जो पिछले स्वर्ण नियन्त्रण कानून के कारण ऋणी हो गए हैं, उनके लिए योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत उनकी क्षतिपूर्ति के लिए एक मशीनरी गठित की गई है जिसके अन्तर्गत उन्हें उनके द्वारा लिए गए ऋणों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता और राजसहायता द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी और उसके लिए हम राज्य सरकारों को सहायता देंगे। यह कदम हम उठायेंगे। हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसके परिणामस्वरूप छोटे स्वर्णकारों में रोजगार के अवसर और बढ़ें। दूसरे, हम तस्करी पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी उपलब्ध छोटी-तकनीकें इन छोटे स्वर्णकारों को उपलब्ध करवाई जायेंगी ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें। तीसरे, जब हमें विदेशी मुद्रा के भण्डार की आवश्यकता हो, तो हम यह भरपूर प्रयत्न करेंगे कि सोने के आभूषणों का निर्यात भी बढ़े।

और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, इस देश में सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है। गरीब व्यक्ति के लिए सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है, इसलिए हम सोने को अन्य आवश्यक वस्तु के समान महत्व नहीं देंगे जिनके ऊपर नियन्त्रण लागू किया गया है। हम इस सम्बन्ध में सावधानी बरतेंगे।

हम इस सदन में दिए गए सुझावों और रंगराजन समिति तथा वक्ता समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को भी ध्यान में रखेंगे। हम इसके पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही भी जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम को निरस्त करने के बाद कोई शून्य उत्पन्न न हो और देश की अर्थ-व्यवस्था न बिगड़े।

जिन सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनसे मैं यह अपील करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस ले लें ताकि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जा सके ।

श्री अजीत पांजा : मशीनरी के आयात के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उसे देखा है । (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यक्तिगत रूप में आपसे अपील की है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इस दौरान अगर ऐसी किसी मशीनरी का आयात किया गया है जिससे बड़े-बड़े व्यापारियों और उत्पादकों को ही लाभ पहुंचने वाला हो तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी मशीनरी का आयात न हो । इसके विपरीत हम छोटे स्वर्णकारों को उचित तकनीक उपलब्ध करायेंगे ताकि सरकार के इस कदम के द्वारा उनको ही लाभ हो, बड़े-बड़े उत्पादकों को नहीं । हमारा यही उद्देश्य रहेगा ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री दाऊ दयाल जोशी : महोदय, मैं भी अपना संशोधन वापस ले रहा हूं ।

सभापति महोदय : क्या इन माननीय सदस्यों, श्री भार्गव और श्री जोशी को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 को निरस्त करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा । किसी संशोधन की सूचना नहीं दी गयी है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8.47 म० प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

सभापति महोदय : अब श्री राम विलास पासवान ।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : इस पर चर्चा कल करेंगे ।

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : इसको खासी मूव कर देते हैं, उसके बाद कल लिस्ट में आ जाएगा ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम ऐसा कर सकते हैं । उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए ।

(व्यवधान)

उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए । आपके लिए अभी अधिक विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इसको पांच मिनट में समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित जातीयां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने तथा संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978, में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, चूंकि आज की जो लिस्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की थी, उसमें यह तय था कि यह बिल भी आज हो जाना चाहिए लेकिन काफी लेट हो गए हैं, यह बिल जो नवबौद्धों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस सम्बन्ध में है, वैसे मैं समझता हूं कि इतनी देर यदि कष्ट हुआ था, यदि 15-20 मिनट और बैठ जाते तो यह बिल भी उसी तरह का है, राज्य सभा ने इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया है और चूंकि यह बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मशती वर्ष चल रहा है और यह एक बड़ा ही पुनीत काम है और इसके लिए इसमें कहीं कोई किसी पक्ष के जो सदस्य हैं.....

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए। भाषण कल दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : क्या अब आप उसे पारित करवाने के पक्ष में हैं अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : माननीय मन्त्री जी को केवल इतना कहना चाहिए कि 'मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।'

[हिन्दी]

हम मंत्री जी को सुन लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह अपने विचार कल प्रकट करेंगे। परन्तु आज उन्हें कुछ मिनट के लिए बोलने दीजिए।

उसके पश्चात् आपकी अनुमति से मैं एक सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा। वह केवल दो या तीन मिनट के लिए बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : नहीं।